VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अर्थव्यवस्था

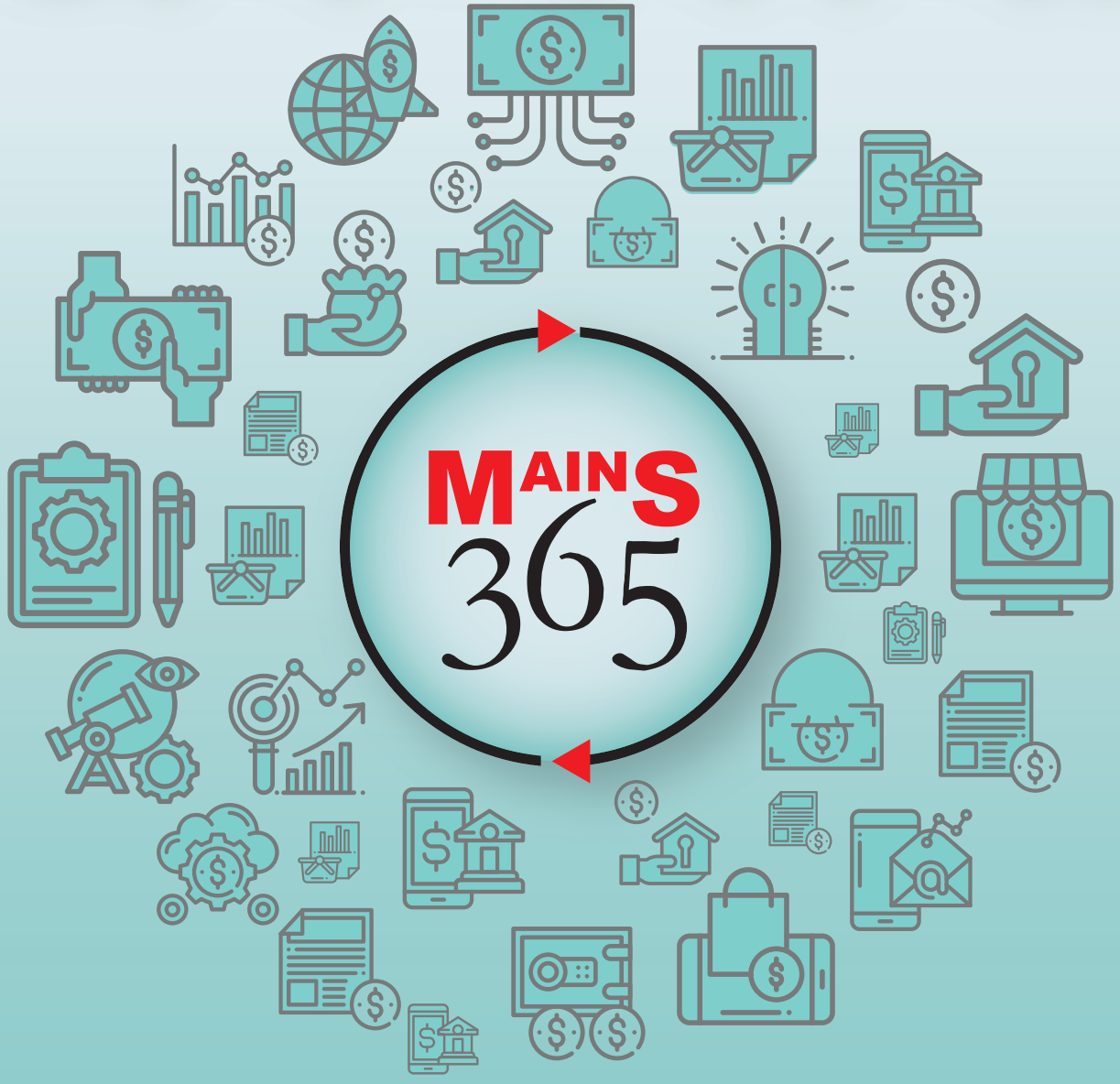

क्लासरूम स्टडी मटीरियल 2023

(August 2022- May 2023)

8468022022, 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

अर्थव्यवस्था (Economy)

विषय सूची

1. रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास (Employment, Social Security and Skill Development)..... 8

1.1. रोजगार (Employment)..... 8
1.1.1. गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy)..... 9
1.2. श्रम कानून सुधार (Labour Law Reforms)..... 11
1.3. बीमा क्षेत्रक (Insurance Sector)..... 12
1.4. कौशल विकास (Skill Development)..... 13
1.4.1. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana)..... 14
1.4.2. जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend)..... 15

2. आर्थिक और समावेशी विकास (Economic and Inclusive Growth)..... 17

2.1. मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report)..... 17
2.2. भारत की उत्पादकता संबंधी चुनौतियां (Productivity Challenge of India)..... 19
2.3. महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था (Post Pandemic Economy)..... 20
2.4. गरीबी उन्मूलन (Poverty Alleviation)..... 21
2.4.1. मनरेगा (MGNREGA)..... 22
2.4.2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer: DBT)..... 23
2.5. शहरी निर्धनता (Urban Poverty)..... 25
2.5.1. शहरी रोज़गार गारंटी योजना (Urban Employment Guarantee Scheme: UEGS)..... 26
2.6. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)..... 28
2.6.1. भारत में असमानता (Inequality in India)..... 29
2.6.2. जेंडर बजटिंग (Gender Budgeting)..... 31
2.6.3. महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट (Mahila Samman Savings Certificate)..... 31
2.6.4. स्वयं-सहायता समूह (Self Help Groups: SHG)..... 32
2.7. शहरी नियोजन (Urban Planning)..... 35
2.7.1. स्ट्रीट वेंडर्स (Street Vendors)..... 36
2.7.2. ग्रामीणीकरण से ग्रामीण औद्योगीकरण (Ruralisation to Rural Industrialization)..... 37
2.7.3. शहरी-ग्रामीण वर्गीकरण (Urban-Rural Classification)..... 38
2.8. आवासन (Housing)..... 40
2.8.1. प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) {Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)/ PMAY(U)}..... 40
2.8.2. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin: PMAY-G)..... 42
2.9. भारत में भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण (Land Records Modernization in India)..... 44

2.9.1. लैंड टाइटलिंग या भू-स्वामित्व (Land Titling) 45
2.9.2. स्वामित्व योजना (Svamitva Scheme) 46

3. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) 49

3.1. सरकारी वित्त (Government Finance) 49
3.1.1. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) 50
3.1.2. राज्य वित्त (State Finances) 51
3.1.3. नगर निकायों की वित्त व्यवस्था (Municipal Financing) 53
3.1.4. म्युनिसिपल बॉण्ड्स (Municipal Bonds) 55
3.2. प्रत्यक्ष कराधान (Direct Taxation) 57
3.2.1. डिजिटल कर (Digital Tax) 57
3.2.2. ट्रांसफर प्राइसिंग (Transfer Pricing) 59
3.3. परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetisation) 61
3.4. क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) 63
3.4.1. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (Central Bank Digital Currency: CBDC) 63
3.4.2. मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स {Markets in Crypto Assets (MiCA)} 66

4. बैंकिंग और भुगतान प्रणाली (Banking and Payment Systems) 69

4.1. बैंकिंग (Banking) 69
4.1.1. बैंकिंग प्रणाली में तरलता (Banking System Liquidity) 70
4.2. लंदन इंटरबैंक ऑफ़र्ड रेट (LIBOR) पर निर्भरता की समाप्ति {Transition from London Interbank Offered Rate (LIBOR)} 71
4.3. सूक्ष्म वित्त क्षेत्रक (Microfinance Sector) 72
4.4. परिसंपत्ति गुणवत्ता और पुनर्गठन (Asset Quality and Restructuring) 74
4.4.1. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में सुधार {Improvement in the Non-Performing Assets (NPAs)} 75
4.4.2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC) 76
4.4.2.1. तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण (SSAF) का फ्रेमवर्क {Securitization of Stressed Assets Framework (SSAF)} 79
4.5. अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 (Nobel Prize for Economics 2022) 80
4.6. भुगतान प्रणाली (Payment Systems) 82
4.6.1. डिजिटल भुगतान को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना (Scheme for Financial Support to Digital Payments) 83
4.6.2. टोकनाइजेशन (Tokenization) 84
4.7. फिनटेक क्षेत्रक (FinTech Sector) 86
4.7.1. डिजिटल ऋण (Digital Lending) 87
4.7.2. डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (Digital Banking Units: DBUs) 89

5. बाह्य क्षेत्रक (External Sector) 91

5.1. निर्यात क्षेत्रक (Export Sector) 91

5.2. विदेश व्यापार नीति- 2023 (Foreign Trade Policy 2023) 92

5.2.1. व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता (Trade Facilitation and Ease of Doing Business) 92

5.2.2. विदेश व्यापार नीति-2023 के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें (Export Promotion Initiatives by FTP 2023) 94

5.2.3. विदेश व्यापार नीति-2023 के तहत शुरू की गई अन्य पहलें (Other initiatives by FTP 2023) 95

5.3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) (foreign direct investment: FDI) 97

5.4. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of Rupee) 97

5.5. वि-डॉलरीकरण (De-dollarization) 101

5.6. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उतार-चढ़ाव (India's Forex Dynamics) 103

5.7. वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति (Understanding Global Economy) 104

5.7.1. बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान (Multilateral Financial Institutions) 105

5.7.2. वैश्विक ऋण प्रबंधन (Global Debt Management) 107

5.8. विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation) 109

6. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (Agriculture and Allied Activities) 112

6.1. कृषिगत इनपुट (Agricultural Inputs) 112

6.1.1. मृदा (Soil) 112

6.1.2. जल (Water) 112

6.1.3. बीज (Seeds) 113

6.2. कृषि मशीनीकरण (Agricultural Mechanization) 114

6.3. कृषि ऋण (Agricultural Credit) 115

6.3.1. प्राथमिक कृषि साख/ ऋण समितियां (Primary Agricultural Credit Societies: PACS) 115

6.4. कृषि विपणन (Agricultural Marketing) 118

6.4.1. कृषिगत डेरिवेटिव्स और कृषि जिंसों की कीमत (Agricultural Derivatives and Agricultural Prices) 119

6.5. किसानों को वित्तीय सहायता (Financial Support to Farmers) 121

6.5.1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP) 122

6.6. अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 {International Year of Millets (IYM) 2023} 124

6.7. भारत में खाद्य भंडारण (Food Storage in India) 125

6.8. संबद्ध क्षेत्रक (Allied Sector) 128

6.8.1. जलीय कृषि क्षेत्रक (Aquaculture Sector) 128

6.9. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक (Food Processing Sector) 131

6.10. कृषि निर्यात (Agricultural Exports) 132

7. उद्योग (Industry) 133

7.1. औद्योगिक नीति (Industrial Policy) 133

7.2. भारत को विनिर्माण हब बनाना (Making India A Manufacturing Hub) 133

7.3. उत्पाद-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme} 136

7.4. वस्त्र क्षेत्रक (Textile Sector) 137

7.4.1. तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles) 137

8. सेवा क्षेत्रक (Services) 140

8.1. सॉफ्टवेयर ऐज ए सर्विस (Software as a Service: SaaS) 140

8.2. ई-कॉमर्स (E-commerce) 142

8.2.1. ई-कॉमर्स को बढ़ावा और विनियमन (E-Commerce Promotion And Regulation) 143

8.2.2. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (Open Network for Digital Commerce: ONDC) 144

8.3. दूरसंचार क्षेत्रक (Telecom Sector) 148

8.3.1. भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा (Draft Indian Telecommunication Bill, 2022) 149

8.4. पर्यटन क्षेत्रक (Tourism Sector) 151

8.4.1. संधारणीय पर्यटन (Sustainable Tourism) 151

9. अवसंरचना (Infrastructure) 153

9.1. पब्लिक गुड्स (Public Goods) 153

9.1.1. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure) 154

9.2. गति शक्ति (GATI Shakti) 156

9.2.1. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy: NLP) 156

9.2.2. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (Multi Modal Logistics Park: MMLP) 159

9.2.3. सामाजिक अवसंरचना (Social Infrastructure) 161

9.3. विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institutions: DFIs) 162

9.4. भारत में पत्तन क्षेत्रक (Port Sector in India) 165

9.4.1. ग्रीन शिपिंग (Green Shipping) 166

9.5. भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland Waterways in India) 166

10. खनन एवं विद्युत क्षेत्रक (Mining and Power Sector) 170

10.1. खनन क्षेत्रक (Mining Sector) 170

10.1.1. भारत में स्वर्ण खनन (Gold Mining in India) 171

10.1.2. भारत में लिथियम के भंडार (Lithium Deposits in India) 173

10.2. कोयला और तेल क्षेत्रक (Coal and Oil Sector) 176

10.2.1. कोयला लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 का मसौदा (Draft Coal Logistic Policy 2022) 177

11. व्यवसाय और नवाचार (Business and Innovation) 179

11.1. व्यवसाय नीति (Business Policy) 179

11.1.1. कानूनी सुधार और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस {Legal Reforms and Ease of Doing Business (EoDB)} 180

11.1.2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR) 183

11.2. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Competition (Amendment) Act 2023} 183

11.2.1. प्रतिस्पर्धा कानून और बिग टेक कंपनियां (Competition Law and Big Technology Companies) 185

परिशिष्ट 188

अर्थव्यवस्था खंड की तैयारी के लिए अतिरिक्त स्टडी मटीरियल

आर्थिक समीक्षा 2022–23 का सारांश	इस डॉक्यूमेंट में आर्थिक समीक्षा 2022–23 के प्रमुख बिंदुओं को अभ्यास प्रश्नों के साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।	
केंद्रीय बजट 2023–24 का सारांश	इस डॉक्यूमेंट में बजटीय प्रक्रिया की मूल बातों के साथ–साथ केंद्रीय बजट 2023–24 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है।	
विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न (PYQ)	मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2013–2022 तक पूछे गए प्रश्नों (अर्थव्यवस्था खंड के लिए) की एक रेफरेंस शीट प्रदान की गई है।	

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थियों,

- समसामयिक घटनाक्रमों को ठीक से समझने से जटिल मुद्दों के बारे में आपकी समझ और बेहतर हो सकती है। इससे विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको बारीक समझ विकसित करने में मदद मिलती है।
- इसे ध्यान में रखते हुए, मेन्स 365 डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपकी अध्ययन प्रक्रिया को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी विशेषताएं शामिल हैं जिससे आपको उत्तर तैयार करने व संक्षेप में लिखने, कंटेंट को बेहतर रूप से समझने और उसे याद रखने में सहायता मिलेगी।

इस संदर्भ में हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नई विशेषताएं शामिल की हैं:

टॉपिक – एक नज़र में:

इसमें आवश्यक डेटा और तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। यह स्टेटिक जानकारी और समसामयिक घटनाओं के विश्लेषण को जोड़कर विषय का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

इन्फोग्राफिक्स:

इन्फोग्राफिक्स को इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से शामिल किया गया है कि उन्हें आप तेजी से रिवाइज कर सकें तथा अपने उत्तरों में आसानी से शामिल कर सकें, जिससे आपके उत्तर और आकर्षक व इंफॉर्मेटिव दिखेंगे।

डेटा बैंक

विषयों के संबंध में महत्वपूर्ण डेटा को जानने और उन्हें रिवाइज करने में आपकी सहायता के लिए, अलग से डेटा बैंक डिजाइन कर उन्हें संबंधित आर्टिकल में जोड़ा गया है।

डेटा बैंक

जल्दी रिविजन के लिए डॉक्यूमेंट के अंत में मुख्य डेटा और तथ्यों का एक परिशिष्ट जोड़ा गया है।

वीकली फोकस डॉक्यूमेंट्स की सूची

प्रासंगिक वीकली फोकस डॉक्यूमेंट्स की QR कोड से लिंक्ड एक सूची को इस डॉक्यूमेंट के अंत में जोड़ा गया है ताकि आपको इन विषयों तक पहुंचने में आसानी हो।

विगत वर्षों के प्रश्न और अतिरिक्त स्टडी मटीरियल:

बेहतर तरीके से रिविजन हेतु, QR कोड से लिंक्ड आर्थिक समीक्षा 2022–23 का सारांश, केंद्रीय बजट 2023–24 का सारांश और विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs) प्रदान किए गए हैं।

हम आशा करते हैं कि मेन्स 365 डॉक्युमेंट्स आपकी तैयारी में प्रभावी ढंग से आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करेंगे।

"आप कभी भी, किसी से भी, कुछ भी सीख सकते हैं। हमेशा एक ऐसा समय आएगा, जब आप सुखद अनुभव करेंगे कि आपने ऐसा किया।"

शुभकामनाएं! टीम VisionIAS

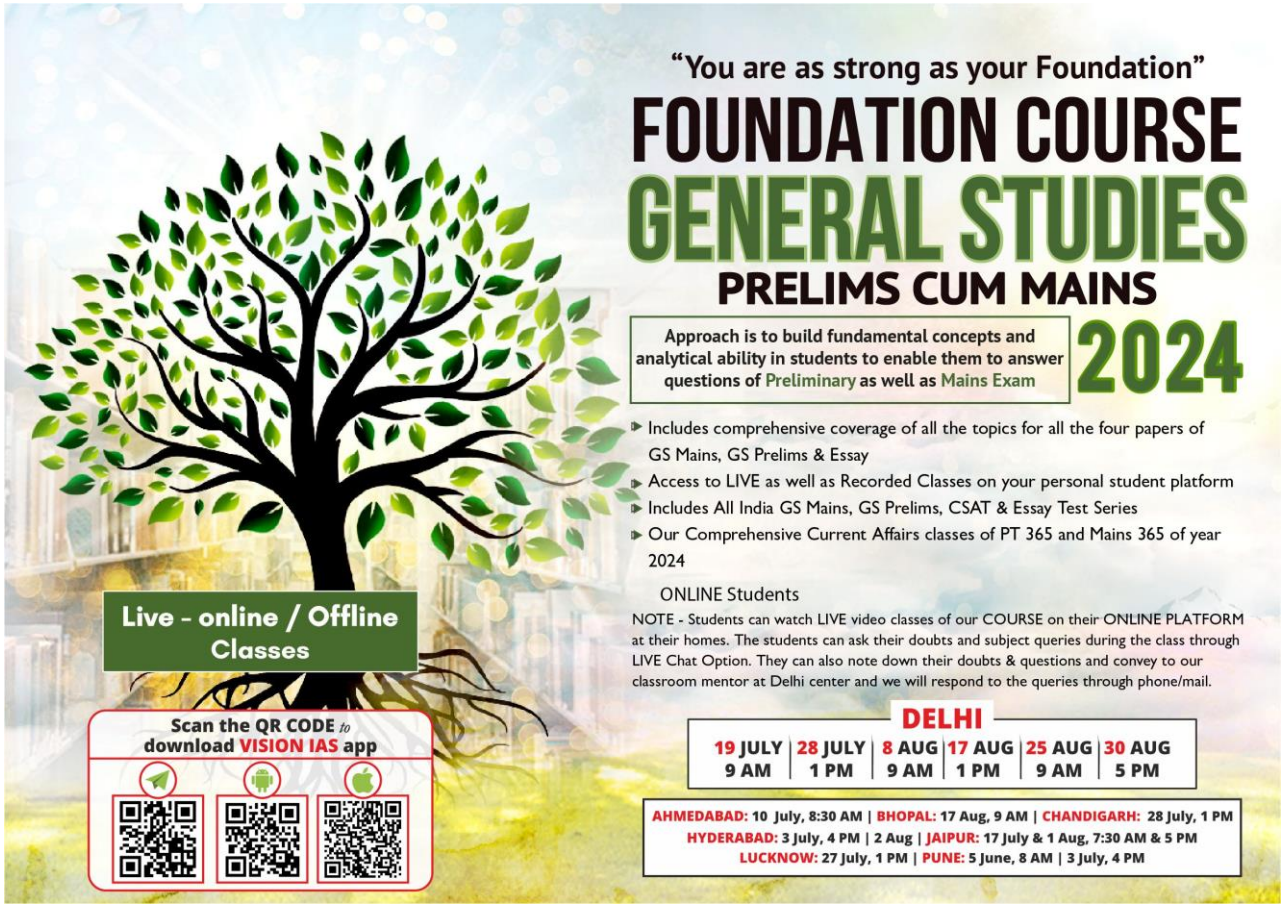
"You are as strong as your Foundation"
FOUNDATION COURSE
GENERAL STUDIES
PRELIMS CUM MAINS
2024
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam
Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2024
Live - online / Offline Classes
ONLINE Students
NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI
19 JULY 9 AM | 28 JULY 1 PM | 8 AUG 9 AM | 17 AUG 1 PM | 25 AUG 9 AM | 30 AUG 5 PM
AHMEDABAD: 10 July, 8:30 AM | BHOPAL: 17 Aug, 9 AM | CHANDIGARH: 28 July, 1 PM
HYDERABAD: 3 July, 4 PM | 2 Aug | JAIPUR: 17 July & 1 Aug, 7:30 AM & 5 PM
LUCKNOW: 27 July, 1 PM | PUNE: 5 June, 8 AM | 3 July, 4 PM

ABHYAAS
MAINS 2023
ALL INDIA GS MAINS
MOCK TEST (OFFLINE)*
PAPER DATES
ESSAY 25 AUGUST
GS - 1 & GS - 2 26 AUGUST
GS - 3 & GS - 4 27 AUGUST
OFFLINE IN 40+ CITIES
All India Percentile
Comprehensive Evaluation, Feedback & Corrective Measures
Available In ENGLISH / हिन्दी
AHMEDABAD | AIZAWL | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | COIMBATORE | DEHRADUN
DELHI | GHAZIABAD | GORAKHPUR | GUWAHATI | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE | ITANAGAR | JABALPUR | JAIPUR
JAMMU | JODHPUR | KANPUR | KOCHI | KOTA | KOLKATA | LUCKNOW | LUDHIANA | MUMBAI | NAGPUR | NOIDA | PATNA
PRAYAGRAJ | PUNE | RAIPUR | RANCHI | ROHTAK | SHIMLA | THIRUVANANTHAPURAM | VARANASI | VIJAYAWADA |
VISAKHAPATNAM

1. रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास (Employment, Social Security and Skill Development)

1.1. रोजगार (Employment)

रोजगार: एक नज़र में

भारत में रोजगार की स्थिति

- **PLFS** 2021–22 के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर **41.3%** थी।
- सक्रिय रोजगार की तलाश करने के बावजूद **4.1%** कार्यबल बेरोजगार था।
- भारत के कार्यबल में लगभग **52 करोड़** कामगार शामिल हैं।
- **46% कार्यबल कृषि क्षेत्र** में कार्यरत है।

योजनाएं/ पहलें

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम** (MGNREGA)
- **संपूर्ण रोजगार योजना**
- **आजीविका– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन**
- **प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना**
- **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम**
- **ई–श्रम पोर्टल**– असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस।
- **अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना**– बेरोजगारी के दौरान भत्ता प्रदान करने पर लक्षित।
- गर्वनमेंट टू सिटीजन (**G2C**), बिज़नेस टू कंज्यूमर (**B2C**) और बिज़नेस टू बिज़नेस (**B2B**) सेवाएं प्रदान करते हुए अपडेटेड व कुशल डेटाबेस के रूप में कार्य करने के लिए **उद्यम, ई–श्रम और राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) जैसे डेटाबेस को आपस में जोड़ना।**
- **स्किल इंडिया मिशन** के तहत आवश्यक ज्ञान/ समझ प्रदान करने के लिए हार्वर्ड, **MIT** जैसे विदेशी विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है।

बाधाएं

- बड़ी संख्या में **श्रमिक सामाजिक सुरक्षा या श्रम विनियमन के दायरे में नहीं** आते हैं।
- **आधे से भी कम स्नातकों के पास अपेक्षित कौशल है** और वे रोजगार हेतु योग्य हैं।
- कार्यबल और इनकी भागीदारी पर **समयबद्ध एवं डेटा संबंधी आवधिक अनुमानों का अभाव है।**
- **कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी कम होना।**
- **ऑटोमेशन और मल्टी–स्किलिंग के कारण विनिर्माण क्षेत्रक के तहत रोजगार में गिरावट आयी है।**
- **सीमित होता सार्वजनिक क्षेत्रक, स्वैच्छिक बेरोजगारी में वृद्धि, रोजगार हेतु आवश्यक कौशल की कमी, मूनलाइटिंग** आदि।
- **ILO** के "ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022" के अनुसार, युवा रोजगार से जुड़ी पुनर्बहाली दर अभी भी मंद बनी हुई है (कोविड–19 के कारण)।

प्रमुख उद्देश्य

- **महिला श्रम बल की भागीदारी** को बढ़ाकर कम–से–कम 30% **तक करना।**
- **कार्यबल के औपचारीकरण** को बढ़ावा देना।
- **संधारणीय और समावेशी विकास** पर बल देते हुए रोजगार व आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना।
- श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, अच्छी कार्यदशा, उत्पादकता में वृद्धि और सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

आगे की राह

- **श्रम बाजार सूचना प्रणाली** (**LMIS**) जैसी पहलों के माध्यम से कौशल और प्रशिक्षुता को बढ़ावा देना चाहिए।
- वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्रम **कानूनों का सरलीकरण करना और उसमें आवश्यक संशोधन** करना चाहिए।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (**PLFS**) जैसे साधनों के माध्यम से रोजगार से **संबंधित डेटा संग्रह में सुधार करना चाहिए।**
- औपचारीकरण को बढ़ाने के लिए औद्योगिक विनियमों को सुव्यवस्थित करना चाहिए।
- **मजदूरी से संबंधित विनियमों** और निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी की सीमा **को बेहतर ढंग से लागू करना चाहिए।**
- अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक में **व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) को बढ़ावा देना चाहिए।**
- **ऑरेंज इकोनॉमी (रचनात्मक अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए** क्योंकि यह दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रकों में से एक है।
- आने वाले 10 वर्षों में 10 मिलियन प्रशिक्षुओं को कार्यबल में शामिल करने के लिए **प्रशिक्षुता इकोसिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए।**

1.1.1. गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ब्लिंकिट कंपनी** ने अपने **डिलीवरी पार्टनर्स के वेतन ढांचे में बदलाव** किया था। इसके विरोध में कंपनी के डिलीवरी पार्टनर्स ने हड़ताल कर दी थी।

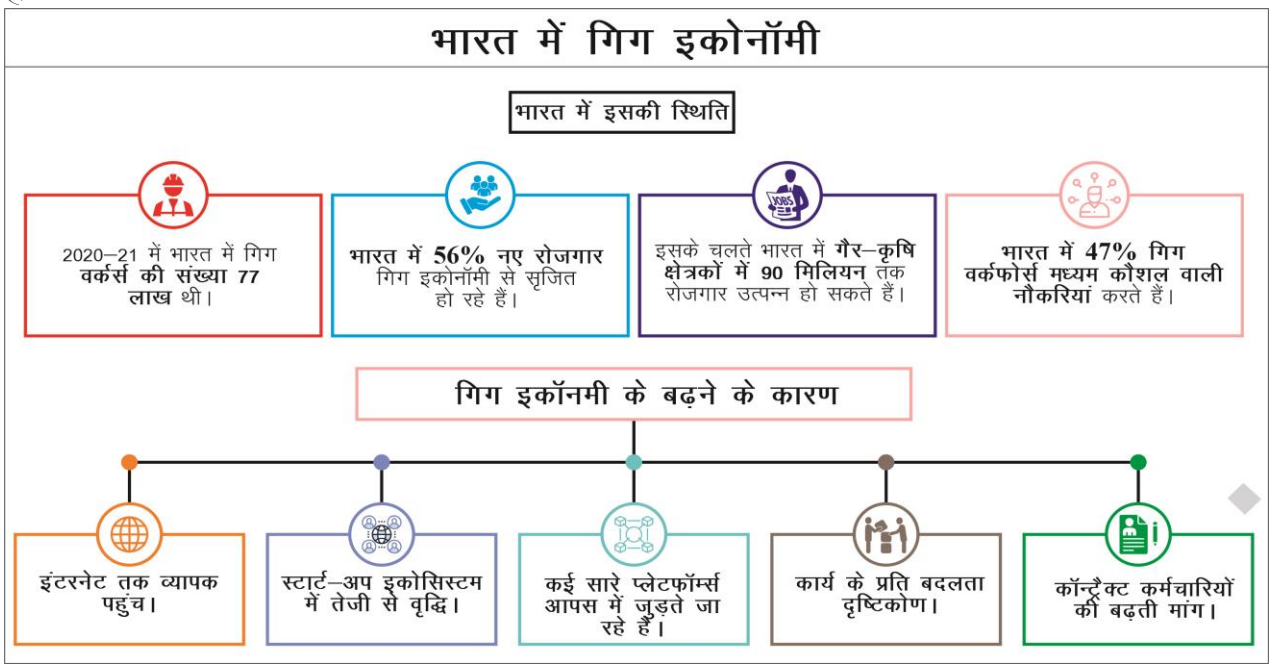

गिग अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियां

- **विश्वसनीय डेटा की अनुपलब्धता:** भारत में गिग रोजगार की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए किसी भी प्रकार का आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके कारण गिग कर्मियों पर सबका ध्यान नहीं जा पाता है।

गिग इकॉनमी के लाभ

उपभोक्ताओं के लिए	श्रमिकों के लिए	कंपनियों के लिए
• वैयक्तिकृत सेवा • लेन–देन की कम लागत • सभी प्रकार के उत्पाद लगभग कहीं भी, कभी भी वितरित किए जाते हैं	• लचीलापन • काम करने की आजादी • अवसर तक पहुंच • कार्य संतुलन	• कम लागत • लचीले श्रमिकों का एक डायवर्स पूल • कम प्रशासनिक और अनुपालन लागत

- **प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों के लिए खराब सेवा शर्तें:** इनमें कम वेतन देना, प्रलोभन युक्ति से काम करवाना, अपारदर्शी तरीके से वेतन की गणना करना, कमीशन में कटौती करना और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर निरंतर निगरानी करना शामिल हैं।
- **अनुबंध की शर्तों से बंधा होना:** डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य की परिस्थितियां, मुख्यतः सेवा समझौतों की शर्तों द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसके कारण, प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिक, कार्यस्थल सुरक्षा और पात्रता संबंधी अनेक सुविधाओं (जैसे- स्वास्थ्य बीमा आदि) का लाभ नहीं उठा पाते हैं।
- **अपरिपक्व (Nascent) विनियामक ढांचा:** इसे भारत के अनौपचारिक या असंगठित श्रम क्षेत्रक के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। यह गिग अर्थव्यवस्था के प्रभावी विनियमन में बाधा उत्पन्न करता है।
- **अन्य चुनौतियां:**
  - इसमें **कौशल उन्नयन (Skill upgradation) हेतु सीमित अवसर उपलब्ध** होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन क्षेत्रों में कौशल उन्नयन के अभाव के कारण करियर की प्रगति अत्यंत धीमी होती है।

भारत में गिग अर्थव्यवस्था से संबद्ध विनियामकीय ढांचा

- **मजदूरी संहिता, 2019:** यह गिग श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन तथा निम्नतम वेतन (Floor Wage) का प्रावधान करती है।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** यह गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उनके अधिकारों की रक्षा करती है।
  - इसमें **गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों** की पात्रताओं की व्याख्या कर उन्हें परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।
  - इसमें एक **सामाजिक सुरक्षा कोष और एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड** की स्थापना का भी प्रस्ताव है। यह बोर्ड गिग और प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं की निगरानी करेगा तथा योजनाओं के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा।

- **गिग श्रमिकों द्वारा अर्जित आय अप्रत्याशित** होती है। साथ ही, उनकी अस्पष्ट रोजगार स्थिति के कारण वे विशेष रूप से उच्च जोखिम का सामना करते हैं।
- **गिग कार्यों की व्यक्तिवादी प्रकृति** के कारण इसमें **श्रमिकों के शोषण की संभावना अधिक** होती है। इसके अतिरिक्त, **परंपरागत कर्मचारियों के विपरीत,** गिग वर्कर्स अपने लिए **श्रमिक संघ का निर्माण नहीं कर पाते हैं तथा वे सामूहिक रूप से मोलभाव करने से भी वंचित हो जाते हैं।**

आगे की राह - नीति आयोग द्वारा जारी "भारत की उभरती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था (India's Booming Gig and Platform Economy)" रिपोर्ट में की गई की सिफारिशें:

- **गिग श्रमिकों का उचित अनुमान लगाया जाना चाहिए:** उदाहरण के लिए- इस कार्य में **ई-श्रम पोर्टल द्वारा जुटाए गए डेटा** का उपयोग किया जा सकता है।
- **प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करना:** इसके लिए सरलीकरण एवं समर्थन, फंडिंग संबंधी सहायता एवं प्रोत्साहन, कौशल विकास और सामाजिक-वित्तीय समावेशन के स्तंभों पर निर्मित "प्लेटफ़ॉर्म इंडिया पहल" की शुरुआत की जा सकती है।
  - साथ ही, इसे स्टैंड-अप इंडिया की तर्ज पर भी आरंभ किया जा सकता है।
- **वित्तीय समावेशन को गति प्रदान करना:** इस संदर्भ में, **फिनटेक और प्लेटफॉर्म आधारित व्यवसायों** का लाभ उठाया जा सकता है।
- **कौशल विकास:** श्रमिकों की रोजगार क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म्स **संभावित "कौशल प्रमाण-पत्र (Skill Certificates)"** देने का कार्य शुरू कर सकते हैं।
- **सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए:** इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि महिलाओं एवं दिव्यांगजनों (PwDs) को औपचारिक ऋण की सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हो सके। साथ ही, भारत में छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में प्लेटफॉर्म आधारित व्यवसायों की शुरुआत की जानी चाहिए।

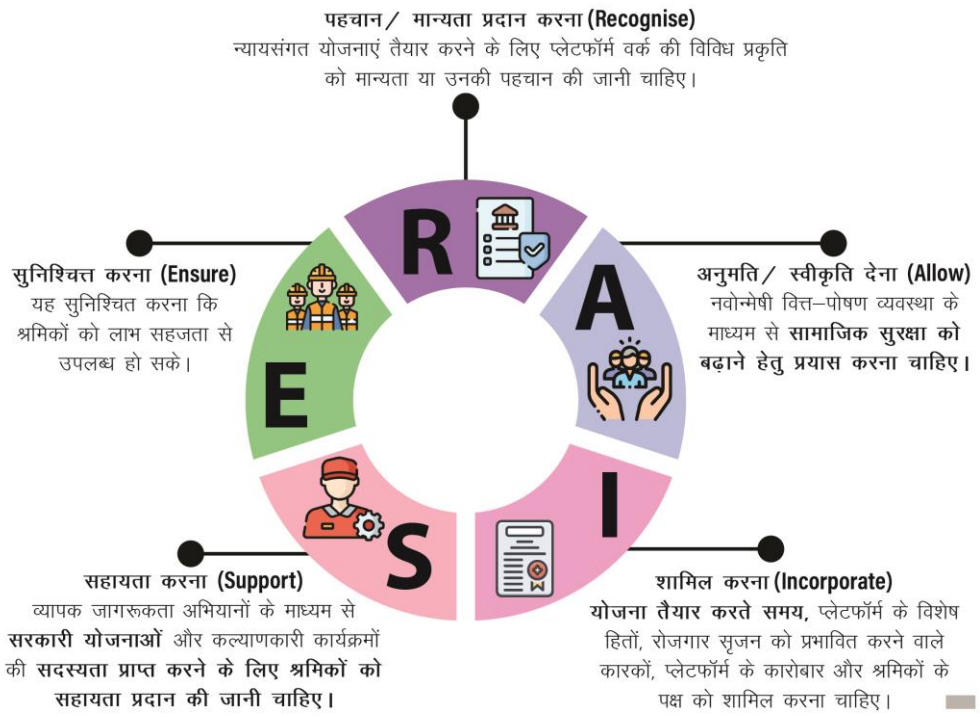

1.2. श्रम कानून सुधार (Labour Law Reforms)

श्रम कानून सुधारः एक नज़र में

श्रम कानून (Labour laws) वस्तुतः कानूनों, प्रशासनिक फैसलों और पूर्व निर्णयों का ही एक रूप हैं जो कामकाजी लोगों और उनके संगठनों के कानूनी अधिकारों एवं प्रतिबंधों के विनियमन में मदद करते हैं।

श्रम कानूनों के निम्नलिखित तीन प्रमुख कार्य हैं:

- श्रमिकों और कर्मचारियों के बीच **कानूनी शक्तियों का पुनर्वितरण करना।**
- व्यक्तिगत और सामूहिक **रोजगार संबंधों** को बढ़ावा देना।
- कार्य स्थल पर **मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों की उपलब्धता सुनिश्चित** करने में मदद करना।

भारत के श्रम कानूनों में सुधार और इनके संहिताकरण की आवश्यकता क्यों?

- श्रम कानून प्रकृति में **अत्यधिक जटिल और अस्पष्ट हैं। इनकी संख्या भी बहुत अधिक** है।
- मामलों से संबंधित निर्णयों के रेफरल, निपटान और क्रियान्वयन में देरी के कारण **कानूनों का खराब प्रवर्तन।**
- उच्च प्रशासनिक बोझ और सुगम निकासी विकल्प के अभाव के साथ **फर्मों का अवरुद्ध विकास।**
- ये कानून अप्रत्यक्ष रूप से अधिक **पूंजी प्रधान उद्योगों को बढ़ावा** दे रहे हैं।
- एक संस्थान के भीतर **बड़ी संख्या में यूनियन की मौजूदगी श्रमिकों की सामूहिक सौदेबाजी संबंधी अधिकारों** को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- श्रमिकों के **अपर्याप्त कवरेज से अन्य सामाजिक मुद्दों (जैसे– गरीबी) को बढ़ावा** मिलता है।

इन मुद्दों पर श्रम संहिता का संभावित प्रभाव

- **श्रमिकों और संस्थानों की बहुत सारी श्रेणियों को इसके दायरे के अधीन लाया** गया है।
- राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी जैसे प्रावधानों के चलते यह सभी के लिए समयबद्ध न्यूनतम वेतन उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है।
- यह **रोजगार सृजन के साथ फर्मों के विकास को बढ़ावा** देने में सहयोग कर सकती है। ऐसा यह श्रमिकों के गैर नियोजन, छंटनी या छंटनी से पूर्व श्रमिकों की संख्या की अनुमत सीमा को बढ़ाकर कर सकती है।
- वेब–आधारित निरीक्षणों तथा कुछ मामलों में अपराधों के शमन द्वारा **श्रम प्रशासन में सुधार** कर सकती है।
- यह ठेकेदारों की जिम्मेदारियों को बढ़ाकर **अनुबंधित मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने** में मदद कर सकती है।
- यह 51% सदस्यता वाले **नेगोशिएशन यूनियंस को मान्यता** दिलाने में मदद कर सकती है।
- **'वन लेबर रिटर्न, वन लाइसेंस और वन रजिस्ट्रेशन'** नीति के साथ उद्यमियों के लिए प्रक्रिया को आसान बना सकती है।

नई समेकित संहिता के विरुद्ध मुद्दे और चिंताएं

- **सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी बहुत कम** है। इससे **श्रम के सस्ता होने की प्रक्रिया** को बढ़ावा मिल सकता है।
- कुछ मामलों में **सरकार को अनावश्यक व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।**
- **कानून के अति–प्रत्यायोजन** (Over–delegation) से कुछ कानूनों की विधायी जांच की उपेक्षा हो सकती है।
- इन संहिताओं से **छूट प्रदान करने की व्यापक विवेकाधिकार शक्ति** केंद्र और राज्य सरकार के पास है।
- गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित श्रमिकों की परिभाषाओं में अस्पष्टता।
- सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा जैसी कुछ संहिता सभी श्रमिकों पर लागू नहीं होते हैं।
- अन्य उभरती चुनौतियों जैसे **"क्राउड–वर्क" या "ऑन–डिमांड वर्क"** जैसे नए प्रकार के कार्यबल से निपटना।

अन्य कदम जो उठाए जा सकते थे

- राष्ट्रीय श्रम आयोग (NCL–2002), इसके द्वारा **लघु स्तर की इकाइयों के लिए एक अलग कानून की सिफारिश** की गई थी।
- श्रम संबंधी स्थायी समिति (2020) द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए** सुरक्षा संहिता को एक ढांचा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- NCL ने सभी श्रम मामलों के लिए एकीकृत न्यायिक प्रणाली के रूप में एक व्यवस्था की सिफारिश की थी। इस एकीकृत न्यायिक प्रणाली में श्रम अदालतों, लोक अदालतों और श्रम संबंधी आयोगों (LRCs) को शामिल करने की बात की गई थी।
- ILO (2016) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कुल कार्यबल में स्थायी अवधि और अस्थायी अनुबंधित श्रमिकों के प्रतिबंधित उपयोग से उनके अति–शोषण को रोका जा सकता है।
- NCL द्वारा यह भी सिफारिश की गई थी कि असंगठित **क्षेत्र के श्रमिकों को ट्रेड यूनियन के निर्माण में सक्षम बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया जा सकता है।**

1.3. बीमा क्षेत्रक (Insurance Sector)

बीमा क्षेत्रक: एक नज़र में

बीमा क्षेत्रक की वर्तमान स्थिति

- वित्त वर्ष 2021 में कुल बीमा पैठ 4.2% थी।
- वित्त वर्ष 2021 में कुल बीमा सघनता 91 डॉलर के बराबर था।
- भारत में बीमा क्षेत्रक की औसत वार्षिक वृद्धि दर 12% है।
- वैश्विक स्तर पर भारत 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार है।

मुख्य उद्देश्य

- स्वास्थ्य, सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा आदि के रूप में **सामाजिक संरक्षण को सुनिश्चित** करना।
- गंभीर बीमारियों के मामले में **आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय में कमी करना।**
- देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बीमा तक **पहुंच और इसे वहन करने की क्षमता में सुधार** करना।
- इस क्षेत्रक में **लगभग 50,000 करोड़ रुपये के निवेश कर बीमा पैठ को दुगना करना।**

बाधाएं

- **अल्प बीमा पैठ एवं घनत्व।**
- **बीमा पॉलिसी से संबंधित अव्यवहारिक शर्तें** और मानक बीमा उत्पादों की कमी।
- **बीमा अनुबंधों में अस्पष्टता** के कारण इस क्षेत्रक से जुड़े उपभोक्ता मामले बड़ी संख्या में लंबित हैं।
- सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा योजनाओं की बहुलता ने जोखिम पूल को खंडित कर दिया है।
- वंचित गरीब वर्ग और अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग के बीच का 'मिसिंग मिडल' न तो सब्सिडीकृत स्वास्थ्य बीमा (गरीबों) के लिए और न ही सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजना (नियोजित क्षेत्रक) के लिए अर्ह है।
- भारतीयों के मध्य बीमा उत्पादों और जोखिम स्वीकृति को लेकर जागरूकता की कमी है।

योजनाएं / पहलें

- बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया।
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY), और प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
- PM – जन आरोग्य योजना
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
- महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना
- व्यवस्थित जोखिम और नैतिक बाधाओं (मॉरल हजार्ड) से बचने के अतिरिक्त उपायों के लिए एल.आई. सी., जी.आई.सी. तथा न्यू इंडिया को प्रणालीगत रूप से घरेलू बीमाकर्ताओं के रूप में पहचान देना।

आगे की राह

- व्यावसायिक बीमाकर्ताओं के माध्यम से **निजी स्वैच्छिक बीमा** को विस्तृत करना।
- संचालन और वितरण लागत को कम करने के लिए **सरकारी डेटा और अवसंरचना** को सार्वजनिक वस्तु के रूप में साझा करना।
- सेवाओं के **गारंटीकृत आधारभूत न्यूनतम पैकेज** के माध्यम से मानकीकरण को सुनिश्चित करना तथा प्रणाली को सहज बनाना।
- सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करके **उपभोक्ता के विश्वास** को जीतना।
- मजबूत ऑडिटिंग प्रक्रियाएं और तीव्र **शिकायत निवारण तंत्र।**

1.4. कौशल विकास (Skill Development)

कौशल विकासः एक नज़र में

यू.एस.ए. में 52%, जापान में 80% और साउथ कोरिया में 96% के मुकाबले भारत में **केवल 5% कार्यबल ही औपचारिक रूप से कुशल है।**

भारत वर्ष **2018 से वर्ष 2055 तक चलने वाले 37 वर्षीय जनसांख्यिकीय लाभांश चरण में प्रवेश** कर गया है।

भारत कौशल रिपोर्ट, 2023 के अनुसार शिक्षित लोगों की **नियोजनीयता** दर **50.3%** है। यह अभी भी कम है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) ने नौकरियों की गुणवत्ता में गिरावट को उजागर किया है।

प्रमुख लक्ष्य

- वर्ष 2022 तक **400 मिलियन** भारतीयों को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) के तहत प्रशिक्षित करना।
- PMKVY के तहत **बाजार की मांग**, उद्योग की आवश्यकता, सेवा व नए युग की रोजगार भूमिकाओं के संबंध में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना।
- वर्ष 2021–25 के मध्य स्किल इंपैक्ट बॉण्ड के माध्यम से **50,000 युवाओं** को कौशल प्रदान करना।
- भारत को विश्व की **'कौशल राजधानी'** बनाना।
- भारत के कार्यबल में **औपचारिक रूप से कुशल** श्रमिकों के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर कम–से–कम 15% तक करना।
- लिंग, स्थान, संगठित/ असंगठित आदि के आधार पर मौजूद विभाजन को कम करते हुए **समावेशिता** सुनिश्चित करना।

योजना/ नीतियां/ पहलें

- **राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) और कौशल भारत मिशन।**
- **पी.एम. कौशल विकास योजना (PMKVY), पी.एम. युवा योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आदि।**
  - प्रोजेक्ट ऑन रिकॉग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग **(RPL)**– PMKVY का एक घटक।
- **संकल्प (SANKALP) अर्थात् आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता तथा स्ट्राइव (STRIVE) अर्थात् औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण।**
- स्मार्ट (SMART) अर्थात् **कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्र प्रत्यायन पोर्टल।**
- निपुण (NIPUN) अर्थात् 'निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल' परियोजना के तहत **निर्माण क्षेत्रक से जुड़े 1,00,000 श्रमिकों** का कौशल बढ़ाना।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत **कैप्टिव रोजगार** (इन–हाउस प्रशिक्षण और प्लेसमेंट) पद्धति को अपनाना।
- **भारत स्किल्स फोरम** ITI के प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों और उद्योग के लिए एक डिजिटल ज्ञान–साझाकरण मंच के रूप में स्थापित किया गया है।

सीमाएं

- **आकलन और प्रमाणन प्रणाली की बहुलता।**
- कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का **अविकसित और खराब गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा।**
- **कौशल विकास योजनाओं में महिलाओं की सीमित भागीदारी।**
- **छात्रों के लिए उचित करियर से संबंधित मार्गदर्शन का अभाव।**
- **कौशल के बारे में लोगों की सीमित धारणा** और औपचारिक अकादमिक प्रणाली में इसे कम प्राथमिकता देना।
- कौशल और उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों तथा व्यावसायिक शिक्षा के बीच सीमित **गतिशीलता।**

आगे की राह

- **उद्योग–अकादमिक साझेदारी** निर्मित करने के लिए एक परिवेश विकसित करना।
- कौशल संबंधी आवश्यकताओं का **मानचित्रण करना**, ताकि क्षेत्रक–वार और भौगोलिक दृष्टि से मांग–संचालित कौशल विकास पारितंत्र तैयार किया जा सके।
- शिक्षा की **मुख्यधारा में कौशल विकास को शामिल करना।** इसके लिए कौशल को अकादमिक शिक्षा के बराबर और ITIs में प्रवेश लेने हेतु पात्र बनाने वाली एक प्रणाली स्थापित की जा सकती है।
- **प्रमाणन का मानकीकरण करना।**
- कौशल विकास के लिए वैकल्पिक वित्तीय स्रोतों जैसे CSR, CAMPA, MPLAD निधि, मनरेगा आदि का उपयोग किया जा सकता है।
- **निजी क्षेत्रक को** कौशल विकास कार्यों में भाग लेने के लिए **प्रोत्साहित करना** चाहिए, क्योंकि उनके पास आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता होती है। ☆

1.4.1. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के कार्यान्वयन पर** रिपोर्ट सौंपी है।

PMKVY के बारे में

- यह **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)** द्वारा संचालित एक प्रमुख (फ्लैगशिप) योजना है। इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा किया जा रहा है।
- **PMKVY का उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। इससे उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद मिलेगी।

रिपोर्ट में पहचानी गई कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां

- **धन का उपयोग न होना:** वर्ष 2021-22 में PMKVY 3.0 के लिए कुल आवंटित फंड में से केवल 72% का उपयोग किया गया था।
- **कम प्लेसमेंट:** PMKVY 3.0 के तहत लगभग चार लाख उम्मीदवारों में से केवल 8% को ही नौकरी मिली है।
- पंजीकृत उम्मीदवारों और वास्तव में रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या में बड़ा अंतर मौजूद है। इस कारण **आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण (ASEEM)[1] पोर्टल का काम-काज भी खराब** रहा है।

योजना के सकारात्मक प्रभाव

वेतन	➪ प्रशिक्षुओं (Trainees) की औसत मासिक आय में **15 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है।
रोजगार में बदलाव/ परिवर्तन	➪ **76 प्रतिशत प्रशिक्षुओं** ने अन्य रोजगार प्राप्त होने की संभावना को स्वीकार किया है।
वर्तमान नौकरी/ रोजगार से संबंधित कार्यक्षमता में सुधार	➪ **88 प्रतिशत प्रशिक्षुओं** ने वर्तमान नौकरी में अपनी बढ़ती कार्यक्षमता को स्वीकार किया है।
प्रायर लर्निंग को स्वीकृति प्रदान करना	➪ **प्रायर लर्निंग को स्वीकृति मिलने से औसत मासिक आय में 19 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है। ➪ **75 प्रतिशत प्रशिक्षुओं** ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान नौकरी से संबंधित उनकी **कार्यक्षमता में सुधार** हुआ है।

- **CSSM[2] घटक से जुड़ी समस्याएं:** कई राज्य कौशल विकास मिशनों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है-
  - राज्य कोषागार से **धन जारी करने में विलंब।**
  - पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले **प्रशिक्षकों का अभाव।**
  - राज्य में औद्योगीकरण कम होने के कारण **प्लेसमेंट पार्टनर्स की कमी या अनुपलब्धता।**
  - क्षेत्रक कौशल परिषदों[3] के **मूल्यांकन में देरी।**
  - क्षेत्रक कौशल परिषदों आदि को **भुगतान में विलंब।**
  - **कार्यात्मक ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली का अभाव:** 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से CSSM घटक के लिए ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली केवल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रही है।

[1] Aatmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping

[2] Centrally Sponsored State Managed

[3] Sector Skills Councils

- **उच्च ड्रॉपआउट दर:** PMKVY 1.0, 2.0 और 3.0 के कार्यान्वयन के दौरान कुल पंजीकृत उम्मीदवारों में से लगभग 20% ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ दिया।
    - ड्रॉपआउट के कारणों में खराब स्वास्थ्य, निवास स्थान से प्रशिक्षण केंद्रों की अधिक दूरी, नौकरी लग जाना तथा महिलाओं से जुड़े गर्भावस्था और विवाह जैसे विशिष्ट मुद्दे शामिल हैं।
- **ग्रामीण-शहरी असमानता:** PMKVY केंद्र शहरी क्षेत्रों में अधिक हैं।

आगे की राह: रिपोर्ट की सिफारिशें

- निर्धारित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए **नियमित निगरानी और सख्त अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए।**
- **प्रमाणन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाना** चाहिए। इससे कुशल उम्मीदवारों के लिए उचित वेतन सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही, इससे अधिक स्वरोजगार सृजन के लिए उचित माहौल बनाया जा सकेगा।
- **ASEEM पोर्टल पर पंजीकृत नियोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी की जानी चाहिए।** साथ ही उन्हें पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे उन्हें अधिक कुशल उम्मीदवारों को काम पर रखने में सहायता मिलेगी।
- **इस क्षेत्र में विफल राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ मिलकर काम करना चाहिए।** इससे योजना के विवेकपूर्ण कार्यान्वयन के लिए वहां ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने में सहायता मिलेगी।
- **उद्योगों को कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षित लोगों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उद्योग यह कार्य** बुनियादी ढांचे को साझा कर, मांग तैयार कर, ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (OJT) आदि के माध्यम से कर सकते हैं।
- उद्योग और सरकारी मंत्रालयों/ विभागों के साथ साझेदारी में पाठ्यक्रम शुरू करके **पाठ्यक्रम में लचीलेपन को बढ़ाना** चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) के अवसरों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

1.4.2. जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)[4] की तिमाही बुलेटिन (जनवरी-मार्च 2023) जारी की गई। इसमें रेखांकित की गई **बेरोजगारी दर** के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों ने देश की जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाने की क्षमता के बारे में चिंता को बढ़ा दिया है।

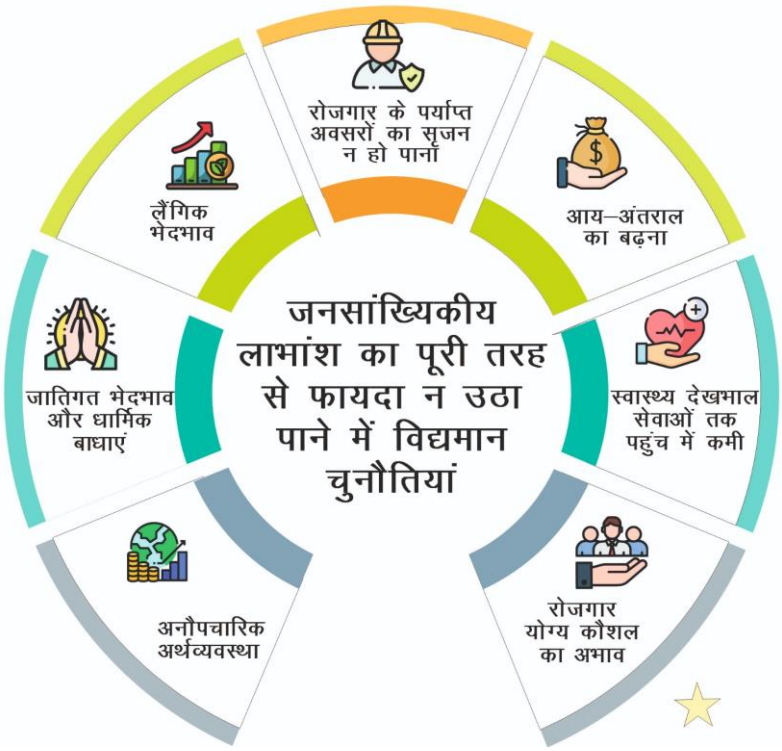

जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है?

- किसी देश की **आबादी की आयु संरचना या कामकाजी उम्र के लोगों की आबादी में बढ़ोतरी** से आर्थिक संवृद्धि में आई तेजी **जनसांख्यिकीय लाभांश** कहलाती है।
    - उदाहरण के लिए- जब किसी देश में **कामकाजी उम्र की आबादी (15-64 वर्ष की आयु)** का हिस्सा, **गैर-कामकाजी उम्र** की आबादी **से अधिक हो** जाए, तब वह देश जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में होता है।
    - **गैर-कामकाजी उम्र** की आबादी में 14 वर्ष और उससे कम की आयु तथा 65 वर्ष एवं उससे अधिक की आयु की आबादी शामिल होती है।
- **ऐसे संकेतक जो बताते हैं कि भारत जनसांख्यिकीय बदलाव के दौर से गुजर रहा है:**
    - **कम होती प्रजनन दर:** वर्तमान में प्रजनन दर लगभग 2.0 है।

[4] Periodic Labour Force Survey

- **देश की आबादी की माध्य आयु (Median age) में बढ़ोतरी** हो रही है। यह 2011 के 24 वर्ष से बढ़कर अब 29 वर्ष हो गई है और 2036 तक इसके 36 वर्ष होने का अनुमान है।
- **आश्रित आबादी का हिस्सा कम हो रहा है।** यदि 15-59 वर्ष की आयु को कामकाजी उम्र के रूप में लिया जाए, तो आने वाले दशक में आश्रित आबादी का हिस्सा 65% से घटकर 54% हो सकता है।

- **कामकाजी आयु वर्ग की आबादी किस प्रकार लाभांश प्रदान करती है?**
  - कामकाजी उम्र की आबादी अधिक होने से श्रम बल अधिक उपलब्ध होता है।
  - राष्ट्रीय बचत दरों में बढ़ोतरी होती है।
  - स्वस्थ महिलाओं और परिवार पर बहुत कम आर्थिक दबाव के साथ बोझरहित मानव पूंजी।
  - प्रति व्यक्ति GDP में बढ़ोत्तरी और आश्रित आबादी के घटते अनुपात के साथ मांग में वृद्धि होती है।

द्वितीय जनसांख्यिकीय लाभांश (Second Demographic dividend)

- द्वितीय जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति तब आती है जब **वयस्क आबादी की आयु** में वृद्धि (Adult longevity) होती है। इसके चलते व्यक्ति **बुढ़ापे के लिए अधिक बचत** करने लगता है। बचत में यह वृद्धि **पूंजी संचय और आर्थिक संवृद्धि** में योगदान कर सकती है।
- इस प्रकार, यदि सही नीतियां मौजूद हों, तो **वयस्क आबादी की आयु** बढ़ने से **द्वितीय जनसांख्यिकीय लाभांश** प्राप्त हो सकता है, जो **दीर्घकालिक** और प्रथम लाभांश से बड़ा हो सकता है। यह **पांच दशक या उससे अधिक समय तक** रह सकता है।

जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाने हेतु उपाय

- **स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय:** प्रमाण बताते हैं कि **बेहतर स्वास्थ्य से आर्थिक उत्पादन में सुधार** होता है। इसलिए, जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में स्वास्थ्य सुधार को बढ़ावा देने के लिए नीतियां तैयार की जानी चाहिए।
  - इसके अतिरिक्त, शिक्षा में निवेश यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कामकाजी उम्र के लोग अर्थव्यवस्था की **कुशल कार्यबल की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार** रहें।
- **महिला कार्यबल (Female workforce) की भागीदारी बढ़ाना:**
  - **लैंगिक बजट तैयार करना** कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। इससे लैंगिक आधार पर अलग-अलग डेटा संग्रह करने और नीतियों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने में मदद मिलती है।
  - **बाल-देखभाल संबंधी लाभों को बढ़ावा दिया गया** है, और
  - **अंशकालिक कार्यों (Part-time work)** के लिए कर संबंधी छूटों को बढ़ा दिया गया है।
- **कौशल संबंधी कमियों को दूर करना: व्यावसायिक कौशल, इंटर्नशिप और एम्बेडेड प्रशिक्षु डिग्री** कार्यक्रमों को महत्त्व दिया जाना चाहिए।
- **विदेशी पूंजी अंतर्वाह (Foreign capital inflows) को प्रोत्साहित करना:** भारत को अपनी संवृद्धि और रोजगार सृजन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए **सकल स्थायी पूंजी निर्माण** (GFCF)[5] को बढ़ाकर इसे **सकल घरेलू उत्पाद का 33%** करना चाहिए।
- **कृषि पर निर्भरता में कमी:** भारत को कृषि पर आश्रित आबादी की संख्या को कम करने की आवश्यकता है।
  - भारत को **उत्पादक रोजगार** में श्रम की भागीदारी को बढ़ाने के लिए **प्रासंगिक कार्यक्रमों और नीतियों को बढ़ावा** देने की आवश्यकता है।

[5] Gross Fixed Capital Formation

2. आर्थिक और समावेशी विकास (Economic and Inclusive Growth)

2.1. मानव विकास रिपोर्ट (Human Development Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** ने 2021-22 के लिए मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के इस संस्करण का शीर्षक (थीम) है **"अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन: परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना[6]"।**

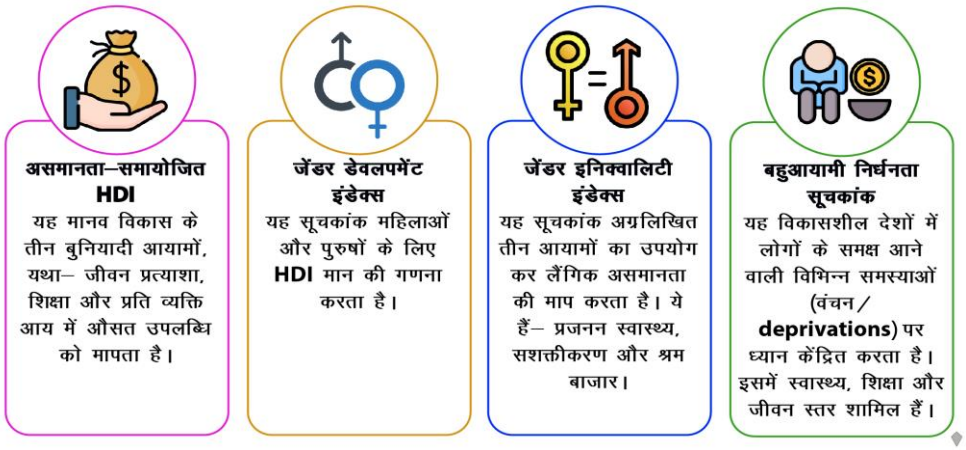

अन्य संबंधित तथ्य

- मानव विकास **लोगों की स्वतंत्रता और अवसरों को बढ़ाने एवं उनके कल्याण को बढ़ावा देने की प्रक्रिया है।**
- यह **मानव विकास के तीन प्रमुख आयामों** में उपलब्धियों का मापन करती है:
  - **लंबा और स्वस्थ जीवन (जीवन प्रत्याशा),**
  - **शिक्षा तक पहुंच (स्कूली शिक्षा के अपेक्षित एवं औसत वर्ष), और**
  - **गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर {प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI)।**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **वैश्विक HDI में गिरावट:** पहली बार इस सूचकांक में **लगातार दो वर्ष 2020 और 2021 में गिरावट** आई है। यह गिरावट पिछले पांच वर्षों की प्रगति के विपरीत है।
- **तीन दशकों में पहली बार लगातार दो वर्ष** अपने स्कोर में गिरावट दर्ज करने के बाद, भारत **191 देशों में से 132वें स्थान पर** है।
- भारत के कुछ पड़ोसी देशों ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया है। ये हैं- **श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश और भूटान।**
  - भारत, वैश्विक स्तर की तुलना में पुरुषों और महिलाओं के बीच मानव विकास अंतराल को तेजी से कम कर रहा है।
  - **स्वास्थ्य और शिक्षा में भारत के द्वारा किए गए निवेश, स्वच्छ जल तक पहुंच, स्वच्छता और किफायती स्वच्छ ऊर्जा** की UNDP द्वारा सराहना की गई है।

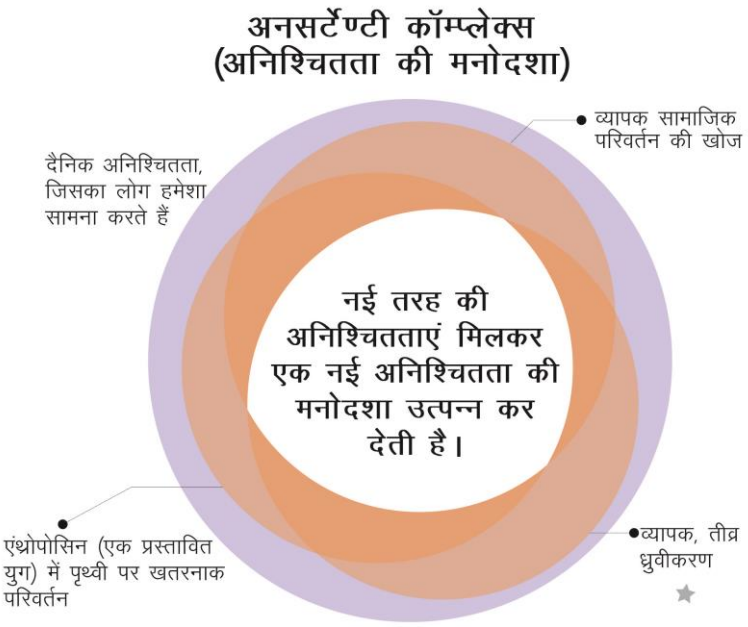

इस गिरावट के पीछे के कारण

- **इसमें अंतर्निहित कारक:**
  - **वैश्विक: कोविड-19 महामारी, रूस का यूक्रेन पर आक्रमण और जलवायु संकट के संयुक्त प्रभाव** ने मानव विकास स्कोर को कम कर दिया है।
  - **भारत:** भारत के मानव विकास मान में बहुत कमी आई है, जिससे भारत **मध्यम मानव विकास की श्रेणी** में आ गया है।

[6] Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a World in Transformation

- **गिरावट के कारण:**
  - ✓ **जीवन प्रत्याशा** में गिरावट होना।
  - ✓ भारत में स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित वर्ष 11.9 हैं और स्कूली शिक्षा हेतु बिताए गए औसत वर्ष 6.7 हैं।
  - ✓ वर्ष 2019 और 2021-22 के दौरान **क्रय शक्ति समता (PPP)[7] के मामले में** विकासशील देशों में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में तुलनात्मक रूप से **भारत की प्रति व्यक्ति आय में 5 प्रतिशत की कमी** आई है।

- **उतार-चढ़ाव के कारक:**
  - **अनिश्चितता की भावना (Uncertainty Complex):** रिपोर्ट में कहा गया है कि "मानव विकास" की प्रगति में मनुष्य "अनिश्चितता की एक नई भावना" का सामना कर रहे हैं।
    - इस रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण हमारी मनःस्थिति के प्रभावित होने से पहले ही दुनिया भर में सात में से छह लोग असुरक्षा की भावनाओं से ग्रस्त थे।
  - **मानव विकास में बाधक अनिश्चितता के कारण:**
    - **मानव जनित कारण और इससे पैदा हुई असमानताएं-** यह वह युग है जहां हमारे इतिहास में पहली बार सबसे गंभीर और तत्कालीन जोखिमों को मानव द्वारा निर्मित किया गया है।
    - **पृथ्वी पर उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए किए जाने वाले सामाजिक परिवर्तन-** मानव जनित चुनौतियों के कारण, यह आवश्यक हो गया है कि समाज अपने काम करने के तरीकों को बदलें। इनमें संक्रमणकालीन अनिश्चितता और प्रौद्योगिकी परिवर्तन संबंधी अनिश्चितता पैदा करने वाले कारकों को बदलना शामिल है।
    - **ऑनलाइन मोड में गलत सूचनाएं अधिक प्रसारित हो रही हैं।** इसके कारण ध्रुवीकरण में वृद्धि हुई है और किसी पर विश्वास करने के संबंध में अनिश्चितता भी बढ़ी है।

आगे की राह

- HDI पर निरंतर प्रगति के लिए, **सरकार को 3i (इन्वेस्टमेंट, इनश्योरेंस एंड इनोवेशन) पर ध्यान देना चाहिए।** यह लोगों को अनिश्चितता की स्थिति में आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा।
  - नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में अपने प्रयासों के साथ भारत पहले से ही इन क्षेत्रों में सबसे आगे है। भारत सबसे कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही, यह UNDP द्वारा समर्थित को-विन (Co-WIN) के माध्यम से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान संचालित कर रहा है।
- भारत ने **खास तौर पर महामारी के दौरान और बाद में** समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच को बढ़ाया है। इसे और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर कार्य किया जा सकता है:

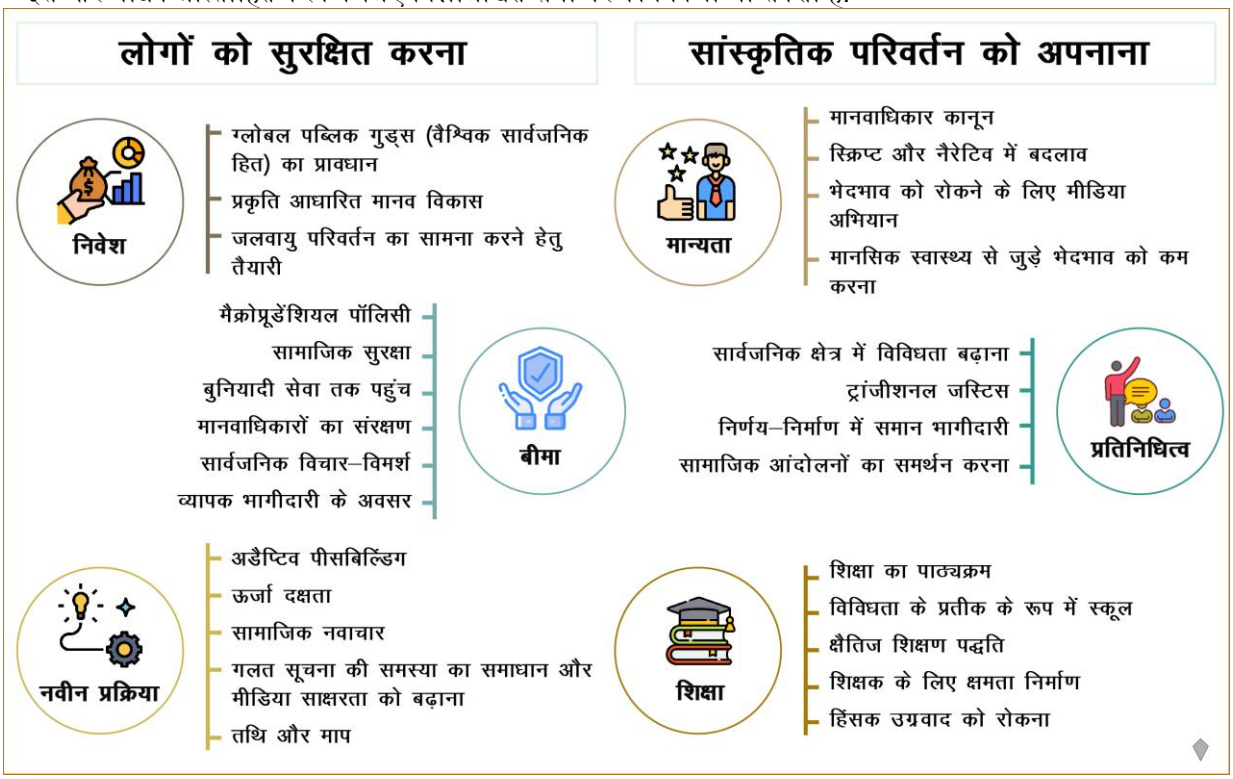

[7] Purchasing Power Parity

2.2. भारत की उत्पादकता संबंधी चुनौतियां (Productivity Challenge of India)

भारत की उत्पादकता संबंधी चुनौतियां: एक नज़र में

- 2010–2019 के लिए भारत की **TFP** वृद्धि दर लगभग 2.2% थी। यह TFP वृद्धि दर उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर थी।
- आमतौर पर उत्पादकता के लिए निम्नलिखित दो मापकों का उपयोग किया जाता है:

श्रम उत्पादकता (Labour Productivity): कामगारों की संख्या या प्रति घंटे काम करने की तुलना में आउटपुट (उत्पादन) के अनुपात को श्रम उत्पादकता कहा जाता है।

कुल कारक उत्पादकता (Total Factor Productivity: TFP): इसे कुल आउटपुट को इनपुट (अर्थात् श्रम और पूंजी) के भारित औसत से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है।

उत्पादकता संबंधी सुधार के महत्त्व

- उत्पादकता में सुधार से उत्पादन स्तर में बढ़ोतरी होती है।
- इससे **उच्चतर सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक संवृद्धि** को बढ़ावा मिलता है।
- **व्यवसायों के लिए अधिक लाभ और अधिक निवेश के अवसर की उपलब्धता।**
- **श्रमिकों के लिए अधिकतम मजदूरी और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों का निर्माण।**
- सरकार के कर राजस्व में वृद्धि और बेहतर नीति निर्माण में सहायक।
- बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यापार प्रदर्शन, जिससे भारत की उत्पादन इकाइयों को वैश्विक निर्यात बाजारों में बेहतर तरीके से अपनी जगह बनाने में सहायता मिलेगी।
- **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में सहायक।**

भारत में कम उत्पादकता के कारण

- **कुशल श्रमबल का अभाव,** भारतीय कंपनियों के लिए कौशल युक्त कार्यबल की कमी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- **असंगठित क्षेत्रक का व्यापक दायरा और कंपनियों के छोटे आकार के कारण** इकोनॉमी ऑफ़ स्केल का लाभ नहीं मिल पाता है।
- **नवाचार एवं ऑटोमेशन का सीमित स्तर।**
- **इनपुट एवं आउटपुट के लिए गुणवत्तापूर्ण डाटा की अनुपलब्धता।**
- **बेहतर प्रबंधन प्रणालियों को न अपनाना।**

उत्पादकता में सुधार करने के लिए की गई पहलें

- स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत / AMRUT, सबके लिए आवास, अवसंरचना विकास और औद्योगिक कॉरिडोर जैसे कई प्रमुख (फ्लैगशिप) कार्यक्रम **उत्पादकता में सुधार** पर केंद्रित हैं।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, पी.एम. गति शक्ति, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आदि योजनाओं द्वारा **बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित** किया गया है।
- प्रोसेसिंग, उत्पाद विकास, संधारणीयता और कृषि क्षेत्रक में निर्यात उन्मुखता के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी हस्तक्षेप किए गए हैं।

आगे की राह

- **व्यापार और निवेश संबंधी प्रतिबंधों को कम करना** और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ अधिक एकीकरण करना चाहिए।
- **कंपनियों के आकार और अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन** दिया जाना चाहिए।
- विशेषकर वंचित समूहों के **कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता** में सुधार किया जाना चाहिए।
- उत्पादकता और नवाचार के लिए **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी** (ICT) में निवेश किया जाना चाहिए।
- **उद्योग, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्रक की उत्पादकता को बढ़ावा देना:** इसे अग्रलिखित पहलों के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि व्यापार सुधार, कौशल अपग्रेडेशन कार्यक्रम, अवसंरचना में सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आदि।

2.3. महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था (Post Pandemic Economy)

महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था: एक नज़र में

कोविड–19 ने भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित कमियों को उजागर किया था:

- महामारी के कारण **स्थायी आर्थिक गिरावट (स्लोडाउन)** देखने को मिला तथा **NPA** संकट और **GST** के संक्रमण अवधि से जुड़े प्रभावों ने इसे और बढ़ा दिया था।
- सेवा क्षेत्रक पर अत्यधिक निर्भरता के कारण **आर्थिक अस्थिरता की स्थिति।**
- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में व्यापक पैमाने पर व्यवधान ने **आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन की कमी** को उजागर किया था।
- अर्थव्यवस्था के **बहुत अधिक अनौपचारिक** होने के परिणामस्वरूप प्रवासी संकट उत्पन्न हुआ तथा बड़े पैमाने पर रोजगार की क्षति हुई।
- निर्धन वर्गों द्वारा सामना किए गए असंगत प्रभावों ने **असमानता की उलझी हुई प्रकृति और आर्थिक विकास के प्रचलित मॉडल** को उजागर किया।

अर्थव्यवस्था की प्रकृति में आए परिवर्तन

- सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) और लॉकडाउन जैसे उपायों ने **'घर से काम किए जाने' (वर्क फ्रॉम होम) की अवधारणा को सामान्य** कर दिया है।
- **वर्क फ्रॉम होम** ने इस दिशा में तकनीकी विकास को और भी प्रोत्साहित किया है तथा रिमोट वर्किंग व गिग आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया है।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण **आत्मनिर्भरता पर ध्यान केन्द्रित** किया गया।
- अधिकांश व्यवसायों और संस्थानों के **डिजिटलीकरण में वृद्धि** की गई।
- वैक्सीन नेशनलिज्म जैसी राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि के कारण **वैश्वीकरण के विपरीत प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है।**
- श्रम से संबंधित अनिश्चितता ने **प्रौद्योगिकी गहन और पूंजी गहन विकास को बढ़ावा दिया है।**
- टेस्टिंग या परीक्षण अवसंरचना के रूप में **स्वास्थ्य क्षमता का विकास** हुआ है। वेंटिलेटर जैसे प्रमुख उत्पादों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया है।

अन्य क्षेत्रों में आए परिवर्तन

- **अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से** डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का और विकास हुआ है। इससे **समाज का भी डिजिटलीकरण हुआ है।**
- सीमित कार्यालय स्थलों की आवश्यकताओं के कारण **शहरीकरण की पुनर्कल्पना की जा सकेगी।**
- ई–लर्निंग की लोकप्रियता के कारण **शिक्षा जगत में प्रौद्योगिकी की तीव्र पैठ बनी है।**
- महामारी के दौरान अनुपालन की जाने वाली सावधानियों और आदतों के परिणामस्वरूप लोगों में **स्वच्छता मानकों का समावेशन हुआ है।**
- बढ़ती बेरोजगारी ने **कुछ सामाजिक समस्याओं** जैसे बाल श्रम, श्रमिकों के शोषण आदि को **और भी तीव्र कर दिया** है।

वर्तमान महामारी के बाद एक बेहतर अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु दर्शन

- आर्थिक विकास के एक नए और व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर होना आवश्यक है। इसमें **पर्यावरणीय संधारणीयता, जन कल्याण में वृद्धि, असमानता में कमी और आर्थिक विकास के साथ–साथ प्रणालीगत लचीलापन** शामिल होना चाहिए।
  - आर्थिक निर्णयन को अधिक समावेशी बनाने हेतु **शेयरधारक पूंजीवाद से हितधारक पूंजीवाद की ओर बढ़ना।**
  - स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने हेतु निवेश करके आगे बढ़ने के लिए **लचीलापन का निर्माण करना,** डिजिटल विभाजन के अंतर को कम करना तथा ग्रीन रिकवरी सुनिश्चित करना।
  - **ट्रिपल बॉटम लाइन – लोग (पीपल), लाभ (प्रॉफिट) और ग्रह (प्लेनेट)** पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें शामिल हैं – आर्थिक वृद्धि, सामाजिक मापदंडों पर आगे निकलना (जैसे– असमानता के स्तर में कमी) और पर्यावरणीय संधारणीयता।
  - **'एक सप्ताह में 4 दिन कार्य' (4–डे वीक), '24X7 अर्थव्यवस्था'** सहित अन्य विचारों के साथ प्रयोग कर **निरंतर नवाचार को प्रक्रिया का हिस्सा बनाना।**

सुचारू और जल्द रिकवरी सुनिश्चित करने के उपाय

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का अतिरिक्त विस्तार कर **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना।**
- महामारी से प्रभावित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने हेतु **प्रभावित आबादी को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण करना।**
- **एक–दूसरे से पुनः जुड़ चुके आपूर्ति श्रृंखलाओं में भाग लेना,** क्योंकि कई देश चीन केंद्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं से दूर हो रहे हैं।
- शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य तथा डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने हेतु **भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए।**
- FRBM अधिनियम के तहत तत्काल शर्तों में ढील देकर **अर्थव्यवस्था को राजकोषीय राहत उपलब्ध किया जाना चाहिए।**

2.4. गरीबी उन्मूलन (Poverty Alleviation)

गरीबी उन्मूलन: एक नज़र में

भारत में **36.4 करोड़** लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

भारत में 16% से अधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से प्रभावित हैं (2020)

भारत में चरम निर्धनता में 12.3 फीसदी की गिरावट आई है। यह आंकड़ा 2011 के 22.5% से घटकर 2019 में 10.2% हो गया था।

वैश्विक स्तर पर दो-तिहाई निर्धन संघर्ष प्रभावित देशों में निवास करते हैं।

मुख्य लक्ष्य

- **एक्सट्रीम पॉवर्टी (चरम निर्धनता) का उन्मूलन** कर इससे सभी को बाहर निकलना।
- भारत में निर्धनता रेखा के आकलन को **उपभोग व्यय (कंजप्शन एक्सपेंडीचर)** पर पूर्णतः आधारित किया जाना चाहिए, न कि आय के स्तर पर।
- **आर्थिक दायरे से बाहर के निर्धनता के सभी रूपों** की पहचान करना।
- **बहुआयामी निर्धनता को समग्र रूप से** दूर करना।

योजनाएं/ पहलें

- दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
- दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA)
- पी.एम. किसान निधि योजना
- पी.एम. आवास योजना
- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)
- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY)

बाधाएं

- **भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का असमान वितरण**– इसके कारण निःशुल्क लाभभोगियों (फ्री राइडर्स) का मुद्दा सामने आता है।
- **संसाधनों का अपर्याप्त आवंटन।**
- **इन योजनाओं को लागू करने वाले अधिकारी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं होते।** वह भ्रष्टाचार करते हैं तथा इन पर स्थानीय अभिजात वर्ग का दबाव बना रहता है।
- कार्यक्रम क्रियान्वयन में **स्थानीय स्तर के संस्थानों की कम भागीदारी।**

आगे की राह

- सरकार और बैंक अधिकारियों को **उपयुक्त प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करना।**
- गरीबी कम करने के प्रयासों को और बढ़ाने के लिए PPP ($3.2 प्रति दिन) के आधार पर **निम्न-मध्यम आय** (Low Middle Income: LMI) वाली गरीबी रेखा की अवधारणा को अपनाना।
- **लागत-प्रभावी** तरीके से कम-से-कम अंतराल पर सर्वेक्षणों का **प्रयोग करना चाहिए।**
- स्थानीय सरकार और संस्थानों की सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए।
- नीतिगत कार्रवाई में निर्धनों के बदलते प्रोफाइल को शामिल करने की आवश्यकता है।
- संघर्ष के हॉट स्पॉट, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए नीतिगत कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
- व्यापक आधार वाले आर्थिक रूपांतरण पर ध्यान देना।
- सब्सिडी की जगह निर्धनों और वंचित वर्गों को लक्षित सहायता प्रदान करने पर व्यय करना।
- दीर्घकालिक विकास का समर्थन करने वाले सार्वजनिक निवेश (जैसे मानव पूंजी में) निवेश को बढ़ाना।
- निर्धनों को नुकसान पहुंचाए बिना व व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट कराधान को अधिक प्रगतिशील बनाकर राजस्व जुटाना।

2.4.1. मनरेगा (MGNREGA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा), 2005** से जुड़ी कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की थी। हाल ही में, इस समिति ने अपनी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

मनरेगा के बारे में

- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
  - ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को मांग के अनुसार **एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत रोजगार के रूप में कम-से-कम 100 दिनों का वैतनिक** और **अकुशल शारीरिक रोजगार** प्रदान करना।

कई अध्ययनों से पता चलता है कि **मनरेगा का निम्नलिखित पर सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पड़ा है:**

- महिलाओं को **सपारिश्रमिक रोजगार उपलब्ध कराने में;**
- **कार्बन प्रच्छादन (Sequestration)** में, क्योंकि रोजगार अधिनियम भूमि, जल और वृक्षों जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर केंद्रित है, जो अनुकूलन लाभ प्रदान करते हैं;
- कोविड-19 के दौरान कमजोर वर्गों के लिए **आय सहायता के रूप में कार्य करने** में आदि।

- **जिओ-मनरेगा (GeoMGNREGA):** ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने मनरेगा के तहत सृजित परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग के लिए **जिओ-मनरेगा** नामक एक अनूठी पहल शुरू की है। इसे MoRD ने **राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC)[9], इसरो** और **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)[10]** के सहयोग से शुरू किया गया है।

संबंधित सुर्ख़ियां:

ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने मनरेगा के तहत सोशल ऑडिट में देरी की समस्या पर रिपोर्ट जारी की है:

- इस रिपोर्ट का शीर्षक **"सोशल ऑडिट कैलेंडर बनाम संपन्न ऑडिट[8]"** है। रिपोर्ट के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित ऑडिट का केवल 14.29% ही पूरा हुआ है।
- **सोशल ऑडिट** वस्तुतः सरकारी रिकॉर्ड की समीक्षा करने और यह निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है कि क्या राज्य द्वारा दर्ज व खर्च की गई राशि, वास्तव में खर्च की गई है या नहीं।
  - **मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 17** के तहत **सोशल ऑडिट** का प्रावधान किया गया था। हालांकि, **ऑडिट के मानकों को दिसंबर, 2016 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा निर्धारित** किया गया था।
  - तदनुसार, प्रत्येक सोशल ऑडिट यूनिट पिछले वर्ष में राज्य द्वारा किए गए मनरेगा व्यय के 0.5% के बराबर धनराशि का ऑडिट कर सकती है।
  - उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें केंद्र द्वारा वित्त-पोषित किया जाता है न कि राज्यों द्वारा।

प्रमुख चुनौतियां और समिति द्वारा की गई सिफारिशें

- **समय पर** फंड जारी करने के लिए **राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय** सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  - समिति ने निम्नलिखित कमियों को भी रेखांकित किया है:
    - राज्यों द्वारा मजदूरी/ कुशल श्रमिकों की मजदूरी/ सामग्री की लागत आदि जारी करने के लिए दस्तावेज जमा करने में देरी की जाती है।
    - राज्यों द्वारा वहन की जाने वाली सामग्री-लागत के 25% हिस्से को जारी करने में देरी की जाती है।
- आवंटित फंड्स का समयबद्ध तरीके से और उसी वित्तीय वर्ष में विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि कोई शेष राशि न बचे।
  - ज्ञातव्य है कि वित्त-वर्ष 2020-21 के अंत में **5,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय नहीं** की गई थी।
- **मजदूरी का समय पर भुगतान:**
  - हालांकि, समिति के अनुसार नवंबर, 2021 तक **एक बड़ी राशि का मज़दूरी भुगतान नहीं** किया गया था।
- **मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुरूप मजदूरी में वृद्धि** की जानी चाहिए थी।
  - समिति ने मनरेगा के तहत मजदूरी के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण (CPI-R)[11]** का उपयोग करने की सिफारिश की है। अब तक इसके लिए श्रम ब्यूरो द्वारा जारी **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक (CPI-AL)[12]** का उपयोग किया जाता रहा है।

[8] Social audit calendar vs audits completed

[9] National Remote Sensing Centre

[10] National Informatics Centre

[11] Consumer Price Index - Rural

[12] Consumer Price Index - Agricultural Labour

- मनरेगा के तहत मजदूरी की असमानता को समाप्त करने के लिए **पूरे देश में मजदूरी की एक समान दर लागू की जानी चाहिए।** इस मत के पीछे तर्क यह है कि मनरेगा एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- बदलते समय और विशेष रूप से कोविड महामारी के मद्देनजर उभरती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मनरेगा के तहत मांगे गए **काम के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है।**
- **महाराष्ट्र के "बुलढाणा पैटर्न" को प्रोत्साहन:**
  - यह पैटर्न आपसी सहयोग की एक अनूठी मिसाल है। इसके तहत सड़क व राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में मनरेगा कार्यों (कुएँ, नाले और नहरों का निर्माण या उन्हें गहरा करना आदि) से प्राप्त मिट्टी का प्रयोग किया जाता है।
- **मनरेगा के तहत महिला केंद्रित कार्यों को बढ़ावा देना:**
  - इस संबंध में, समिति ने सिफारिश की है कि ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो महिला केंद्रित हों। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सकेगी।
- **बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना में सुधार** किया जाना चाहिए। कोविड जैसी चुनौतियों या अन्य आपात स्थितियों का सामना करने के लिए चिकित्सा सुविधाओं के निर्माण पर बल दिया जाना आवश्यक है।
  - यह सिफारिश की गई है कि मनरेगा के तहत काम करने वाले सभी मजदूरों को संबंधित गांवों में ही मुफ्त बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं दी जानी चाहिए। इन सुविधाओं को लाभार्थियों के जॉब कार्ड से जोड़ा जा सकता है।

2.4.2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer: DBT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने DBT के जरिए लाभार्थियों को **सीधे भुगतान कर केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में अब तक 27 बिलियन डॉलर से अधिक की बचत** की है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के बारे में

- DBT की शुरुआत 2013 में की गई थी। इसे सरकारी योजनाओं के लाभ के लक्षित वितरण के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत सरकार सीधे नागरिकों के आधार नंबर से जुड़े बैंक खातों में लाभ अंतरण (अर्थात् पैसा ट्रांसफर) करती है।
- गौरतलब है कि **DBT के लिए आधार अनिवार्य नहीं** है। चूंकि आधार अद्वितीय पहचान प्रदान करता है और यह लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, इसलिए इसे प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही, लाभार्थियों को आधार के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

DBT का महत्त्व

- **सरकारी लाभ का कुशल हस्तांतरण:** DBT का उपयोग करके इच्छित लाभ (साधारण भाषा में सरकारी पैसा) सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- **पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी:** समग्र भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होती है।
- **फर्जी लाभार्थियों की संख्या में कमी:** इसके चलते नकली या पुनरावृत्ति वाली प्रविष्टियों का आसानी से पता चल जाता है। दूसरी ओर, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से फर्जी लाभार्थियों की पहचान में भी मदद मिलती है।
- **भ्रष्टाचार में कमी:** DBT लाभार्थी और अधिकारियों के बीच की प्रक्रियाओं को कम करने में मदद करता है, जिससे रिश्वत तथा भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन में सहायक:** यह लाभार्थी को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाता है और उसे बैंकिंग प्रणाली से परिचित कराता है।

DBT के समक्ष आने वाली बाधाएं

- **बुनियादी ढांचे की कमी:** देश में ऐसे कई क्षेत्र मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक बैंक शाखाओं और एटीएम जैसी नियमित बैंकिंग प्रणाली के तहत नहीं लाया गया है।
- **डिजिटल साक्षरता:** ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की डिजिटल साक्षरता तुलनात्मक रूप से कम है।
- **ऐसा संभव है कि इच्छित उद्देश्य के लिए नकदी का उपयोग नहीं किया जाए:** लाभार्थी को नकदी प्रदान करने से इच्छित धन का उपयोग अनुत्पादक गतिविधियों (जैसे- नशाखोरी, जुआ आदि) में हो जा सकता है, जिससे कल्याण का उद्देश्य प्रभावित हो जाता है।
- **अप्रभावी शिकायत निवारण:** कई योजनाओं में शिकायत निवारण की प्रक्रिया अपारदर्शी है। साथ ही, विसंगति के मामले में सहायता केंद्र का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
- **बैंकों द्वारा मुनाफाखोरी:** कई बैंकों ने जन-धन खातों में एक निर्धारित सीमा से अधिक लेन-देन के लिए शुल्क लगाया है। इससे गरीब लाभार्थी बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने से हतोत्साहित हुए हैं।

भारत में DBT के सफल कार्यान्वयन में मुख्य सहायक

- **JAM ट्रिनिटी:** जन-धन, आधार और मोबाइल अर्थात् **JAM ट्रिनिटी** लीक-प्रूफ तथा लक्षित लाभ हस्तांतरण को सक्षम बनाती है।
- **बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स:** भौतिक उपस्थिति वाले बैंकों के विकल्प के रूप में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स को बढ़ावा मिलने से करोड़ों लोगों को बैंकिंग (नए बैंक खाते आदि) प्रणाली से जोड़ा जा सका है।
- **पेमेंट्स बैंक:** इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित सुरक्षित वातावरण में भुगतान और वित्तीय सेवाओं के प्रसार को व्यापक बनाना है। यह लघु व्यवसायों, कम आय वाले परिवारों, प्रवासी श्रमिकों आदि पर केंद्रित है।
- **मोबाइल मनी:** यह भुगतान करने का एक साधन है। यह DBT की बेहतर पहुंच के लिए लास्ट माइल समाधान प्रदान करने में सहायक है।

आगे की राह

- **लाभार्थी केंद्रित शिकायत निवारण:** शिकायत निवारण तंत्र को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जाना चाहिए। इसमें आम लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने और एक निश्चित समय-सीमा में उनके निपटान के लिए एक उचित तंत्र शामिल होना चाहिए।
- **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा:** नागरिकों को बुनियादी डिजिटल साक्षरता प्रदान की जानी चाहिए। इसमें एटीएम का उपयोग करना, फोन आदि के माध्यम से अपने बैंकिंग विवरणों की जानकारी लेना आदि शामिल हैं।
- **अवसंरचना में सुधार:** ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में बुनियादी डिजिटल अवसंरचना में सुधार करना आवश्यक है ताकि उन क्षेत्रों में DBT का लाभ प्रदान किया जा सके।
- **कैश की डोरस्टेप डिलीवरी को सक्षम करना:** वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए उनके आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से उनके घर तक लाभ पहुंचाया जा सकता है।

2.5. शहरी निर्धनता (Urban Poverty)

शहरी निर्धनता: एक नजर में

शहरी निर्धनता विशेष रूप से बड़े–बड़े शहरों में दिखाई देने वाली निर्धनता का एक रूप है। इसके लक्षणों में निम्न आय और रहने की खराब परिस्थितियां; आवश्यक नागरिक सुविधाओं की कमी; जीवन की खराब गुणवत्ता आदि शामिल हैं। इस संदर्भ में सरकार के लक्ष्य हैं:

- समाज के सभी वर्गों को किफायती कीमतों पर भूमि, आश्रय और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए **शहरों का संधारणीय विकास करना।**
- समावेशी विकास के लिए निर्धनता को कम करने हेतु **शहरी निर्धनों को सशक्त बनाना** और उच्च आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करना।
- शहरी विकास से संबंधित मुख्य मुद्दों को हल करते हुए **स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं को पूरा करना।**

वर्तमान स्थिति

- आर्थिक गतिविधि के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बड़े शहरी क्षेत्र **भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 65%** का योगदान करते हैं।
- **अधिकांश शहरी निर्धन लोग स्वच्छता और आवश्यक अवसंरचना के साथ–साथ किफायती आवास से भी वंचित हैं।**
- **17%** शहरी परिवार (संख्या में 13.75 मिलियन) **मलिन बस्तियों** में रहते हैं {पूर्व आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (जिसे अब आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के नाम से जाना जाता है) के अनुसार}।
- अमीर और गरीब के बीच **बढ़ती असमानता; वंचित समुदाय अमानवीय दशाओं में रहने के लिए विवश** है जिससे अपराधों में वृद्धि हो रही है।
- **प्रवासी विरोधी भावनाओं में वृद्धि हो रही है,** इससे स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण देने की मांग को बढ़ावा मिल रहा है।
- पारिवारिक आय में कमी के कारण **बढ़ता आर्थिक संकट और हताशा की स्थिति।**

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM):** इसका उद्देश्य लाभकारी स्वरोजगार और कौशल रोजगार के माध्यम से निर्धनता और सुभेद्यता को कम करना है।
- **स्मार्ट सिटी मिशन:** इसका उद्देश्य स्मार्ट, नागरिक अनुकूल और संधारणीय शहरों का विकास करना है।
- **अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत):** इसका उद्देश्य परिवारों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करना और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए शहरों में सुविधाओं का निर्माण करना है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):** इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है।
- **जल जीवन मिशन (शहरी) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का उद्देश्य क्रमशः** सार्वभौमिक पेयजल आपूर्ति एवं सार्वभौमिक स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करना है।
- **विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय):** इसका उद्देश्य शहरों का एकीकृत, समावेशी और संधारणीय विकास करना है।

मौजूद चुनौतियां

- **निरंतर प्रवास संबंधी दबाव के साथ शहरी पुल फैक्टर और ग्रामीण पुश फैक्टर** के कारण वर्ष 2030 तक शहरी आबादी 590 मिलियन से अधिक हो जाएगी।
- **विनिर्माण क्षेत्रक से संबंधित अवसर का पर्याप्त लाभ न उठाने और कौशल संबंधी अवसंरचना की कमी के कारण अवसरों एवं औपचारिक कौशल की कमी की स्थिति।**
- बाजार बंद होने, कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों आदि जैसे महामारी प्रेरित व्यवधानों के साथ **उच्च शहरी मुद्रास्फीति की स्थिति।**
- **निम्न महिला श्रम बल भागीदारी।**
- शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों, **कार्यों और वित्त का सीमित हस्तांतरण।**

आगे की राह

- आर्थिक और सामाजिक नियोजन को अधिक स्थानीयकृत बनाने के लिए **स्थानीय नेतृत्व (जैसे मेयर) का सशक्तीकरण करना।**
- आर्थिक अवसरों की कमी, कम उत्पादकता और बेरोजगारी से संबंधित **अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करना।**
- **कृषि का आधुनिकीकरण करना और** शहरों की भीड़–भाड़ को कम करने के लिए **ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण करना।**
- **बेहतर वित्त पोषण और पेशेवर शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी अवसंरचना के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देना।**
- निर्धनता के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए **SHGs और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।**
- **शहरों के लिए नए एजेंडे निर्धारित करना:** शहरीकरण प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से संस्कृति के समावेश के साथ शहरों का पुनः मानवीकरण करना एवं जन–केंद्रित समाज बनाना।

2.5.1. शहरी रोज़गार गारंटी योजना (Urban Employment Guarantee Scheme: UEGS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राजस्थान में **इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना** शुरू की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह योजना **शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 100 दिनों के लिए काम** प्रदान करेगी।
  - **पर्यावरण और जल संरक्षण, सफाई और स्वच्छता, संपत्ति के स्वरूप को विकृत होने से रोकने आदि के क्षेत्रों** में रोजगार दिया जाएगा।
- इससे पहले **ओडिशा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, केरल, झारखंड और तमिलनाडु** राज्यों ने शहरी क्षेत्रों में रोजगार योजनाएं शुरू की हैं।

शहरी रोजगार गारंटी का महत्त्व

- **नीति-निर्माण में शहरी गरीबों की उपेक्षा:** केंद्र या राज्य सरकारों की अधिकांश योजनाओं में केवल ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को राहत प्रदान की जाती है।
  - **उदाहरण के लिए-** कोविड-19 महामारी के दौरान भी गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PMGKRA)' योजना शुरू की गई थी।
- **शहरी क्षेत्रों में रोजगार की कमी का समाधान करना:** वर्ष 2017-18 में, श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)[13] ग्रामीण क्षेत्रों में 37% थी जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 36.8% थी। यह अंतर हर वर्ष बढ़ता ही गया है।
- **निरंतर उच्च मुद्रास्फीति से निपटना:** ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में भारत के शहरी क्षेत्रों में कॉस्ट ऑफ़ लिविंग (जीवन यापन पर व्यय) बहुत अधिक है। इसलिए, **शहरी क्षेत्रों में गरीब ऐसी परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर होते हैं।**
- **शहरी क्षेत्रों में नौकरियों की प्रकृति में सुधार करना:** शहरी अर्थव्यवस्था की अधिकांश नौकरियां कम वेतन, खराब गुणवत्ता और अनौपचारिक कार्य जैसे दोषों से ग्रसित हैं।
- **महिलाओं के लिए सुरक्षित नौकरियां:** शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी महिलाओं को आजीविका के सुरक्षित स्रोत प्रदान किए जाएंगे, जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत किया जा रहा है।

शहरी रोजगार गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे

- शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक कौशल की आवश्यकता होगी।
- एक क्षण को यह मान लेते हैं कि शहरी रोजगार गारंटी योजना को पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में एक गरीब व्यक्ति को मनरेगा और शहरी रोजगार गारंटी योजना दोनों के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।

[13] Labour Force Participation Rate

- शहरी क्षेत्रों (महानगरों, शहरों, कस्बों आदि) का चयन और उनकी परिभाषा एक चुनौती होगी, उदाहरण के लिए- उन शहरों की सीमाएं तय करना, जहां योजना को लागू किया जाएगा।
- शहरी स्थानीय निकायों के पास वित्त-पोषण की कमी है। साथ ही, इनके पास योजना को लागू करने में सहायता करने की क्षमता भी बहुत कम है।
- शहरी क्षेत्रों की वहन क्षमता का प्रबंधन करना पहले से ही अत्यधिक बोझ वाले शहरी प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

आगे की राह

- **विकेंद्रीकृत शहरी रोजगार और प्रशिक्षण (DUET)[14]:** इस रोजगार मॉडल को अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
  - इस मॉडल के तहत राज्य सरकार 'जॉब स्टाम्प' जारी करती है और उन्हें स्वीकृत संस्थानों जैसे स्कूलों, कॉलेजों आदि में वितरित करती है।
  - स्वीकृत संस्था श्रमिक के लिये काम की व्यवस्था करती है। जॉब स्टाम्प प्रस्तुत करने पर सरकार द्वारा सीधे श्रमिक के खाते में मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
- **गारंटी के बिना रोजगार कार्यक्रम:** शहरी गरीबी के मुद्दों से निपटने के लिए सरकार 'रोजगार गारंटी' के बिना एक राष्ट्रीय शहरी रोजगार कार्यक्रम लागू करने पर विचार कर सकती है।
- **कम कौशल वाली नौकरियों का सृजन:** पर्यावरण संरक्षण, निर्माण, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल आदि क्षेत्रों में कम कौशल की आवश्यकता वाले रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। इससे कम कुशल कार्यबल को रोजगार प्रदान करने में मदद मिलेगी।
  - अधिक रोजगार सृजित करने के लिए श्रम-गहन दृष्टिकोण के आधार पर या उच्च पूंजी-श्रम अनुपात में शहरी **बुनियादी ढांचे में निवेश** किया जाना चाहिए।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों और गतिशीलता में आई कमी के कारण रोजगार पैदा करने वाले प्रमुख क्षेत्रकों में मंदी देखने को मिल रही है। इससे उबरने और रोजगार पैदा करने के लिए **लघु उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाना** चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और पेयजल, स्वास्थ्य सेवा आदि बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करके **ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को कम किया** जाना चाहिए।

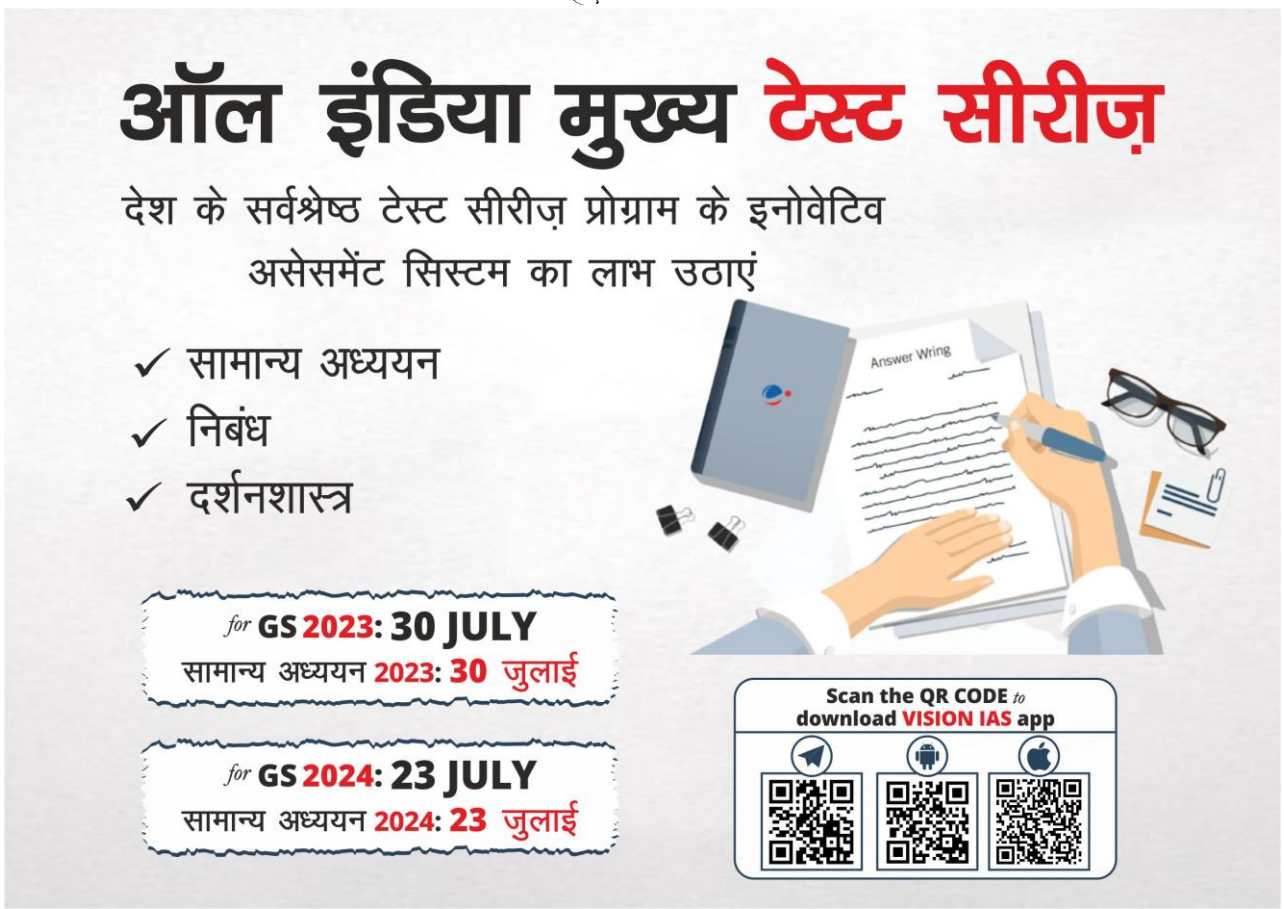

[14] Decentralised Urban Employment and Training

2.6. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

वित्तीय समावेशनः एक नज़र में

भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति

- वर्ष 2020 में प्रति 1 लाख वयस्क आबादी पर **14.7 बैंक शाखाएं थीं**। यह जर्मनी, चीन और साउथ अफ्रीका से अधिक है।
- **भारत में 49 करोड़ से अधिक प्रधान मंत्री जन–धन योजना (PMJDY)** खाते हैं। इनमें से 55% खाते महिलाओं के नाम पर हैं।
- PM जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मई 2023 तक **16.31 करोड़ नामांकन**।
- **हाशिए पर स्थित 50% आबादी के पास संपत्ति का केवल 2% और आय का मात्र 8% है** (विश्व आसमानता रिपोर्ट, 2022)।

विज़न

- **वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच**: वहनीय, सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों (जहां बैंक की सेवाएं नहीं हैं वहां के लिए बैंकिंग) हेतु।
- वर्तमान में वंचितों के लिए युक्तियुक्त लागत पर **ऋण तक बेहतर पहुंच**।
- **वित्तीय संधारणीयता को बनाए रखना**। ऐसा वित्तीय साक्षरता, नवीन वित्तीय उत्पादों आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाकर किया जा सकता है।
- वित्तीय प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका, रोज़गार अवसरों को बढ़ाकर **महिला सशक्तीकरण**।
- डिजिटल समाधानों, संस्थानों के मध्य प्रभावी समन्वय और उपभोक्ता संरक्षण के लिए **उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग**।

योजनाएं / पहलें

- **वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन**, जिसे प्रधान मंत्री जनधन योजना के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित प्रत्येक परिवार के लिए सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है।
- **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और अटल पेंशन योजना (APY)** के माध्यम से सभी भारतीयों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली।
- **RBI ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019–2024** जारी की है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक मोबाइल के माध्यम से प्रत्येक वयस्क के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है।
- NPCI, UPI और RuPay कार्ड के माध्यम से **डिजिटल वित्तीय सेवाओं को मजबूत करना**।
- बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से गांवों में **बैंकिंग पहुंच प्रदान** करना।
- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम** के माध्यम से रोजगार और स्टार्टअप्स की सहायता करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता केंद्रों और नियमित गतिविधियों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता परियोजनाओं को संचालित करना।

बाधाएं

- निम्न आय वाले परिवारों तथा लघु अनौपचारिक व्यवसायों में **वित्तीय साक्षरता का अभाव**।
- **पारंपरिक बैंकिंग की उच्च संचालन लागत** तथा डिजिटल मॉडल में धोखाधड़ी व अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति।
- उत्पादों व बाज़ार प्रवेश पर **अत्यधिक विनियमन आवश्यकताएं।** साथ ही, नई प्रौद्योगिकियों के प्रति पारंपरिक विनियमित दृष्टिकोण।
- अनौपचारिक क्षेत्रक की अधिक उपस्थिति तथा नकदी में लेन–देन का बड़े पैमाने पर प्रचलन।

आगे की राह

- नियमित स्कूल पाठ्यक्रमों तथा जनसंचार अभियानों में **व्यापक वित्तीय साक्षरता का समावेश** करके नई योजना की शुरुआत करना।
- ऋण, वित्तीय कौशल और उद्यम विकास के माध्यम **वित्तीय सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित** करना।
- परिवारों और अनौपचारिक व्यवसायों के लिए **ऋण योग्यता मूल्यांकन में सुधार** हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- बेहतर प्रोत्साहन से बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। साथ ही, अल्पसेवित क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली को विकसित करने के लिए भुगतान बैंकों और अन्य मंचों का लाभ उठाना।
- साइबर सुरक्षा तंत्र और डेटा सुरक्षा कानूनों को मजबूत करना।

2.6.1. भारत में असमानता (Inequality in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ऑक्सफैम इंडिया ने "सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट: द इंडिया स्टोरी[15]"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत न केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, बल्कि सर्वाधिक असमानता वाले देशों में से भी एक है।

असमानता के बारे में

- **संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, असमानता का अर्थ समान न होने की स्थिति** से है। विशेष रूप से **दर्जे, अधिकारों और अवसरों में समानता का न होना** असमानता कहलाता है।
- **दो दृष्टिकोण (Two Perspectives):**
  - **अवसरों की असमानता:** जैसे- रोजगार या शिक्षा तक **असमान पहुंच।**
  - **परिणामों की असमानता: मानव कल्याण के कई भौतिक आयामों** में, जैसे- आय का स्तर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य की स्थिति आदि।
- **आय की असमानता:** यह परिणामों की असमानता को सबसे व्यापक रूप से मापने का तरीका है। इसके लिए आमतौर पर **गिनी गुणांक** का प्रयोग किया जाता है।

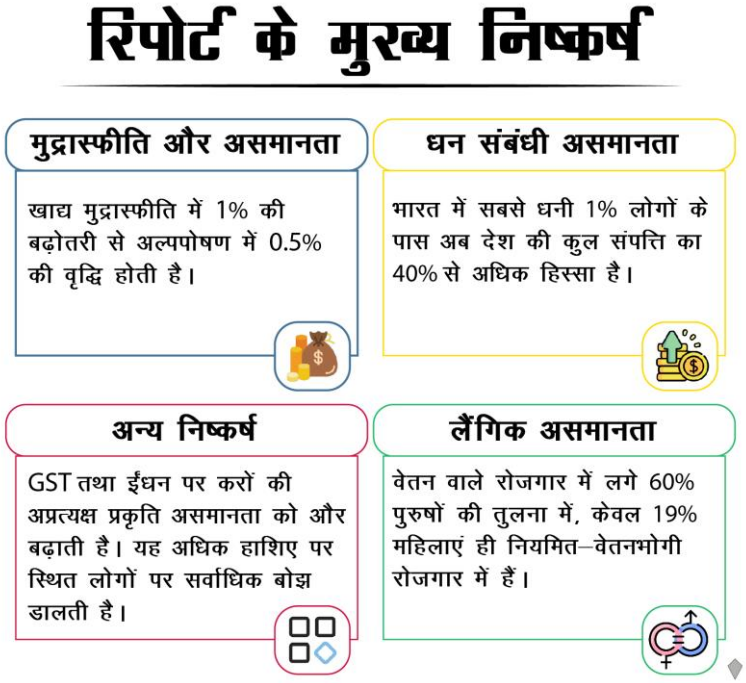

आर्थिक असमानता की निरंतरता (या संपत्ति में असमानता) का प्रभाव

- **सामाजिक असमानता**
  - **सामाजिक ध्रुवीकरण में वृद्धि:** असमानता **गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को बाधित** करती है और सामाजिक गतिशीलता को कम करती है।
  - **सामाजिक न्याय में बाधा:** गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं की कमी के कारण कमजोर वर्गों की सुरक्षा तथा उनके हित खतरे में पड़ जाते हैं।
- **नीतिगत जोखिम:** इससे संवृद्धि को बढ़ावा देने वाले आर्थिक उदारीकरण की गति मंद पड़ सकती है। साथ ही, यह वैश्वीकरण और बाजार-उन्मुख सुधारों के विरुद्ध संरक्षणवादी दबाव उत्पन्न कर सकता है।
- **आर्थिक जोखिम:** आर्थिक असमानताओं में वृद्धि होने से विशेष रूप से युवा आबादी बड़े पैमाने पर गरीबी का सामना कर रही है। इस कारण गरीब और कमजोर वर्गों की रक्षा करने की राज्य की क्षमता में कमी आई है।

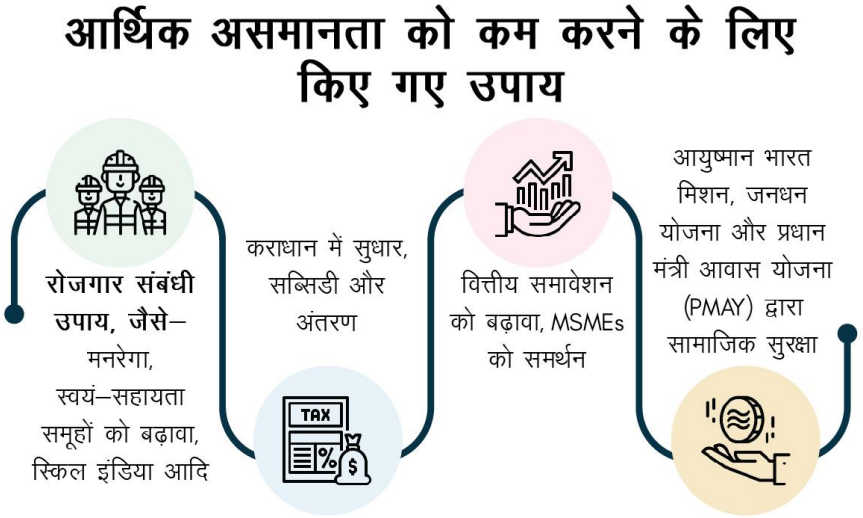

[15] Survival of the Richest: The India story

- **पर्यावरणीय जोखिम:** असमान और अन्यायपूर्ण विकास, जैसे- आर्द्रभूमि को नुकसान पहुंचाना, नदी प्रदूषण में वृद्धि आदि।
- **राजनीतिक जोखिम:** नीतिगत निर्णयों में आबादी के कमजोर वर्गों को हाशिये पर छोड़ दिया गया है। इससे नीतियों और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने की उनकी क्षमता में भी कमी आई है।

आर्थिक असमानताओं को दूर करने में आने वाली चुनौतियां

- **ऐतिहासिक असमानता:** आय की उच्च असमानता वाले क्षेत्रों या राष्ट्रों में सामान्यतः अंतर-पीढ़ीगत गतिशीलता कम होती है। यह स्थिति सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता से जुड़े अवसरों को सिमित कर देती है।
- **मौद्रिक संसाधन संबंधी बाधाएं:** ये बाधाएं **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था** की समस्या, समानांतर अर्थव्यवस्था (काला धन) की उपस्थिति, कर चोरी, छोटे कर आधार आदि के कारण राज्य की पुनर्वितरण संबंधी नीतियों से जुड़ी हैं।
- **मानव पूंजी संबंधी बाधाएं:** ये बाधाएं कम आय, कम उत्पादकता, कम कर और कम मानव पूंजी के दुष्चक्र के कारण हैं।
- **जलवायु परिवर्तन के कारण असमानता में वृद्धि:** इसके कारण लोगों के लिए गरीबी से बचना कठिन हो रहा है। साथ ही, निम्नलिखित कारकों की वजह से लोगों के लिए गरीबी का जोखिम बढ़ता जा रहा है:
  - उत्पादन में अचानक परिवर्तन के कारण हुई मूल्य वृद्धि, तथा
  - प्राकृतिक आपदाओं एवं पर्यावरण के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं के चलते।
- **अनियोजित शहरीकरण:** आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में आय असमानता अधिक होती है। **मलिन बस्तियां** शहरी विभाजन और बहिष्करण के सबसे स्पष्ट लक्षण हैं।

आगे की राह

- **सार्वभौमिक बुनियादी आय:** न्यूनतम आय की सीमा को बढ़ाना चाहिए और सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI)[16] की शुरुआत की जानी चाहिए। ये उपाय आय अंतराल को कम कर सकते हैं और श्रम बाजार में आय का समान वितरण सुनिश्चित कर सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में UBI की सिफारिश की गई थी।
- **शहरी रोजगार गारंटी योजनाएं:** ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जानी चाहिए ताकि अधिशेष-श्रम का उपयोग किया जा सके।
- **शिक्षा तक समान पहुंच: शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 6%** तक किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसकी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। दीर्घकालिक संवृद्धि के साथ **अधिक नौकरियों का सृजन** लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में महत्वपूर्ण हो सकता है।
- **सब्सिडी को विवेकपूर्ण बनाना:** मौजूदा अकुशल व्यवस्था के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसे विकल्पों के माध्यम से लाभार्थियों का बेहतर लक्ष्यीकरण किया जाना चाहिए।

[16] Universal Basic Income

2.6.2. जेंडर बजटिंग (Gender Budgeting)

जेंडर बजटिंगः एक नज़र में

जेंडर बजटिंग (GB) एक **सतत प्रक्रिया** है। इसके तहत **नीतियों/ योजनाओं के निर्माण, उनके कार्यान्वयन और समीक्षा में जेंडर परिप्रेक्ष्य को बनाए रखने पर जोर** दिया जाता है। इसे **जेंडर सेंसिटिव बजटिंग** (GSB) और **जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग** (GRB) के नाम से भी जाना जाता है।

जेंडर बजटिंग की प्रासंगिकता

यह जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रभावी उपकरण है। यह पुरुषों और महिलाओं के लिए विकास संबंधी लाभों को एक समान रूप से उपलब्ध कराता है।

यह लैंगिक समानता से जुड़ी बजटीय प्रतिबद्धताओं को सरकारी योजनाओं के जरिए उपलब्ध कराता है।

भारत में जेंडर बजटिंग

- इसे **पहली बार 2005–06 के बजट में पेश किया गया था। इसके दो भाग होते हैं**– भाग 'A' और भाग 'B'
  - **भाग A:** महिला–विशिष्ट योजनाएं (महिलाओं के लिए 100% आवंटन), जैसे– मिशन शक्ति।
  - **भाग B:** महिला केंद्रित योजनाएं (भाग B में ऐसी योजनाएं होती हैं जिनमें महिला कल्याण हेतु कम–से–कम 30 प्रतिशत का आवंटन होता है), जैसे– मध्याह्न भोजन योजना।
- **ट्रांसजेंडर के लिए 'स्माइल** (आजीविका और उद्यम हेतु सीमांत व्यक्तियों के लिए सहायता) **योजना' भी जेंडर बजटिंग का हिस्सा** है।
- **जेंडर बजटिंग का प्रदर्शन:** लैंगिक अंतर अभी भी मौजूद है। यह अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य में महिलाओं के लिए समान अवसरों की कमी के रूप में देखा जा सकता है।

भारत के जेंडर बजटिंग से जुड़े मुद्दे

- 2016–17 के बाद से आम तौर पर **जेंडर बजटिंग** के लिए आवंटन में गिरावट आई है।
- **विभिन्न योजनाओं को कुछ छत्रक योजनाओं में विलय** करने से आवंटन में कमी आई है, उदाहरण के लिए– मिशन शक्ति का आवंटन पहले इसकी घटक योजनाओं के संचयी आवंटन से कम था।
- **जेंडर बजटिंग के लिए आवंटित धनराशि का कम उपयोग हुआ है।**
- **80% से अधिक आवंटन** ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, कृषि एवं स्वास्थ्य के साथ–साथ महज **5 मंत्रालयों तक सीमित** हैं।
- जल जीवन मिशन (JJM) और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) जैसी **महत्वपूर्ण महिला सशक्तीकरण योजनाओं को जेंडर बजटिंग के दायरे से बाहर** रखा गया है।

जेंडर बजटिंग को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में आगे की राह

- प्रभावी बजट आवंटन और निगरानी के लिए **जेंडर आधारित डेटा को एकत्रित किया जाना** चाहिए।
- **आवंटन का अनुमान** प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा जेंडर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और मौजूदा जेंडर अंतर को पाटने के लिए तैयार किए गए रोडमैप पर आधारित होना चाहिए।
- **धन का आवंटन ऐसे क्षेत्रों** में किया जाना चाहिए जहां महिलाओं को उन विशिष्ट संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनके समग्र विकास को रोकते हैं।
- **जागरूकता बढ़ाया जाना चाहिए और अन्य विभागों और मंत्रालयों** को जेंडर बजटिंग में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- उपलब्ध निधि के कम उपयोग की समस्या से निपटने के लिए **लक्षित जेंडर बजटिंग** (TGB) को अपनाया जाना चाहिए।
- हर स्तर पर **संसाधन आवंटन के लिए जेंडर के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए।**

2.6.3. महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट (Mahila Samman Savings Certificate)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हालिया बजट में, सरकार ने महिलाओं के लिए **"महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट"** नामक एक नई लघु बचत योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और लड़कियों सहित महिलाओं को भी सशक्त** करना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र (MSSC) को 2025 तक 2 साल के लिए** उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत **7.5 प्रतिशत की निश्चित तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर** प्रदान की जाएगी।

- MSSC खाताधारक खाता खोलने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद, लेकिन खाते की परिपक्वता से पहले **एक बार में पात्र शेष राशि का अधिकतम 40 प्रतिशत तक निकाल सकती हैं।**
- इसके तहत निवेश की जाने वाली **न्यूनतम धनराशि 1,000 रुपये है तथा 100 के गुणक में कोई भी राशि** निवेशित की जा सकती है। इसमें **अधिकतम निवेश सीमा 2 लाख रुपये है।**

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लघु बचत योजनाओं का महत्त्व

- **सामाजिक सुरक्षा उद्देश्य:** लघु बचत योजनाएं वस्तुतः समाज के कमजोर वर्गों, जैसे- वरिष्ठ नागरिकों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय बचत को बढ़ावा**: ये कम जोखिम वाली योजनाएं हैं और गारंटीकृत रिटर्न प्रदान करती हैं।
- **सरकार के लिए संसाधन जुटाना:** इन योजनाओं का केंद्र सरकार की ऋण आवश्यकता में लगभग 20% का योगदान है।
- **राज्यों को इसका पैसा देना:** लघु बचत योजनाओं से जुटाई गई राशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ऐसी योजनाओं से प्राप्त लगभग 75% राशि राज्यों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराती है।
- **बाजार पर प्रभाव:** लघु बचत योजनाएं बाजार को भी प्रभावित करती हैं। इन योजनाओं पर मिलने वाले इफेक्टिव रिटर्न, पूंजी बाज़ार और द्वितीयक बाजारों में फंड्स के प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। इन विशेषताओं के चलते इन्हें बाजार का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है।

2.6.4. स्वयं-सहायता समूह (Self Help Groups: SHG)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार **2024 तक 10 करोड़ स्वयं-सहायता समूह (SHG) सदस्य** बनाने का लक्ष्य हासिल कर लेगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने **DAY-NRLM**[17] के तहत SHGs द्वारा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म **मीशो (Meesho)** के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- NRLM और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLMs) के तहत **SHGs द्वारा बनाए गए क्यूरेटेड उत्पादों को बढ़ावा** देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। यह कार्य कई चैनलों के माध्यम से किया गया है, जैसे- **सरस गैलरी, राज्य विशिष्ट खुदरा दुकानों, GeM,** ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि **फ्लिपकार्ट, अमेजन** आदि।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के बारे में

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना और **SHGs जैसे सामुदायिक संस्थानों में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों को आजीविका का लाभ पहुंचाना** है।
- **कार्यक्रम का आधार:** DAY-NRLM स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) के जरिए **ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा** दे रहा है।
- **कार्यान्वयन की स्थिति:** जनवरी 2023 तक, मंत्रालय ने **देश भर के 81.61 लाख SHGs में कुल 8.79 करोड़ महिलाओं** को संगठित किया है।

देश के विकास में SHGs की भूमिका

- **वित्तीय समावेशन:** SHGs छोटी-छोटी बचत को बढ़ावा देते हैं और अपने सदस्यों को **अपने सामान्य कोष से लघु ऋण प्रदान करते हैं।** SHGs अपने सदस्यों के बीच **वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा** देते हैं।
- **गरीबी उन्मूलन:** SHGs गरीबी कम करने और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक **प्रभावशाली साधन** के रूप में कार्य करते हैं।
  - सरकार SHGs की महिला सदस्यों को 1 लाख रुपये की आय का स्रोत प्रदान करने के लिए **मिशन 1 लाख, 2024** का कार्यान्वयन कर रही है।
- **सामाजिक विकास:** SHGs पोषण, स्वास्थ्य, सैनिटेशन और जेंडर जैसे मुद्दों पर **अधिक जागरूकता** पैदा कर रहे हैं। साथ ही, ये अपने सदस्यों को अलग-अलग सरकारी कार्यक्रमों/ योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं।

[17] Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission/ दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

- **ग्रामीण आय के स्रोत का विविधीकरण:** वर्तमान समय में महिला SHGs कई क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जैसे- बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, बैंक सखी, किसान सखी, पशु सखी आदि।
- **महिला सशक्तीकरण:** SHGs की संरचना ऐसी होती है कि ये अपने सदस्यों को सरल तरीके से ऋण देकर और उनके लिए बाजार तक पहुंच को आसान बनाकर महिलाओं के बीच **उद्यमशीलता को बढ़ावा** देते हैं। सरकार ने महिला FPOs को **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म** से जोड़ने एवं **कौशल विकास, ब्रांडिंग और पैकेजिंग** में उनकी मदद करने की पहल शुरू की है।
- **SHGs और कोविड-19:** विश्व बैंक ने मास्क बनाने, सामुदायिक रसोई चलाने और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कर कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में महिला SHGs की भूमिका की सराहना की है।

SHGs को बढ़ावा देने और सशक्त बनाने के लिए किए गए उपाय

स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (Start-up Village Entrepreneurship Program): SVEP)	यह DAY-NRLM के तहत एक उप योजना है। यह SHG सदस्यों को ग्रामीण स्तर पर गैर-कृषि क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने में मदद करता है।
महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP)	यह DAY-NRLM के तहत एक उप योजना है। इसका उद्देश्य व्यवस्थित निवेश की सहायता से कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना है।
ग्रामीण गरीबी समाप्ति योजना (Village Poverty Reduction Plan: VPRP)	इसका उद्देश्य VPRP को विकसित करने में सभी SHGs की भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि VPRP को ग्राम पंचायत विकास योजना में एकीकृत किया जा सके।
SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम	यह प्रत्येक SHG को बैंकों से जोड़ने और ऋण सहित बैंकों की सभी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाता है। महिला SHGs को ऋण मिल सके, इसके के लिए ब्याज सहायता योजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (National Rural Economic Transformation Project: NRETP)	इसे 13 राज्यों में विश्व बैंक की मदद से क्रियान्वयित किया जा रहा है।
SHG सदस्यों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना	वित्तीय रूप से साक्षर समाज के अन्य व्यक्तियों की सहायता से (इसके अलावा SHGs के सदस्यों को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के रूप में तैयार किया जा रहा है)

SHGs से जुड़े कुछ मुद्दे

- **उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण का सही जगह पर इस्तेमाल नहीं:** 2020 में, इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इंपैक्ट इवैल्यूएशन (3ie) के शोधकर्ताओं ने पाया कि SHGs के सदस्यों ने केवल 19% ऋण का उपयोग **उत्पादक उद्देश्यों (Productive purposes) के लिए** किया था। दूसरे शब्दों में, SHGs के सदस्य अपने ऋण का अधिकांश हिस्सा अन्य जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल करते हैं।
- **कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों तक सीमित:** अधिकांश SHGs कम उत्पादकता वाले कार्यों में फंसे हुए हैं, जैसे- कृषि या प्राथमिक क्षेत्रक की अन्य गतिविधियां। ये **तकनीक के इस्तेमाल में काफी पीछे** हैं।
- **काम-काज में विस्तार का अभाव:** अधिकांश SHGs बड़े-बड़े **व्यावसायिक फर्म शुरू करने की बजाय माइक्रोफाइनेंस गतिविधियों** में ही उलझे हुए हैं। इसका कारण या तो संकोच है या समर्थन का अभाव है।
- **डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का अभाव:** भारत में ग्रामीण महिलाओं के बीच साक्षरता का स्तर बहुत कम है (नेशनल सेंपल सर्वे के अनुसार, लगभग 56%) और डिजिटल साक्षरता का भी अभाव है।
- **सरकारी कार्यक्रमों में सीमित भागीदारी:** SHGs के जो सदस्य गरीब और हाशिए पर हैं, उनमें से अधिकतर समुदाय-आधारित और विकास परियोजनाओं के साथ-साथ अन्य **कार्यक्रमों के केवल लाभार्थी** बने रहते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया पर उनका बहुत कम नियंत्रण होता है।

आगे की राह

- **आजीविका का विविधीकरण:** SHGs की सफलता अन्य **उच्च उत्पादक गतिविधियों में विविधता लाने के लिए सदस्यों की क्षमता** को बढ़ाने पर निर्भर करेगी।
- **डिजिटल सेवाओं का एकीकरण:** लघु उत्पादक समूहों को आगे बढ़ाने और बाजार के साथ जुड़ने में मदद करने के लिए **डिजिटल वित्तीय सेवाओं को एकीकृत करने** की आवश्यकता है।
- **क्षमता निर्माण:** SHGs के सदस्यों को **डिजिटल और वित्तीय साक्षरता में प्रशिक्षण देकर** उनकी क्षमता का निर्माण करना महत्वपूर्ण है।
- **कंवर्जेंस: पंचायतों के साथ SHGs का जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सकता है** ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। कुछ दक्षिणी राज्यों ने ग्राम सभाओं में SHGs से जुड़ी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई है।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी:** NRLM ऐसे समूहों को बढ़ावा देने के लिए **स्टार्ट-अप एवं निजी क्षेत्रक** से और अधिक लाभ उठा सकता है।
    - उदाहरण के लिए- 2019 में, **केरल** की **कुडुम्बश्री** ने अपने कार्यक्रम **अमेज़न सहेली** के लिए **अमेज़न** के साथ करार किया था। इसके चलते **कुडुम्बश्री** अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म पर अपने उत्पाद बेचकर महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने में सक्षम हुई है।

2.7. शहरी नियोजन (Urban Planning)

भारत में शहरी योजनाः एक नज़र में

शहरी योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के केंद्रीय और सुसंगत विचार को विकसित करना है। एक दृष्टिकोण के रूप में यह किसी शहर के सभी आयामों पर विचार करती है, जैसे– आर्थिक विकास, जनसंख्या विविधता और परस्पर सामाजिक क्रिया।

शहर के स्तर पर (सिटी मास्टर प्लान, स्थानीय क्षेत्र के स्तर का नियोजन तथा इमारतों के स्तर पर पहलें इत्यादि)।

क्षेत्रीय स्तर (जिला/ महानगरीय विकास योजनाएं, औद्योगिक क्षेत्र योजनाएं आदि)।

राष्ट्रीय/राज्य स्तर (केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई दीर्घकालिक योजनाएं)।

शहरी योजना का वर्तमान ढांचा

- **सरकारों की भूमिकाः** 7वीं अनुसूची के तहत शहरी नियोजन की शक्ति राज्यों के हाथ में है। इस संदर्भ में केंद्रीय सरकार 'परामर्शदात्री' की भूमिका अदा करती है तथा वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
- **वैधानिक ढांचाः**
  - **राज्य स्तर परः** स्टेट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम, नगर निगम अधिनियम आदि।
  - **क्षेत्रीय/स्थानीय स्तर परः** उदाहरण के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957।
  - **भूमि, आवासन, अवसंरचना, पर्यावरण आदि से संबंधित अधिनियमः** उदाहरण के लिए– पंजीकरण अधिनियम, 1908, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1968 आदि।
- **संस्थागत ढांचाः**
  - संविधान द्वारा निर्मित संस्थान (74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992): शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) और मेट्रोपॉलिटन/जिला योजना समितियां।

भविष्य के शहरी स्थानों के विकास में शहरी योजना की भूमिका

- शहरी आबादी में **तीव्र वृद्धि के लिए जगह बनाना और अनियोजित वृद्धि के कारण उठने वाले मुद्दों** जैसे झुग्गी–झोपड़ियों का निर्माण, यातायात संबंधी भीड़भाड़ से निपटना आदि।
- शहरी केंद्रों के वितरण और शहरीकरण की गति के संदर्भ में अंतर्राज्यीय असमानताओं को दूर करना।
- **आपदा के प्रति लचीले शहरों** का निर्माण करना।
- भारत की **आर्थिक वृद्धि, अवसंरचना और रोजगार लक्ष्यों को प्राप्त करने** के लिए प्रभावी शहरी योजना ज़रूरी है।
- शहरों में उत्सर्जन को **नियंत्रित करके अल्प कार्बन अर्थव्यवस्था** की ओर बढ़ना।
- **भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करनाः** SDG 11, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास का नया शहरी एजेंडा और पेरिस जलवायु समझौता।

भारत की शहरी–योजना क्षमता में समस्याएं

- **संस्थागत मुद्देः** प्राधिकारियों की बहुलता; प्रभावी विकेंद्रीकरण का अभाव, नगरपालिका निकायों के शासन में समस्याएं।
- **योजना प्रक्रिया में समस्याएंः** सहभागितापूर्ण निर्णय निर्माण का अभाव; शहरों और स्थानीय मास्टर प्लान्स की कमी; निजी क्षेत्रक की सीमित सहभागिता, शहरी योजना और शहरी भूमि आंकड़ों में ताल–मेल का अभाव।
- **शहरी भूमि के उपयोग को लेकर समस्याएंः** 'शहरी' क्षेत्रों की पहचान न होना; शहरी भूमि का अनुकूलतम उपयोग न होना तथा विकास विनियमों के अवांछित प्रभाव।
- **आपदा लचीलापन से जुड़ी समस्याएंः** विकास क्षेत्रों से संबंधित निर्णय संकट के जोखिम को ध्यान में रख कर नहीं लिए जाते हैं। प्राकृतिक जल–निकासी प्रणालियों और जलाशयों के प्रति उदासीनता; इमारतों से जुड़े उप–नियम केवल कुछ संकट जोखिमों तक सीमित होते हैं आदि।

आगे की राहः भविष्य के शहरों का निर्माण

- **मौजूदा मास्टर प्लान की तैयारियों में हस्तक्षेपः** दीर्घकालिक प्लानिंग करना, शहरों का परस्पर संबंधित, बेस मैप तैयार करना; शहर के सभी प्रासंगिक उप केंद्रों का मानचित्र तैयार करना तथा स्पष्ट दायित्वों के साथ विशेष प्रस्तावों का विकास और समावेशन करना।
- **मानव संसाधन प्रबंधनः** नियमित क्षमता निर्माण कार्यों में संलग्न होना, टाउन प्लानर्स के रिक्त पदों को जल्दी भरकर शहरी योजना निर्माताओं की कमी को समाप्त करना; टाउन प्लानर्स की नौकरी के विवरणों का मानकीकरण करना आदि।
- **कार्यकारी और विधायी सुधारः** विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिकाओं और दायित्वों का स्पष्ट आवंटन; टाउन प्लानर्स और अन्य विशेषज्ञों की नौकरियों का विवरण; योजना विनियमों को अपनाना तथा शहर के आर्थिक वृद्धि संचालकों के अनुसार उप–नियम बनाना आदि।
- **शहरों में लचीलापन विकसित करने के लिए संकट जोखिम और सुभेद्यता का मूल्यांकन करना।**

2.7.1. स्ट्रीट वेंडर्स (Street Vendors)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पी.एम.-स्वनिधि **(प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि)** योजना की **लगभग 41 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं।**

स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में

- सरकारी अनुमानों के अनुसार, देश में कुल (गैर-कृषि) शहरी अनौपचारिक रोजगार में स्ट्रीट वेंडिंग का योगदान 14% है।
- **गरीबों के लिए स्वरोजगार का स्रोत** होने के साथ-साथ, ये **शहरी आबादी को सुविधाजनक व सस्ती सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाते हैं।

पीएम-स्वनिधि के बारे में

- इसे कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद लागू किया गया। इसे स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने हेतु वहनीय कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था।
- वर्ष 2021 में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए **'स्वनिधि से समृद्धि'** नामक एक अन्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसे **स्ट्रीट वेंडर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान** करने के लिए शुरू किया गया था।
  - इसके तहत पीएम-स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिवारों की **सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विवरण** तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनकी पात्रता का आकलन** करना है।
  - **क्रियान्वयन साझेदार: भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)**
- **"मैं भी डिजिटल ड्राइव"**, पी.एम. स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए एक विशेष अभियान है।

चुनौतियां

- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** बेदखली, रिश्वत देने के लिए मजबूर होना, विभिन्न सरकारी सुविधाओं तक पहुँचने में असमर्थता, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी आदि प्रमुख समस्याएं हैं।
- **अव्यवहार्य लाइसेंस उच्चतम सीमा:** मुंबई जैसे अधिकांश शहरों में विक्रय लाइसेंस की उच्चतम सीमा 15,000 है, जबकि अनुमानित 2.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स मौजूद हैं।
- **बाजार में उतार-चढ़ाव:** बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा असुरक्षित और अनियमित रोजगार के कारण स्ट्रीट वेंडर्स को हमेशा अन्य स्ट्रीट वेंडर्स के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
- **शहरी चुनौतियों को बढ़ाना:** इससे सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण में वृद्धि होती है, यातायात में भीड़ बढ़ जाती है, साफ-सफाई कम रहती है और अपशिष्ट निपटान में समस्या आती है।
- **स्ट्रीट फूड की संरक्षा:** कोई भी सरकारी एजेंसी स्ट्रीट पर बेची जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा विनियमित नहीं हैं।
- **ई-कॉमर्स:** खुदरा विक्रेताओं और स्ट्रीट वेंडर्स पर ऑनलाइन शॉपिंग का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

आगे की राह

- **समावेशी और सुविचारित शहरी डिज़ाइन:** इसके तहत वेंडर्स को स्मार्ट सिटी मिशन के साथ एकीकृत करने तथा उन्हें खुला सार्वजनिक स्थान आवंटित करने की जरूरत है।

- **सड़कों/ फुटपाथों पर बेचे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करना:** नकली उत्पादों के बेचने पर अंकुश लगाने की जरूरत है। साथ ही, पके हुए भोजन की स्वच्छता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **समावेशी तथा बाजार आधारित सतत विकास:** यह स्ट्रीट आधारित उद्यमियों को पर्याप्त समर्थन देगा और उन्हें सशक्त करेगा।
- **स्थानीय उत्पादों की ख़रीद को प्रोत्साहन:** यह आत्मनिर्भर भारत के प्रयास को सुविधाजनक बनाएगा और बढ़ती मांग पर नवाचार व पूंजीकरण के लिए स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा।

2.7.2. ग्रामीणीकरण से ग्रामीण औद्योगीकरण (Ruralisation to Rural Industrialization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कई विशेषज्ञों ने यह दावा किया है कि **भारत में बढ़ती शहरी बेरोजगारी के कारण "ग्रामीणीकरण"** को बढ़ावा मिल रहा है। इसे एक **संरचनात्मक बदलाव** के तौर पर देखा जा रहा है।

ग्रामीणीकरण के बारे में

- सामान्य तौर पर, **ग्रामीण उत्पादों, रोजगार और कृषि कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसर प्रदान करना, 'ग्रामीणीकरण'** कहलाता है।
- हालांकि, भारत जैसे विकासशील देश में **ग्रामीणीकरण** की प्रवृत्ति को **वि-औद्योगीकरण (De-industrialisation)** से जोड़कर देखा जाता है। उल्लेखनीय है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रिया-कलापों और विनिर्माण क्षमता में कमी आती है तो उद्योग-धंधे मंद पड़ जाते हैं। इसे ही वि-औद्योगीकरण कहा जाता है। इसके परिणामस्वरूप, शहरी कार्यबल या आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसने लगती है।
    - **कार्यबल का ग्रामीण भारत की ओर स्थानांतरण और निम्न औद्योगिक विकास गरीबी के स्तर में वृद्धि की ओर संकेत करता है।**
- यह स्थिति **आर्थिक संवृद्धि के विशेष चक्र के विपरीत** है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

ग्रामीणीकरण की हालिया प्रवृत्ति के मुख्य संकेतक

- **कार्यबल का कृषि की ओर झुकाव:** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, **भारत में कार्यबल की कृषि पर निर्भरता 2018-19 के 42.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 45.5 प्रतिशत** हो गई है।
- **अनाज/ खाद्यान्न की मांग में पुनर्वृद्धि:** विगत दशक में खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपभोग में बढ़ोतरी हुई है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजित होगा।

- **औद्योगिक उत्पादन में गिरावट:** यू.एस.ए. में औद्योगिक उत्पादन (IP) में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, **पिछले 10 सालों में भारत की औद्योगिक संवृद्धि 2000-12 के लगभग 7.7 प्रतिशत से घटकर 2.1 प्रतिशत हो गई है।**
- **बेरोजगारी की समस्या का बने रहना:** हालांकि, रोजगार एवं आय की स्थितियां महामारी के पहले के स्तर और विगत 10 वर्षों की तुलना में कमजोर बनी हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप, जीवनयापन की बढ़ती लागत के बीच **प्रति व्यक्ति आय में गिरावट** आ रही है।
- **निजी निवेश की दीर्घकालिक कमी:** प्राइवेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की हिस्सेदारी **वित्त वर्ष 2019 के 10.8 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2022 में लगभग 8.4 प्रतिशत** हो गई है।

ग्रामीणीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए शुरू की गई कुछ पहलें

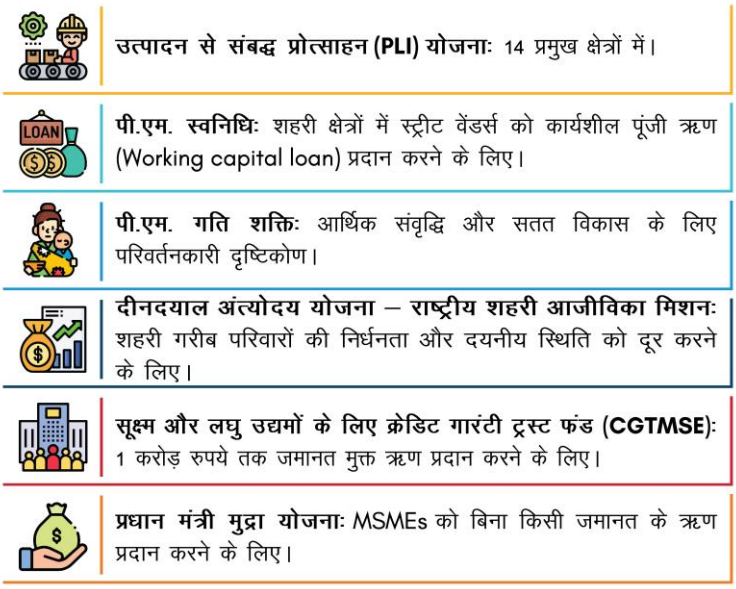

कैसे ग्रामीण औद्योगीकरण राष्ट्रीय विकास में सहयोग कर सकता है?

- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था:** ग्रामीण औद्योगीकरण कुशल एवं अकुशल रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है तथा ग्रामीण व्यवसायों में विविधता लाता है।
- **कृषिगत मजदूरों की समस्याओं का समाधान:** ये उद्योग, अतिरिक्त एवं गैर-मौसमी रोजगार उपलब्ध कराकर लघु, सीमांत और काश्तकार किसानों की समस्या का समाधान कर सकते हैं।
- **संतुलित औद्योगीकरण:** ग्रामीण औद्योगीकरण पहले से ही विकसित शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास के संकेंद्रण को रोकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाता है।
- **भारत की समृद्ध संस्कृति का संरक्षण:** ग्रामीण औद्योगीकरण देश के शिल्प कौशल और कला परंपरा को संरक्षित करने में मदद कर सकता है। जैसे- कश्मीर की पश्मीना शॉल, जयपुर के नीले मिट्टी के बर्तन (मृद्भाण्ड), फिरोजाबाद की चूड़ियां आदि।
- **सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देना:** वर्तमान में, भारत में लगभग 20% सूक्ष्म और लघु-उद्यम (MSEs) इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ये इकाइयां बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए सहायक उद्योग के रूप में कार्य करती हैं।

ग्रामीण औद्योगीकरण को गति प्रदान करने के उपाय

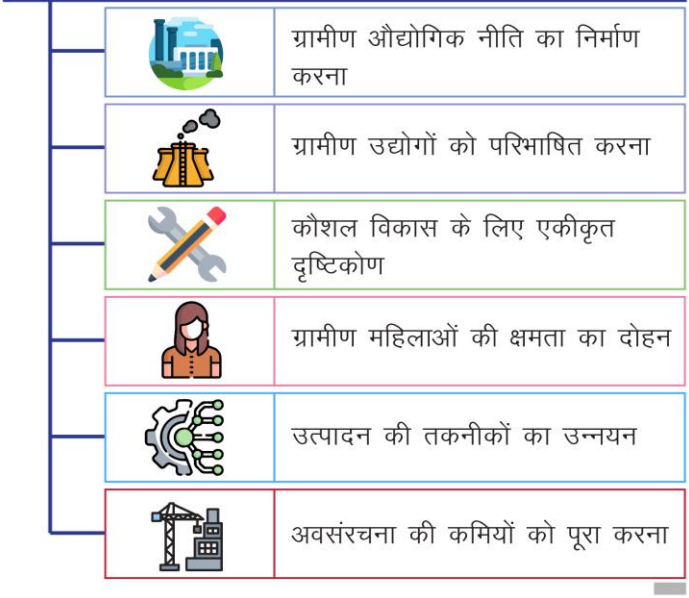

2.7.3. शहरी-ग्रामीण वर्गीकरण (Urban-Rural Classification)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने भारत में ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों की परिभाषा में बदलाव करने का सुझाव दिया है।

इसका सुझाव क्यों दिया गया?

- वास्तविक शहरी क्षेत्रों में पंचायतें मानव संसाधन के मामले में सक्षम नहीं हैं।
  - यह अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर प्रशासन को बढ़ावा देता है, संसाधनों को सीमित करता है और योजनाओं के अकुशल कार्यान्वयन को जन्म देता है।
- ग्रामीण प्रशासनिक पंचायतों को ULBs में **रूपांतरित करने की गति अत्यंत धीमी** है। इस कारण **सेवाओं के त्रुटिपूर्ण मानक लागू** कर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय सार्वजनिक वस्तुएं (पेयजल आदि) भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।
- **अनियोजित विकास:** तेजी से बढ़ते परिनगरीय (Peri-urban) क्षेत्रों को अक्सर अव्यवस्थित विकास की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे क्षेत्र की आवाजाही, पर्यावरणीय संधारणीयता और आर्थिक विकास प्रभावित होता है।
- **त्रुटिपूर्ण नीतिगत आकलन:** भारत में शहरीकरण की गति और आकार को सही तरीके से परखने में वर्तमान वर्गीकरण अक्सर अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं।
- **गहन ग्रामीण-शहरी संपर्क:** इन क्षेत्रों के बीच सामाजिक, वित्तीय और सांस्कृतिक संबंध विद्यमान हैं। इस प्रकार, सख्त विभाजक रेखा खींचना लंबे समय में अनुपयुक्त सिद्ध होगी।

- **ग्रामीण और शहरी बस्तियों की वर्तमान परिभाषा**
  - वर्ष 2017 तक की स्थिति के अनुसार, **कोई भी बस्ती जिसे 'शहरी' नहीं माना जाता है, उसे स्वतः 'ग्रामीण' मान** लिया जाता है।
  - **शहरी बस्तियां 2 प्रकार की होती हैं-**
    - **प्रशासनिक रूप से शहरी बस्तियां:** ये ऐसी बस्तियां हैं, जो शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा शासित होती हैं।
    - **जनगणना के आधार पर शहरी बस्तियां: ये ऐसी बस्तियां हैं-**
  - **जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक होती है,**
  - **जिनकी 75 प्रतिशत पुरुष जनसंख्या गैर-कृषि क्षेत्र में कार्य करती हैं, और**
  - **जिनका जन-घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. या इससे अधिक होता है।**

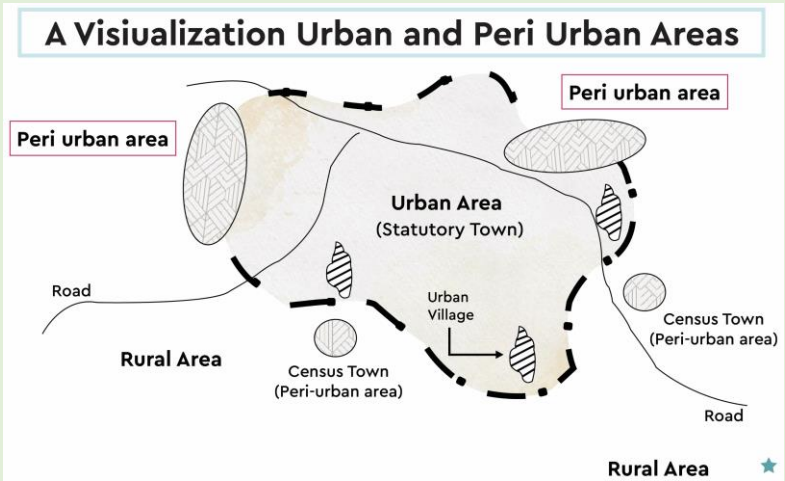

इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है?

- **ट्रिगर मैकेनिज्म को अपनाना:** "ट्रिगर मैकेनिज्म" अपनाया जाना चाहिए। इसके तहत निर्धारित शर्तें पूरी होने के बाद ग्रामीण बस्तियां स्वतः शहरी बस्तियां बन जाती हैं।
- **परिनगरीय क्षेत्रों के लिए समर्पित नीति बनाना:** इसमें परिनगरीय क्षेत्रों के लिए योजना बनाना, भूमि-उपयोग प्रणाली तैयार करना और उनके मामले में योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करना शामिल हैं।
- **उपलब्ध डेटा का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना:** मंत्रालयों को ग्रामीण बस्ती की परिभाषा को निर्धारित करने के लिए **जनगणना और बस्तियों से जुड़े उन अन्य संकेतकों का उपयोग** करना चाहिए, जो उनके कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त हों।
- **रूर्बन रणनीति का लाभ उठाना:** जनगणना शहर (सेंसस टाउन) बढ़ती ग्रामीण मांग को पूरा करने के लिए केंद्र-बिंदु के रूप में उभर रहे हैं और उत्पादन लिंकेज के लिए बाज़ार बन गए हैं। उन्हें निम्नलिखित के द्वारा और अधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है:
  - **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM)** के तहत उल्लिखित रूर्बन रणनीति पर आगे कार्य करने की जरूरत है;
  - **कृषि व संबंधित प्रसंस्करण सुविधाओं पर ध्यान** केंद्रित करने और MSMEs का समर्थन करने की जरूरत है; तथा
  - स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिक वित्त-पोषण संस्थानों और **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs)** को इस क्षेत्र में प्रवेश एवं प्रोत्साहन देना चाहिए।

2.8. आवासन (Housing)

आवासनः एक नज़र में

भारत में आवासन की वर्तमान स्थिति

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 3 और 1.2 करोड़ आवासों की आवश्यकता है।
- PMAY (U) के तहत करीब 1 करोड़ घरों की नींव डाली गई है और 75 लाख घर बन चुके हैं।
- PMAY (R) के तहत करीब 2 करोड़ घरों की नींव डाली गई है और 2.99 करोड़ बन चुके हैं।
- ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (GHTC)-इंडिया के तहत 6 लाइट हाउस परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

मुख्य उद्देश्यः

- **11 मिलियन शहरी** और **20 मिलियन ग्रामीण आवासों** का निर्माण करके 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को हासिल करना।
- प्रत्येक परिवार के पास **एक पक्का घर होना चाहिए। ये घर पानी के कनेक्शन, शौचालय और 24x7 बिजली** की सुविधाओं से युक्त होंगे। इसके साथ ही, **भौतिक और सामाजिक अवसंरचना** तक भी पहुंच होगी।
- **झुग्गी वासियों और शहरी गरीबों की आवासीय ज़रूरतों** को पूरा करना।
- शहरी प्रवासी/गरीबों के लिए **ईज ऑफ़ लिविंग**।

नीति/योजनाएं/पहलें

- ऋण सब्सिडी, झुग्गियों के पुनर्विकास, किफायती आवास आदि के लिए **प्रधान मंत्री आवास योजना**।
- ईज ऑफ़ लिविंग के लिए **किफायती किराया आवास परिसर** (ARHCs)।
- **किफायती आवास क्षेत्रक को अवसंरचना का दर्जा तथा किफायती किराया निधि (AHF) और प्राथमिक क्षेत्रक ऋण (PSL) के तहत परियोजना के वित्तपोषण में रियायत**।
- नवाचारी निर्माण प्रौद्योगिकियों को पहचानने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने हेतु **ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज–इंडिया**।
- **निर्माण कर्मियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए DAY-NULM के तहत 'निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल' (निपुण/NIPUN)**।

बाधाएं:

- **औपचारिक वित्तीय संस्थानों से वित्तपोषण** तक पहुंच का अभाव।
- म्युनिसिपल न्यायिक क्षेत्र के तहत शहरी क्षेत्रों के बड़े हिस्सों में लंबी अवधि तक चलने वाली बहु–स्तरीय **अनुमोदन प्रणाली**।
- शहरी क्षेत्रों की किफायती आवास योजनाओं में **निजी क्षेत्रक की सीमित भागीदारी।**
- **पारंपरिक निर्माण पद्धतियों का अत्यधिक** उपयोग होता है, जिसमें पहले से तैयार या निर्मित सामग्री का सीमित उपयोग होता है। इससे पूरी प्रक्रिया में देरी होती है।
- किफायती आवासन परियोजना के लिए **लैंड बैंक्स** तक सीमित पहुंच।
- **प्रशिक्षित निर्माण राज मिस्त्रियों** का अभाव।

आगे की राह

- **वित्त–पोषणः किफायती आवासन** पर ध्यान केंद्रित करते हुए **संस्थागत वित्त** और **वैकल्पिक वित्तपोषण** तक पहुंच में सुधार करना। निजी क्षेत्रक की सहभागिता को इनोवेटिव मॉडल्स (उदाहरण के लिए, स्विस चैलेंज) द्वारा प्रोत्साहित करना।
- **नीति/नियमः** आवेदनों को बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ाना।
- **मानव संसाधनः** ULBs की क्षमता का निर्माण; कौशल विकास और रोजगार पारितंत्र को आवासन क्षेत्रक के साथ जोड़ना।
- **प्रौद्योगिकी का प्रयोगः** संधारणीय, पर्यावरण अनुकूल और आपदा रोधी घरों का निर्माण करने के लिए नई निर्माण प्रौद्योगिकियों तथा निर्माण सामग्री को बढ़ावा देना। अन्य क्षेत्रकों को आर्थिक लाभ प्रदान करना। (उदाहरण के लिए, स्टील और सीमेंट) ☆

2.8.1. प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) {Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)/ PMAY(U)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आवासन और शहरी मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने **प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।**

PMAY(U) के बारे में

- **उद्देश्य:**
  - यह मिशन स्लम निवासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS)/ निम्न आय समूहों (LIG) और मध्यम आय समूहों (MIG) के बीच शहरी आवास की समस्या का समाधान करता है।
  - इस योजना में मांग-संचालित दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जिसमें राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा मांग के आकलन के आधार पर आवास की कमी का निर्धारण किया जाता है।
- **समयावधि:** अब इसकी समय-सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2024 कर दी गई है। इसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) वर्टिकल को छोड़कर सभी वर्टिकल्स शामिल हैं। CLSS के लिए समय-सीमा 31 मार्च, 2022 तय की गई थी।
- PMAY(U) को निम्नलिखित **चार वर्टिकल्स** के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है:
  - **जहां झुग्गी वहीं आवास (In-Situ Slum Redevelopment: ISSR);**
  - **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS);**
  - **साझेदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership: AHP);**
  - **लाभार्थी के नेतृत्व वाला निर्माण (Beneficiary-led Construction: BLC)।**

PMAY(U) को लेकर संसदीय स्थायी समिति के महत्वपूर्ण अवलोकन

- **आवास की मांग के आकलन में अंतराल:** ऐसा अनुमान लगाया गया था कि योजना के तहत आवास की मांग 2 करोड़ है, जबकि वास्तविक मांग 1.23 करोड़ है।
- **बुनियादी सुविधाओं का अभाव:** दिसंबर 2022 तक, बुनियादी सेवाओं की कमी के कारण 5.6 लाख आवास, लाभार्थियों को आवंटित नहीं किए जा सके थे।
- **निर्माण कार्य के समापन की समय-सीमा:** दिसंबर 2022 तक केवल 87% स्वीकृत घरों की ही नींव रखी गई और 61 लाख घर लाभार्थियों को सौंपे गए हैं।
  - अक्टूबर 2022 तक, भौगोलिक और आर्थिक कारणों से पूर्वोत्तर राज्यों (त्रिपुरा को छोड़कर) में 50% से भी कम घर बन पाए हैं।
- **लाभार्थी पर उच्च लागत का बोझ:** नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने अपना हिस्सा प्रदान नहीं किया है। नतीजतन, औसत लाभार्थी योगदान लगभग 60% आता है।
- **BLC पर जोर:** अधिकांश शहरी बेघर भूमिहीन भी हैं और शहरी क्षेत्र में जमीन खरीदना उस जमीन पर घर बनाने से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इसलिए, BLC वर्टिकल पर अधिक जोर इस योजना के उद्देश्य को कमजोर करता है।
- **ISSR घटक के तहत घरों की कम स्वीकृति:** इसके तहत स्वीकृत घरों की संख्या कम है। 14.35 लाख आवासों की मांग के बदले केवल 30% आवास ही स्वीकृत किए गए हैं।

समिति के सुझाव

- **आउटपुट के बजाय आउटकम्स पर ध्यान:** समिति का सुझाव है कि निर्मित किए गए घरों की संख्या की जगह उन घरों पर ध्यान देना चाहिए, जिनमें वास्तव में लाभार्थियों ने रहना शुरू कर दिया है।
- **लाभार्थियों की भागीदारी:** निर्माण से पहले लाभार्थियों की पहचान की जानी चाहिए। उन्हें परियोजना की शुरुआत से ही हितधारकों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और उनके फीडबैक को स्वीकार करते हुए उसपर कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे आवास के खाली रह जाने जैसी समस्या से बचा जा सकता है।
- **स्लम-भूमि के डी-नोटिफिकेशन पर डेटा का मिलान करना:** समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को राज्यों द्वारा स्लम के डी-नोटिफिकेशन के संदर्भ में ISSR वर्टिकल के प्रभाव पर डेटा को एकत्र करना चाहिए। साथ ही, इसे समिति के समक्ष रखना चाहिए।
- **प्रभाव आकलन और आवश्यक परिवर्तन:** मंत्रालय द्वारा एक प्रभाव आकलन करने की आवश्यकता है। इस आकलन के आधार पर शहरी गरीबों के लिए आवास प्रदान करने हेतु आवश्यक परिवर्तनों के साथ योजना का विस्तार करना चाहिए या एक नई योजना तैयार की जानी चाहिए।

- **निर्माण के लिए सख्त समय-सीमा:** मंत्रालय द्वारा घरों का निर्माण शुरू करने और पूरा करने के लिए सख्त समय-सीमा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **राज्य के कारकों के आधार पर बदलती केंद्रीय सहायता:** राज्यों को मिलने वाली एक समान और निश्चित केंद्रीय सहायता हटाई जा सकती है। यह राज्य की स्थलाकृति जैसे कारकों के आधार पर अलग-अलग होनी चाहिए।
- **निर्माण-पूर्व प्रक्रियाओं को सुगम बनाना:** परियोजना शुरू करने से पहले भूमि की उपलब्धता, वैधानिक मंजूरी की मांग और झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का कार्य सुगम होना चाहिए।

2.8.2. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin: PMAY-G)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने कहा है कि यदि राज्य सरकारें PMAY-G को **ठीक तरह से कार्यान्वित करने में असमर्थ** रहती हैं, तो केंद्र सरकार **अपने हिस्से की आवंटित राशि वापस** ले सकती है।

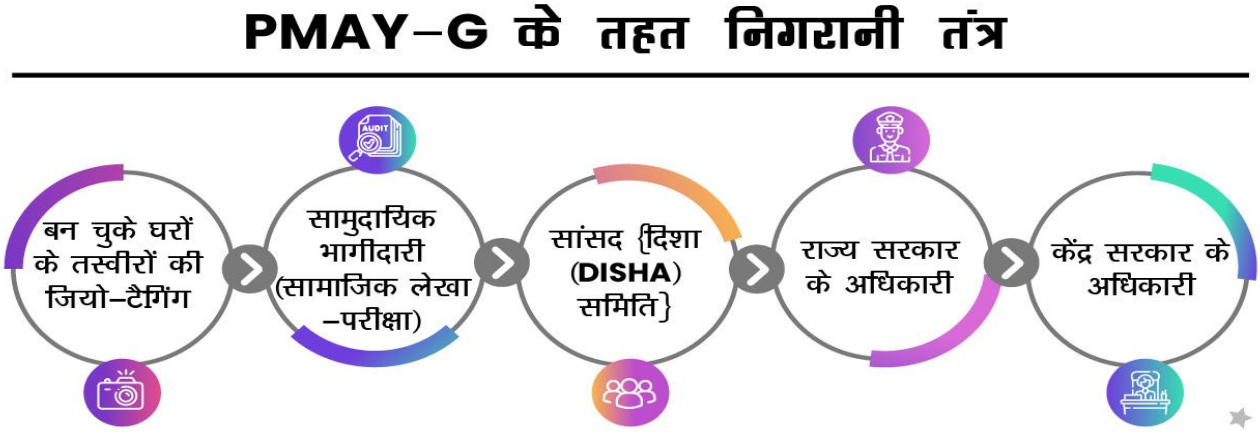

PMAY-G के बारे में

- PMAY-G एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। **ग्रामीण विकास मंत्रालय** ने इस योजना को **अप्रैल 2016** में शुरू किया था।
- **उद्देश्य: 2022 तक सभी के लिए आवास।**
  - इसके तहत 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सभी ग्रामीण आवासहीन परिवारों और कच्चे व टूटे-फूटे घरों में रहने वालों को वित्तीय सब्सिडी प्रदान की जानी है। उल्लेखनीय है कि **कोविड महामारी के कारण इस लक्ष्य को अब 2024 तक बढ़ा दिया गया है।**

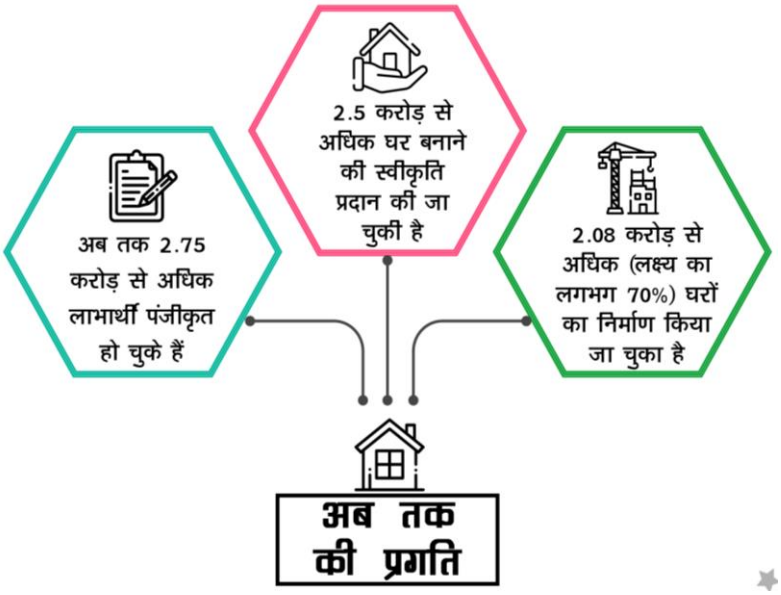

हाल के दिनों में किए गए प्रमुख सुधार

- **इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस:** इस योजना का शुरू से अंत तक का क्रियान्वयन **MIS-AwaasSoft** के जरिए किया जाता है। इसमें लाभार्थियों का चयन, लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण, भवन निर्माण की प्रगति का सत्यापन, धन जारी करना आदि शामिल हैं।
- **मोबाइल गवर्नेंस:** घरों के निरीक्षण के लिए **'आवास ऐप'** को लॉन्च किया गया है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** PMAY-G के तहत, लाभार्थियों को AwaasSoft-PFMS प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहायता हस्तांतरित की जाती है।

- **राजमिस्त्री का कौशल विकास:** राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में '**अखिल भारतीय राजमिस्त्री प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम' शुरू** किया गया है।
- **रियल टाइम वेब लिंक:** इसे **नरेगासॉफ्ट** के साथ विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य PMAY-G के अधीन स्वीकृत प्रत्येक घर के लिए नरेगा के तहत कार्य के सृजन को अनुमति देना है।
- **अलग-अलग अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण**।

लक्ष्य को पूरा करने और योजना के सफल कार्यान्वयन में चुनौतियां

- **कुछ राज्यों में अनुपयुक्त कार्यान्वयन:** ऐसा केंद्र और राज्यों द्वारा निधि जारी करने में हो रही देरी के कारण हो रहा है। वर्ष 2020 में 9 राज्यों ने लाभार्थियों को भुगतान करने में देरी की थी।
- **ऋण प्राप्त करने में कठिनाई:** PMAY-G के तहत अधिकांश लाभार्थी 70,000 रुपये की ऋण सुविधा का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वे समाज के बहुत ही कमजोर आर्थिक वर्ग से संबंधित हैं।
- **भूमिहीन लाभार्थी:** 50% से अधिक भूमिहीन लाभार्थियों को अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- **लाभार्थियों की पहचान में समस्याएं:** ग्राम पंचायत पक्षपात करती है। इसके अतिरिक्त, SECC-2011 डेटा में भी विसंगतियां हैं।
- **डेटा का अभाव:** अलग-अलग योजनाओं के तहत प्रदान किए गए लाभों के संदर्भ में रियल टाइम डेटा की अनुपलब्धता, आवासों की खराब गुणवत्ता आदि।

आगे की राह

- पात्र भूमिहीन लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि प्रदान करनी चाहिए।
- बजट में वृद्धि करनी चाहिए तथा केंद्र और राज्य सरकार से निधियों का समयबद्ध निर्गम सुनिश्चित करना चाहिए।
- **ऋण तक आसान पहुंच:** ऋण देने के लिए कम संपार्श्विक, कम प्रशासनिक लागत और निम्न ब्याज दर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- **अन्य योजनाओं के साथ प्रभावी अभिसरण:** संबंधित मंत्रालयों व विभागों के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करके अंतरालों और कमियों को दूर करना चाहिए।
- **जागरूकता पैदा करना:** आवास ऐप के संचालन के बारे में लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण आबादी के बीच इसका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

2.9. भारत में भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण (Land Records Modernization in India)

भारत में भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण: एक नज़र में

भारत में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की वर्तमान स्थिति

- भारत में लगभग **94%** गांवों में भूमि अभिलेखों (रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स) के डिजिटलीकरण के कार्य को पूरा कर लिया गया है।
- **70%** भू-संपत्ति मानचित्रों (Cadastral maps) के डिजिटलीकरण के कार्य को भी पूरा किया जा चुका है।
- 2010-11 में कृषि जोत का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर था।
- भूमि का <10% हिस्सा गैर-कृषि उपयोगों के लिए है।

भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता क्यों?

- मौजूदा प्रकल्पित भू-स्वामित्व (Presumptive Titles) प्रणाली की बजाए **निर्णायक भू-स्वामित्व प्रणाली को अपनाना** (रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स)।
- इससे भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली की पारदर्शिता में सुधार होगा तथा **भूमि विवाद की संभावना में भी कमी** आएगी।
- इससे **पंजीकरण और रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स के लिए भूमि अभिलेखों के मानकीकरण** में मदद मिलेगी।
- इससे दस्तावेज पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया और उसमें लगने वाले समय में कमी आएगी।
- ऋण सुविधा के लिए ई-लिंकेज के रूप में स्पष्ट भूमि अधिकार **संस्थागत ऋण आदि तक आसान पहुंच प्रदान करेगा।**

योजनाएं / पहलें

- डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP):
  - विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (ULPIN) या भू आधार (DILRMP के अधीन इसे 26 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है)
- राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली **(National Generic Document Registration System: NGDRS)**: इसे 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है।
- 'स्वामित्व' अर्थात् गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण **(Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas: SVAMITVA)** योजना।
- भू-नक्शा: यह डिजिटल भू-संपत्ति मानचित्रण के लिए एक साधन है।
- सर्वोत्तम प्रथाएं:
  - कर्नाटक का भूमि-कावेरी **(BHOOMI – KAVERI)** कार्यक्रम तथा आंध्र प्रदेश की मी सेवा **(Mee-Seva)**।
  - नीति आयोग द्वारा भूमि अभिलेख प्रबंधन हेतु **ब्लॉकचेन प्रणाली (प्रूफ ऑफ़ कांसेप्ट)** का उपयोग इत्यादि।

बाधाएं

- डिजिटल रिकॉर्ड को पुराने दस्तावेजों से प्राप्त अविश्वसनीय या खराब डेटा के आधार पर तैयार किया जाता है। इन दस्तावेजों में शामिल गांवों का कभी सर्वेक्षण नहीं किया जाता और इनसे संबंधित सही नक्शों का भी अभाव होता है। इसके अलावा, आधुनिक तकनीकों पर आधारित कोई हालिया सर्वेक्षण कार्य भी नहीं किया गया है।
- **विभिन्न राज्यों के बीच डेटा मानकीकरण का अभाव।**
- भू-राजस्व, भूमि का सर्वेक्षण और पंजीकरण, भूमि की देख-रेख आदि से संबंधित कार्य करने वाली अलग-अलग नोडल एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है।
- संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों के डिजिटल रूप में उपलब्ध होने से **व्यक्तिगत डेटा की चोरी और साइबर हमलों के खतरे की संभावना** बनी रहती है।
- डिजिटल भूमि रिकॉर्ड में दुर्भावनापूर्ण हेर-फेर संबंधी कोई भी मामला सिस्टम के प्रति भू-स्वामियों के विश्वास को कम कर सकता है।

आगे की राह

- **सरकारी कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उपयुक्त कौशल प्रदान** किया जाना चाहिए।
- भूमि अभिलेख डेटा को सुरक्षित तरीके से भंडारित करने और भू-स्वामियों का विश्वास बनाए रखने के लिए **उचित सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों को अपनाया और लागू किया जाना चाहिए।**
- नक्शों और भूमि अभिलेखों पर भूमि का सही विवरण दर्ज करने के लिए नई तकनीकों, जैसे- ब्लॉकचेन, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आदि का उपयोग करके **भूमि का सर्वेक्षण और मानचित्रण करना चाहिए।**
- राज्य स्तर पर समर्पित डेटा सेंटर, हाई स्पीड प्रोसेसर और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क आदि की स्थापना करके **राज्यों की क्षमता का निर्माण करना चाहिए।**
- भूमि पंजीकरण से संबंधित डिजिटल प्रक्रियाओं और एप्लीकेशन्स के संबंध में **जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए।**
- भूमि अभिलेख तैयार करने, उनका रख-रखाव करने और उन्हें अपडेट करने के लिए **एक-समान मानकों का निर्माण करना चाहिए।**

2.9.1. लैंड टाइटलिंग या भू-स्वामित्व (Land Titling)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने **"मॉडल कनक्लूसिव लैंड टाइटलिंग एक्ट[18]"** प्रकाशित किया है।

भू-स्वामित्व (Land Titling) के बारे में

- **भू-स्वामित्व** एक सामान्य पद है। इसका उपयोग:
  - **सरकार द्वारा नागरिकों और सरकारों को भूमि या संपत्ति के अधिकारों के आदान-प्रदान या**
  - **व्यापार के लिए सशक्त बनाने हेतु शुरू किए गए कार्यक्रमों को निरूपित करने के लिए किया जाता है।**
- **भारत वर्तमान में अनुमान आधारित भू-स्वामित्व प्रणाली का अनुसरण करता है।**
  - इसका अर्थ यह है कि भूमि रिकॉर्ड को कब्जे की जानकारी के आधार पर बनाए रखा जाता है। कब्जे की जानकारी पिछले लेन-देन के विवरण से तय की जाती है।
  - इसके बाद **वर्तमान कब्जे के आधार पर** ही स्वामित्व की पुष्टि की जाती है।
  - भूमि का पंजीकरण वास्तव में **लेन-देन का पंजीकरण है। बिक्री संबंधी कार्य, विरासत, रेहन और पट्टा आदि के रिकॉर्ड को ऐसे लेन-देन के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है।**
  - पंजीकरण के कागजात रखने का तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें सरकार या भूमि के स्वामित्व की गारंटी देने वाला कानूनी ढांचा शामिल है।
- दूसरी ओर, हाल ही में प्रस्तावित **कनक्लूसिव लैंड टाइटलिंग प्रणाली के तहत दर्ज भूमि रिकॉर्ड भूमि के वास्तविक स्वामी** का विवरण देगा।
  - **राज्य** भू-स्वामित्व पर **गारंटी प्रदान करेगा।** किसी भी विवाद के मामले में मुआवजे के प्रावधान को शामिल किया गया है।
  - एक बार स्वामित्व दिए जाने के बाद, किसी भी अन्य दावेदार को **सरकार के साथ विवादों का निपटारा करना होगा, न कि स्वामित्व धारक के साथ।**
  - इसके अलावा, सरकार **विवादों के मामले में दावेदारों को मुआवजा प्रदान कर सकती है,** लेकिन स्वामित्व धारक को स्वामित्व खोने का कोई खतरा नहीं होगा।

मॉडल कन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग एक्ट में शामिल बिंदुओं पर एक नज़र

- **भूमि प्राधिकरण (Land Authorities):** प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा **भूमि प्राधिकरण** स्थापित किया जाएगा, जो एक स्वामित्व पंजीकरण अधिकारी (TRO) को नियुक्त करेगा।
  - सभी विवादित दावों पर विचार करने एवं उनका समाधान करने के बाद, भूमि प्राधिकरण स्वामित्व का रिकॉर्ड प्रकाशित करेगा।
- **स्वामित्व पंजीकरण अधिकारी (Title Registration Officer: TRO):** TRO के लिए यह आवश्यक है कि वह मौजूदा रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर भू-स्वामित्व के लिए एक मसौदा सूची तैयार करे एवं उसे प्रकाशित करे।
- **भूमि विवाद समाधान अधिकारी (Land Dispute Resolution Officer: LDRO):** TRO को यदि विवादित दावे प्राप्त होते हैं, तो वह सभी संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और समाधान के लिए मामले को LDRO के पास भेजेगा।
- **भू-स्वामित्व अपीलीय ट्रिब्यूनल (Land Titling Appellate Tribunals):** तीन साल की अवधि के अंदर, स्वामित्व और TRO एवं LDRO के निर्णयों को भू-स्वामित्व अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।
- **स्वामित्व का निर्णायक प्रमाण (Conclusive proof of ownership):** तीन वर्षों की अवधि के बाद रिकॉर्ड ऑफ़ टाइटल्स (स्वामित्व के रिकॉर्ड) में दर्ज प्रविष्टियों (Entries) को स्वामित्व का निर्णायक प्रमाण माना जाएगा।
- **अपील (Appeal):** सत्यापन के अंतिम चरण के बाद, अपील केवल उच्च न्यायालयों में ही की जा सकती है।

कनक्लूसिव लैंड टाइटलिंग को लागू करने में चुनौतियां

- **रिकॉर्ड की खराब स्थिति:** कई स्वामित्व हस्तांतरण दस्तावेजों में दर्ज नहीं होते हैं और भूमि पर किए गए बदलाव भी अक्सर दस्तावेज़ों में दर्ज नहीं हो पाते हैं।
- **अलग-अलग लिपियां और भाषाएं:** मौजूदा रिकॉर्ड बिखरे हुए हैं। भूमि संबंधी रिकॉर्ड अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग लिपियों और भाषाओं में रखे जाते हैं। इससे जमीन का भू-स्वामित्व निर्धारित करना कठिन हो जाता है।
- **राज्यों की कमजोर राजकोषीय क्षमता:** स्वामित्व स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में भूमि और संपत्ति के खरीदारों को वास्तव में क्षतिपूर्ति (Underwrite/ हामीदारी) देने के लिए राज्यों के पास आवश्यक राजकोषीय क्षमता नहीं होती है।

[18] Model Conclusive Land Titling Act/ निर्णायक भू-स्वामित्व के लिए मॉडल अधिनियम

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- **पंजीकरण प्रणाली के बारे में स्पष्टता का अभाव:** चूंकि, इसमें यह उल्लिखित या परिभाषित नहीं है कि नई स्वामित्व पंजीकरण प्रणाली क्या होगी। यह केवल यह बताता है कि प्राधिकरण इसे एक अधिसूचना के माध्यम से स्थापित करेगा।
- **राज्य की जवाबदेही का अभाव:** नियुक्त TRO एक गैर-राज्य अधिकारी भी हो सकता है, अर्थात् एक निजी व्यक्ति को भी इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। TRO जवाबदेही को खतरे में डाल सकता है और निजी हितों से प्रेरित होकर हेरफेर के जरिए पूरी प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है।

2.9.2. स्वामित्व योजना (Svamitva Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की एक रिपोर्ट जारी की है। इसे स्वामित्व योजना और ग्रामीण नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है।

स्वामित्व योजना के बारे में

- "स्वामित्व[19]" योजना वस्तुतः **पंचायती राज मंत्रालय (MoPR)** द्वारा शुरू की गई **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
- **उद्देश्य:**
  - **ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में** संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व का निर्धारण करना,
  - ग्रामीण क्षेत्र में घर के मालिकों को **"रिकॉर्ड्स ऑफ़ राइट्स (अधिकार अभिलेख)"** प्रदान करना, जिस पर कानूनी संपत्ति कार्ड (Property Cards) जारी किया जाएगा।

- **योजना में शामिल हैं:**
  - जमीन के मानचित्रण में **ड्रोन तकनीक** का उपयोग करना।
  - **कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम (CORS)** की स्थापना करना:

[19] ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण/ Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas: SVAMITVA

- यह **ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट स्थापित** करने में मदद करता है। इससे सटीक जियो रेफरेंसिंग, ग्राउंड ट्रूथिंग और भूमि के सीमांकन में मदद मिलती है।
- **CORS का विभिन्न क्षेत्रकों में इस्तेमाल होता है,** उदाहरण के लिए- आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया, परिवहन, कृषि, निर्माण एवं नियोजन, परिसंपत्ति प्रबंधन आदि।

- **स्थानिक नियोजन एप्लीकेशन (Spatial Planning Application) 'ग्राम मानचित्र' का विकास** करना। इसके लिए स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों के निर्माण हेतु ड्रोन सर्वेक्षण के तहत बनाए गए डिजिटल स्थानिक डेटा/ मानचित्रों का लाभ उठाया जाएगा। इन स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि ये **ग्राम पंचायत विकास योजना** (GPDP)[20] को तैयार करने में मदद कर सके।
  - "ग्राम मानचित्र" **सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म** है। यह **पंचायत विकास योजना** के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करता है।
- सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में ग्रामीण आबादी को अवगत कराने के लिए **जागरूकता अभियान** चलाया जाता है।

व्यापक क्षेत्रों पर स्वामित्व योजना के प्रभाव की पहचान की गई है

क्षेत्र	वर्तमान परिदृश्य	स्वामित्व योजना कैसे मदद करती है
गांवों के आबादी क्षेत्र के भू-अभिलेखों का निर्माण	• भू-अभिलेखों को अलग-अलग विभागों में रखा जाता है। ये विभाग **एक-दूसरे से अलग होकर कार्य करते** हैं एवं विसंगतियां पैदा करते हैं।	• नक्शे निर्मित किए जाते हैं तथा इन नक्शों के आधार पर **अधिकार अभिलेख** तैयार किए जाते हैं। साथ ही, **भू-स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी** किए जाते हैं।
आबादी संपत्ति का ऋण और अन्य वित्तीय लाभों के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग	• हालांकि, लोगों के पास जमीन और घर हैं, लेकिन ऐसा **कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है** जहां ये अधिकार दर्ज हों। • इस तरह के दस्तावेज के अभाव में बैंक इन्हें जमानत (Security) के रूप में अस्वीकार कर ऋण देने से मना कर देते हैं।	• स्वामित्व योजना ऐसी भूमि की जमानत के आधार पर ऋण प्राप्त करने के लिए एक **"रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स"** प्रदान करती है।
ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति कर संग्रह का प्रबंधन	• संपत्ति के आकार, क्षेत्र और संख्या को दर्शाने वाले **सही संपत्ति रजिस्टरों की कमी के कारण** कर संग्रह की पूरी क्षमता प्राप्त नहीं हो पाती है।	• **डिजिटल संपत्ति रजिस्टर** बनाना, जहां संपत्तियों की पहचान की जाती है और उसे एक विशिष्ट संख्या के साथ चिह्नित किया जाता है। • उपयुक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से **स्वतः कर निर्धारण,** जिसके परिणामस्वरूप शिकायतों में कमी और कर संग्रह में वृद्धि हुई है।
ग्रामीण नियोजन	• **उचित भूमि उपयोग योजना के लिए कोई ढांचा नहीं था।**	• स्वामित्व योजना RADPFI के साथ मिलकर ड्रोन सर्वेक्षणों और फीचर एक्सट्रैक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए भूमि उपयोग की समझ प्राप्त कर **स्थानिक बजटन को सक्षम कर सकती है।**
अन्य एजेंसियों द्वारा भू-स्थानिक अवसंरचना और स्वामित्व योजना के डेटा का उपयोग	• वर्तमान में उपलब्ध डेटा ज्यादातर **रेखाचित्रों (Sketches)** के रूप में है।	• स्वामित्व योजना के तहत डेटा **राष्ट्रीय स्थानिक संदर्भ फ्रेम** (National Spatial Reference Frame) पर उपलब्ध है। समान संदर्भ फ्रेम होने से डेटा एकीकृत करना आसान हो जाएगा और इस डेटा तक अन्य एजेंसियों के लिए बाधा रहित पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी।

[20] Gram Panchayat Development Plan

समिति की सिफारिशें

- **स्वामित्व योजना के तहत तैयार किए जा रहे डेटा को सुरक्षित रखा जाना चाहिए:** इसके लिए **पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) को डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की रक्षा सुनिश्चित** करने हेतु उचित दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए। साथ ही, **डेटा की अखंडता** को बनाए रखने के लिए **डेटा के स्वामित्व का निर्धारण** करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernization Programme: DILRMP) में शामिल करना:** MoPR को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वामित्व योजना के तहत सर्वेक्षण किए गए सभी गांवों को प्राथमिकता के आधार पर DILRMP की कार्य योजना में शामिल किया जाए।
- **यूनीक आइडेंटिफायर:** स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड में एक **QR कोड या कोई अन्य यूनीक आइडेंटिफायर** होना चाहिए। यह संपत्ति कार्ड की प्रामाणिकता को तुरंत सत्यापित करने में सहायक होगा।
- राज्यों को अपनी संपत्ति कर प्रबंधन प्रणाली को अपग्रेड करके इसे स्वामित्व योजना डेटा के साथ एकीकृत करना चाहिए।
- **उद्योगों को डेटा उपलब्ध कराया जाना** चाहिए। इससे वे निकट भविष्य में भू-स्थानिक डेटा (Geospatial Data) का उपयोग कर जमीनी स्तर पर उसका प्रयोग कर पाएंगे।

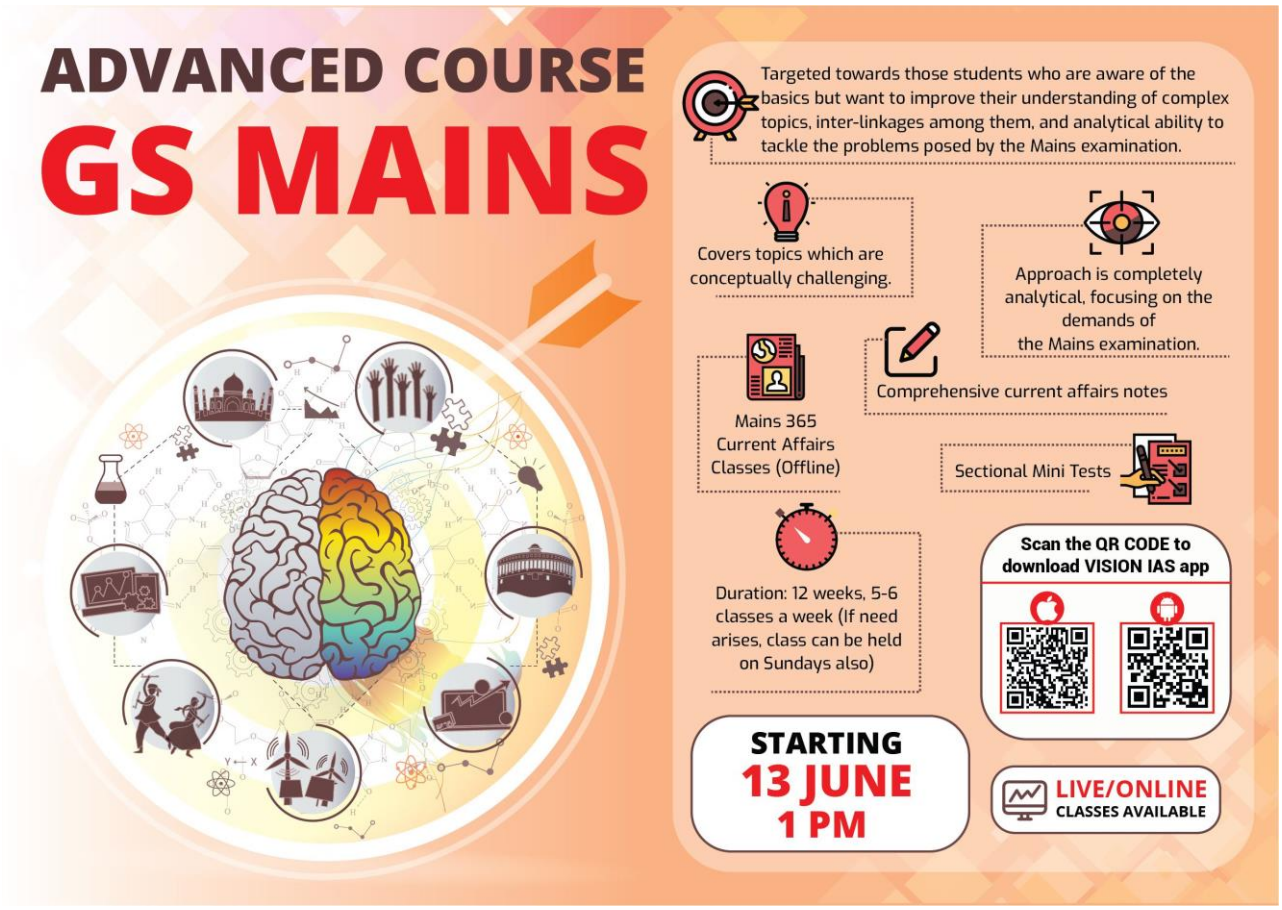

3. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

3.1. सरकारी वित्त (Government Finance)

सरकारी वित्तः एक नज़र में

भारत में सरकारी वित्त की वर्तमान स्थिति

- वित्त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 6.4%
- वित्त वर्ष 2023 के लिए सार्वज. निक ऋण-GDP अनुपात 83.1%
- मार्च 2023 के अंत में राज्यों का संयुक्त ऋण-GDP अनुपात 29.5%
- नियंत्रण से बाहर होने वाले कर्ज से बचने के लिए वित्त वर्ष 2025 तक 60% ऋण-GDP अनुपात (केंद्र सरकार का 40% और राज्यों का संयुक्त ऋण-GDP अनुपात 20%)

मुख्य उद्देश्य

- **स्थिर और संधारणीय विकास को बढ़ावा** देने के लिए उपयुक्त **राजकोषीय नीति** का उपयोग करना।
- देश में **पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली** सुनिश्चित करना।
- समय के साथ **देश के ऋणों का अधिक न्यायसंगत और प्रबंधन–योग्य वितरण करना।**
- लंबे समय में **भारत के लिए राजकोषीय स्थिरता का लक्ष्य रखना और वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को GDP के 4.5% से नीचे लाना।**

योजनाएं / पहलें

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003** में 2019 में संशोधन किया गया।
- राज्यों द्वारा अपनाया गया राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (Fiscal Responsibility Legislation: FRL)।
- **राजकोषीय स्थिरता और विकास परिषद** (FSDC) का गठन।
- RBI द्वारा राज्यों और संघ के लिए अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advance: WMA) की व्यवस्था में विनियामकीय बदलाव लाकर इसका प्रबंधन।

सीमाएं

- वित्तीय संसाधनों के वितरण में **लंबवत असंतुलन** (केंद्र और राज्यों के बीच) और **क्षैतिज असंतुलन** (राज्यों के भीतर)।
- **कमोडिटी की बढ़ती कीमतों और भू–राजनीतिक तनावों ने उच्च मुद्रास्फीति एवं सब्सिडी के बोझ** को बढ़ा दिया है।
- **निम्न कर-GDP अनुपात** FRBM के उद्देश्य को विफल करता है।
- **विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार, लीकेज और निःशुल्क रसद आदि** का मुद्दा।
- महामारी संबंधी अनिश्चितताओं के कारण **राज्य के राजस्व में कमी।**

आगे की राह

- **निजी निवेशकों** तथा बुनियादी ढांचे के वित्त–पोषण के लिए समर्पित संस्थानों **द्वारा वित्त–पोषण।**
- FRBM अधिनियम के अनुसार **राजकोषीय घाटे और ऋण स्तरों का अनुपालन।**
- आउटकम–आधारित बजटिंग, बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से **वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता में सुधार करना।**
- राज्य और नगरीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि के लिए **वित्तीय शक्ति का विकेंद्रीकरण।**
- डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके **सार्वजनिक वित्त को सक्रिय रूप से प्रबंधित करना। इसका उद्देश्य** सार्वजनिक वित्त की प्रशासनिक लागत को कम करना होना चाहिए।
- आर्थिक विकास के साथ राजस्व संग्रह को संतुलित करने के लिए **कर प्रणाली में सुधार करना।**
- **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली** (PFMS) को अपनाना और इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

3.1.1. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

राजकोषीय घाटा: एक नज़र में

किसी वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा अपने **राजस्व (आय) से अधिक व्यय करना राजकोषीय घाटा** कहलाता है।

सकल राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियां + गैर–ऋण सृजनकारी पूंजीगत प्राप्तियां)

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान

स्थिति और उद्देश्य

- महामारी के साल, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 9.2%** के स्तर पर पहुंच गया था।
- वित्त वर्ष 2022–23 में राजकोषीय घाटा कम होकर GDP के 6.4% के स्तर पर आ गया और इसे वित्त वर्ष 2023–24 में 5.9% के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- सरकार का लक्ष्य 2025–26 तक राजकोषीय घाटे के स्तर को GDP के 4.5% तक लाना है।
- राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (GFD), जो महामारी से प्रभावित वर्ष में बढ़कर GDP का 4.1% हो गया था, वित्त वर्ष 2021–22 में घटकर 2.8% हो गया।

राजकोषीय घाटे के लिए उत्तरदायी कारण

- आनुपातिक रूप से कर राजस्व के न बढ़ने पर सरकारी खर्च में वृद्धि होना।
- कर राजस्व या प्राकृतिक संसाधनों से आय में गिरावट से राजस्व में कमी होना।
- मंदी के दौरान आर्थिक गतिविधियों में गिरावट और व्यय में वृद्धि होना।
- युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए खर्च में वृद्धि होना।
- पर्याप्त राजस्व के बिना समाज कल्याण कार्यक्रम।
- सरकारी कर्ज पर ब्याज की उच्च दर होना।

राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए अनुकूल कारक

- पूंजीगत व्यय और सकल कर संग्रह में वृद्धि पर जोर।
- वित्त वर्ष 2022–23 में 16.61 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर संग्रह।
- वित्त वर्ष 2022–23 में सकल GST संग्रह में 22% की वृद्धि।
- कोविड जनित संकट के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से अर्थव्यवस्था में बढ़ता लचीलापन।
- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ विलय से खाद्य और उर्वरक सब्सिडी बिल में कमी।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उच्चतर लाभांश से वित्त वर्ष 2022–23 के लिए विनिवेश जनित राजस्व में कमी की भरपाई।
- RBI द्वारा सरकार को उच्चतर लाभांश का हस्तांतरण।

भारत में राजकोषीय घाटा प्रबंधन

- सरकार के संयुक्त सकल राजकोषीय घाटे में ऐतिहासिक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम पारित किया गया था।
  - FRBM का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को संधारणीय स्तर पर बनाए रखते हुए सार्वजनिक ऋण को व्यावहारिक सीमा के दायरे में रखना है। इससे सरकार को अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है।
- राजकोषीय घाटे में धीरे–धीरे गिरावट सरकार द्वारा परिकल्पित फिस्कल ग्लाइड पथ के अनुरूप है।
- केंद्रीय बजट 2023–24 में, केंद्र सरकार ने GSDP के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी है, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्रक के सुधारों के लिए होगा।
- अधिकांश राजकोषीय घाटे को आंतरिक बाजार उधारी (Internal market borrowing) के माध्यम से वित्त–पोषित किया जाता है और बाहरी उधारी कुल राजकोषीय घाटे का केवल 1% है।

3.1.2. राज्य वित्त (State Finances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने **"राज्य वित्त: 2022-23 के बजट का अध्ययन[21]"** शीर्षक से अपना **वार्षिक प्रकाशन** जारी किया है। इसकी थीम है- **"भारत में पूंजी निर्माण- राज्यों की भूमिका[22]"।**

भारत का राजकोषीय संघवाद और राज्य वित्त

भारत के संविधान में राजकोषीय संघवाद को अपनाया गया है। इसके आधार पर स्थिरता को बनाए रखने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जो कि निम्नलिखित हैं:

- **राजकोषीय समानता (Fiscal Equivalency),** अर्थात् प्रत्येक लोक सेवा (Public Service) के लिए राज्य और केंद्र के अधिकार क्षेत्र को अलग करना। **सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची** के तहत ज़िम्मेदारी के क्षेत्र तय किए गए हैं।
  - उदाहरण के लिए- **राज्य सूची (सूची II) में कृषि, विद्युत, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण** जैसे क्षेत्र शामिल किए गए हैं। साथ ही, विशेष संसाधन जुटाने की शक्तियां (कराधान) देकर उनके वित्त-पोषण के प्रावधान भी किए गए हैं।

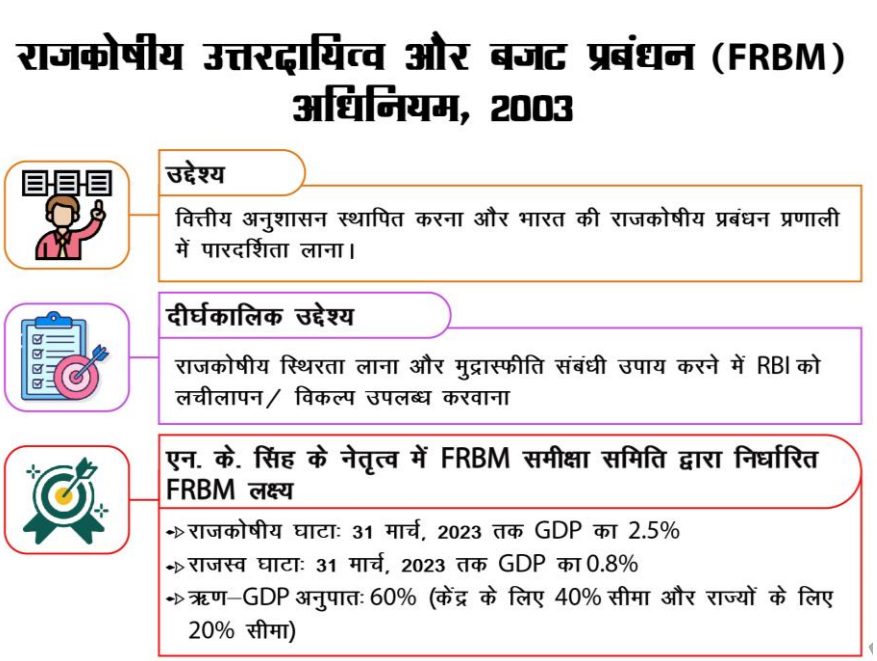

- **समनुषंगिता का सिद्धांत (Principle of Subsidiarity),** अर्थात् सरकार के सबसे निचले स्तर के लिए कार्यों का विभाजन और स्वायत्तता देना। इससे **राजस्व सृजन** और **व्यय दक्षता** को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए-
  - **73वें और 74वें संविधान संशोधनों** द्वारा **11वीं और 12वीं अनुसूची** के तहत क्रमश: **पंचायती राज संस्थाओं (PRIs)[23]** और **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)[24]** को **निश्चित कार्य** सौंपे गए हैं।
- इसके अलावा, संविधान के **भाग XII (अनुच्छेद 268-293)** के अंतर्गत **केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों** से जुड़े प्रावधानों को निम्नलिखित के माध्यम से विस्तृत रूप में शामिल किया गया है:
  - **कर राजस्व का वितरण**,
  - **सहायता अनुदान (Grants-in-Aid)**, जैसे कि **सांविधिक अनुदान (अनुच्छेद 275)** और **विवेकाधीन अनुदान (अनुच्छेद 282),**
  - **वित्त आयोग की सिफारिशों (अनुच्छेद 280)** के आधार पर **कर राजस्व का बंटवारा,** आदि। ये प्रावधान राज्यों को राजस्व के अन्य स्रोतों पर भी निर्भर बनाते हैं।
- उच्च उधारी और ऋण-जाल जोखिमों को दूर करने के लिए, सरकार ने **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM)[25] अधिनियम,** 2003 प्रस्तुत किया था। इन लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारण FRBM अधिनियम को कई बार संशोधित किया जा चुका है।

---

[21] State Finances: A Study of Budgets of 2022-23

[22] Capital Formation in India - the Role of States

[23] Panchayati Raj Institutions

[24] Urban Local Bodies

[25] Fiscal Responsibility and Budget Management

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और भविष्य के प्रति इसके रुझान

- राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की **कुल राजस्व प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद का 14.9%** थीं। इनमें से **55% राजस्व प्राप्तियां स्वयं के करों से थीं।**
- राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का **कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 18.5%** था। इसमें से **राजस्व व्यय 83%** और **पूंजीगत व्यय 17%** था।
- 2020-21 में महामारी जनित तीव्र गिरावट के बाद **व्यापक आधार पर आर्थिक सुधार** के कारण **राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ था।**
  - **2022-23 के बजटीय अनुमानों के अनुसार, उच्च राजस्व संग्रह** के कारण **राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (GFD)[26] 2020-21** के स्तर (यानी **सकल घरेलू उत्पाद के 4.1%)** से घटकर **3.4% के स्तर तक आ सकता** है।
  - **बजट के अनुसार, राज्यों का ऋण 2020-21 में GDP के 31.1% से घटकर 2022-23 में GDP का 29.5% हो जाएगा।** हालांकि इसमें सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी FRBM समीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित **20%** स्तर से अधिक है।

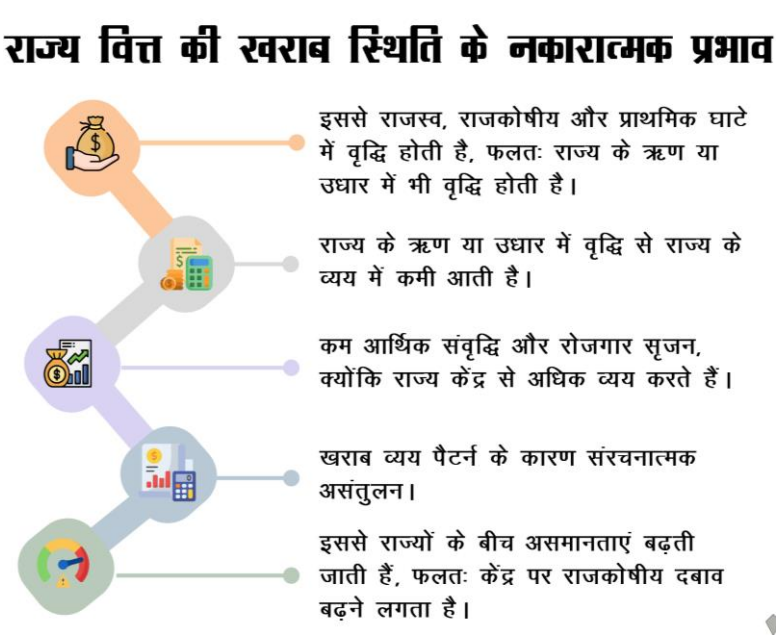

मजबूत राज्य वित्त का महत्त्व

- **संवृद्धि प्राप्त करना:** राज्यों द्वारा सामान्य सरकारी व्यय का 60% वहन किया जाता है। इस प्रकार भारत की व्यापक आर्थिक नीतियों में राज्य का वित्त महत्वपूर्ण हो जाता है।
- **निवेश आकर्षित करना:** कम राजकोषीय घाटे तथा राज्य के ऋण के चलते ब्याज दरों पर दबाव कम होता है, जिससे निवेश में बढ़ोतरी होती है।
  - यह बेहतर **समष्टि आर्थिक स्थिरता**[27] के कारण रेटिंग एजेंसियों द्वारा की जाने वाली **भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग** में सुधार करने में भी मदद कर सकता है।
- **रोजगार सृजन:** मजबूत वित्त सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। यह पूंजीगत व्यय में वृद्धि, अतिरिक्त मांग के निर्माण और रोजगार सृजन में मदद कर सकता है।
- यह अवसंरचना, अनुसंधान एवं विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं पर फोकस के साथ-साथ **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** की प्राप्ति में मदद कर सकता है।

राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए हालिया पहलें

- **"पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता" के लिए योजना:** इसके तहत 50 वर्षों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
- **राज्य सरकार हेतु सुधार से संबद्ध अतिरिक्त ऋण**, विद्युत क्षेत्रक में सुधारों के लिए 0.5% GSDP की अतिरिक्त उधारी की अनुमति देता है।
- **राज्य के ऋण में ऑफ बजट उधारियों को शामिल करना:** इसमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या उनके विशेष प्रयोजन वाहनों (SPVs)[28] के ऋण आते हैं।

राज्य वित्त संबंधी मौजूदा चिंताएं

- **ऊर्ध्वाधर/ लंबवत असंतुलन:** राज्यों को **केंद्रीय हस्तांतरण में अनटाइड फंड्स (कर हस्तांतरण + राजस्व घाटा अनुदान)** का हिस्सा **2015-20 के दौरान 32.4% था जो घटकर** 2021-26 (15वें वित्त आयोग) **के लिए केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों का 29.5% हो गया है।**

[26] Gross Fiscal Deficit

[27] Macroeconomic Stability

[28] Special Purpose Vehicles

- **क्षैतिज असंतुलन:** यानी क्षेत्र-विशिष्ट असमानताओं और विविध सामाजिक-आर्थिक संरचना के कारण संसाधन को जुटाने और उनका व्यय करने में राज्यों की क्षमताएं अलग-अलग हैं।
  - **लोकलुभावन राजकोषीय उपाय** जैसे कि कुछ करों या राज्य-विशिष्ट व्यय योजनाओं को लागू न करना भी इसमें शामिल है।
- राज्यों के व्यय पैटर्न में **प्रतिबद्ध व्यय (Committed Expenditure) का प्रभुत्व होना**, जैसे- ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक सेवाओं हेतु।
  - उदाहरण के लिए- कुछ राज्यों के लिए **पेंशन का राज्य के अपने कर राजस्व के मुकाबले उच्च प्रतिशत होना।**
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं** के कारण राज्यों की व्यय नीतियों पर **केंद्र का प्रभाव बना रहता है।**
- गलत पूर्वानुमानों, उच्च प्रशासनिक लागतों, नवाचार की कमी, आर्थिक उतार-चढ़ाव जैसे मुद्दों के कारण **राज्यों के अपने कर राजस्व (SOTR)[29] में सपाट या मामूली वृद्धि हुई है।**
- स्टेट PSUs के घाटे, उचित प्रयोक्ता प्रभारों की कमी आदि के कारण राज्यों के **स्वयं के गैर-कर राजस्व** अथवा पूंजी निवेश पर मिलने वाले प्रतिफल की संभावना कम हो जाती है।

आगे की राह

- **विधायी सुधार: 15वें वित्त आयोग** और **FRBM समीक्षा समिति की सिफारिशों** के आधार पर FRBM अधिनियम में बड़े बदलावों की आवश्यकता है। इससे अधिक पारदर्शिता और ऋण संबंधी संधारणीयता लाई जा सकेगी।
  - भारत में **FRBM की जगह ऋण प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व को लाया जाना चाहिए। इसके तहत** राजकोषीय नीति के लिए **मध्यम अवधि के एंकर के रूप में सार्वजनिक ऋण-GDP अनुपात का प्रयोग किया जाना चाहिए।**
  - बहु-वर्षीय पूर्वानुमान तैयार करने, राजकोषीय कार्यनीति में परिवर्तन की सिफारिश करने आदि के लिए **राजकोषीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए।**
  - पारदर्शिता और पूर्वानुमान आदि के लिए **नियम-आधारित नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए। इसमें यह पहले से तय होना चाहिए कि** लक्ष्य से विचलन के लिए कौन से आधार स्वीकार्य होंगे।
- **राजकोषीय सुधार:** राज्यों को **राजकोषीय नीतियों** के हिस्से के रूप में ऋण समेकन को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही, राज्यों को इस संदर्भ में, **सार्वजनिक ऋण और आकस्मिक देयताओं तथा उनके जोखिमों की रिपोर्टिंग** पर उचित **मानकों को निर्धारित करना चाहिए।**
- **संस्थागत सुधार:** स्थानीय सरकारों को करों, शुल्कों और अन्य राजस्वों के असाइनमेंट पर निर्णय लेने के लिए **राज्य वित्त आयोगों (SFC)[30]** की समय पर स्थापना करनी चाहिए। स्थानीय निकायों की कार्यात्मक स्वायत्तता को बढ़ाकर सरकार के तीसरे स्तर को मजबूत करना चाहिए।
- **व्यय संबंधी सुधार: पूंजी निर्माण और उत्पादक परिसंपत्तियों** के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जानी चाहिए। सार्वजनिक व्यय में अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा संक्रमण आदि पर व्यय शामिल हैं।

3.1.3. नगर निकायों की वित्त व्यवस्था (Municipal Financing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **नगर निकायों की वित्त व्यवस्था पर एक रिपोर्ट** जारी की है।

नगर निकायों की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण

- **डेटा गैप:** ULBs की राजकोषीय स्थिति के बारे में जानकारी बहुत कम है, क्योंकि-
  - भारत में अधिकांश नगर निगमों की **बैलेंस शीट सार्वजनिक डोमेन में नहीं** हैं,
  - इनमें से कई अब तक **नकदी लेखा प्रणाली (Cash Accounting System) का ही पालन** करते हैं,
  - अधिकतर नगर निगम कानून अनुपालन हेतु **एक समान लेखा मानक का निर्धारण नहीं** करते हैं। इससे सभी राज्य में और यहां तक कि एक राज्य के भीतर भी नगर निगमों का लेखा **काफी हद तक अतुलनीय** बना हुआ है।

[29] States own Tax Revenue

[30] State Finance Commissions

- **कानूनी बाधाएं:** भारत में नगर निकायों को कानून के तहत **संतुलित/ अधिशेष बजट बनाए रखने की आवश्यकता** होती है। इसलिए वे अपने राजस्व के पूरक हेतु पूंजी बाजार का पर्याप्त रूप से दोहन करने में सक्षम नहीं हैं।
- **अप्रभावी संपत्ति कर संग्रह:** भारत में नगर निकायों द्वारा संपत्ति कर का संग्रह OECD[31] देशों की तुलना में बहुत कम है। इसके लिए संपत्ति का कम मूल्यांकन, अपूर्ण रजिस्टर, लंबित मुकदमे जैसे कारक जिम्मेदार हैं।
- **कुछ करों का वस्तु एवं सेवा कर (GST) में शामिल होना:** कुछ कर जो पहले नगर निगमों को प्राप्त होते थे, उन्हें GST में शामिल कर लिया गया है।

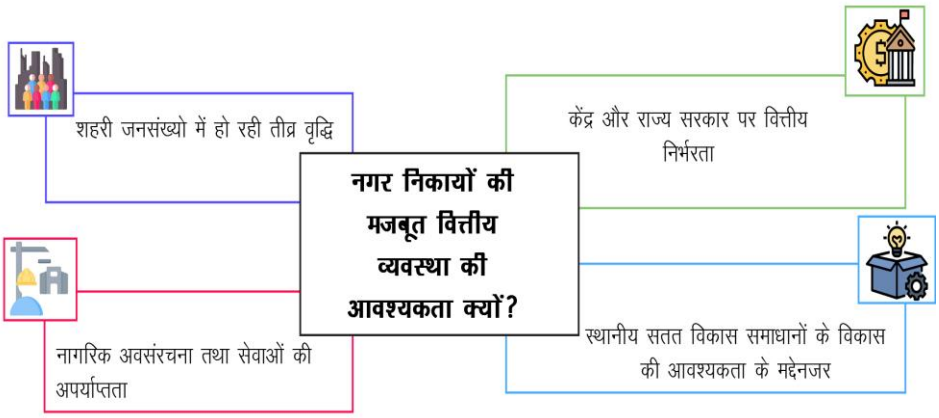

- **राज्य वित्त आयोग (SFC)[32]:** राज्य सरकारों ने नियमित और समयबद्ध तरीके से SFC की स्थापना नहीं की है।
- **प्रारंभिक अवस्था में बॉण्ड बाजार:** इस मामले में नगर निकायों के बॉण्ड्स के लिए एक **द्वितीयक बाजार की कमी** महत्वपूर्ण बाधा रही है। ऐसे में नगर निकायों के बॉण्ड्स के लिए **व्यापक निवेशक आधार नहीं** मिल पाता है।
    - **नगर निकायों के बॉण्ड्स के लिए एक सुविकसित बाजार की अनुपस्थिति** के कारण नगर निगम ज्यादातर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार तथा केंद्र/ राज्य सरकारों से प्राप्त ऋण पर निर्भर रहते हैं।

नगर निकायों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए पहलें

- 15वें वित्त आयोग ने **2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए स्थानीय सरकारों को अनुदान के रूप में 4.36 लाख करोड़ रुपये की सिफारिश** की है। यह स्थानीय निकायों के लिए **अनुशंसित सबसे बड़ा अनुदान** है।
- वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA)[33] ने **बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए म्युनिसिपल बॉण्ड वित्त-पोषण के उपयोग पर दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।
- केंद्र सरकार ने **स्मार्ट सिटीज़** और **अमृत कार्यक्रम** के सुधार एजेंडे में **नगर निगमों की क्रेडिट रेटिंग** शामिल की है।

नगर निकायों के वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम

- **पूंजी बाजार का दोहन:** इसके लिए **ULBs** एक एस्क्रो एकाउंट या स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPVs) या राज्य-संचालित किसी वित्तीय संस्थान की सहायता से बॉण्ड्स जारी कर सकते हैं।
- **ULBs की क्रेडिट रेटिंग:** भारत में, **म्युनिसिपल बॉण्ड बाजार प्रारंभिक अवस्था में है।** इसलिए क्रेडिट रेटिंग नए निवेशकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- **भूमि आधारित वित्त-पोषण:** इसमें शामिल हो सकते हैं:
    - खाली जमीन पर टैक्स (Vacant Land Tax: VLT),
    - इमारतों और भूमि के लिए अलग-अलग संपत्ति कर,
    - स्थानीय सरकारों के साथ स्टाम्प ड्यूटी (राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित) को साझा करना,
    - विकास प्रभाव शुल्क (Development Impact Fees: DIF), भूमि मुद्रीकरण आदि।
- **मानकीकृत लेखांकन:** नगर निकायों के लिए एक दोहरी प्रविष्टि-आधारित लेखा प्रणाली **स्थानीय सरकारी डेटा के समेकन** की सुविधा प्रदान करेगी।
    - पंद्रहवें वित्त आयोग ने अनुदान प्राप्त करने के लिए एक शर्त के रूप में **नगर निगमों के ऑडिटेड एकाउंट्स (लेखापरीक्षित संबंधी लेखा) को ऑनलाइन उपलब्ध कराने** की सिफारिश की है। यह सही दिशा में उठाया गया स्वागत योग्य कदम है।
- **पूल्ड फाइनेंसिंग:** पूंजी बाजार तक छोटे आकार वाले ULBs की पहुंच को पूल्ड फाइनेंसिंग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत कई स्थानीय निकायों के संसाधनों को इकट्ठा करके एक कॉमन बॉण्ड जारी किया जाता है।

[31] आर्थिक सहयोग और विकास संगठन/ Organisation for Economic Co-operation and Development

[32] State Finance Commission

[33] Department of Economic Affairs

पूल्ड फाइनेंसिंग (Pooled Financing)

- **पूल्ड फाइनेंसिंग** में सबसे पहले एक **स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटी (SPFE)** का गठन किया जाता है। इसे एक ट्रस्ट या स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
- **केंद्र सरकार ने 2006 में जमा वित्त विकास निधि योजना (PFDF)**[34] शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य **राज्य स्तरीय पूल्ड वित्त तंत्र** के जरिए शहरी स्थानीय निकायों को उनकी ऋण योग्यता के आधार पर ऋण सुविधाएं प्रदान करना है।

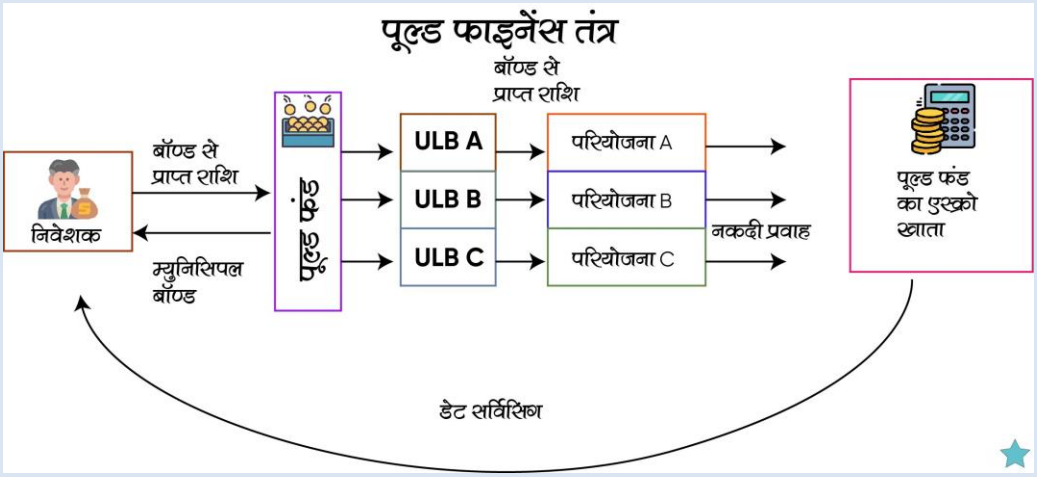

3.1.4. म्युनिसिपल बॉण्ड्स (Municipal Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की एक शाखा **NSE इंडेक्स लिमिटेड** ने भारत के पहले **म्युनिसिपल बॉण्ड इंडेक्स** की शुरुआत की है।

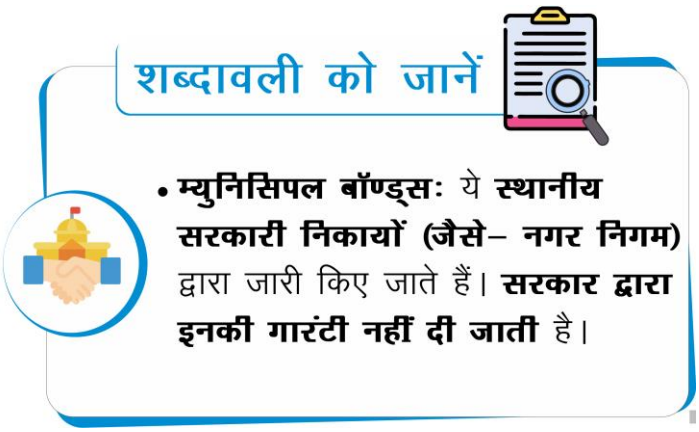

भारत में म्युनिसिपल बॉण्ड बाजार

- भारत में म्युनिसिपल बॉण्ड बाजार को **सेबी द्वारा विनियमित** किया जाता है।
- **वित्तीय प्रोत्साहन:** भारत सरकार ने म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने के लिए एकमुश्त अनुदान सहायता के रूप में प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की है।
- **बड़े पैमाने पर निवेश-ग्रेड रेटिंग:** अब तक जारी किए गए **59% म्युनिसिपल बॉण्ड्स** को निवेश ग्रेड या उससे ऊपर की रेटिंग प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि भारतीय नगरपालिकाओं ने बॉण्ड जारी कर पैसा जुटाने के तरीके का पूरा लाभ नहीं उठाया है।
- **सूचना डेटाबेस:** सेबी ने सांख्यिकी और विनियमों, सर्कुलर आदि के रूप में नगरपालिका बॉण्ड पर एक सूचना डेटाबेस आरंभ किया है।

म्युनिसिपल बॉण्ड के लाभ

- **वित्तीय अनुशासन:** पूंजी बाजार से धन जुटाने से नगर निगमों को नई परियोजनाओं को वित्त-पोषित करने में मदद मिलती है। साथ ही, यह उन्हें **वित्तीय रूप से अनुशासित** बने रहने और गवर्नेंस मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **शहरी वित्त-पोषण की समस्या का समाधान:** म्युनिसिपल बॉण्ड बाजार भारत में विभिन्न नगर निगमों की उधार आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है। साथ ही, यह भारत की शहरी अवसंरचना के वित्त-पोषण में व्याप्त कमी को दूर करने में भी मदद कर सकता है।
- **नगरपालिका द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार:** नगर निगमों द्वारा जारी बॉण्ड्स से प्राप्त फंड्स का उपयोग विकासोन्मुख अवसंरचना परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। इससे नगरपालिका सेवाओं का भी विस्तार होगा।
- **उच्च रिटर्न:** नगर निगमों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरें आम तौर पर समान मैच्योरिटी वाले सरकारी बॉण्ड्स की तुलना में अधिक होती हैं, जबकि सरकारी बॉण्ड्स को सुरक्षित माना जाता है और वहां क्रेडिट जोखिम भी कम होता है।

[34] Pooled Finance Development Fund

भारत में म्युनिसिपल बॉण्ड बाजार के समक्ष बाधाएं

- **आरोपित प्रतिबंध:** भारत में नगरपालिका कानून नगर निगमों को उधार लेने की अनुमति देते हैं, लेकिन उसके लिए संबंधित राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है।
- **द्वितीयक बाजार का अभाव:** नगरपालिका बॉण्ड्स के लिए द्वितीयक बाजार की कमी रही है। इस वजह से ऐसे बॉण्ड्स के लिए अधिक व्यापक निवेशक आधार को आकर्षित करना कठिन रहा है। **खुदरा निवेशकों** के लिए सभी नगरपालिका बॉण्ड्स **उपलब्ध नहीं** होते हैं।

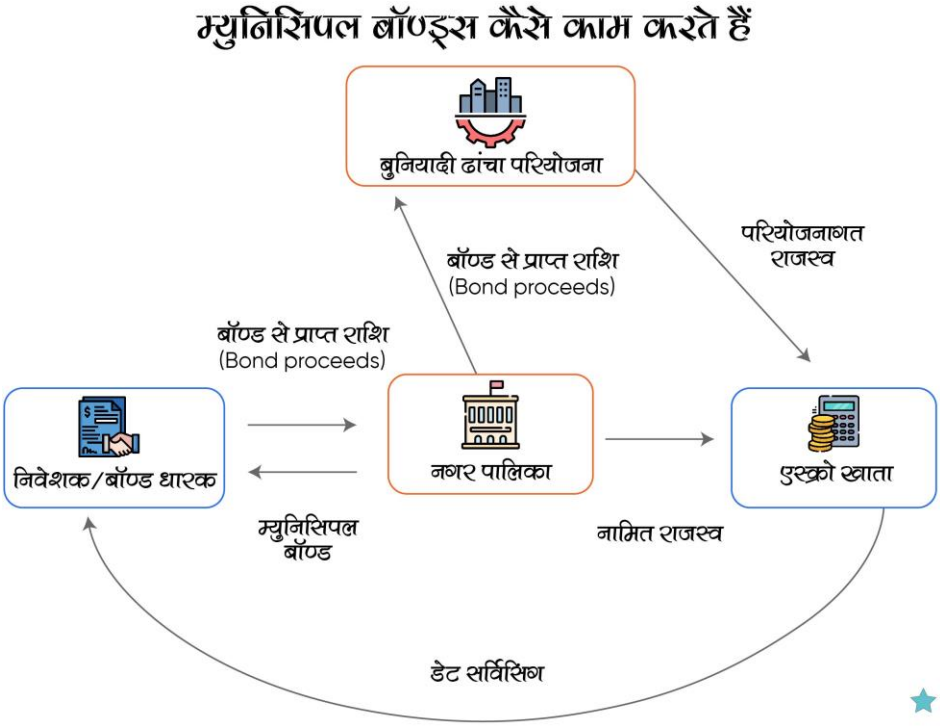

- **कर लाभ का अभाव:** कई पश्चिमी देशों के विपरीत, भारत में ऐसे बॉण्ड्स में निवेश से **कोई विशेष कर लाभ प्राप्त नहीं होते हैं,** उदाहरण के लिए- नगरपालिका बॉण्ड्स से प्राप्त ब्याज आय और पूंजीगत लाभ के एवज में टैक्स देना पड़ता है।
- **ऐसे बॉण्ड्स का हाई फेस वैल्यू (उच्च अंकित मूल्य):** ऐसे बॉण्ड्स का फेस वैल्यू बहुत अधिक होता है। प्रायः ये 10 लाख रुपये के मूल्यवर्ग में आते हैं, जिससे ये खुदरा निवेशकों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं।
- **जोखिम:** ऐसे बॉण्ड्स को आम तौर पर AA-, AA, AA+ या ऐसी निवेश रेटिंग मिलती है, जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी बॉण्ड्स की तरह कम रिस्क वाला नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी बॉण्ड्स को केंद्र सरकार की गारंटी प्राप्त होती है।

आगे की राह

- **निवेश के लिए पूरे नीतिगत परिवेश में सुधार:** यह ठोस और कुशल विनियमन, अधिक पारदर्शिता और बेहतर गवर्नेंस के माध्यम से किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए- म्युनिसिपल बॉण्ड्स रेटिंग के क्षेत्र में प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, इन्हें रिफॉर्म-लिंक्ड वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में केंद्र सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **शुरुआती सफलताओं को लोकप्रिय बनाना:** बॉण्ड जारी करने के हालिया उदाहरणों से पता चला है कि बॉण्ड से जुटाई गई राशि नगर निगमों हेतु संसाधन जुटाने के लिए एक व्यवहार्य विकल्प हो सकती है। इसे निवेशकों और राज्य सरकारों के सामने एक उदाहरण के रूप में पेश किया जा सकता है।
- **द्वितीयक बाजार (Secondary market):** जागरूकता पैदा करके, प्राइमरी डीलर्स को शामिल करके और उससे आगे बढ़कर, इन बॉण्ड्स को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करके म्युनिसिपल बॉण्ड के लिए एक द्वितीयक बाजार विकसित किया जाना चाहिए।
- **खुदरा निवेशकों को आकर्षित करना:** ऐसे बॉण्ड्स के मूल्य को कम रख कर उन्हें खुदरा निवेशकों के दायरे में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए- बॉण्ड के अंकित मूल्य को 10 लाख रुपये के वर्तमान औसत से घटाकर 50,000 से 1 लाख रुपये किया जा सकता है।

3.2. प्रत्यक्ष कराधान (Direct Taxation)

3.2.1. डिजिटल कर (Digital Tax)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, G24 समूह में शामिल भारत समेत अन्य विकासशील देशों ने **डिजिटल सर्विस टैक्स** से संबंधित संप्रभु वचन[35] देने के प्रस्ताव का विरोध किया है। **OECD**[36] के इस प्रस्ताव के तहत देशों से भविष्य में इक्विलाइजेशन लेवी (EL)[37] जैसे किसी भी **डिजिटल सर्विस टैक्स को लागू नहीं करने** की मांग की गई है। भारत और G24 समूह के अन्य देशों के इस कदम से अब "वैश्विक कर समझौते" को लागू करने में देरी हो सकती है।

[35] Sovereign Commitments

[36] आर्थिक सहयोग और विकास संगठन / Organisation for Economic Co-operation and Development

[37] समकारी शुल्क/ Equalisation Levy

अन्य संबंधित तथ्य

- डिजिटल सर्विस टैक्स वस्तुतः **OECD** की **"दो स्तंभों वाली योजना[38]"** का एक हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में सुधार करना तथा अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है। ज्ञातव्य है कि **भारत सहित 137 देशों ने वर्ष 2021 में ही इस योजना पर सहमति** व्यक्त की थी (बॉक्स देखें)।
- **भारत और अन्य विकासशील देशों ने इस प्रावधान पर आपत्ति जताई** है। इनका तर्क है कि यह प्रावधान कानून बनाने के उनके संप्रभु अधिकारों को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित कर देगा।

भारत में डिजिटल टैक्स के बारे में

- डिजिटल वस्तुओं या सेवाओं या डिजिटल कारोबारी गतिविधियों पर लगने वाले कर को डिजिटल टैक्स कहते हैं। यह एक प्रकार का **प्रत्यक्ष कर** है।
- भारत ने वर्ष 2016 में **6% के इक्विलाइजेशन लेवी (अर्थात् डिजिटल टैक्स)** की शुरुआत की थी। इसके तहत ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं तक सीमित विदेशी डिजिटल कंपनियों (जैसे कि गूगल, फेसबुक आदि) पर कर लगाया गया था। इस प्रकार के कर को "डिजिटल ऐड्वर्टायज़िंग टैक्स (DATs) कहा जाता है।
- भारत सरकार ने वित्त अधिनियम, 2020 के माध्यम से भारतीय आयकर अधिनियम के दायरे का विस्तार कर इक्विलाइजेशन लेवी को इसमें शामिल किया। यह 2020 से लागू है। इसे सामान्य रूप से **EL 2.0 (या इक्विलाइजेशन लेवी 2.0)** के नाम से जाना जाता है।
    - इसके तहत अब **विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के व्यापार और सेवाओं पर 2% का डिजिटल सर्विस टैक्स (DST) या EL लगाया जा रहा है।** इन कंपनियों में अमेज़न, वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट और 2 करोड़ या उससे अधिक की वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियां शामिल हैं।
- डिजिटल सर्विस टैक्स का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय डिजिटल बाजार से अर्जित राजस्व पर विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाता उचित कर का भुगतान करें।

OECD की दो स्तंभों वाली योजना (OCED's Two Pillar Plan) के बारे में

- **स्तंभ 1 - कर अधिकारों का पुनर्वितरण[39]:** यह MNEs द्वारा अर्जित लाभ पर कर के रूप में उस देश की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है, जहां ऐसी कंपनियां अपने उत्पादों का विक्रय तथा सेवाएं प्रदान करती हैं।
- **स्तंभ 2 - ग्लोबल एंटी-बेस एरोजन मैकेनिज्म[40]:** यह वर्ष 2023 से, वैश्विक स्तर पर 750 मिलियन यूरो से अधिक के राजस्व वाली बड़ी MNEs पर 15% का न्यूनतम वैश्विक निगम कर (GMCT)[41] निर्धारित करता है।
    - G20 और OECD देशों द्वारा एक **ग्लोबल मिनिमम टैक्स** (न्यूनतम वैश्विक कर) पर सहमति व्यक्त की गई है। **ग्लोबल मिनिमम टैक्स** को **ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट (GMCTR)** के नाम से भी जाना जाता है। GMCTR वस्तुतः BEPS[42] के समावेशी फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है।

डिजिटल टैक्स को लागू करने के पक्ष में तर्क

- **अप्रासंगिक कानूनों की खामियों को दूर करना:** वर्तमान में प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू, दोनों प्रकार के कर संबंधी विनियमों का निर्माण दशकों पहले परंपरागत आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रख कर किया गया था।
- **अंतर्राष्ट्रीय कर कानून:** इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कानून में सुधार करना है। इससे जहां डिजिटल कंपनियां अपनी आर्थिक गतिविधियां संपन्न करती हैं, वहीं ऐसी कंपनियों पर कर लगाया जा सकेगा।
- **डिजिटल कंपनियों के कारोबार में वृद्धि:** मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में तेजी से बदलाव हो रहा है। इसलिए डिजिटल कंपनियों के लिए भारत जैसे बड़े बाजार, ऐसी कंपनियों के राजस्व या लाभ अर्जन पर कर लगाने की मांग करते रहे हैं।
- **न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा:** इक्विलाइजेशन लेवी से न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होती है। इसके तहत डिजिटल कारोबार के माध्यम से भारतीय बाजारों में प्रभुत्व वाली कंपनियों पर सरकार कर लगाने में सक्षम होगी।
- **एक-समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना:** यह भारतीय कंपनियों और विदेशी कंपनियों या भारत में बिना भौतिक मौजूदगी वाली कंपनियों द्वारा संचालित ई-कॉमर्स गतिविधियों के संबंध में एक-समान प्रतिस्पर्धी सुनिश्चित करता है।

[38] OECD's Two-Pillar Plan

[39] Pillar One i.e., Reallocation of Taxing Rights

[40] Pillar Two i.e., Global anti-base erosion mechanism

[41] Global Minimum Corporation Tax

[42] आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण/ Base Erosion and Profit Shifting

डिजिटल टैक्स से जुड़ी चुनौतियां

- **प्रतिकारी प्रशुल्क (Retaliatory Tariffs):** संयुक्त राज्य अमेरिका के USTR (US Trade Representative) द्वारा की गई जांच में डिजिटल सर्विस टैक्स को **एक पक्षपाती कदम माना गया है।** इसके बाद अमेरिका द्वारा घोषित **प्रतिकारी प्रशुल्क** (बदले की भावना से लगाया गया शुल्क) से "डिजिटल व्यापार युद्ध" का खतरा पैदा हो सकता है।
- **डेटा भंडार करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी:** सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती जटिलता के कारण डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनियों द्वारा अत्यधिक मात्रा में सीमा-पार डेटा को भंडारित और उनका उपयोग करना सरल हो गया है।
  - इसके चलते डिजिटल उत्पादों और सेवाओं से होने वाले डेटा सृजन से उत्पन्न मूल्य पर कराधान का मुद्दा सामने आता है।
- **उपभोक्ताओं पर बोझ:** विशेषज्ञों के अनुसार, इन करों के भार को उपभोक्ताओं पर थोपा जा सकता है। हालांकि, इसको प्रत्यक्ष रूप से भारतीय उपभोक्ताओं से नहीं वसूला जा सकता है, बल्कि इसके तहत कंपनियां अपने **उत्पादों और सेवाओं के मूल्य को बढ़ा सकती हैं।** इसलिए, हो सकता है कि उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं के लिए अधिक मूल्य देना पड़े।
- **आम-सहमति का अभाव:** किसी सेवा के संबंध में कर अनुपालन (Tax Compliance) से उत्पन्न विवाद या उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करने के लिए **मध्यस्थता (Arbitration)** जैसी विवाद समाधान प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इस संबंध में अलग-अलग देशों में आम-सहमति का अभाव ऐसे उपायों को साकार करने में एक प्रमुख बाधा है।

आगे की राह:

- **समन्वय**: इससे संबंधित दिशा-निर्देशों को तैयार करने और डिजिटल कर को लागू करने से उपजने वाले विवादों के समाधान हेतु एक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। इसके लिए देशों के मध्य समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **नया मॉडल:** वर्तमान में एक विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में ही कर आरोपित किया जाता है। यह मॉडल, किसी व्यवसाय के एक स्थायी जगह पर होने की धारणा पर आधारित है। इस चुनौती का समाधान करने के लिए, देशों ने कर के नए आधार का सुझाव दिया है। ऐसे में किसी देश में उपभोक्ताओं की संख्या इस समस्या का हल कर सकती है।
- **द्विपक्षीय संधि:** दोहरे कराधान की समस्या का समाधान करने के लिए घरेलू (आंतरिक) कर कानून की जगह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कर संधियों पर पुनः समझौता करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

वैश्विक स्तर पर विद्यमान वर्तमान आर्थिक माहौल में देश अपने कर-संप्रभुता संबंधी अधिकारों के अनुसार नीति निर्धारित करना चाहते हैं। ऐसे समय में कर संबंधी संधियों के दायरे के बाहर, डिजिटल सर्विस टैक्स एक अंतरिम विकल्प प्रदान करता है। यह पहले कर के दायरे से बाहर रहने वाली आय पर कर लगाने का एक विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार यह इस समस्या के अंतिम और व्यापक समाधान तक पहुंचने का अवसर उपलब्ध कराता है।

3.2.2. ट्रांसफर प्राइसिंग (Transfer Pricing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले से भारत में ट्रांसफर प्राइसिंग (अंतरण मूल्य निर्धारण) संबंधी विवादों को हल करने के दृष्टिकोण को बदल दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले को खारिज कर दिया है।** हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी मामलों में ITAT द्वारा आर्म्स लेंथ प्राइस (ALP)[43] का निर्धारण अंतिम होता है और इसे न्यायिक जांच के अधीन नहीं लाया जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने **यह फैसला सुनाया है कि** आयकर अधिनियम में शामिल **ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी प्रावधानों के दायरे से बाहर निर्धारित किसी भी ALP** को **'विकृत (अन्यायपूर्ण)'** माना जा सकता है और ऐसे मामलों में अधिकरण का निर्णय अंतिम नहीं होगा।

[43] Arm's Length Price

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- ऐसे मामलों में भारतीय राजस्व अधिकारी (IRA) और करदाता दोनों ITAT के निर्णय के बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं।

- सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कर संबंधी अन्य मुद्दों के समान ही भारत में ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी मुद्दों को भी फिर से सुर्ख़ियों में ला दिया है।

ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में

- ट्रांसफर प्राइसिंग **लेखांकन की एक विधि** है। इसकी सहायता से बड़े-बड़े उद्यमों या कंपनियों के अलग-अलग अंगों, जैसे- **डिवीजनों, सहायक कंपनियों या संबद्ध कंपनियों के बीच आदान-प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों का निर्धारण** किया जाता है। सरल शब्दों में, जब किसी एक कंपनी का कोई एक डिवीजन उसी कंपनी के किसी दूसरे डिवीजन से वस्तु या सेवा की खरीद या बिक्री करता है तो उनके बीच कोई कैश ट्रांसफर नहीं होता है, बस उसे अकाउंट में चढ़ा दिया जाता है। इसे ही इनकम टैक्स की भाषा में "ट्रांसफर प्राइसिंग" कहते हैं।
- सामान्यतः, **कंपनियां** अपनी पैरेंट कंपनी के **समग्र कर बोझ को कम करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का उपयोग** करती हैं।
  - ट्रांसफर प्राइसिंग को अक्सर कम टैक्स वाले देशों में स्थित सहायक/ अनुषंगी कंपनियों से कम कीमत (लाभ में वृद्धि) वसूल कर और **हाई टैक्स रेट वाले देशों में स्थित सहायक/ अनुषंगी कंपनियों (लाभ को कम करने)** से अधिक कीमत वसूल कर पूरा किया जाता है। अक्सर कंपनियां टैक्स के ऊंचे रेट वाले देश से कम टैक्स वाले देश में इनकम का ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग करती हैं।

आइए एक उदाहरण के जरिए ट्रांसफर प्राइसिंग को समझते हैं, जिसका उपयोग अक्सर कर के भार को कम करने के लिए किया जाता है-

- मान लीजिए कि एक वाहन विनिर्माता कंपनी के दो डिवीजन हैं: डिवीजन A, जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है और डिवीजन B, जो कि कारों का विनिर्माण करती है।
- **डिवीजन A,** डिवीजन B की तुलना में **एक हाई टैक्स रेट वाले देश में स्थित है।**
- **डिवीजन A** बाजार मूल्य का उपयोग करने के बजाय डिवीजन B को कम कीमत पर सॉफ्टवेयर बेचने का फैसला करती है। ऐसे में कम कीमत रखने के चलते **डिवीजन A** की बिक्री या आय कम हो जाती है। इसके कारण **डिवीजन A** को कर भी कम चुकाना पड़ता है।
- दूसरी ओर, **डिवीजन B** ने जो सॉफ्टवेयर खरीदा, उसके लिए उसे कम पैसा चुकाना पड़ा। इससे **डिवीजन B** के लाभ में वृद्धि होती है, जिसके कारण उसे **अधिक टैक्स** देना पड़ता है। हालांकि, वास्तव में ऐसा नहीं होता है क्योंकि **डिवीजन B** कम टैक्स रेट वाले देश में स्थित है।
- इस प्रकार, ट्रांसफर प्राइसिंग की सहायता से पैरेंट कंपनी **डिवीजन A को कम लाभदायक** और **डिवीजन B को अधिक लाभदायक** बनाकर **टैक्स की बचत** कर सकती है।

आर्म्स लेंथ सिद्धांत (Arm's Length Principle: ALP) के बारे में

- ALP पर **सभी OECD सदस्य देशों ने सहमति व्यक्त की** है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कराधान में **बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कर प्रशासन द्वारा उपयोग के लिए एक निष्पक्ष दिशा-निर्देश** के रूप में अपनाया गया है।
- इसका अर्थ यह है कि एक कंपनी द्वारा अपनी सहायक या संबद्ध कंपनी/ इकाई से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत वैसी ही होनी चाहिए, जैसा किसी और कंपनी से खरीदते समय भुगतान किया जाता। इसे आर्म्स लेंथ प्राइस कहा जाता है।
  - इस सिद्धांत के अनुसार, भले ही पक्षकार एक-दूसरे से संबद्ध कानूनी संस्थाएं हैं, फिर भी उनके बीच होने वाले **लेन-देन के लिए किसी भी तरीके से मूल्य को कम या एडजस्ट नहीं किया जाना चाहिए या कोई विशेष शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए।**

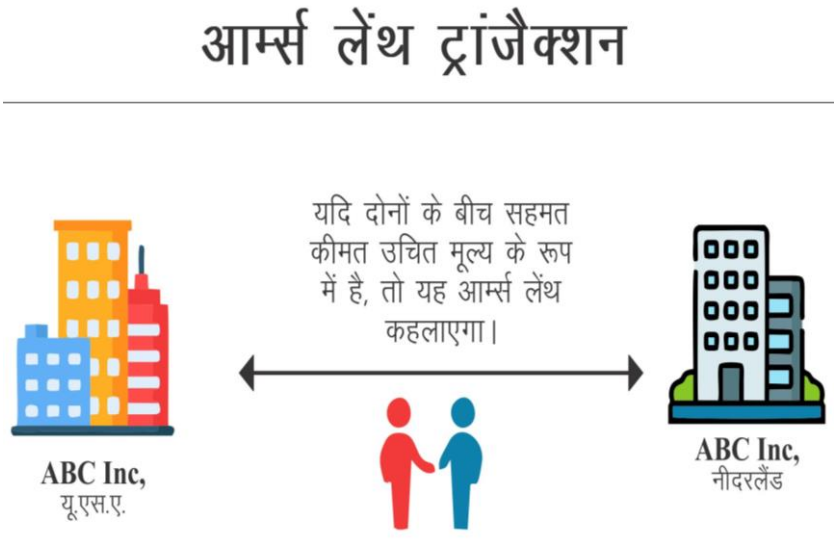

- इसका **उद्देश्य कर आधार के क्षरण** या कम टैक्स वाले देशों/ क्षेत्राधिकारों में **लाभ को ट्रांसफर करने पर रोक लगाना** है।

3.3. परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रक की इकाइयों की भूमि और गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों[44] के मुद्रीकरण में तेजी लाने के लिए **राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC)[45] की स्थापना की है।**

परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बारे में

इसे **परिसंपत्ति या पूँजी पुनर्चक्रण** के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत कम या बिना उपयोग वाले या बेकार पड़े सार्वजनिक संपत्तियों को किराये या पट्टा पर देकर राजस्व के नये स्रोतों का सृजन किया जाता है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)[46] के तहत, वित्त वर्ष 2020 से लेकर वित्त वर्ष 2025 के दौरान, बुनियादी ढांचे में 111 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश किया जाना है। इसके **15-17% हिस्से को परिसंपत्ति मुद्रीकरण** के माध्यम से पूरा किये जाने का अनुमान है।

- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2021-22 से 2024-25 तक चार वर्ष की अवधि के दौरान **प्रमुख परिसंपत्तियों के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपये के सकल मुद्रीकरण का अनुमान** है।
  - इसका लगभग **83% हिस्सा शीर्ष पांच क्षेत्रकों** (सड़क, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन और दूरसंचार) से आएगा।
- परिसंपत्ति मुद्रीकरण 'निजीकरण' और 'घाटे में संपत्ति की बिक्री' से अलग है। इसके तहत **निजी क्षेत्रक** के साथ एक संरचित साझेदारी (Structured Partnership) की जाती है, और इसे कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है।

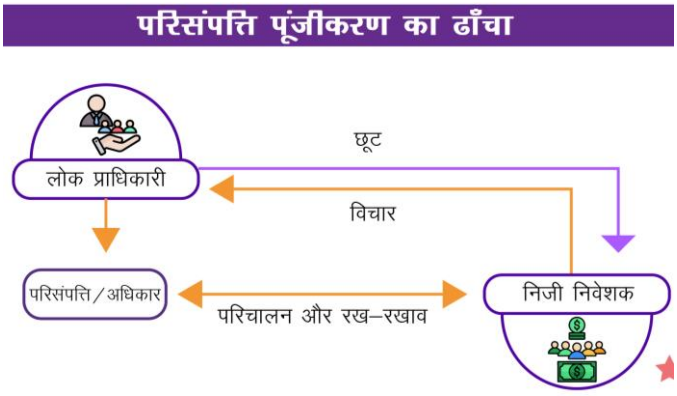

परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लाभ

भारत में अवसंरचना का विकास मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्रक या सरकारी वित्त पोषण द्वारा हो रहा है। निजी क्षेत्रक और ऋण देने वाली संस्थाओं की मुख्य रुचि ग्रीनफील्ड (नई) अवसंरचना के विकास में है। लेकिन, परियोजना मंजूरी में देरी, वित्त पोषण संबंधी अन्य मुद्दों आदि के कारण इनमें अपेक्षित निवेश नहीं हो पा रहा है।

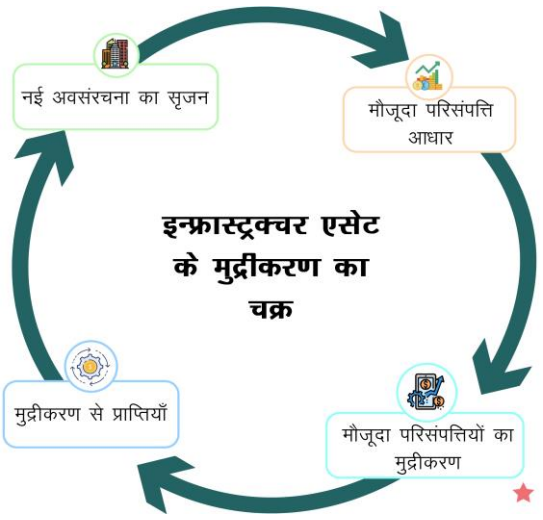

दूसरी ओर, परिसंपत्ति मुद्रीकरण मुख्य रूप से ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों से संबंधित है और यह निम्नलिखित में सहायता करता है-

- **अवसंरचना निवेश में वृद्धि के लिए दीर्घावधिक पूंजी** उपलब्ध कराने वाले विविधतापूर्ण विकल्पों के माध्यम से **संसाधन जुटाने में।**
  - यह कोविड-19 के बाद विकास की गति को बहाल करने में **महत्वपूर्ण भूमिका** निभा सकता है।
- संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से कंपनियों के साथ-साथ उनमें महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाली सरकार के लिए अधिक वित्तीय लाभ और मूल्य वर्धन सुनिश्चित करने में।

[44] Non-Core Assets

[45] National Land Monetisation Corporation

[46] National Infrastructure Pipeline

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- इससे वर्तमान में, इष्टतम उपयोग नहीं की गई अवसंरचना का **कुशल संचालन और प्रबंधन** किया जा सकेगा। यह निजी क्षेत्रक की बेहतर परिचालन दक्षता के कारण संभव हो पाएगा।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण में चुनौतियां

वित्तीय चुनौतियां	• निवेशकों को आकर्षित करने और बोली लगाने में उनकी रुचि बनाए रखने के लिए सतत और सुदृढ़ परिसंपत्ति पाइपलाइन की उपलब्धता नहीं है। • विभिन्न अवसंरचना परिसंपत्तियों में पहचान योग्य राजस्व विकल्पों और राजस्व हस्तांतरण तंत्र का अभाव है। • सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं को निजी निवेशकों को लीज़ पर देने के कारण उपभोक्ताओं के लिए उन सेवाओं की कीमतें ऊँची हो सकती हैं।
नियामकीय चुनौतियां	• क्षेत्र-आधारित स्वतंत्र नियामकों की कमी है, जो समर्पित कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान कर सकें और साथ ही साथ इस क्षेत्रक के विकास में सहायता कर सकें। • कानूनी अनिश्चितता और बड़े बॉण्ड बाजार की अनुपस्थिति जैसी संरचनात्मक समस्याएं हैं, जो अवसंरचना में निजी निवेश को बाधित करती हैं। • अक्षम विवाद समाधान तंत्र।
अन्य चुनौतियाँ	• बड़ी परिसंपत्तियों के स्वामित्व के बावजूद राज्यों की भागीदारी का अभाव; • कोविड-19, जलवायु संबंधी आपदाओं और औद्योगिक क्रांति 4.0 के तहत आर्थिक परिवर्तन के कारण अनिश्चितताएं, • राजनीतिक प्रभाव और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चिंताएं।

आगे की राह

क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं के साथ **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP),** निजी क्षेत्र से धन जुटाने की योजना बनाने में सहायता करने की दिशा में पहला कदम है। इसमें संभावित वित्तपोषण के अवसर हैं। अन्य कदम जो चुनौतियों से निपटने और परिसंपत्ति मुद्रीकरण का लक्ष्य पूरा करने में मदद कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं:

- परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना का **उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना:**
  - भूमि और अन्य गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का कुशलतापूर्वक मुद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए वांछित कौशल के साथ सार्वजनिक प्राधिकरणों के बीच **क्षमता और विशेषज्ञता का निर्माण किया जाए।**
  - अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की रुचि सुनिश्चित करने के लिए **निगरानी समिति** के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, परिसंपत्तियों का **व्यवस्थित और पारदर्शी आवंटन किया जाए।**
- उच्च संवृद्धि और रोजगार के लिए उच्च पूंजी निवेश सुनिश्चित करने हेतु संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। इसके लिए परिसंपत्तियों का लाभ उठाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथ मिलकर काम किया जाना चाहिए।
- गुणवत्ता मानदंड स्थापित करने के लिए **उचित ब्राउनफील्ड मॉडल और ढांचा विकसित करना:**
  - अप्रत्याशित घटनाक्रमों से निपटने के लिए **अनुबंधों में लचीलापन लाना।**
  - अनावश्यक और लंबी मुकदमेबाजी से बचने के लिए **मजबूत विवाद समाधान तंत्र (PPP पर** केलकर समिति द्वारा भी अनुशंसित) स्थापित करना।
- गैर-प्रमुख क्षेत्रक के लिए InvITs और REITs (SEBI के अधीन) जैसे नवाचारी तरीकों के साथ और साथ ही वैश्विक पेंशन फंड, संप्रभु वेल्थ फंड और खुदरा निवेशकों जैसे विभिन्न निवेशक वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **मजबूत नियामकीय ढांचा।**
  - उदाहरण के लिए- पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (PGInvIT) की सफलता।

3.4. क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)

क्रिप्टोकरेंसी: एक नज़र में

क्रिप्टोकरेंसी के बारे में

- क्रिप्टोकरेंसी (बिटकॉइन, इथीरियम आदि) वस्तुतः क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित एक डिजिटल या आभासी मुद्रा होती है। यूनिट्स के सृजन को विनियमित करने और धन के हस्तांतरण को सत्यापित करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- प्रत्येक क्रिप्टोकरेंसी का नियंत्रण ब्लॉकचेन नामक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक के माध्यम से किया जाता है। ये केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी के लाभ

- **बिचौलिए की आवश्यकता को समाप्त करने से** लेन–देन की लागत में काफी कमी और लेन–देन की गति में वृद्धि होती है।
- क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन के माध्यम **भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा बढ़ती** है, जिससे साइबर खतरों के जोखिम में कमी आती है।
- बेहतर पारदर्शिता के कारण **गड़बड़ी की संभावना भी लगभग नगण्य** होती है।
- बैंकिंग अवसंरचना की आवश्यकता नहीं होती है और यह वित्त तक असमान पहुंच से संबंधित मुद्दों का समाधान कर सकती है। इस प्रकार यह **वित्तीय समावेशन में सहायता करती है।**
- **तकनीकी उन्नति के माध्यम** से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे साधनों को संभव करके **व्यवसायों को मजबूत** बनाती है।
- **इसमें आर्थिक क्षेत्र के बाहर उपयोग की उच्च क्षमता होती है** यानी सामाजिक क्षेत्र में कलाकारों के लिए एक मंच के रूप में।

क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित चिंताएं

- एक वैकल्पिक मुद्रा की मौजूदगी में मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रास्फीति जैसे **समष्टि आर्थिक चरों को नियंत्रित करना।**
- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त–पोषण जैसी **आपराधिक गतिविधियों में प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग।**
- अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी को मूल्य और ट्रेडिंग वॉल्यूम की उच्च अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।
- किसी केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण **कर चोरी और कर परिहार।**
- हैकर्स और हानि पहुँचाने वाले उपयोगकर्ताओं से संबंधित **साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे।**
- सीमित वित्तीय समावेशन और तकनीकी पहुंच के कारण **डिजिटल मुद्रा की मौजूदगी एक नया आर्थिक–विभाजन पैदा कर सकती है।**
- क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग **कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का एक प्रमुख कारक** बन सकता है।

भारत में वर्तमान स्थिति

- भारत ने आभासी डिजिटल संपत्तियों (क्रिप्टोकरेंसी, NFT आदि) पर एक कराधान योजना शुरू की है, लेकिन उनके विनियमन पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है।
- साथ ही, क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक, 2021 को शीतकालीन सत्र (2021) में सूचीबद्ध किया गया था।

आगे की राह

- समष्टि–अर्थव्यवस्था (मैक्रो–इकोनॉमी) में सटीक हस्तक्षेप करने और भुगतान प्रणाली की दक्षता बढ़ाने में मदद करने के लिए **केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDCs) के विचार की संभावनाओं को तलाशना चाहिए।**
- समय के साथ विकसित होने और संबंधित समस्याओं का समाधान करने वाले विनियामकीय दृष्टिकोण को अपनाकर विनियामक सैंडबॉक्स में महारत हासिल करना चाहिए।
- नियामकों को अपने निवेशक सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- वित्तीय साक्षरता में सुधार, डिजिटल पहुँच को बेहतर करके और साइबर सुरक्षा पारितंत्र को मजबूत करके **डिजिटल वित्त को अपनाने के लिए एक पारितंत्र तैयार करना चाहिए।**
- **नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्रक को शामिल करना चाहिए।**
- **डिजिटल युग के लिए एक कुशल मौद्रिक नीति विकसित करना चाहिए।**
- **वित्तीय स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को बनाए रखना चाहिए।**

3.4.1. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (Central Bank Digital Currency: CBDC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने **केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) पर एक पायलट प्रोजेक्ट** शुरू किया है। इस संबंध में CBDC पर एक **कॉन्सेप्ट नोट** भी जारी किया गया है।

कॉन्सेप्ट नोट द्वारा प्रस्तावित डिजिटल रुपया

- इस **कॉन्सेप्ट नोट** में "बैंक नोट" शब्दावली की परिभाषा में डिजिटल रुपये को शामिल करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।
- कॉन्सेप्ट नोट के अनुसार, डिजिटल रुपये का डिजाइन परिस्थितियों और आवश्यकता के आधार पर तय किया जाएगा, ताकि यह वित्तीय एवं मौद्रिक स्थिरता के लक्ष्यों के अनुकूल हो।
- **तदनुसार**
  - **CBDCs को दो रूपों में लाया जा सकता है:**
    - **CBDC-खुदरा:** यह संभवतः सभी निजी क्षेत्रक, गैर-वित्तीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होगी।
    - **CBDC-थोक:** यह सभी के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इसे वित्तीय संस्थानों के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया जाएगा।
  - **ई-रुपी** को **'टोकन आधारित' या 'खाता-आधारित'** बनाया जा सकता है।
    - **टोकन-आधारित CBDC** बैंक नोट्स की तरह **धारक विपत्र/ लिखत (Bearer Instrument)** होगी। इसका आशय यह हुआ कि टोकन धारक को ही उसका स्वामी माना जाएगा।
    - **खाता-आधारित प्रणाली** के तहत CBDC के सभी धारकों के **बैलेंस और लेन-देन के रिकॉर्ड को रखना अनिवार्य होगा।**

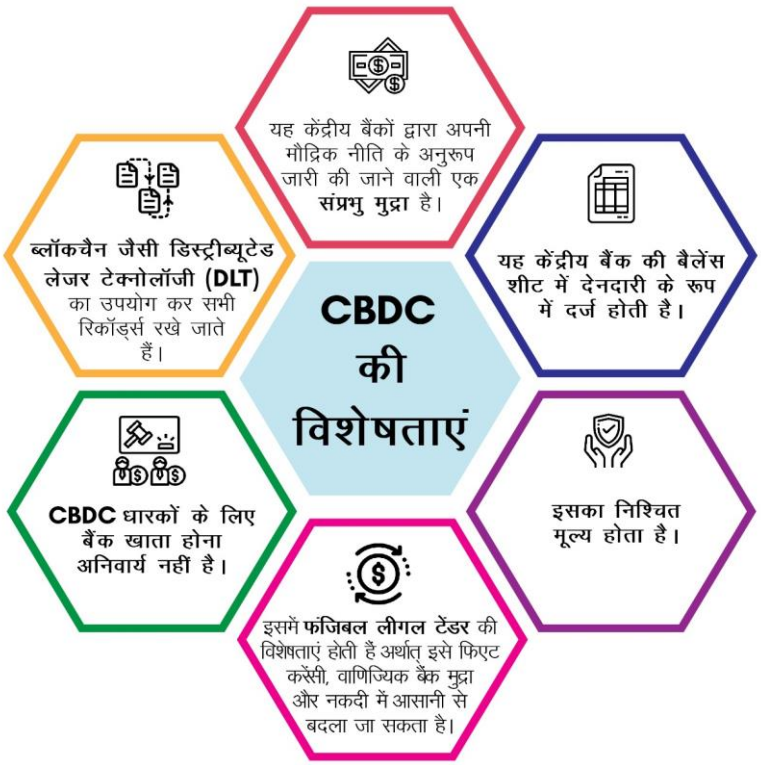

  - **नियंत्रित गोपनीयता के सिद्धांत** का पालन किया जा सकता है। करेंसी के छोटे लेन-देन में गोपनीयता या अनामिता (बेनामी) बनाई रखी जा सकती है। वहीं बड़े लेन-देन के मामलों में इसे ट्रेसेबल बनाया जा सकता है अर्थात् करेंसी के स्रोत का पता लगाया जा सकता है। यह भौतिक नकदी से जुड़ी **अनामिता** के समान होगी।
  - **भारत में CBDC टू-टियर वाले इनडायरेक्ट मॉडल पर आधारित होगी** (विवरण के लिए इन्फोग्राफिक देखें)।
  - **CBDC गैर-लाभकारी होगी,** अर्थात् इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

CBDC के बारे में

- RBI के अनुसार, CBDC **केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की गई एक वैध मुद्रा है।**
- इसे देश की **फिएट करेंसी (सरकार द्वारा जारी मुद्रा)** के तय मूल्य से जोड़ दिया जाता है। साथ ही यह बैंक नोट के मौजूदा भौतिक स्वरूप को डिजिटल रूप प्रदान करती है **(वित्त विधेयक 2022)।**

भारत में CBDC शुरू करने के पीछे तर्क

- **भौतिक नकदी के प्रबंधन से जुड़ी लागत में कमी करना: CBDC से परिचालन लागत,** जैसे- छपाई, भंडारण, परिवहन आदि से संबंधित लागतों में कमी आती है।
- **कम नकदी आधारित अर्थव्यवस्था बनने के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना:** CBDC सरकार द्वारा जारी संप्रभु करेंसी है, इसलिए इससे डिजिटल भुगतान को और भी बढ़ावा मिलेगा।

- **भुगतान में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और नवीनता लाने में सहायक:** CBDC भुगतान में लचीलेपन को बढ़ा सकती है। यह भुगतान संबंधी विकल्पों में विविधता भी ला सकती है।
  - उदाहरण के लिए- CBDCs भारत में किसानों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के लिए किए जाने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के सुचारू कार्यान्वयन में सहायक हो सकती हैं। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा भी मिलेगा।
- **सीमा-पार लेन-देन में सुधार करना:** CBDCs से सीमा-पार लेन-देन करने में तेजी आ सकती है। इनसे टाइम जोन, विनिमय दर में अंतर, अलग-अलग देशों की विनियामकीय आवश्यकताओं से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को दूर करने में मदद मिल सकती है।
- **वित्तीय समावेशन में मदद करना:** CBDC की विशेषताओं में ऑफ़लाइन भुगतान, यूनिवर्सल एक्सेस डिवाइसेज़, अलग-अलग उपकरणों के प्रति इसकी कंपैटिबिलिटी आदि शामिल हैं। इन विशेषताओं से बैंकिंग सुविधाओं से वंचित दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया जा सकेगा।

CBDC क्या नहीं है?

- **CBDC मोबाइल मनी/ धन नहीं है:** CBDC अन्य **सभी मौजूदा डिजिटल भुगतान प्रणालियों,** जैसे- UPI तथा अन्य भुगतान वॉलेट, कार्ड भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर **से अलग है।**

मोबाइल मनी/ धन	CBDC
• यह भुगतान संबंधी लेन-देन का केवल एक प्रकार है।	• यह भुगतान का एक नया साधन है।
• यह वाणिज्यिक बैंकों और अन्य अधिकृत वित्तीय संस्थानों पर देयता (Liability) के रूप में होती है।	• केंद्रीय बैंक CBDC का प्राथमिक जारीकर्ता होता है। इसलिए CBDC केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष देयता होती है।
• नो योर कस्टमर (KYC) से संबंधित शर्तों का पालन कर मोबाइल वॉलेट बनाया जा सकता है। यह वॉलेट एक निश्चित आयु वाले व्यक्ति ही बना सकते हैं। इससे अन्य आयु वर्ग के लोग इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं।	• CBDC राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाए गए हैं।
• मोबाइल मनी के लिए भुगतानों को अधिकृत और प्रमाणित करने के लिए मध्यवर्तियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए- जारीकर्ता तथा प्राप्तकर्ता बैंक, वित्तीय संस्थान या भुगतान सेवा प्रदाता[47] जैसे मध्यवर्ती।	• यह भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले के बीच एक पीयर-टू-पीयर भुगतान व्यवस्था है। इसलिए इसमें इंटरबैंक निपटान की आवश्यकता नहीं होती है।

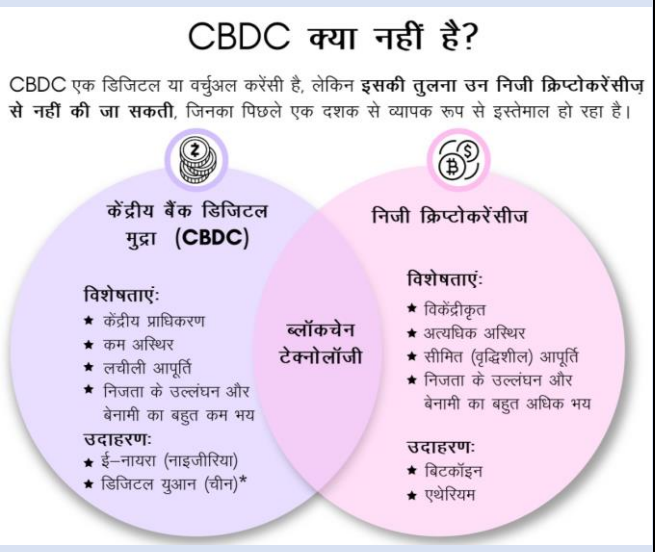

[47] Payment Service Providers: PSPs

भारत में डिजिटल मुद्राओं को अपनाने के समक्ष संभावित चुनौतियां

- **साइबर हैकिंग और संबंधित खतरे:** वर्तमान भुगतान प्रणालियों के समान CBDC इकोसिस्टम के समक्ष भी साइबर हमलों का जोखिम पैदा हो सकता है। इसके अलावा, **डिजिटल भुगतान संबंधी धोखाधड़ी में हो रही वृद्धि** CBDCs को भी अपनी चपेट में ले सकती है।
- **निजता के लिए खतरा:** नकद के प्रवाह को ट्रैक करना काफी कठिन होता है। गोपनीयता इसके प्रमुख लक्षणों में से एक होती है। दूसरी ओर, डिजिटल भुगतान के तहत सभी लेने-देन को ट्रैक करना आसान हो जाता है, जिससे लोगों की निजता के उल्लंघन का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- **प्रौद्योगिकी संबंधी तैयारी:** प्रौद्योगिकी को अपनाने का निम्न स्तर CBDCs की पहुंच को सीमित कर सकता है। यह कमी वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं तक पहुंच के मामले में मौजूदा असमानताओं को और बढ़ा सकती है।
- **बैंक-ऋण की उपलब्धता पर प्रभाव:** CBDCs की लोकप्रियता बढ़ने पर लोग अपने बैंक खातों से पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं।
    - पैसे की इस निकासी से बैंकों के पास निवेश हेतु प्रदान किए जाने वाले धन की उपलब्धता में कमी आ सकती है। साथ ही, ऋण पर ब्याज दर में वृद्धि भी हो सकती है।

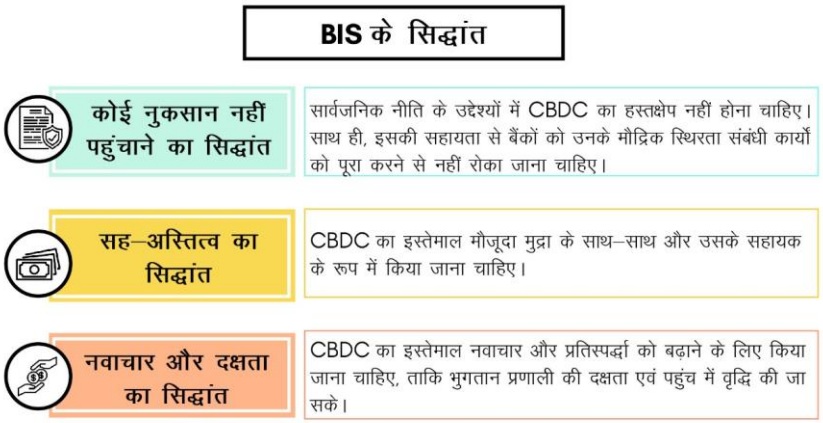

- **सीमा-पार लेन-देन से किसी और मुद्रा द्वारा डिजिटल मुद्रा की जगह लेना:** प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझा फ्रेमवर्क (या मानकों) के बिना CBDC के सीमा-पार प्रवाह को ट्रैक करने की नीति-निर्माताओं की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है।

आगे की राह

- इस तकनीक को अपनाने से पहले **मजबूत विनियामकीय फ्रेमवर्क** तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही, इस फ्रेमवर्क में CBDC के डिजाइन से संबंधित भावी अनुभवों को शामिल करने का रास्ता भी खुला रहना चाहिए।
- उपभोक्ताओं, निवेशकों और कारोबारी हितों को ध्यान में रखते हुए CBDC तथा अन्य बढ़ती डिजिटल परिसंपत्तियों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त उपायों के ज़रिए **वित्तीय बाजारों की रक्षा** की जानी चाहिए।
- CBDC के परिचालन हेतु **साइबर सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित** करने तथा **वित्तीय साक्षरता,** दोनों पर पर्याप्त ध्यान देना होगा।
- **AML/ CFT के अनुपालन को सुनिश्चित करना:** CBDC भुगतान प्रणाली को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/ कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (AML/CFT)[48] के नियमों और अनिवार्यताओं के अनुरूप होना चाहिए।
- **निजता को सुनिश्चित करना:** CBDC प्रणाली में डेटा को सुरक्षित करते हुए निजता की रक्षा करना आवश्यक होगा।
- **BIS सिद्धांतों का पालन:** CBDC जारी करते समय केंद्रीय बैंकों को **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) द्वारा जारी मूलभूत सिद्धांतों** को ध्यान में रखना चाहिए। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए CBDC के डिजाइन संबंधी विकल्पों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

3.4.2. मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स {Markets in Crypto Assets (MiCA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **यूरोपीय संसद ने मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स (MiCA)** कानून पारित किया है। इस कानून के तहत यूरोप में क्रिप्टो उद्योग को विनियमित किया जाएगा।

[48] Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism

MiCA के बारे में

- इसका उद्देश्य **क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ इसके उपभोक्ताओं के संरक्षण** के लिए एक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना है। इसे **विश्व में इस प्रकार के विनियमों का पहला सेट** माना जा रहा है।
- MiCA पूरे **यूरोपीय संघ (EU)** पर लागू होगा। इसे लागू करने के लिए इसके सदस्यों को अलग-अलग राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है।
- **MiCA अलग-अलग प्रकार की क्रिप्टो परिसंपत्तियों के बीच अंतर स्थापित करता है** और प्रत्येक श्रेणी के लिए विशिष्ट विनियामक आवश्यकताएं प्रदान करता है। **क्रिप्टो परिसंपत्तियों का उप-वर्गीकरण:**
  - **इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन (EMTs)**
  - **एसेट रेफरेंस्ड टोकन (ARTs)**
  - **यूटिलिटी टोकन (UTs)**

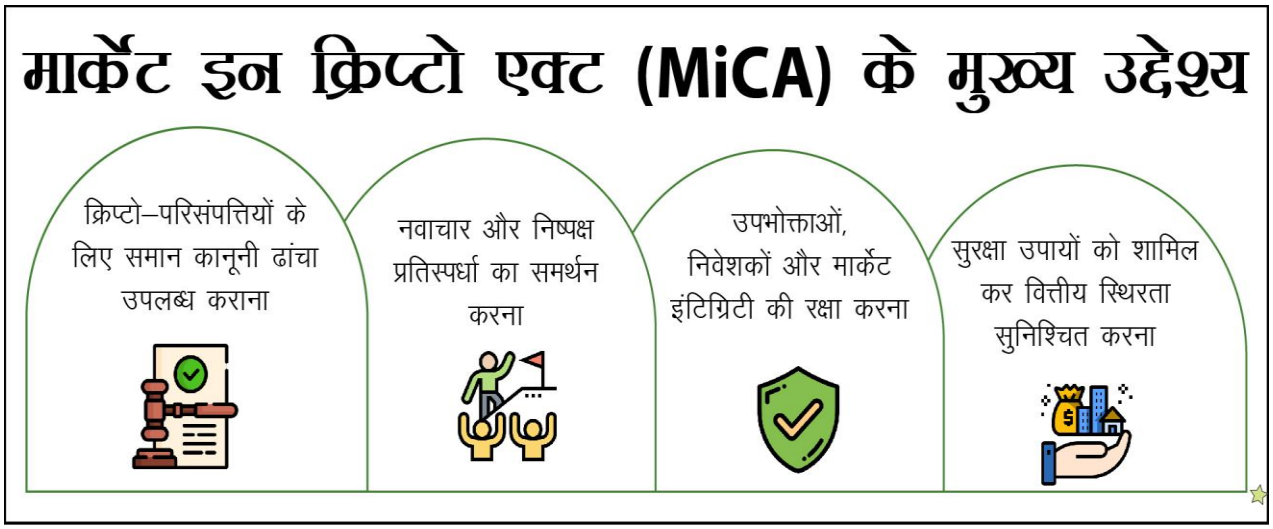

क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन की आवश्यकता क्यों है?

- **जवाबदेही लागू करना:** क्रिप्टो फर्मों को किसी न किसी रूप में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि वे उपभोक्ताओं के पैसों का लेन-देन करते हैं।
- **उपभोक्ताओं की रक्षा करना:** ये विनियम **क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं** के साथ-साथ उपभोक्ता के हितों की रक्षा **के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करने** में मदद करेंगे।
- **वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना:** यह विनियमन वित्तीय स्थिरता के समक्ष उपस्थित संभावित जोखिमों से रक्षा के लिए उपाय सुनिश्चित करता है।
- **नवाचार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करना:** ये विनियम विभिन्न भागीदारों के बीच एक सुरक्षित और समानुपातिक ढांचे की स्थापना करके क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
- **पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना:** क्रिप्टो परिसंपत्तियों को अत्यधिक मात्रा में विद्युत के उपयोग की आवश्यकता हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हो सकता है।

भारत के लिए संकेत

- **निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा:** MiCA जैसे ऐतिहासिक कदम से यूरोप और विश्व के अन्य हिस्सों में क्रिप्टो उद्योग में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।
  - इससे संभावित रूप से **भारत में क्रिप्टो उद्योग में निवेश में वृद्धि हो सकती है।** भारत MiCA के अपने संस्करण की योजना बना रहा है।
- **अविनियमित क्षेत्रक को विनियमित करना:** भारत में क्रिप्टो क्षेत्रक अत्यधिक असंगठित है। **MiCA** का सफल कार्यान्वयन **भारत को समान तर्ज पर क्षेत्रक को विनियमित करने के लिए सहमत करेगा।**
- **भारतीय निवेशकों की सुरक्षा:** CASPs को जवाबदेह बनाकर और उन्हें केंद्रीय बैंक के ढांचे के तहत लाकर **भारत में क्रिप्टोकरेंसी FTX की विफलता जैसे संभावित तरलता संकट को टाला जा सकता है।**

- **धन शोधन (Money Laundering) को रोकना:** क्रिप्टो परिसंपत्ति का उपयोग बड़े पैमाने पर काले धन को एकत्र करने और उन्हें विदेशों में उपयोग करने के लिए किया जाता है। **CASPs को विनियमों के दायरे में लाकर काफी हद तक धन शोधन से बचा जा सकता है।**
- **स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना:** यद्यपि इस क्षेत्र में कुछ बड़े भागीदारों का वर्चस्व है, परंतु यह **विनियमन क्षेत्रक में नए स्टार्ट-अप के लिए रक्षा उपाय करेगा और एक समान अवसर स्थापित करेगा।**

भारत के लिए आगे की राह

- **मुद्रा (Currency) की परिभाषा में संशोधन करना:** मुद्रा शब्द को वर्तमान में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 2(h) के तहत परिभाषित किया गया है। हालांकि, इसमें संशोधन कर क्रिप्टोकरेंसी को मुद्रा की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है।
- **विनियामक निकाय स्थापित करना:** देश में एक **स्वतंत्र विनियामक निकाय** को क्रिप्टो क्षेत्रक की देख-रेख हेतु उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।
- **दंडात्मक प्रावधान बनाना:** क्रिप्टो परिसंपत्तियों के संबंध में चोरी, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों के लिए दंडात्मक प्रावधानों का एक अलग सेट बनाया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जा सके।
- **CASPs के लिए मानदंड निर्धारित करना:** देश में **CASP के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनी के लिए मानकों और आवश्यकताओं का एक न्यूनतम सेट निर्धारित किया जाना चाहिए** और इसे सरकारी विनियामक निकाय के पर्यवेक्षी कार्य के तहत विनियमित किया जाना चाहिए।

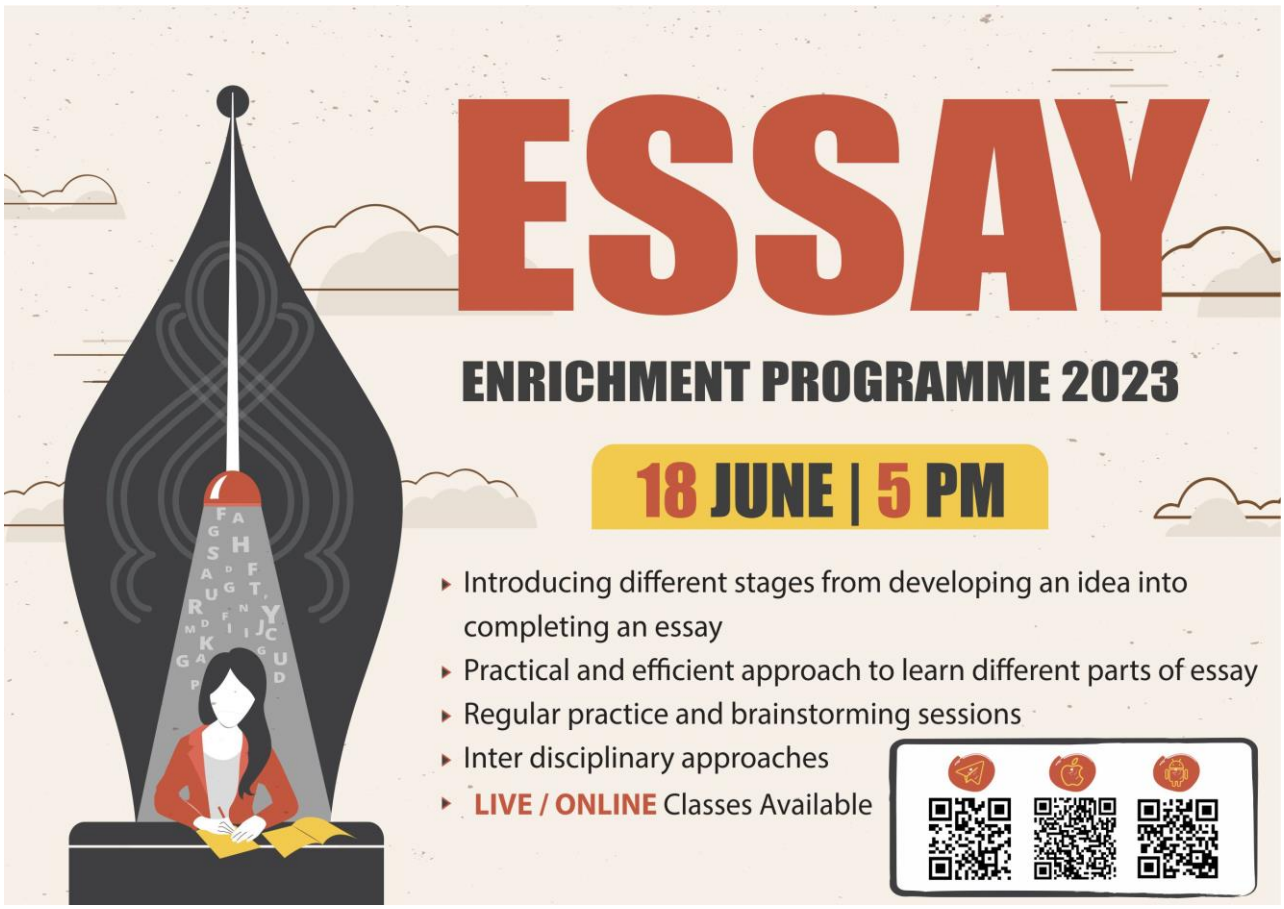

4. बैंकिंग और भुगतान प्रणाली (Banking and Payment Systems)

4.1. बैंकिंग (Banking)

बैंकिंग: एक नज़र में

भारत में बैंकिंग व्यवस्था की स्थिति

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) द्वारा ऋण प्रदान करने में **15.4%** की वृद्धि हुई है (वित्त वर्ष 22–23)।
- दिसंबर 2022 के अंत में **SCBs** का सकल **NPA** अनुपात **4.5%** और निवल **NPA 1.2%** था।
- सितंबर 2022 में **SCBs** का **प्रोविजन कवरेज अनुपात (Provision Coverage Ratio) 68.1%** रहा।
- SCBs के लिए संपत्ति पर वार्षिक रिटर्न (RoA) और इक्विटी पर रिटर्न (RoE) मार्च 2016 से नकारात्मक रहने के बाद वर्ष **2020 में सकारात्मक हो गया।**

प्रमुख उद्देश्य

- संवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक योगदान देने वाली एक **विविध, कुशल और प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देना।**
- परिचालन में लचीलापन लाकर, वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करके और संस्थागत सुदृढ़ीकरण द्वारा संसाधनों की **आवंटन संबंधी दक्षता में सुधार करना।**
- **विवेकपूर्ण विनियमों को प्रोत्साहित करते हुए** वैधानिक अनुपालन में कटौती करना और **अत्यधिक वित्तीय नियंत्रण को दूर करना।**

योजनाएं/पहलें

- PSBs में सुधार के लिए **एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (EASE) 5.0**
- **प्रिज्म अर्थात् एकीकृत पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु विनियमित संस्थाओं के लिए मंच (PRISM)।**
- विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए **विनियामक समीक्षा प्राधिकरण (Regulatory Review Authority) 2.0** का गठन।
- बैंक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क का विस्तार, विनियामकीय सुधार।
- **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA)** जैसी **पर्यवेक्षण संबंधी पहल।**
- अंतरिम भुगतान के साथ **जमा राशि पर बीमा को बढ़ाकर 5 लाख करना।**
- ऑनलाइन धोखाधड़ी के अपराधियों की काली सूची के रूप में **RBI द्वारा एक फ्रॉड रजिस्ट्री बनाई गई है।**
- दक्ष (**RBI की एक उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली**) बैंकों, NBFCs जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं (Supervised Entities) के मामले में अनुपालन संबंधी अनिवार्यताओं की निगरानी करता है।
- RBI ने SBI, ICICI और HDFC जैसे प्रमुख बैंकों को घरेलू स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (D-SIBs) के रूप में वर्गीकृत किया है।

बाधाएं

- बैंकों, विशेष रूप से **PSBs** के लिए **NPA का उच्च अनुपात (5.5%)।**
- विनियामक अनुपालन का **बढ़ता बोझ** और भारतीय बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता में लगातार गिरावट।
- वित्तीय प्रणाली के अलग–अलग क्षेत्रकों में PSBs के सीमित एकीकरण के कारण गैर–बैंकिंग कंपनियों, फिनटेक आदि से संबंधित **उभरती प्रतिस्पर्धा।**
- जमीनी स्तर पर **प्रौद्योगिकी को सीमित रूप से अपनाना।**
- बढ़ते सुरक्षा संबंधी खतरों के साथ **उपभोक्ता की बदलती अपेक्षाएं।**
- इनके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को **नौकरशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप** आदि जैसी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- बाह्य ऑडिटिंग के साथ–साथ ऑन–साइट और ऑफ–साइट निगरानी को शामिल करते हुए **पर्यवेक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।**
- **PCA** व्यवस्था के माध्यम से समस्याग्रस्त बैंकों के लिए **एक कुशल और विवेकाधीन हस्तक्षेप की प्रक्रिया की शुरुआत करना।**
- ऐसी व्यवस्था को संस्थागत रूप देना, जो **वित्तीय समूहों (Financial Conglomerates) के विनियमन और पर्यवेक्षण** हेतु बेहतर समन्वय सुनिश्चित करती हो।
- **क्रेडिटर्स के अधिकारों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस** को मजबूत करना।
- जहां आवश्यक हो वहां पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से **PSBs** की निवल संपत्ति की पुनर्बहाली करना।
- प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता करने और एक सुरक्षित एवं बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए **उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश करना।**

4.1.1. बैंकिंग प्रणाली में तरलता (Banking System Liquidity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मई 2019 से **अधिशेष (सरप्लस) की स्थिति** में रहने के बाद, **सितंबर 2022 में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता में कमी की स्थिति** आ गई है।

बैंकिंग प्रणाली में तरलता के बारे में और इसका महत्त्व

- **बैंकिंग प्रणाली में तरलता** से तात्पर्य आसानी से उपलब्ध नकदी से है। बैंकों को इसकी आवश्यकता अल्पकालिक व्यापार और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है।
- इसे **तरलता समायोजन सुविधा (LAF)**[49] के माध्यम से समझा जा सकता है। LAF बैंकिंग प्रणाली में **तरलता को बढ़ाने या कम करने हेतु** RBI के परिचालनों का **प्राथमिक साधन** है।
    - किसी दिन, यदि बैंकिंग प्रणाली पर LAF के तहत RBI की निवल उधारी है, तो इसे बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी की अवस्था कहा जाता है। इस स्थिति के विपरीत यदि किसी दिन, बैंकिंग प्रणाली RBI के लिए एक निवल ऋणदाता है, तो बैंकिंग प्रणाली को तरलता की अधिशेष की अवस्था में होना कहा जाता है।
- **पर्याप्त तरलता,** संवृद्धि तथा निवेश को बढ़ावा देती है और ब्याज दरों एवं विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित करती है।

बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी के प्रमुख कारण

- **बैंकों में ऋण वृद्धि और जमा वृद्धि के बीच असमानता का होना,** जैसे- पिछले कुछ माह में धीमी जमा वृद्धि के मुकाबले बैंक ऋण में उच्च वृद्धि हुई है।
- कंपनियों द्वारा अग्रिम कर भुगतान के कारण **भारी मात्रा में धन का बहिर्वाह होना।**
- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए **RBI द्वारा कठोर उपाय** करना। इसके माध्यम से RBI बैंकिंग प्रणाली में तरलता को कम कर रहा है।
- **सरकार के नकदी शेष**[50] (लगभग 3 ट्रिलियन रुपये) **में अत्यधिक वृद्धि होना।**
- **पूंजी खाते के साथ-साथ** चालू खाते के स्तर पर **भुगतान संतुलन घाटे में वृद्धि होना।**
- अन्य कारणों में, त्योहार के सीजन के कारण **लोगों द्वारा विवेकाधीन खर्च में वृद्धि करना शामिल है।**

बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी के प्रभाव

- बैंक प्रायः तरलता की कमी को दूर करने के लिए **जमा राशि पर ब्याज की दर बढ़ाते हैं** या **अधिक ब्याज वाली विशेष जमा योजनाओं को बढ़ावा देते हैं।** इसके बैंकों के लाभ में कमी आती है।
- **मुद्रा बाजार दरों** में वृद्धि के कारण **उधार ली गई धनराशि की लागत बढ़ जाती है।** उदाहरण के लिए- तरलता की कमी की स्थितियों के कारण हाल ही में ट्रेजरी बिलों या टी-बिलों पर प्रतिफल में वृद्धि हुई है।
- **ऐसे परिदृश्य में RBI रेपो दर** में बदलाव कर सकता है। इससे बैंकों की **उधार देने की रेपो-संबद्ध दरों और निधियों की सीमांत लागत पर आधारित उधार देने की दर (MCLR) में वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए ऋण की ब्याज दरें बढ़ जाएंगी।**
- **मांग में कमी**, जो आगे **आर्थिक गतिविधियों के संकुचन** का कारण बन सकती है।
- संवृद्धि हेतु उधार लेने की लागत को बनाए रखने के साथ-साथ अपनी मौद्रिक नीति को कठोर बनाए रखना **RBI के लिए कठिन होगा।**

आगे की राह

एडवांस में कर जमा करने जैसे अस्थायी कारक मौजूदा तरलता में कमी ला रहे हैं। हालांकि, ऐसी स्थिति यदि लंबे समय तक जारी रहती है तो बैंकों को तरलता संबंधी कुशल प्रबंधन पर विचार करना पड़ेगा। RBI के खुले बाजार के परिचालन और सरकार के नकदी शेष को कम करने से इस स्थिति पर नियंत्रण में मदद मिल सकती है। साथ ही, इससे बैंकिंग प्रणाली में उचित तरलता सुनिश्चित हो सकती है।

[49] Liquidity Adjustment Facility

[50] Cash Balances

4.2. लंदन इंटरबैंक ऑफ़र्ड रेट (LIBOR) पर निर्भरता की समाप्ति {Transition from London Interbank Offered Rate (LIBOR)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **बैंकों और RBI द्वारा विनियमित अन्य संस्थाओं के लिए एक एडवाइजरी** जारी की है। इसमें उन्हें 1 जुलाई, 2023 से LIBOR से पूर्णतः बाहर निकलने के लिए कदम उठाने हेतु कहा गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- LIBOR और मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट (MIFOR) का इस्तेमाल **30 जून, 2023** तक चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा।
  - **MIFOR, घरेलू ब्याज दर के लिए एक बेंचमार्क है।** इसे वर्तमान में **फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL)** द्वारा जारी किया जाता है।
- गौरतलब है कि 2017 में ब्रिटिश वित्तीय अधिकारियों को एक जांच से यह पता चला था कि **कुछ बड़े बैंकों ने गलत डेटा प्रदान करके "संदर्भ दर (Reference Rate)" को ज्यादा या कम** किया है। इस हेर-फेर के बाद यह आवश्यक हो गया था कि **वैश्विक आर्थिक प्रणाली में LIBOR का उपयोग समाप्त किया जाए।**

लंदन इंटरबैंक ऑफ़र्ड रेट (LIBOR) के बारे में

- **बेंचमार्क दर:** LIBOR एक **वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर** है। सरल शब्दों में, LIBOR का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर ब्याज दर को तय करने के लिए एक बेंचमार्क (या संदर्भ दर) के तौर पर किया जाता है। इसी दर पर प्रमुख वैश्विक बैंक अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक-दूसरे को ऋण देते हैं। ये ऋण अल्पावधि के लिए दिए जाते हैं।
- **बेंचमार्क के रूप में उपयोग:** इसका ओवर-द-काउंटर बाजारों में और वैश्विक स्तर पर एक्सचेंजों पर **फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप और अन्य डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों में व्यापार करने** हेतु बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है।
  - कई सारे उपभोक्ता ऋण उत्पाद[51] भी इसका बेंचमार्क दर के रूप में उपयोग करते हैं। मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड, छात्र-ऋण आदि उपभोक्ता ऋण उत्पादों के उदाहरण हैं।

LIBOR से वैश्विक निर्भरता की समाप्ति की आवश्यकता क्यों है?

- **बैंकों पर निर्भरता:** इस प्रणाली का मुख्य दोष यह था कि **LIBOR** इस बात के लिए बैंकों पर बहुत अधिक निर्भर थी कि वे अपने व्यावसायिक हितों की उपेक्षा करते हुए, अपनी रिपोर्टिंग के प्रति ईमानदारी बरतें।
- **हेर-फेर (Manipulation):** 2012 में, LIBOR के निर्धारण से जुड़े एक बड़े हेर-फेर की व्यापक जांच की गई। इस जांच में पाया गया कि **कई बैंक लाभ के लिए लंबे समय से LIBOR दरों में हेर-फेर कर रहे थे।**
- **2008 के वित्तीय संकट में भूमिका:** क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (CDS) का उपयोग और दुरुपयोग **2008 के वित्तीय संकट के प्रमुख कारकों में से एक** था। उस समय CDS की दरें LIBOR का उपयोग करके निर्धारित की गई थीं।

LIBOR पर निर्भरता को खत्म करने से भारत को मिलने वाले अतिरिक्त लाभ

- **वित्त-पोषण की लागत में कमी:** LIBOR पर निर्भरता की समाप्ति के परिणामस्वरूप वित्त-पोषण की लागत में कई तरीकों से कमी आ सकती है, क्योंकि इसके बाद **संदर्भ दरों** की गणना अधिक बेहतर और पारदर्शी तरीके से होगी।
- **ऋण लेने की लागत में कमी:** इसके परिणामस्वरूप, **उधार देने वालों और निवेशकों द्वारा कम ब्याज दर (या ब्याज दर स्प्रेड)** की मांग की जा सकती है। इससे ऋणी या उधारकर्ताओं के लिए ऋण लेने की लागत कम हो सकती है।
- **अधिक प्रतिस्पर्धा:** वैकल्पिक **संदर्भ दरों** की शुरुआत से संदर्भ दरों के लिए बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है। इससे **वित्तीय उत्पादों का अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण** हो सकता है।

भारत में LIBOR से ट्रांजिशन के दौरान स्थिति

- **वैकल्पिक संदर्भ दरें (Alternative Reference Rates: ARRs):** RBI ने ARR की एक प्रणाली स्थापित की है। यह प्रणाली बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन के लिए ब्रिटिश पाउंड के बजाय मुद्राओं की एक बास्केट से दरें चुनने की सुविधा प्रदान करती है।
  - RBI ने फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FIBL) द्वारा प्रशासित महत्वपूर्ण बेंचमार्क की सूची में MIFOR को शामिल किया है।

[51] Consumer lending products

- **फॉलबैक क्लॉज़:** RBI ने उन सभी पुराने वित्तीय अनुबंधों में फॉलबैक क्लॉज़ को शामिल करने पर जोर दिया है, जिनमें संदर्भ दर के तौर पर LIBOR या MIFOR का प्रयोग हुआ है।

LIBOR का इस्तेमाल नहीं करने (अर्थात् ट्रांजीशन) से जुड़ी चुनौतियां

- **LIBOR की जगह उपयुक्त ARRs की पहचान करना और उन्हें अपनाना:** कई देशों और बाजारों ने अलग-अलग दरों का चयन किया है, जैसे- यू.एस.ए. में SOFR, जापान में TIBOR आदि।
- **ट्रांजिशन के दौरान अधिक निवेश:** LIBOR से निर्भरता की समाप्ति के दौरान **आंतरिक प्रणाली, प्रक्रियाओं और मॉडल में काफी अधिक समायोजन की आवश्यकता** होगी।
- **तरलता (या चलनिधि) से जुड़ी चुनौतियां:** ARR की शुरुआत बाजार की तरलता के लिए भी चुनौतियां खड़ी करती है। इसके परिणामस्वरूप बाजार अक्षम हो सकते हैं और मूल्य निर्धारण पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

आगे की राह

LIBOR की जगह **ARRs** को अपनाने की प्रक्रिया में कई चरण और वित्तीय संस्थान शामिल होंगे। वित्तीय संस्थानों जैसे कि गैर-बैंकिंग संस्थान अब भी LIBOR की समाप्ति से जुड़े प्रभावों का आकलन करने के लिए चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

इसके अलावा, इन संस्थानों की क्षमता को बढ़ाने हेतु **अनुसंधान-आधारित मानकीकृत दिशा-निर्देश तैयार किए जाने** चाहिए। संस्थानों को ARRs के चुनाव में सक्षम बनाया जाना चाहिए। इससे इन संस्थानों और अर्थव्यवस्था के लिए ट्रांजिशन की प्रक्रिया समान रूप से सहज हो सकेगी।

4.3. सूक्ष्म वित्त क्षेत्रक (Microfinance Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्राइस वाटरहाउस कूपर्स (PwC) और एसोसिएशन ऑफ माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के एक संयुक्त अध्ययन ने भारत की आर्थिक संवृद्धि में सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs)[52] की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डाला है।

MFIs का महत्त्व

- यह आर्थिक पिरामिड के निचले भाग में रहने वाले **6 करोड़ से अधिक उधारकर्ताओं** को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करके **समावेशी विकास** को बढ़ावा देता है।
- अल्पावधिक ऋणों के माध्यम से आय सृजन गतिविधियों का समर्थन कर ये **गरीबी को दूर करने में मदद करते** हैं।
- ये **महिला सशक्तीकरण** को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि सूक्ष्म वित्त सुविधाओं की अधिकांश उपयोगकर्ता महिलाएं हैं।
- **MFIs सामाजिक समानता** को बढ़ावा देते हैं जैसाकि निम्नलिखित गतिविधियों में इनकी सक्रिय भागीदारी रही है:

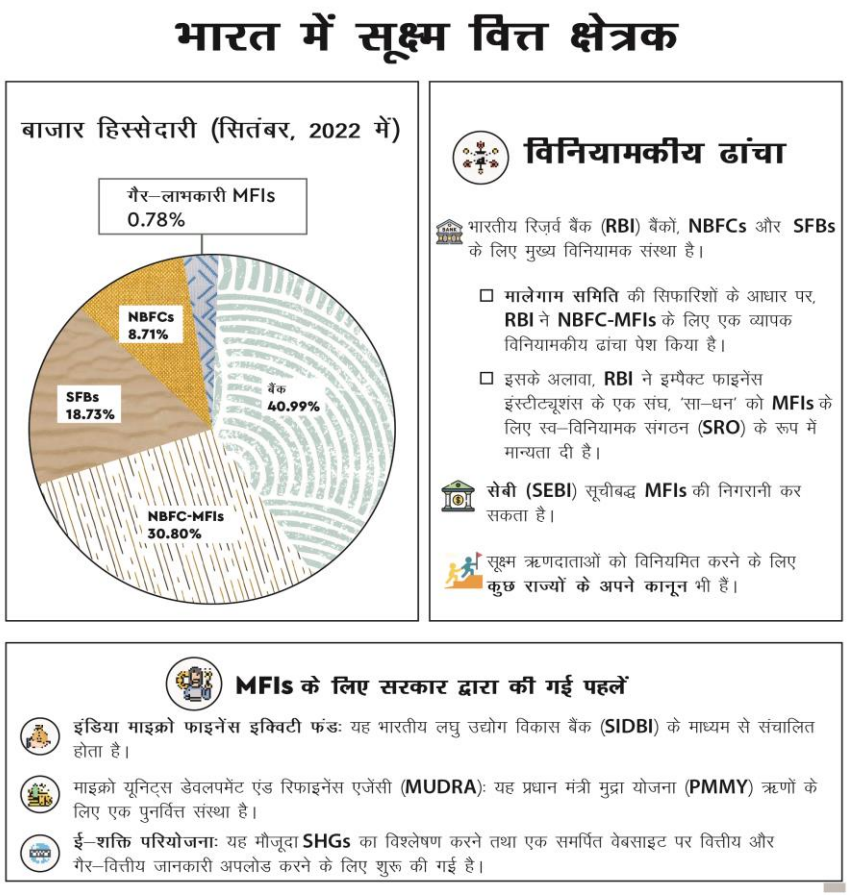

[52] Microfinance Institutions

- **जल-स्वच्छता उत्पादों** और **सेवाओं का वित्त-पोषण करने में।**
- **सरकारी योजनाओं,** जैसे- आयुष्मान भारत कार्यक्रम और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पी.एम. स्वनिधी योजना आदि **के बारे में जागरूकता फैलाने में।**

- **ये वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करते हैं,** जैसे कि MFIs ऋण प्रदान करने के साथ-साथ कई अन्य वित्तीय सेवाओं (जैसे- बचत, बीमा और प्रेषण) की पेशकश करते हैं।
- **ये गैर-वित्तीय सेवाओं,** जैसे- परामर्श, प्रशिक्षण और व्यवसाय समर्थन के विस्तार के माध्यम से **उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा** देते हैं।

आगे की राह

संधारणीय विकास हासिल करने के लिए **सरकार, नियामकों, उद्योग आदि को भविष्य हेतु निम्नलिखित उपाय करने** चाहिए:

- **अंतर्निहित विनियामक अंतराल को पाटने** का प्रयास करना चाहिए। यह सामान्य परिभाषाओं के लिए आवश्यक वैधानिक विनियामक ढांचे तथा एक मानकीकृत ऋण, जोखिम प्रबंधन एवं नियंत्रण मॉडल के माध्यम से किया जा सकता है।
- **निवेश के नए स्रोतों को खोलना** चाहिए। यह विशेष रूप से छोटे MFIs के लिए किया जाना चाहिए जो अपने ऋण वित्त-पोषण का अधिकांश हिस्सा अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त करते हैं और इस तरह बाहरी कारकों के प्रति अपने जोखिम को कम करते हैं।
- मजबूत निगरानी तंत्र के माध्यम से एक **मजबूत माइक्रोलेंडिंग लैंडस्केप का निर्माण** किया जाना चाहिए, अर्थात-
  - सभी मौजूदा NGO-MFIs का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करना।
  - पूंजी पर्याप्तता और प्रोविजनिंग पर विवेकपूर्ण लेखा मानदंड निर्धारित करना।
  - लेखापरीक्षकों की भूमिका और MFIs के पर्यवेक्षण को स्पष्ट करना।
  - अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ावा देना।
  - क्षेत्र की निगरानी के लिए केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर परिषदों एवं समितियों का निर्माण करना।
- उधारकर्ताओं की संभावित जरूरतों की पहचान करके नए उत्पादों को विकसित करने में **प्रौद्योगिकी का लाभ** उठाना चाहिए। **उदाहरण के लिए- एनालिटिक्स-आधारित** अंडरराइटिंग और संग्रह मॉडल का उपयोग किया जा सकता है।
- पारदर्शिता एवं ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक **'उचित व्यवहार संहिता'** विकसित करने की आवश्यकता है, अर्थात्-
  - ऋण की शर्तों और ब्याज शुल्कों में **पारदर्शिता** होनी चाहिए;
  - मल्टिपल लेंडिंग, अत्यधिक ऋण लेने एवं वसूली के बलपूर्वक तरीकों के माध्यम से ग्राहकों का उत्पीड़न जैसी **गलत प्रथाओं से बचना** चाहिए।
  - एक उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना करने की आवश्यकता है।
- शुरुआती चरण में चौतरफा समर्थन के माध्यम से **MFIs का क्षमता-निर्माण** किया जाना चाहिए। उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन लोन दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने कार्य संचालन के दायरे को व्यापक कर सकें। इसके अलावा इस संबंध में एक जोखिम/ विकास कोष का भी निर्माण किया जाना चाहिए। इस कोष का प्रबंधन RBI द्वारा इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि MFIs, अल्प-सेवित क्षेत्रों में, पुनर्वित्तीयन या निवेश के लिए इस कोष का प्रयोग कर सकें।
  - स्थानीय क्षेत्र बैंक (LABs)[53] को स्थापित करने के लिए MFIs या वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

[53] Local Area Banks

4.4. परिसंपत्ति गुणवत्ता और पुनर्गठन (Asset Quality and Restructuring)

परिसंपत्ति गुणवत्ता और पुनर्गठनः एक नज़र में

बैंकों के ऋण या अग्रिमों के संबंध में डिफ़ॉल्ट या बकाया को गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें सब–स्टैंडर्ड असेट्स (NPA < 12), स्टैंडर्ड असेट्स (NPA > 12 महीने) और लॉस असेट्स के रूप में उप–वर्गीकृत किया जाता है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPAs) सितंबर 2022 में घटकर सात साल के निचले स्तर (5%) पर आ गई और निवल NPA घटकर 1.3% हो गया।

NPAs की क्षेत्रक आधारित हिस्सेदारी में अवसंरचना क्षेत्रक का प्रभुत्व है।

इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का हिस्सा तुलनात्मक रूप से अधिक है, अर्थात् NPA का लगभग 9/10वां हिस्सा PSBs का है।

भारत वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से सबसे बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में से एक था।

भारत में NPAs की समस्या के उद्भव का कारण

- **आर्थिक कारणः**
  - वर्ष 2006–08 के दौरान मजबूत आर्थिक संवृद्धि के कारण अंधाधुन मात्रा में ऋण दिया गया।
  - अर्थव्यवस्था में व्याप्त संरचनात्मक मुद्दे जैसे कि खराब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
- **व्यवस्था संबंधी कारणः**
  - विनियामकीय सक्रियता के अभाव की एक लंबी नीति के कारण **NPAs को चिन्हित करने वाली व्यवस्था की अनुपस्थिति बनी रही।**
  - किसी परियोजना के तहत प्रमोटर और बैंक के हित की हानि होने पर परियोजनाओं से स्वयं को अलग कर लेना।
  - कमजोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सरकार द्वारा अनुमतियों के संबंध होने वाला विलंब जैसे **गवर्नेंस संबंधी मुद्दे।**
- **नैतिक कारणः**
  - ऋण प्रदान करने में लापरवाही या ऋण देने से पहले विश्लेषण हेतु आउटसोर्स पर निर्भरता जैसी **बेंकिंग गड़बड़ी।**
  - प्रमोटर द्वारा **पुनर्गठन प्रक्रिया में हेरफेर करना।**

NPAs की वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदम

- चिन्हित करनाः इसमें NPA को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2015 की संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (Asset Quality Review) का आयोजन; त्वरित **सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क।**
- बजटीय आवंटन और मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं द्वारा **पुनर्पूंजीकरण** किया गया।
- **समाधानः** इसमें दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), प्रोजेक्ट सशक्त, कोविड–19 संकट के दौरान आर.बी.आई द्वारा आरंभ किए गए फ्रेमवर्क और एम.एस.एम.ई. समाधान (MSME SAMADHAN) जैसी अन्य योजनाएं शामिल हैं।
- **सुधारः** क्षेत्रक आधारित सुधार के लिए दीर्घकालिक कदम उठाए गए हैं, जैसे – अधिक मजबूत ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली; आर.बी.आई की शक्तियों का विस्तार करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रमुख सुधार।
- **एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (EASE)** – **EASENext सुधार (या EASE 5.0).**

विद्यमान चुनौतियां

- बैंक के शीर्ष अधिकारियों पर सभी निर्णयों के बोझ डालने से प्रक्रियागत उदासीनता को बढ़ावा।
- **स्पष्ट जवाबदेही का अभाव** नैतिक संकट और अपर्याप्त प्रयास का मुद्दा पैदा करता है।
- **PSBs** में नियुक्ति में देरी, हस्तक्षेप आदि के रूप में **गवर्नेंस से संबंधित मुद्दे।**
- बैंकिंग क्षेत्रक के समान वित्तीय क्षेत्रक में परिसंपत्ति की गुणवत्ता के प्रति **एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव है।** साथ ही, वित्तीय क्षेत्रक से संबंधित **NBFC** क्षेत्रक और अन्य घटकों को एकीकृत रूप से नहीं देखा जाता है।
- **ARCs** की वृद्धि दर एक–समान नहीं रही है। साथ ही, यह हमेशा बैंक के **NPAs** की प्रवृत्ति के अनुसार स्वयं को ढाल भी पाई है।

NPA का समाधान बैंकिंग क्षेत्रक के सुधार के लिए एक उत्प्रेरक

- ऋण प्रदान करने की पद्धति को और अधिक कुशल बनाकर **कोर बैंकिंग कार्यप्रणाली को मजबूत करना।**
- पारदर्शिता और स्पष्ट संचार माध्यमों के निर्माण के द्वारा **गवर्नेंस के स्तर को बेहतर करना।**
- सभी हितधारकों की **सोच में परिवर्तन लाते हुए** इस बात को स्पष्ट करना कि विनियामकीय सक्रियता के अभाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि जैसे साधनों के माध्यम से **प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेजी लाना।**
- NBFCs और फिनटेक क्षेत्रक में जुड़े मुद्दों को संबोधित करते हुए **वित्तीय प्रणाली में एकीकरण को बढ़ावा देना।**

4.4.1. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में सुधार {Improvement in the Non-Performing Assets (NPAs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **"भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति, 2021-22"**[54] रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों का **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Gross NPA) अनुपात 2017-18 में अपने शीर्ष (9%)** पर था, जो **घटकर 5% के स्तर पर** आ गया।

NPA परिदृश्य में सुधार के लिए उत्तरदायी कारण

- **परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।** यह पुराने NPAs में कमी, परिसंपत्ति की पहचान, अपग्रेडेशन तथा राइट ऑफ आदि में अधिक पारदर्शिता के कारण संभव हुआ है। उदाहरण के लिए- पिछले 5 वित्तीय वर्षों में:
  - बैंकों ने **10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बैड लोन को राइट ऑफ कर दिया है।**
  - बैंकों ने **कुल 6.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि की वसूली की है।**
- आय में तेजी और व्यय में कमी के कारण लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। यह लाभप्रदता 2014-15 में दर्ज किए गए स्तरों तक पहुंच गई है।
  - **बैंकों की ऋण वृद्धि** 10 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जबकि ब्याज वसूली वाले खर्च में गिरावट आई है।
- बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के विविधीकरण के साथ-साथ बेहतर क्रेडिट निगरानी प्रक्रियाओं के कारण **स्लिपेज (गिरावट) में कमी** आई है।
  - **स्लिपेज** किसी ट्रेड की अपेक्षित कीमत और उस कीमत के बीच के अंतर को संदर्भित करता है जिस पर वास्तव में ट्रेड किया जाता है।
- उच्च प्रोविज़निंग, घटते सकल NPAs आदि के कारण **पूंजीगत बफ़र में भी सुधार देखने को मिला है।**
- **अन्य संकेतक भी सुदृढ़ हुए हैं,** उदाहरण के लिए- पर्याप्त तरलता, RBI की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action: PCA) फ्रेमवर्क के तहत आने वाले बैंकों की संख्या में कमी इत्यादि।

मौजूदा और उभरती हुई चिंताएं

- निरंतर बने हुए भू-राजनीतिक जोखिमों, कोविड-19, आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली समस्याओं आदि के कारण वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति देखी जा रही है। यह **वैश्विक संवृद्धि** और **व्यापार दृष्टिकोण** को विकृत कर रहा है। साथ ही, मंदी से संबंधित चिंताओं में भी बढ़ोतरी हो रही है।
- समकालिक मौद्रिक नीति के कठोर होने के कारण **उधार लेने की लागत बढ़** रही है।
- **वर्ष 2015** से कुल ऋण में **असुरक्षित ऋण की हिस्सेदारी बढ़ी** है।
- **कॉर्पोरेट गवर्नेंस में विफलताओं और कमजोरियों का जोखिम** यथावत बना हुआ है।

आगे की राह

- तनावग्रस्त परिसंपत्तियों (Stressed assets) के समयबद्ध समाधान के लिए **IBC फ्रेमवर्क की प्रभावशीलता में सुधार** करने की आवश्यकता है। यह परिसंपत्तियों की कीमत में होने वाली कमी को रोकने में भी मदद करता है।
- PSBs और निजी क्षेत्रक के बैंकों के बीच **कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं का एकीकरण** आवश्यक है।
  - एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, निजी बैंकों के 3.3% की तुलना में PSBs का GNPA 6.5% था।
- संभावित प्रणालीगत जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए **प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग** करने की आवश्यकता है। इसके लिए बिग डेटा के साथ-साथ पर्यवेक्षी इंटेलिजेंस (Supervisory intelligence) की सहायता ली जा सकती है।
  - उदाहरण के लिए- विनियमित संस्थाओं द्वारा स्वचालित डेटा रिपोर्टिंग के लिए **केंद्रीकृत सूचना और प्रबंधन प्रणाली (CIMS)**[55] का क्रियान्वयन किया जा सकता है।
- RBI के साथ-साथ अन्य वित्तीय विनियामकों द्वारा समग्र रूप से मजबूत सतर्कता के साथ पुनर्गठित परिसंपत्तियों में **स्लिपेज की निगरानी** की जानी चाहिए। साथ ही, जब भी आवश्यक हो, सामयिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करना चाहिए।

[54] Report on Trend and Progress of Banking in India 2021-2022

[55] Centralized Information and Management System

संबंधित सुर्ख़ियां

बैंकों के विलय से बैंकिंग क्षेत्रक को फायदा हुआ है: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- RBI की एक रिपोर्ट में **1997 से लेकर अब तक भारत में हुए बैंकों के विलय का मूल्यांकन** किया गया है। इस मूल्यांकन के दौरान **निम्नलिखित को रेखांकित किया गया है:**
  - विलय से **अधिग्रहणकर्ताओं और जिनका अधिग्रहण हुआ है, उन दोनों को लाभ** पहुंचा है।
    - **अधिग्रहण करने वालों की दक्षता में सुधार** हुआ है। इसके लिए उत्तरदायी कारक हैं- **विविध भौगोलिक क्षेत्रों में उनका प्रवेश, ब्याज आय की हिस्सेदारी में सुधार आदि।**
    - **जिन बैंकों का अधिग्रहण हुआ है, उनके शेयरधारक मूल्य में वृद्धि** के कारण उन्हें भी लाभ हुआ है।
  - **संयुक्त संस्थाएं वित्तीय जोखिमों** का सामना करने में अधिक सक्षम होती हैं।
  - **निजी क्षेत्रक के बैंकों के अधिकतर विलय बाजार द्वारा संचालित** थे, जबकि **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के विलय सरकार ने** किये थे।
- **विलय और अधिग्रहण (Mergers and Acquisitions: M&A)** का आशय दो **कंपनियों के बीच लेन-देन के माध्यम से संयुक्त संस्था का रूप धारण** करने से है। इसके निम्नलिखित रूप होते हैं:
  - एक नई वैध संस्था बनाने के लिए दो कंपनियों का विलय या संयोजन, और
  - एक कंपनी का दूसरी कंपनी द्वारा अधिग्रहण या एकमुश्त खरीद।

M&A के लाभ	M&A के खतरे
• **इकोनॉमीज ऑफ स्केल में सुधार** होता है। इसका तात्पर्य है कि उत्पादन बढ़ाने से लागत में कमी आती है। • **बाजार हिस्सेदारी और वितरण क्षमताओं में वृद्धि** होती है। • **कार्यबल की लागत कम** होती है और प्रतिभा पलायन को रोकने में मदद मिलती है। • **वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी** होती है। • यह **व्यावसायिक कमियों को दूर** करता है। ये कमियां उत्पाद, भौगोलिक विस्तार या तकनीक से संबंधित हो सकती हैं।	• अधिकारियों में प्रतिबद्धता की कमी की वजह से योजना के क्रियान्वयन में समस्या आती है। • **ग्राहकों की सोच** पर इसका **नकारात्मक प्रभाव** पड़ सकता है। • **प्रतिस्पर्धा** कम हो जाती है और **टू-बिग-टू-फेल (TBTF)** बैंकों का निर्माण होता है जिसका संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली पर **प्रभाव** पड़ सकता है।

4.4.2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने IBC में प्रस्तावित संशोधनों को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया है। ऐसा IBC की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।

IBC और उसकी विशेषताओं के बारे में

- IBC कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों एवं व्यक्तियों के दिवालियापन से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु **समयबद्ध, बाजार तंत्र** के लिए भारत का एक व्यापक कानून है। यह 2016 से लागू है।
- यह दिवाला और दिवालियापन के लिए **एकल कानून** का निर्माण करता है (अर्थ के लिए इन्फोग्रफिक देखें)। इसका उद्देश्य एक मजबूत, आधुनिक एवं परिष्कृत दिवाला ढांचे का विकास करना है।

- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने समय पर मामले का समाधान करने और धन की अधिक से अधिक रिकवरी (वसूली) करने के उद्देश्यों से **IBC में संशोधन** किया है। **IBC में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:**
  - कर्जदाताओं को उन मामलों में **अलग से परिसंपत्ति बेचने की अनुमति** दी गई है, जहां समग्र रूप में कोई समाधान योजना प्राप्त नहीं हुई है।
  - समाधान पेशेवरों (RPs) के लिए **प्रदर्शन-आधारित भुगतान संरचना की घोषणा** की गयी है। RPs, दिवाला प्रक्रियाओं से जुड़े पेशेवर हैं। इन्हें समाधान प्रक्रिया के संचालन के लिए नियुक्त किया जाता है।

- IBC संस्थागत बुनियादी ढांचे के **चार स्तंभों** पर आधारित है (इन्फोग्रफिक देखें):
  - **इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (IPs),** IP एजेंसी (IPA) के सदस्य, समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए।
  - **सूचना उपयोगिताएं (IUs):** दिवाला समाधान (जैसे- नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड) की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में ऋणदाताओं, ऋण देने की शर्तों आदि के विवरण को भंडारित करने के लिए।

- **भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (The Insolvency and Bankruptcy Board of India: IBBI):** IPs, IPAs और IUs के कामकाज को विनियमित करने के लिए।
- **न्याय निर्णयन प्राधिकरण- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT):** NCLT कंपनियों के लिए दिवाला समाधान का फैसला करता है, जबकि DRT व्यक्तियों के लिए।
  - **नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT),** NCLT द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए एक **अपीलीय प्राधिकरण** है।

IBC के लाभ

- IBC भारत की कॉर्पोरेट संकट समाधान व्यवस्था को ठीक करके आर्थिक स्थिरता और विकास को सुनिश्चित करता है। ऐसा क्रेडिटर-इन-कंट्रोल मॉडल के साथ एक समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
- यह दिवालियापन समाधान में लगने वाले समय और लागत को कम करके **संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करता है।**
  - जैसे- समाधान के लिए लगने वाला औसत समय जो **2017 में 4 वर्ष से अधिक** था वह घटकर **2021-22 में 650 दिन** हो गया है।
- IBC समयबद्ध समाधान की सहायता से यह सुनिश्चित करता है कि क्रेडिट न तो फंसे और न ही खराब ऋण में परिवर्तित हों। इससे **स्वस्थ क्रेडिट प्रवाह** बनाए रखना आसान हो जाता है।
- यह **लेनदार-देनदार संबंधों में** गहन परिवर्तन एवं देय राशि के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन के माध्यम से **सभी हितधारकों के हितों को संतुलित** करता है।
  - इसके अलावा, इसने देनदारों के **व्यवहार में परिवर्तन** किया है। देनदार अब संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य में धीमी गिरावट से बचने के लिए शुरुआती चरणों में ही संकट का समाधान कर रहे हैं।

IBC के कार्यान्वयन से जुड़ी हुई समस्याएं

- **न्यायिक विलंब: समाधान आवेदन की स्वीकृति के** साथ-साथ **अंतिम समाधान** और **परिसमापन** के लिए **लगने वाला समय लगातार बढ़ता** ही जा रहा है।
  - उदाहरण के लिए- CIRPs के अंतर्गत मौजूदा 64% मामलों ने 270 दिनों की सीमा पार कर ली है।
- **निम्न रिकवरी दर:** उच्च हेयरकट के कारण रिकवरी की दरों में गिरावट आई है। उदाहरण के लिए- FY22 में, 500 में से उन 100 कंपनियों के लिए हेयरकट 90% से ऊपर था, जिनका IBC के तहत उचित समाधान हुआ।
- **सीमा-पार दिवाला:** IBC में मानकीकृत सीमा-पार दिवालियापन का अभाव है जैसा कि वीडियोकॉन और जेट एयरवेज मामले में देखा गया है।
- **घर खरीदारों के अधिकारों को बरकरार रखना:** हालांकि, घरों के खरीदारों को **वित्तीय लेनदारों** (चित्रा शर्मा बनाम भारत संघ) के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक परियोजना के **10%** या **100 होमबॉयर्स (जो भी कम हो)** की न्यूनतम सीमा की आवश्यकता होती है। इसके कारण:
- **सूचना उपयोगिताओं (IUs) का कम उपयोग: दिवाला समाधान समय अवधि को सीमित करने** में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, यह IBC का सबसे कम उपयोग किया जाने वाला स्तंभ है।

IBC फ्रेमवर्क में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन और उनके लाभ

क्षेत्र	प्रस्तावित परिवर्तन	संभावित लाभ
प्रौद्योगिकी	• IBC के तहत कई प्रक्रियाओं, जैसे- मामला प्रबंधन, नोटिस वितरण, प्रक्रिया से गुजर रहे कॉर्पोरेट डेटर (Corporate Debtor: CDs) के रिकॉर्ड के भंडारण आदि को संभालने के लिए एक ई-प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया जाएगा।	• पारदर्शिता, • कम विलंब • बेहतर निर्णय लेना
कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) आवेदन स्वीकृति	• वित्तीय ऋणदाता (FCs), CIRP आवेदन से पहले सूचना उपयोगिताओं पर डिफ़ॉल्ट या विवाद उत्पत्ति का पता लगाएंगे। • **न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (AA):** ○ अनिवार्य रूप से आवेदन को स्वीकार करेगा और यदि डिफ़ॉल्ट सिद्ध हो जाता है, तो CIRP को शुरू करेगा। ○ AA को IBC नियमों के उल्लंघनों पर जुर्माना लगाने के लिए सशक्त करेगा।	• डिफ़ॉल्ट दस्तावेजों के सत्यापन और CIRP के शीघ्रातिशीघ्र आरंभ होने में लगने वाला समय कम होगा। • व्यापार कानून विधियों में अपराधों में कमी आएगी।
परिसमापन प्रक्रिया	• CIRP और परिसमापन प्रक्रिया के बीच गतिविधियों के दोहराव को समाप्त किया जाएगा। • CoC, परिसमापक की कार्यप्रणाली की निगरानी और समर्थन करेगी। साथ ही, परिसमापन प्रक्रिया में सभी निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाएंगे आदि।	• दोहराव के कारण होने वाली देरी को कम करके दक्षता में वृद्धि होगी। • परिसमापन प्रक्रिया की बेहतर निगरानी की जा सकेगी आदि।

IBC प्रक्रिया को और अधिक परिष्कृत करने के लिए आगे की राह

- **रिक्तियों को भरना चाहिए। साथ ही अधिक खंडपीठों** या **NCLT के विशेष खंडपीठों की स्थापना की जानी चाहिए।**
- **वैश्विक मानकों के अनुरूप हेयरकट की मात्रा तय करने के लिए एक बेंचमार्क निर्धारित करना** चाहिए या प्रवर्तन एजेंसियों के उत्पीड़न को आमंत्रित किए बिना बैंकों को हेयरकट लेने की छूट प्रदान की जानी चाहिए।
- भारतीय संदर्भ के अनुरूप कुछ संशोधनों के साथ क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी (1997) पर **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL)**[56] के मॉडल कानून को अपनाने का प्रयास करना चाहिए।
- संकट में किसी कंपनी का अधिग्रहण करने वाली CoC के लिए **एक पेशेवर कोड** तैयार किया जाना चाहिए।
- मानकों को निर्धारित करने एवं IPs के कामकाज को विनियमित करने के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) जैसे **एकल पेशेवर स्व-विनियामक IPAs की स्थापना करने की आवश्यकता है।**

संबंधित सुर्ख़ियां

हाल ही में, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) ने पहली तनावग्रस्त परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया है।

- NARCL, एक **एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC)/ बैड बैंक है, इसने अपने पहली तनावग्रस्त परिसंपत्ति- जे.पी. इंफ्राटेक को उधारदाताओं से प्राप्त** कर लिया है।
- NARCL/ बैड बैंक एक कॉर्पोरेट संरचना है जो बैंकों द्वारा धारित जोखिमपूर्ण संपत्तियों को एक अलग इकाई के अधीन लाती है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी।
  - NARCL को कंपनी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों की बहुमत हिस्सेदारी है।

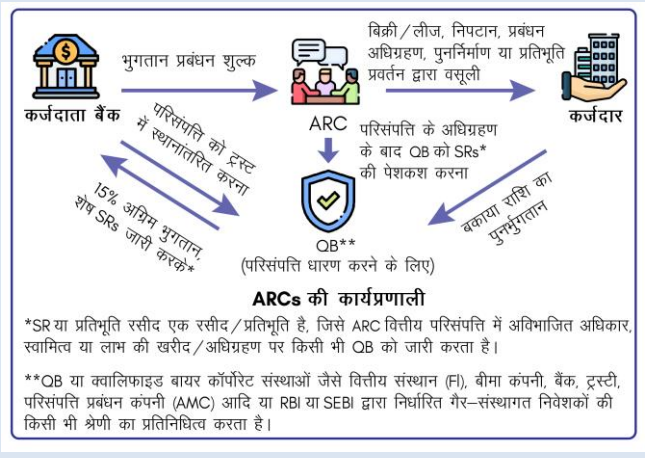

ARCs की कार्यप्रणाली

*SR या प्रतिभूति रसीद एक रसीद/प्रतिभूति है, जिसे ARC वित्तीय परिसंपत्ति में अविभाजित अधिकार, स्वामित्व या लाभ की खरीद/अधिग्रहण पर किसी भी QB को जारी करता है।

**QB या क्वालिफाइड बायर कॉर्पोरेट संस्थाओं जैसे वित्तीय संस्थान (FI), बीमा कंपनी, बैंक, ट्रस्टी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (AMC) आदि या RBI या SEBI द्वारा निर्धारित गैर–संस्थागत निवेशकों की किसी भी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है।

[56] United Nations Commission on International Trade Law

- यह SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत एक ARC के रूप में RBI के साथ पंजीकृत है।

- **बैड बैंक का महत्त्व**
  - **बैंकों के NPAs को कम करना,** वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और दक्षता में सुधार करना।
  - इससे रिकवरी में सुधार होगा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि NARCL स्विस चैलेंज को बैंकों के लिए तनावग्रस्त संपत्तियों से सर्वोत्तम रिकवरी करने की अनुमति देता है।
  - MSME के स्तर पर अन्य ARCs के लिए अवसर मिलता है, क्योंकि NARCL केवल उन्हीं संपत्तियों का पुनर्निर्माण करता है जहां बैंकों का कुल बकाया 500 करोड़ रुपये से अधिक है।

4.4.2.1. तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण (SSAF) का फ्रेमवर्क {Securitization of Stressed Assets Framework (SSAF)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने **SSAF**[57] पर एक चर्चा पत्र जारी किया है।

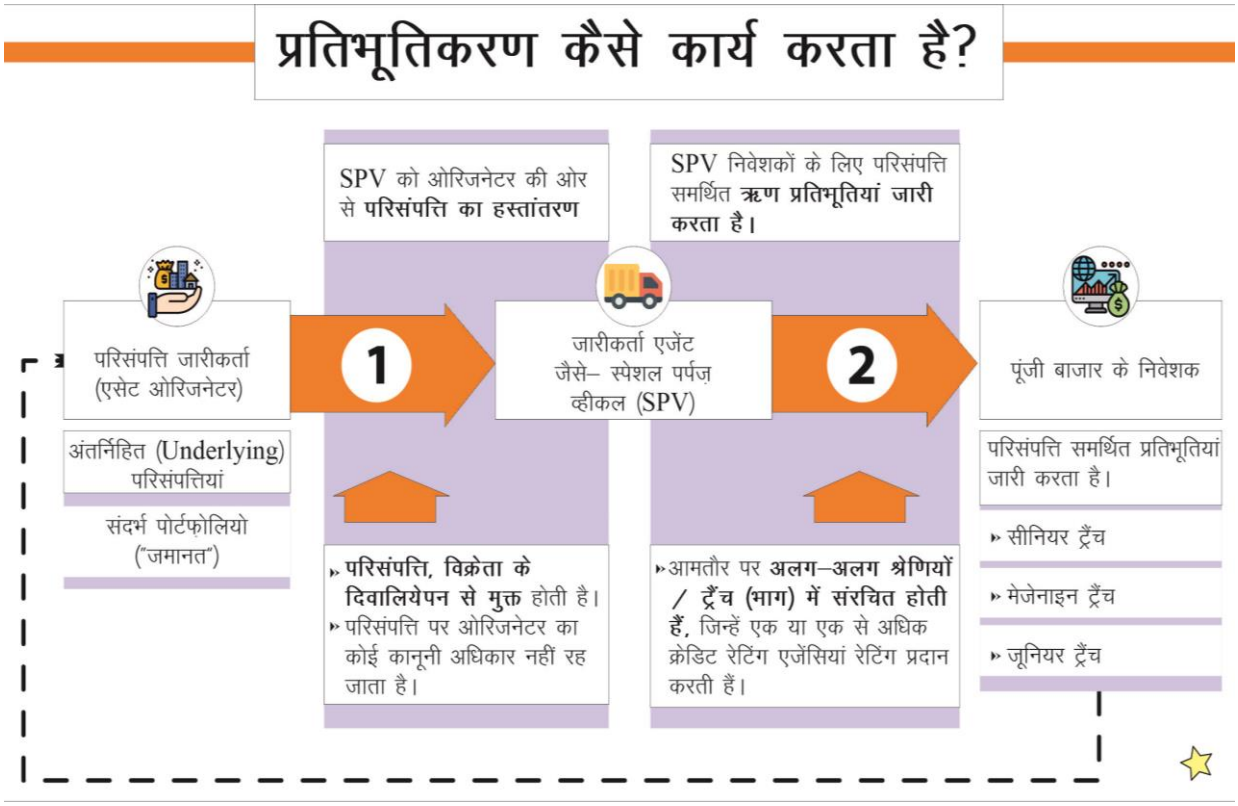

प्रतिभूतिकरण और SSAF के बारे में

- प्रतिभूतिकरण में **ऋणों की पूलिंग और फिर उन्हें एक विशेष प्रयोजन संस्था (SPE)**[58] **को बेचना शामिल** होता है। इसके पश्चात् यह **संस्था** ऋण पूल द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों को जारी करती है।
- प्रतिभूतिकरण में **ऐसे लेन-देन शामिल होते हैं जो परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम को अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल वाली व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में पुनर्वितरित** करते हैं। (प्रतिभूतीकरण कैसे काम करता है, इसके लिए इन्फोग्राफिक देखें)।
- **ये परिसंपत्तियां निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं:**
  - मानक परिसंपत्तियां (Standard assets) और
  - तनावग्रस्त परिसंपत्तियां, यानी NPA के रूप में वर्गीकृत ऋण।

[57] Securitization of Stressed Assets Framework/ तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण का फ्रेमवर्क

[58] Special Purpose Entity

- SSAF का उद्देश्य मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण की तर्ज पर SPE मार्ग के जरिए NPA के प्रतिभूतिकरण को सक्षम बनाना है।
  - वर्तमान में, भारत में 1 जनवरी, 2018 से लागू बेसेल दिशा-निर्देशों के अनुसार SPE मार्ग के माध्यम से मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण की अनुमति है।
  - SARFAESI अधिनियम के तहत तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण लाइसेंस प्राप्त एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) द्वारा किया जाता है।
- SSAF के तहत, NPA प्रवर्तक प्रतिभूतिकरण नोट जारी करके उन्हें SPE को बेच देगा।
  - बदले में, SPE **तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए एक सर्विसिंग एंटिटी** नियुक्त करती है। यह एंटिटी आमतौर पर एक शुल्क संरचना से युक्त होती है, जो SPE को परिसंपत्तियों में अंतर्निहित ऋणों की अधिकतम वसूली के लिए प्रोत्साहित करती है।

- प्रतिभूतिकरण नोट खरीदने वाले निवेशकों को ट्रेंच की वरिष्ठता के आधार पर और वॉटरफॉल मैकेनिज्म का उपयोग करते हुए अंतर्निहित परिसंपत्तियों से वसूली के आधार पर भुगतान किया जाता है।

4.5. अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 (Nobel Prize for Economics 2022)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने **बैंकों और वित्तीय संकटों** पर शोध के लिए यू.एस.ए. के तीन अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र में सेवरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार/ नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय लिया है।

नोबेल पुरस्कार 2022

- 2022 का यह पुरस्कार **संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित तीन अर्थशास्त्रियों** को दिया गया है:
  - **बेन एस. बर्नांकि; डगलस डब्ल्यू. डायमंड** एवं **फिलिप एच. डाइबविग।**
- इनका कार्य **अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका को समझने पर केंद्रित** था (इन्फोग्राफिक देखें)।

उपर्युक्त विद्वानों के अनुसंधान के बारे में

बर्नांके द्वारा किया गया शोध

- बर्नांके ने 1930 के दशक की **महामंदी (Great Depression)** का विश्लेषण किया है। यह आधुनिक जगत का सबसे गंभीर आर्थिक संकट था।
  - इनके अध्ययन से पहले, **बैंक की विफलताओं को वित्तीय संकट के 'परिणाम'** के रूप में देखा जाता था।
- हालांकि 1983 में, उन्होंने साबित किया कि **बैंक रन (बॉक्स देखें)** के कारण बैंक विफल हुए थे। इस स्थिति के कारण **अपेक्षाकृत साधारण मंदी भी महामंदी** में तब्दील हो गई।
  - जब **बैंक बर्बाद हुए,** तब उनसे **उधार लेने वालों के बारे में मूल्यवान जानकारी भी सुरक्षित नहीं रह पाई** और उसे दोबारा शीघ्रता से प्राप्त भी नहीं किया जा सका था।
  - इस प्रकार **उत्पादक निवेशों के लिए** अपनी **बचत का इस्तेमाल करने की समाज की क्षमता बहुत कम हो गई थी।**
- बर्नांके के अनुसार, जब सरकार ने **बैंकों की विफलता की अन्य घटनाओं को रोकने हेतु कठोर उपाय** लागू किए तभी **अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आनी शुरू हुई।**

डगलस डब्ल्यू. डायमंड एवं फिलिप एच. डाइबविग द्वारा किया गया शोध: उन्होंने निम्नलिखित की व्याख्या करते हुए सैद्धांतिक मॉडल विकसित किए:

- **बचतकर्ता और निवेशकों के बीच संघर्ष (Conflict of Saver and Investors):**
  - अर्थव्यवस्था के सुगम परिचालन हेतु **बचत का उपयोग निवेश में किया जाना चाहिए।** हालांकि, बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच यहां एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - अपने सिद्धांत में, डायमंड और डाइबविग बताते हैं कि **बैंक इस समस्या का बेहतर समाधान कैसे प्रदान करते हैं।**
    - बैंक मध्यस्थों के रूप में बचतकर्ताओं से जमाराशि स्वीकार करते हैं और जमाकर्ता बैंक से अपनी जमा-राशि को जब चाहे तब निकाल भी सकते हैं। साथ ही, बैंक ऋण लेने वालों को दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान कर सकते हैं।

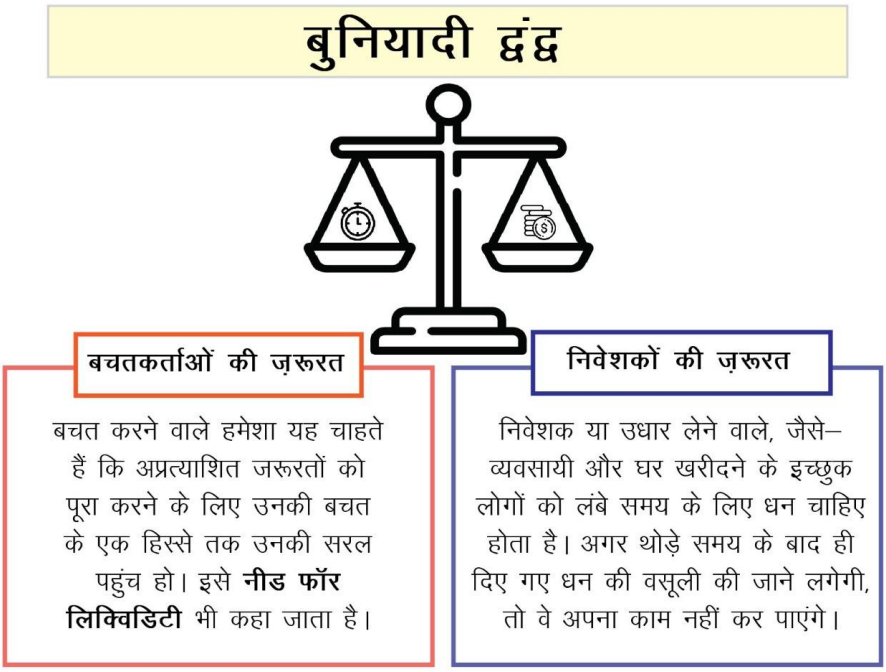

  - हालांकि विश्लेषण से यह भी पता चला है कि **कैसे उपयुक्त दो गतिविधियां मिलकर बैंकों** को उनके दिवालिया होने से जुड़ी **अफवाहों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।**
    - यदि बड़ी संख्या में बचतकर्ता एक साथ बैंक से अपना पैसा निकालने लगते हैं, **तो अफवाह वास्तविक रूप भी धारण कर सकती है।** इस प्रकार हुए बैंक रन से बैंक बर्बाद हो जाता है।
  - **सरकार जमा राशि के प्रति बीमा प्रदान करके** और बैंकों के लिए अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता की भूमिका निभाकर इस घातक स्थिति को रोक सकती है।
- **समाज में बैंकों की भूमिका:** डायमंड ने बताया है कि बैंक सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य कार्य कैसे करते हैं।
  - कई बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच मध्यवर्ती के रूप में, **बैंक उधारकर्ताओं की साख का आकलन करता है** और यह सुनिश्चित करता है कि ऋण का उपयोग अच्छे निवेश के लिए किया जाए।

4.6. भुगतान प्रणाली (Payment Systems)

भुगतान प्रणाली – एक नज़र में

RBI के अनुसार, भारत में सभी लेन-देन का लगभग 50% नकद में होता है। 500 रुपये से कम के लेन-देन के लिए यह 70% है।

भारत के डिजिटल भुगतान की 50% मात्रा पर डेबिट कार्ड, UPI और IMPS का प्रभुत्व है।

भारत के डिजिटल भुगतान के 53% मूल्य पर RTGS और NEFT का प्रभुत्व है।

वर्ष 2019 में प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन-देन 22.4 रहा। (वर्ष 2014 में यह 2.4 था)।

प्रमुख लक्ष्य

- **रियल टाइम, सुरक्षित, सुलभ और आसान भुगतान** तंत्र प्रदान करना।
- भुगतान के एक रूप का दूसरे रूप में निर्बाध प्रवाह के साथ एक **एकीकृत भुगतान प्रणाली** सुनिश्चित करना।
- **लेन-देन की लागत को यथासंभव कम** से कम करना।
- लेन-देन की उच्च मात्रा को प्रबंधित करने और बनाए रखने के लिए **संस्थागत, डिजिटल और भौतिक अवसंरचना का निर्माण करना।**

योजना/नीति/पहल

- NEFT, RTGS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड।
- NPCI के उत्पाद, जैसे- UPI, IMPS, रुपे, भारत बिल पे, आदि।
- RBI द्वारा भुगतान अवसंरचना विकास निधि (PIDF) का गठन।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा **(डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण) दिशा-निर्देश, 2021**
- **मर्चेंट डिस्काउंट रेट** (MDR) का युक्तिकरण करना।
- RBI की विनियामकीय सैंडबॉक्स (RS) पहल, जिसमें वर्तमान में डिजिटल भुगतान, सीमा-पार भुगतान और MSME को ऋण देना शामिल हैं।

बाधाएं

- नकदी-आधारित अर्थव्यवस्था से **डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने को केवल क्रमिक रूप से स्वीकृति प्राप्त है।**
- साइबर हमले, डेटा में सेंध, भुगतान प्लेटफॉर्म का काम न करना और सूचना की चोरी से **डेटा सुरक्षा और निजता संबंधी जोखिम** पैदा होते हैं।
- **डिजिटल वित्तीय जागरूकता** और डिजिटल वित्तीय साक्षरता का अभाव।
- इंटरनेट और स्मार्टफोन की सीमित पहुंच।
- **गैर-स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं** के लिए डिजिटल भुगतान संबंधी कम विकल्प।
- ग्राहक के संरक्षण और डिजिटल भुगतान की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे।
- विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों में **लागत और कनेक्टिविटी** से संबंधित मुद्दे।

आगे की राह

- डेटा का कुशलतापूर्वक संग्रहण, प्रसंस्करण और संचारण करने के लिए डिजिटल एवं वित्तीय अवसंरचना के साथ-साथ दूरसंचार जैसी **आधारभूत अवसंरचना** को भी मजबूत करना।
- भुगतान प्रणाली के लिए **एकल विनियामकीय व्यवस्था** की आवश्यकता है।
- **मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऑफ-लाइन भुगतान** के लिए भी अधिक विकल्प प्रदान करना।
- वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ **डिजिटल भुगतान के संबंध में जागरूकता।**
- आपराधिक दुरुपयोग संबंधी जोखिम को पहचानकर, समझकर, उनका आकलन करना और उनके समाधान द्वारा **वित्तीय प्रणालियों की सत्यनिष्ठा** की रक्षा करना।
- लोगों द्वारा डिजिटल भुगतान की स्वीकृति को मापने के लिए **जियो-टैगिंग तकनीक का उपयोग** करना।
- **विनियामकों के बीच समन्वय** को बढ़ाना।
- **इंटरनेट की उपलब्धता, वित्तीय शिक्षा, वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली** में वृद्धि को एक साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

4.6.1. डिजिटल भुगतान को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना (Scheme for Financial Support to Digital Payments)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मंत्रिमंडल ने **वित्तीय वर्ष 2022-23** के लिए एक **प्रोत्साहन योजना** को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य **रुपे डेबिट कार्ड** और **कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेन-देन** (व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M) को बढ़ावा देना है।

योजना के मुख्य बिंदु

- **बैंकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।** इसका लक्ष्य रुपे डेबिट कार्ड एवं कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेन-देन (P2M) का उपयोग करके पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) और ई-कॉमर्स संबंधी लेन-देन को बढ़ावा देना है।
- **यह योजना UPI LITE और UPI 123PAY** को किफायती और उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में **बढ़ावा देगी**। साथ ही, यह आबादी के सभी क्षेत्रों और खंडों में डिजिटल भुगतान की पहुंच को सक्षम करेगी।

डिजिटल भुगतान का महत्त्व

- **उन्नत वित्तीय समावेशन:** डिजिटल भुगतान **कभी भी, कहीं भी खातों तक पहुंच** प्रदान करता है। इस प्रकार, यह नागरिकों के लिए अपने खातों में भुगतान प्राप्त करना और अपने फोन का उपयोग करके भुगतान करना भी आसान बनाता है।
- **सरकारी प्रणाली की पारदर्शिता में वृद्धि:** पूर्व में, नकद भुगतान **"लीकेज"** (वे भुगतान जो पूर्ण रूप से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुँचते) और **"घोस्ट" (नकली) प्राप्तकर्ताओं** जैसी समस्याओं से ग्रस्त थे। वर्तमान में, लाभ सीधे लक्षित लाभार्थी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। यह भुगतान के डिजिटल तरीकों की सहायता से संभव हुआ है।
- **त्वरित और सुविधाजनक भुगतान:** नकदी के विपरीत, **BHIM-UPI और IMPS जैसे** डिजिटल मोड का उपयोग करके लाभार्थी के खाते में पैसा तुरंत स्थानांतरित किया जा सकता है।
- **सुरक्षित और संरक्षित:** भारत में डिजिटल भुगतान की प्रणाली पूर्णतः सुरक्षित है, क्योंकि ऐसे लेन-देन हेतु **प्रमाणीकरण के कई स्तर** लागू किए गए हैं।
- **बेहतर क्रेडिट पहुंच:** नकद भुगतानों के विपरीत, डिजिटल भुगतान स्वचालित रूप से उपयोगकर्ता के **फाइनेंशियल फुटप्रिंट स्थापित करते** हैं। इससे क्रेडिट के साथ-साथ औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ जाती है।

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणालियों में चुनौतियां

- **नकदी पर निर्भर अर्थव्यवस्था:** भारत **मुख्य रूप से एक नकदी-आधारित अर्थव्यवस्था** है। नकदी भुगतान में अनामिता (बेनामी भुगतान), लचीलापन, सुविधा और तेजी देखी जाती है। इसके अलावा, नकदी बिना किसी डिफ़ॉल्ट जोखिम के भुगतान की सुविधा प्रदान करती ही है। साथ ही, यह तरलता एवं स्वीकार्यता का उच्च स्तर भी उपलब्ध कराती है।
- **बैंकों और कार्डों तक सीमित पहुंच:** भारत के कुछ हिस्सों तक अभी भी बैंकिंग सेवाओं की पहुंच नहीं हैं। साथ ही, इन हिस्सों में वित्तीय विकास, जैसे- UPI, मोबाइल बैंकिंग आदि को अपनाने से संबंधित जानकारी का भी अभाव है।
- **डिजिटल साक्षरता का अभाव:** राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र के अनुसार, **केवल 27% भारतीय ही वित्तीय रूप से साक्षर हैं।**

- **साइबर धोखाधड़ी और निजता संबंधी जोखिम:** साइबर सुरक्षा एक बड़ी बाधा है जो डिजिटल लेन-देन को प्रभावित करती है।
- **लागत और कनेक्टिविटी:** डिजिटल भुगतान की लागत कभी-कभी उपयोगकर्ताओं के लिए नकदी की तुलना में डिजिटल भुगतान को अपनाने में बाधक बन जाती है। उपयोगकर्ता मानते हैं कि इसकी जगह नकदी का इस्तेमाल करना निःशुल्क होता है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुधार के लिए अन्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करना; साइबर सुरक्षा को मजबूत करना; जागरूकता सृजित करना; डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना आदि।

4.6.2. टोकनाइजेशन (Tokenization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के **कार्ड-ऑन-फाइल (CoF) टोकनाइजेशन मानदंड** 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं।

CoF टोकनाइजेशन के बारे में

- **टोकनाइजेशन** में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के पर्सनल डिटेल को एक यूनिक कोड यानी टोकन में बदल दिया जाता है। इसके माध्यम से कार्ड संबंधी संवेदनशील विवरण साझा किए बिना ही खरीदारी की जा सकती है।
  - **CoF आधारित लेन-देन** में कार्डधारक किसी ऑनलाइन मर्चेंट को अपने मास्टरकार्ड या वीजा के विवरण को स्टोर करने का अधिकार देता है।
- टोकनाइजेशन की प्रक्रिया के तहत, ऑनलाइन भागीदार या व्यापारी को **ऑनलाइन लेन-देन की प्रक्रिया के लिए कार्ड नंबर, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू (CVV) कोड और एक्सपायरी डेट को स्टोर करने की अनुमति नहीं है।**
  - ऑनलाइन मर्चेंट द्वारा सेव (स्टोर) किए गए कार्डधारक के कार्ड संबंधी विवरणों को डिलीट करना होगा।
- टोकनाइजेशन और डी-टोकनाइजेशन (टोकन को वास्तविक कार्ड विवरण में बदलना) **केवल निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है-**
  - कार्ड जारी करने वाले बैंक द्वारा, या
  - वीजा/मास्टरकार्ड/रुपे कार्ड जारीकर्ताओं द्वारा, जिन्हें अधिकृत कार्ड नेटवर्क माना जाता है।

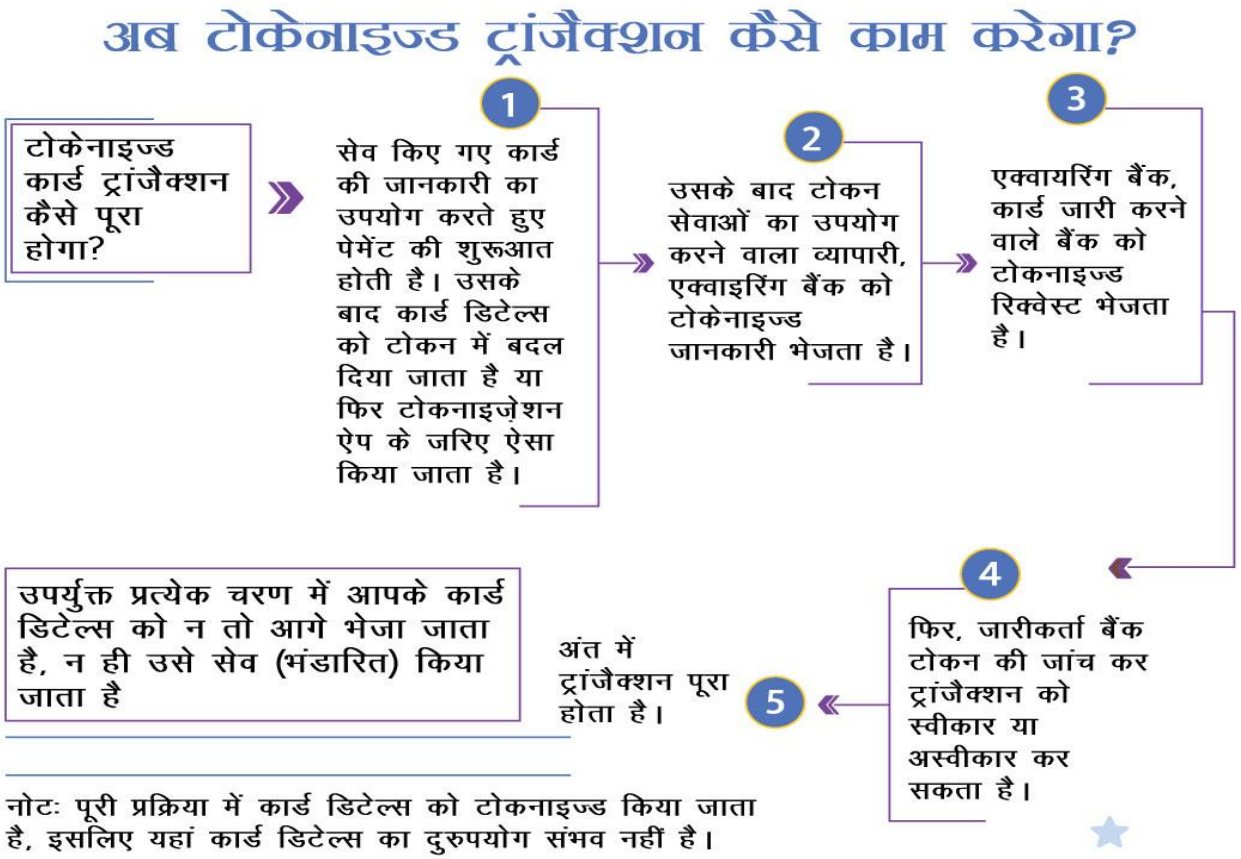

कार्ड टोकनाइजेशन का महत्त्व

- **भुगतान सुरक्षा:** टोकनाइजेशन से धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके तहत कार्ड के संवेदनशील डेटा/विवरण को स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे भुगतान प्रणाली अधिक मजबूत और सुरक्षित हो जाती है।
- **तीव्र और आसान भुगतान:** टोकनाइजेशन ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसिंग को गति प्रदान करता है। साथ ही, यह ग्राहकों के लिए ऑनलाइन लेनदेन को आसान भी बनाता है।
- यह सर्वर हैकिंग के कारण होने वाली **डेटा चोरी (Data Breach) की समस्या को भी समाप्त करता है।** इससे साइबर हमलों की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है।
- **यह व्यापारी के दायित्वों को कम करता है,** क्योंकि टोकनाइजेशन के बाद व्यापारी को कार्ड के विवरण को स्टोर करने से संबंधित कई नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा।

निष्कर्ष

टोकन का उपयोग करके भुगतान प्रोसेसिंग हेतु बैक-एंड अवसंरचना को मजबूत बनाया जाना चाहिए। इससे लेन-देन की असफलता से बचा जा सकेगा और सुचारू रूप से इस बदलाव को अपनाया जा सकेगा।

इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियां

- **छोटे व्यापारियों पर प्रभाव:** छोटे व्यापारी जिनके पास आवश्यक संसाधन और जानकारी नहीं है, उन्हें इस नए शासनादेश का पालन करने के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स पर निर्भर होना पड़ेगा।
- निर्बाध लेन-देन अनुभव प्रदान करने के लिए शामिल अनेक **बैंक-एंड प्रणालियों और नेटवर्क/सेवा प्रदाताओं के साथ एकीकरण पर स्पष्टता का अभाव है।**
- टोकनाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में ग्राहकों में **जागरूकता की कमी है।**
- **ग्राहक को होने वाली असुविधा:** यदि ऑनलाइन मर्चेंट्स कार्ड टोकेनाइजेशन का पालन नहीं करते हैं, तो ग्राहक को ऑनलाइन ऑर्डर के समय भुगतान करने हेतु हर बार अपना कार्ड विवरण दर्ज करने के लिए मजबूर किया जाएगा।

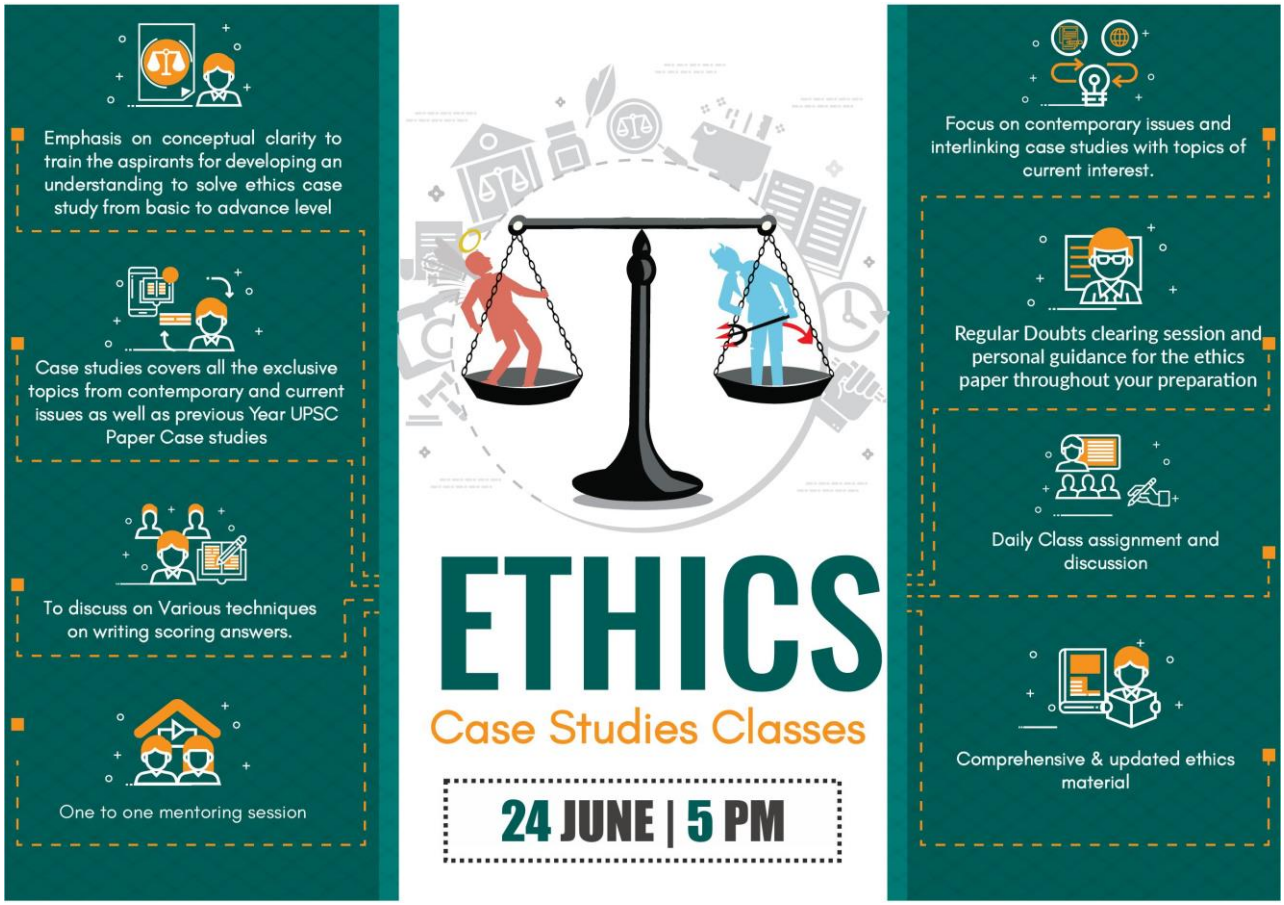

4.7. फिनटेक क्षेत्रक (FinTech Sector)

फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी (FinTech) सेक्टर: एक नज़र में

वित्त वर्ष 2021 में भारतीय **फिनटेक उद्योग का मूल्य 50–60 बिलियन डॉलर** था। यह **2025 तक 150 बिलियन डॉलर** तक पहुंच सकता है।

मार्च 2020 में, भारत में **फिनटेक एडॉप्शन रेट** 87% थी, जबकि वैश्विक औसत 64% था।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है।

- बैंक
- भुगतान
- एन.बी.एफ.सी
- सिक्योरिटी ब्रोकिंग
- धन प्रबंधन
- वितरण

वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी का जुड़ाव

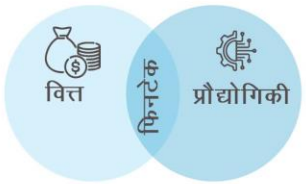

- हार्डवेयर प्रदाता
- सॉफ्टवेयर प्रदाता
- क्लाउड प्रदाता
- प्लेटफॉर्म प्रदाता

फिनटेक की क्षेत्रीय क्षमता

- **क्रेडिट:** इसमें **उधार और निवेश परिदृश्य को बदलने** की क्षमता है। यह ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से **पूंजी तक तीव्र और आसान पहुंच** के साथ उपभोक्ता तथा व्यवसायों की मदद कर सकता है।
- **भुगतान:** फिनटेक द्वारा विभिन्न उपयोगों, जैसे– **P2P (व्यक्ति–से–व्यक्ति), P2M (व्यक्ति–से–व्यापारी), G2P (सरकार–से–व्यक्ति) आदि** के लिए **धन का हस्तांतरण** किया जा सकता है।
- **पेंशन: फिनटेक–सक्षम प्रौद्योगिकियां वित्तीय नियोजन को सुलभ** बना सकती हैं। इसके लिए **जोखिम प्रबंधन अनुप्रयोगों, निवेश प्रक्रियाओं के स्वचालन और नियामक अनुपालन की सुविधा** उपयोग किया जा सकता है।
- **अकाउंट एग्रीगेटर सर्विसेज:** विभिन्न वित्तीय सेवाओं से एक ग्राहक के **वित्तीय डेटा को एकत्रित करके** विश्लेषण करना और अंतर्दृष्टि का निर्माण करते हुए **अकाउंट एग्रीगेटर सेवाएं प्रदान करना।** इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी वित्तीय प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों को प्रबंधित करने में मदद करना है।

भारत में फिनटेक के विकास के चालक

- मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों द्वारा संचालित **तकनीकी नवाचार।**
  - **RBI द्वारा इंटर–ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (IORS) प्रणाली**
- **भारत में इंटरनेट उपयोग और स्मार्टफोन की संख्या बढ़ रही है।** साथ ही, स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के मामले में यह दूसरे स्थान पर है।
- भारत के पास **अनुकूल जनसांख्यिकी** है। यहाँ वर्ष 2030 तक 140 मिलियन मध्यम आय और 21 मिलियन उच्च आय वाले परिवार होंगे।
- **वित्तीय समावेशन से जुड़े पहल,** जैसे– **PMJDY, DAY—NRLM,** प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, अटल पेंशन योजना आदि।

आगे की राह

- दूरसंचार जैसे **बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।**
- प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए **बाजार संकेंद्रण, मानकीकरण** और इंटरऑपरेबिलिटी के जोखिम को हल करने हेतु **अनुकूल नीतिगत ढांचा।**
- **तीव्र और कम मूल्य वाले खुदरा मोबाइल भुगतान के लिए वैश्विक गठबंधन बनाना।** उदाहरण के लिए– **UPI** नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से साझेदारी।
- **फिनटेक** के मामले में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उद्योग जगत के साथ सहयोग करना। इससे दूरदराज के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में भुगतान प्रणाली में सुधार होगा।
- **फिनटेक** के आपराधिक दुरुपयोग के जोखिमों की पहचान, समझ, आकलन और उन्हें कम करके **वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करना।**
- **एक सक्षम वैधानिक तंत्र प्रदान करने हेतु कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण।** इसमें **फिनटेक** गतिविधियों के प्रमुख पहलुओं के बारे में अधिक वैधानिक स्पष्टता और निश्चितता होगी।

भारत में FDI अंतर्वाह से संबंधित मुद्दे

- **डेटा लीक, प्लेटफॉर्म डाउनटाइम और सूचना की चोरी से डेटा सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम** उत्पन्न होते हैं।
- **विभिन्न प्रकार की स्वीकृति,** क्योंकि फिनटेक को अपनाना **हर प्रकार के व्यवसाय** के लिए आसान नहीं है।
- **तेजी से बदलते नियम** जो अनुपालन लागत को बढ़ाते हैं और आत्मविश्वास को कम करते हैं।
  - इसके अलावा, इनमें निवेश के बाद सिस्टम से बाहर निकलने, क्रिप्टोकरेंसी, भुगतान नियम, डेटा, बुनियादी ढांचा सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण जैसे मुद्दों पर विनियम लगातार विकसित हो रहे हैं।
- **वित्तीय साक्षरता और जागरूकता की कमी,** क्योंकि लगभग 2/3 भारतीय नागरिक गांवों में रहते हैं।
- **वित्तीय प्रणाली में बिग टेक उद्योगों की बढ़ती भूमिका समग्र स्थिरता को कम कर सकती है या एकाधिकार संबंधी मुद्दों को जन्म दे सकती है।**

4.7.1. डिजिटल ऋण (Digital Lending)

सुर्ख़ियों में क्यों?

डिजिटल ऋण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देश 1 दिसंबर, 2022 से प्रभावी हो गए हैं।

दिशा-निर्देशों की आवश्यकता क्यों?

- **अवैध रूप से ऋण देने वाले ऐप की संख्या में वृद्धि:** RBI ने 2021 में ऋण देने वाले अनेक अवैध ऐप की पहचान की थी। इनकी संख्या 600 से अधिक थी। यह संख्या भारत में ऋण देने वाले कुल ऐप के आधे से अधिक है।
- **डेटा गोपनीयता को लेकर चिंता।**
- **गैर-विनियमित संस्थाएं:** टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर और मार्केटप्लेस एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म लेंडिंग या 'लोन सर्विस प्रोवाइडर' (LSP) मॉडल अपना रहे हैं। इसमें बैंक और NBFCs बैकेंड में रहते हुए ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं।
- **गैर-सूचीबद्ध उत्पाद (Unreported products):** हाल के दिनों में, कई नए उत्पादों, जैसे- "बाय नाउ पे लेटर (BNPL)" आदि का विकास हुआ है। ऐसे लेन-देन की रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरो को नहीं दी जाती है, क्योंकि वे 'क्रेडिट' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- **क्रिप्टो ऋण में वृद्धि:** ऋण देने वाले **DeFi** (Decentralized Finance/ विकेंद्रीकृत वित्त) **प्लेटफॉर्म** क्रिप्टो एसेट्स का उपयोग करके ऋण देने और ऋण लेने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये किसी भी नियामकीय ढांचे की अनुपस्थिति में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

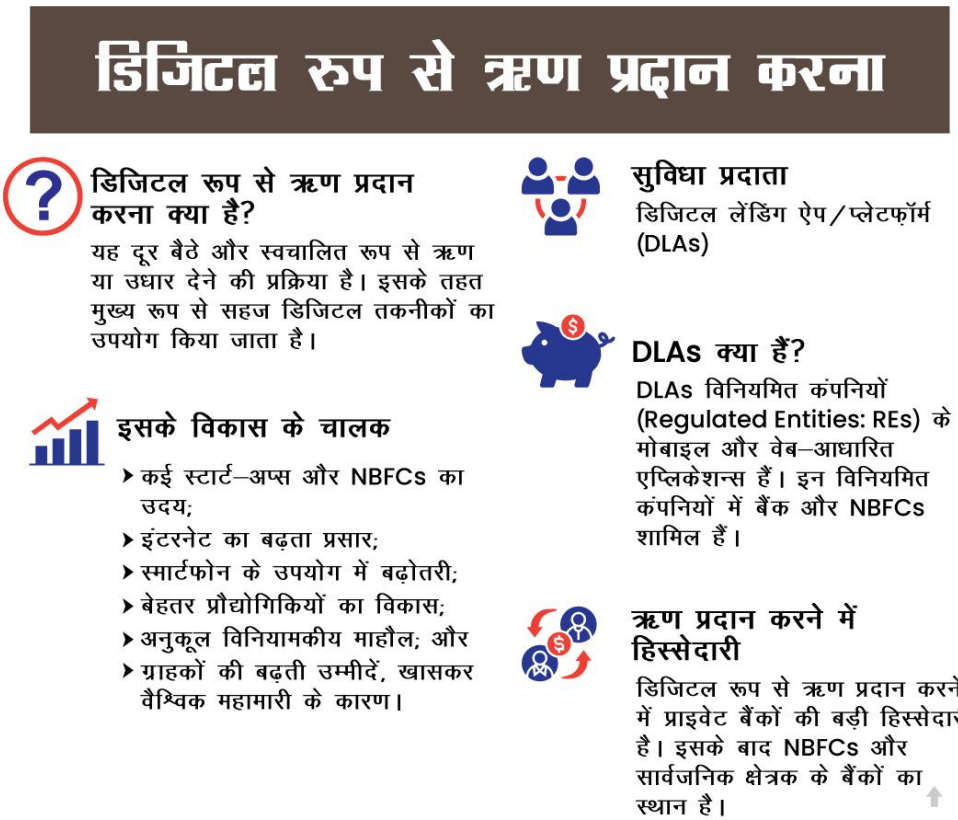

डिजिटल ऋण से संबंधित दिशा-निर्देश

- **किन संस्थानों पर लागू होंगे:** ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले डिजिटल ऋण पर लागू होंगे:
  - सभी वाणिज्यिक बैंक
  - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
  - राज्य सहकारी बैंक
  - जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
  - NBFCs, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी शामिल हैं

मुख्य प्रावधान

मानदंड	दिशा-निर्देश
ग्राहक सुरक्षा और आचरण संबंधी आवश्यकताएं (Customer Protection and Conduct requirements)	• **ऋण देना, सर्विसिंग और पुनर्भुगतान:** सभी ऋण सर्विसिंग, **पुनर्भुगतान** आदि ऋणी (उधारकर्ता) द्वारा सीधे विनियमित संस्थाओं (REs)[59] के बैंक खाते में संपन्न किए जाएंगे। इसमें किसी तीसरे पक्ष के **पास-थ्रू अकाउंट/ पूल अकाउंट** को शामिल नहीं किया जाएगा। • **क्रेडिट सीमा:** ऋणी की स्पष्ट सहमति के बिना क्रेडिट सीमा में कोई भी स्वचालित वृद्धि नहीं हो सकती है। • **ऋणी के लिए प्रकटीकरण:** REs सभी डिजिटल उत्पादों से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट से पहले ऋणी को एक **महत्वपूर्ण तथ्य विवरण (KFS)**[60] प्रदान करेंगे। • **शिकायत निवारण:** REs यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके और उनके द्वारा नियुक्त LSPs के पास एक नोडल शिकायत निवारण अधिकारी हो।

प्रौद्योगिकी और डेटा संबंधी आवश्यकताएं (Technology and Data Requirement)	• **डेटा का संग्रह, उपयोग और किसी तीसरे पक्ष के साथ डेटा साझाकरण:** डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLAs)[61] द्वारा डेटा का संग्रह आवश्यकता-आधारित होना चाहिए। साथ ही, यह ऑडिट ट्रेल वाले ऋणी की पूर्व और स्पष्ट सहमति के साथ किया जाना चाहिए।
	• **डेटा का भंडारण:** REs यह सुनिश्चित करेंगे कि:
	  ○ DLAs से जुड़े सिस्टम में कोई बायोमेट्रिक डेटा भंडारित/ एकत्रित नहीं किया जाए।
	  ○ संपूर्ण डेटा केवल भारत के भीतर स्थित सर्वरों में भंडारित हो।
	  ○ ऋणी को ग्राहक डेटा के भंडारण के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
	• **व्यापक गोपनीयता नीति:** REs डेटा गोपनीयता और ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।
	• **प्रौद्योगिकी मानक:** REs यह सुनिश्चित करेंगे कि वे और उनसे संबद्ध LSPs भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों द्वारा निर्धारित साइबर सुरक्षा पर अलग-अलग प्रौद्योगिकी मानकों/ आवश्यकताओं का अनुपालन करें।

विनियामकीय ढांचा (Regulatory Framework)	• **ऋणों की रिपोर्टिंग:** REs को यह सुनिश्चित करना होगा कि DLAs के माध्यम से दिए गए किसी भी ऋण की सूचना क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ (CICs) को दी जाए, भले ही इसकी प्रकृति या अवधि कुछ भी हो। • **LSPs के संबंध में उचित सावधानी और अन्य आवश्यकताएं:** REs को डिजिटल ऋण देने के लिए LSP के साथ साझेदारी करने से पहले उचित सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही, उनके द्वारा नियुक्त LSP के आचरण की आवधिक समीक्षा भी की जानी चाहिए।

दिशा-निर्देशों से संबंधित मुद्दे

- **व्यावसायिक प्रभाव (Business impact):** डिजिटल ऋण देने संबंधी मानदंडों के कारण कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में फिनटेक के लिए अनुपालन लागत, परिचालन तीव्रता और व्यवधानों[62] में वृद्धि हुई है।
- **फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी (FLDG) पर स्पष्टता का अभाव:** FLDG एक फिनटेक और एक विनियमित इकाई के बीच एक लेंडिंग मॉडल है। इसमें कोई तीसरा पक्ष विनियमित संस्थाओं (REs) के ऋण पोर्टफोलियो में डिफ़ॉल्ट के एक निश्चित प्रतिशत तक की क्षतिपूर्ति की गारंटी देता है।
  - वर्तमान में, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि इन साझेदारियों के संबंध में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं।
- **बैंकों और फिनटेक के बीच सहयोग से जुड़ी चुनौतियां:** तकनीकी आधार पर बैंक, NBFCs और फिनटेक अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। साझा-ऋण देने के लिए बैंकों और फिनटेक के सिस्टम को एक-दूसरे के अनुरूप बनाना होगा। इनकी एकीकरण की प्रक्रिया में भी समय लगता है।

[59] Regulated Entities

[60] Key Fact Statement

[61] Digital Lending Apps

[62] Compliance costs, operational intensity and disruptions

आगे की राह

- **यह निर्धारित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों की आवश्यकता** है कि RE और गैर-RE के बीच FLDG व्यवस्था की अनुमति है या नहीं। ये **विशिष्ट दिशा-निर्देश जोखिम साझाकरण की सीमा** के लिए भी आवश्यक होंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि फिनटेक क्रेडिट मांग को पूरा कर रहे हैं, विशेषरूप से आश्रित उधारकर्ताओं (ऋणी) की ऋण मांग को। ऐसा करते हुए फिनटेक नियामक दिशा-निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। ध्यातव्य है कि सूक्ष्म और लघु व्यवसाय आदि आश्रित ऋणी की श्रेणी में आते हैं।
- **फिनटेक और NBFCs** को RBI के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने से बचने के लिए **मजबूत तकनीक, डेटा तथा सुरक्षा अवसंरचना में निवेश करना चाहिए।**
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण **(PDP)**[63] विधेयक लाए जाने के बाद **डेटा विनियम तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल और कठोर हो सकते हैं। इसलिए ऋणदाताओं की ओर से इसका सख्त अनुपालन आवश्यक है।**

4.7.2. डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (Digital Banking Units: DBUs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBUs) राष्ट्र को समर्पित की हैं। यह डिजिटल बैंकिंग के लाभों को देश के कोने-कोने में पहुंचाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

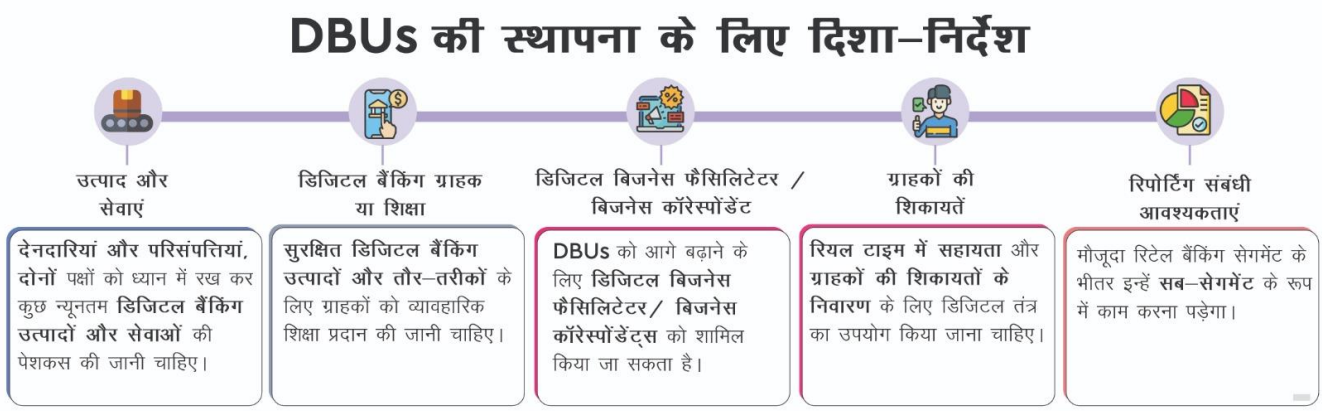

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स: सेटअप और सेवाएं

इससे पहले, **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** ने भी **"DBUs की स्थापना"** पर दिशा-निर्देश जारी किए थे।

- एक DBU **विशिष्ट फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट या हब होता है।** इसमें **डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश** करने के लिए एक न्यूनतम डिजिटल बुनियादी ढांचा स्थापित किया जाता है। यह ढांचा मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को भी डिजिटल रूप देने में सक्षम होता है।
- ये **बैंकिंग आउटलेट्स भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं। इनमें एक डिजिटल बुनियादी ढांचा होता है,** जो निम्नलिखित माध्यमों से लोगों को अलग-अलग बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है।
- RBI के दिशा-निर्देशों के आधार पर देश भर में 75 DBUs स्थापित किए गए हैं। इन्हें **सरकार, RBI, इंडियन बैंक एसोसिएशन और इसके सहभागी बैंकों की एक संयुक्त पहल के रूप में स्थापित किया गया है।**

DBUs का महत्त्व

- DBUs डिजिटल वित्तीय साक्षरता केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे और **डिजिटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा** देंगे। साथ ही, ये डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग प्रक्रियाओं का सरलीकरण भी करेंगे।
- ऐसे क्षेत्र जहां कनेक्टिविटी या डिजिटल पहुंच की कमी है वहां ये डिजिटल बैंकिंग के प्रसार के माध्यम से **वित्तीय समावेशन में सुधार करेंगे।**
- ये ग्राहकों के लिए साइबर सुरक्षा जागरुकता पर विशेष जोर देकर एक **मजबूत और सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली का निर्माण करेंगे।**

[63] Personal Data Protection

- ये **डिजिटल कार्यनीति को अपनाने, नए उत्पादों तथा सेवाओं को लॉन्च करने एवं नवाचार को बढ़ावा** देने के लिए बैंकों को प्रेरित करेंगे। इस कार्य में ये फिनटेक कंपनियों का भी सहयोग लेंगें। इन उपायों के ज़रिए ये अंततः **डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे।**
    - इससे MSMEs/ खुदरा ऋणों के एंड-टू-एंड डिजिटल प्रोसेसिंग की सुविधा प्राप्त हो सकती है। परिणामतः देश में हर व्यक्ति को ऋण या क्रेडिट तक पहुंच प्राप्त हो सकती है।

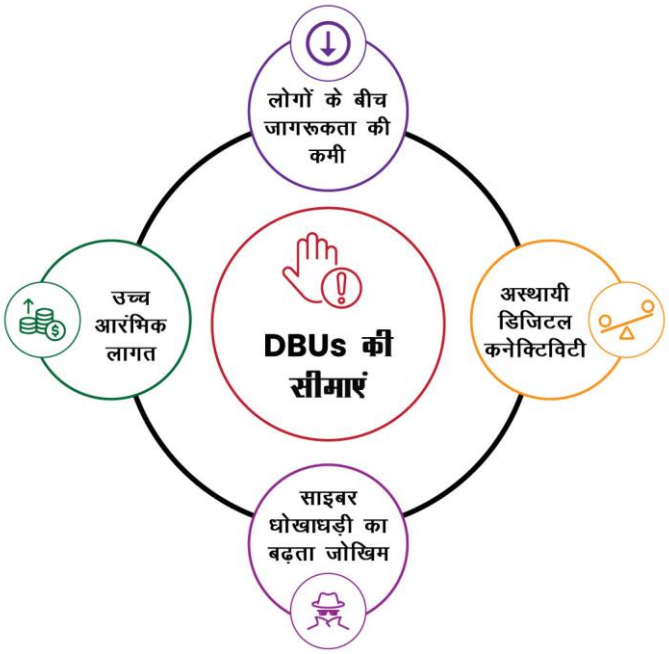

आगे की राह

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, बैंकों और ग्राहकों के परस्पर अंतःक्रिया करने के तरीके को काफी हद तक बदल सकती हैं, लेकिन ये DBUs अलग-थलग रह कर कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि DBUs को यह सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना होगा कि डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम में लोगों को विश्वास हो।

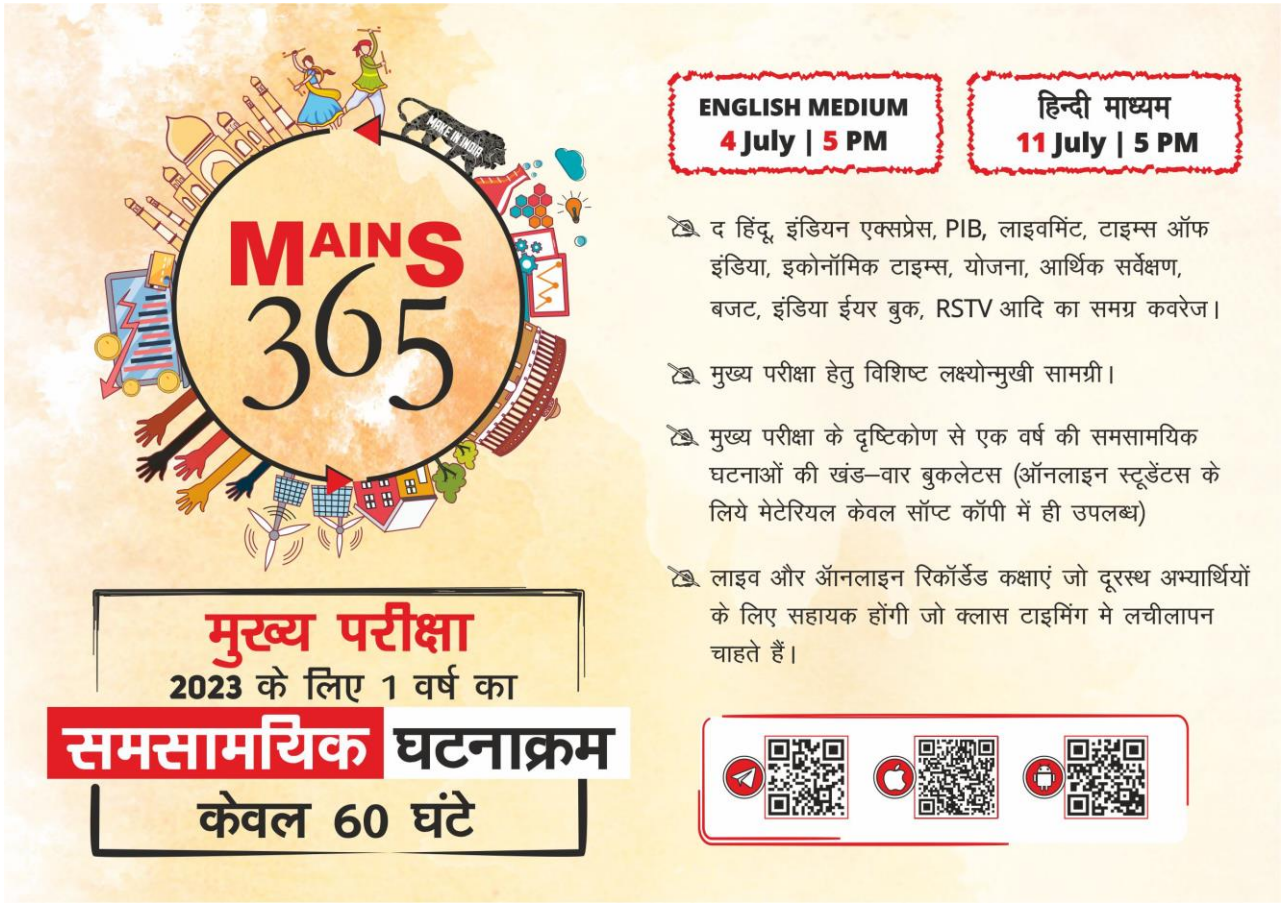

5. बाह्य क्षेत्रक (External Sector)

5.1. निर्यात क्षेत्रक (Export Sector)

भारत का निर्यात क्षेत्रक: एक नज़र में

भारत के निर्यात क्षेत्रक की स्थिति

2022–23 में भारत का कुल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर) 770.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था।	कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.3% है। {चीन (13%) और USA (9%) }	भारत का निर्यात इसके सकल घरेलू उत्पाद के 18% के बराबर है।	भारत का सेवा क्षेत्रक इसके निर्यात का एक महत्वपूर्ण घटक है।

निर्यात के मामले में भारत के खराब प्रदर्शन के कारण

- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला** (GVCs) **में भारत की भागीदारी का स्तर निम्न है।**
- **भारत की निर्यात विविधता सीमित है।** वस्तुओं के मामले में, शीर्ष 10 प्रमुख निर्यातित वस्तुओं का कुल व्यापारिक निर्यात में 78 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
- कमजोर बुनियादी ढांचे, भूमि और श्रम कानूनों की जटिलता, खंडित तथा वैधानिक दायरे से बाहर लॉजिस्टिक क्षेत्र जैसे घरेलू कारणों से **भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम है।**
- निम्न–कुशलता और निर्यातित वस्तुओं के श्रम–गहन होने से **तुलनात्मक लाभ का फायदा उठाने में असमर्थता।**
- **निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में तीन मूलभूत चुनौतियाँ:**
  - निर्यात बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अंतरा और अंतर–क्षेत्रीय असमानताएं;
  - व्यापार समर्थन तथा संवृद्धि संबंधी नीतियों का निम्न स्तर; तथा
  - निम्नस्तरीय अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, जो जटिल और बेहतर उत्पादों के निर्यात में बाधा डालती है।

भारत के लिए निर्यात आधारित वृद्धि की आवश्यकता

- **आत्म–निर्भरता:** निर्यात भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसे **'आत्मनिर्भर भारत'** पर ध्यान केंद्रित करके हासिल किया जा सकता है।
- **आर्थिक संवृद्धि:** उच्च निर्यात से अधिक विदेशी धन–प्रेषण प्राप्त होता है, अधिक रोजगार पैदा होता है और चालू खाता घाटा कम होता है। इसके साथ ही मांग और बुनियादी ढांचे का निर्माण भी होता है।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना:** निर्यात घरेलू विक्रेताओं को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। साथ ही, यह वैश्विक बाजार के एक बड़े हिस्से पर अपनी पैठ बनाने का सुनहरा अवसर भी प्रस्तुत करता है।
- **क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना:** राज्यों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने से क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सकता है। यह निर्यात आधारित विकास और इसके परिणामस्वरूप जीवन स्तर में वृद्धि के माध्यम से होगा।

भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **RoDTEP (निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) योजना।**
- **भारत से सेवा निर्यात योजना** (SEIS)
- **एडवांस अथॉराइजेशन स्कीम** (AAS) व्यापारियों को 0% आयात शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है।
- **एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम** (EPCG स्कीम)
- **एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स** (EPI) उप–राष्ट्रीय निर्यात संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत क्षेत्रों की पहचान करने हेतु डेटा संचालित प्रयास के रूप में शुरू की गई पहल है।
- भारत को एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक बनाने के लिए वाणिज्य विभाग का पुनर्गठन किया गया है।
- अन्य पहलें:
  - MSMEs के निर्यात को बढ़ाने के लिए IndiaXports **पहल।**
  - **निर्यात ऋण गारंटी निगम में पूंजी निवेश।**
  - **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन** (PLI) 14 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं।
  - **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता** (NEIA) **को जारी रखना।**

कोविड के बाद के समय के लिए आगे की राह

- **भारत में निर्मित उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना:**
  - ईज ऑफ डूइंग बिज़नस को बढ़ावा देना
  - भारत के विनिर्माण आधार में सुधार
  - व्यापार
  - अधिक नवाचार और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर ध्यान केंद्रित करना।
- क्षमतावान क्षेत्रकों की खोज और उन्हें मजबूत करना:
  - भारत के निर्यात बास्केट का विविधीकरण
  - PLI योजना के तहत उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- UAE और ऑस्ट्रेलिया की तरह यूरोपीय संघ तथा ब्रिटेन के साथ भी यथाशीघ्र **मुक्त व्यापार समझौता करना।**
- **पड़ोसियों से सीखना,** उदाहरण के लिए– बांग्लादेश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा परिधान निर्यातक बन गया है। पिछले आठ वर्षों में वियतनाम के निर्यात में लगभग 240% की वृद्धि हुई है।

5.2. विदेश व्यापार नीति- 2023 (Foreign Trade Policy 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने **विदेश व्यापार नीति-2023 (FTP 2023)** को अधिसूचित किया है।

FTP 2023 के बारे में

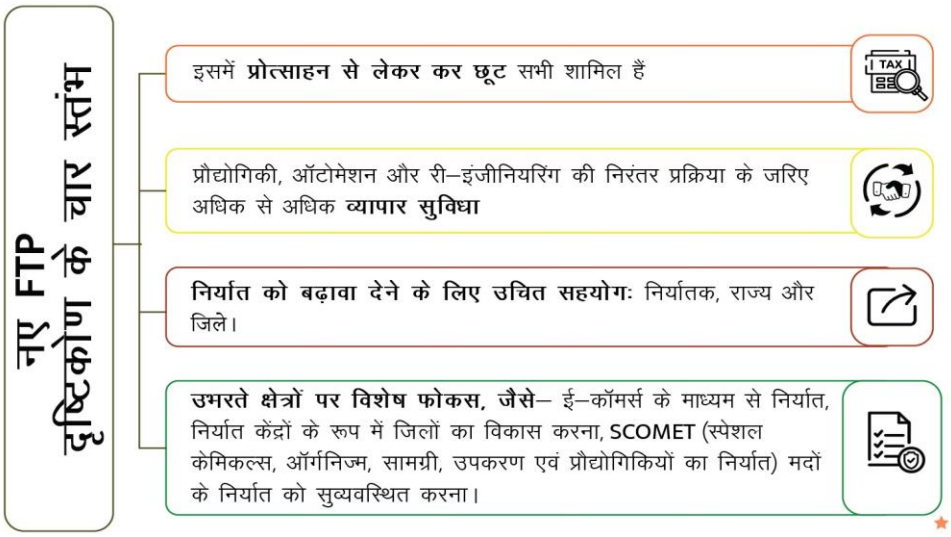

- **FTP 2015-20:** कोविड-19 महामारी और अस्थिर भू-राजनीतिक परिदृश्य के कारण FTP 2015-20 को **मार्च 2023 तक बढ़ा दिया** गया था।
  - इस दौरान भारत का **निर्यात अपने उच्च स्तर** पर पहुंच गया। साथ ही, यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का समग्र निर्यात (वस्तु एवं सेवा को मिला कर) **760 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक** हो जाएगा।
- **नई नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी:** इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि **निर्यात को बढ़ावा** देने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित FTP बहुत जरूरी होती है। व्यापार नीति में इसे निम्नलिखित घटकों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है:
  - परस्पर भागीदारी;
  - व्यापार सुगमता;
  - व्यापार संबंधों के संभावित क्षेत्रों की पहचान करके;
  - **वैश्विक अर्थव्यवस्था में लाभकारी एकीकरण** सुनिश्चित करके; आदि।
- इस नीति में **अलग-अलग हितधारकों के लिए स्पष्ट भूमिकाएं** निर्धारित की गई हैं। यह भारत के विदेशी व्यापार के लिए एक दिशा प्रदान करती है।

नोट: विदेश व्यापार नीति के हिस्से के रूप में संशोधित/ शुरू की गई पहलों पर आगे चर्चा की गई है।

5.2.1. व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता (Trade Facilitation and Ease of Doing Business)

व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता (EoDB) के बारे में

व्यापार सुविधा का आशय निर्यात और आयात प्रक्रियाओं के सरलीकरण, नवीनीकरण तथा उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने से है। ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस या व्यापार सुगमता (EoDB) **व्यापार सुविधा** से संबंधित सरलीकरण और सामंजस्य को मापने के लिए एक मापदंड के रूप में कार्य करती है।

शुरू की गई पहलें

- **व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति (NCTF)[64]:** इस समिति की स्थापना विश्व व्यापार संगठन (WTO) के व्यापार सुविधा समझौते (TFA)[65] के कार्यान्वयन और इससे संबंधित समन्वय को सरल बनाने के लिए की गई है।
- **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)[66] द्वारा शुरू की गई पहलें:** DGFT, निर्यात और आयात के संचालन की दिशा में समन्वयक/सहायक के रूप में कार्य करता है।
  - **निर्यात बंधु योजना:** इसे नए और संभावित निर्यातकों को सलाह देने के लिए लागू किया जा रहा है।
  - **इलेक्ट्रॉनिक-आयातक निर्यातक कोड (e-IEC)[67] जारी करना:** IEC किसी निकाय को आवंटित 10 अक्षरों की एक अल्फा-न्यूमेरिक संख्या होती है। यह संख्या **किसी भी निर्यात/ आयात गतिविधि के लिए अनिवार्य होती है।**
  - **मूल स्थान का ई-प्रमाणपत्र (e-Certificate of Origin: e-CoO):** CoO को प्राप्त करने के लिए यह एक ऑनलाइन सुविधा है। e-CoO में विशिष्ट संख्या होती है, अर्थात् इसमें **विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (UDIN)[68]** होती है जो सत्यापन के लिए एक QR कोड की तरह काम करती है।

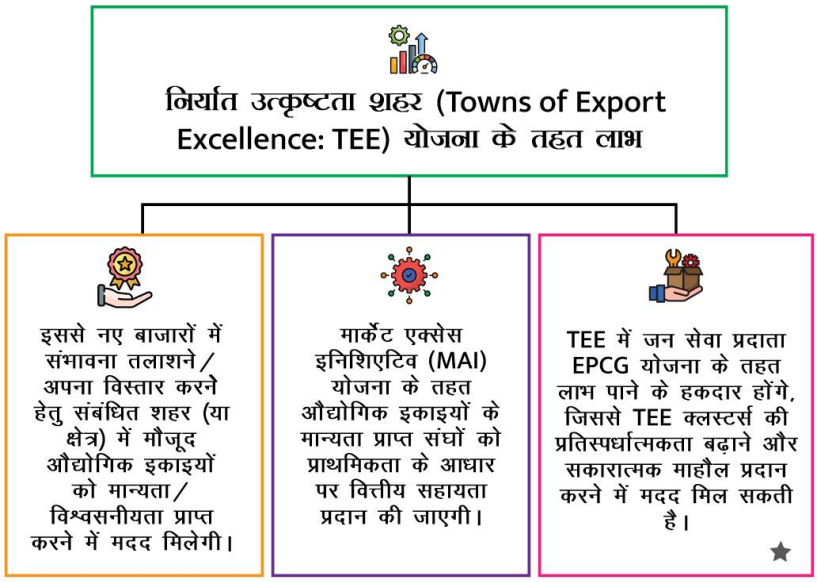

  - इसके तहत **गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवादों (QCTD)[69]** को दर्ज करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- **कस्टम केंद्रों पर व्यापार सुविधा के लिए शुरू की गई पहलें:**
  - 20 बंदरगाहों और 17 हवाई अड्डों पर **24x7 सीमा शुल्क निपटान सुविधा** प्रदान की गई है।
  - सीमा शुल्क के संदर्भ में **सिंगल विंडो क्लीयरेंस** की सुविधा प्रदान की गई है।
  - **कस्टम प्रक्रियाओं के लिए** कागज रहित निपटान सुविधा के रूप में **ई-संचित पहल** की शुरुआत की गई है।
  - आयात के संदर्भ में **फेसलेस ई-असेसमेंट** योजना का पूरे भारत में कार्यान्वयन किया जा रहा है।
  - **तुरंत कस्टम्स (TURANT Customs) और तुरंत सुविधा केंद्र:** इन्हें संपर्क रहित सीमा शुल्क क्लीयरेंस के लिए स्थापित किया गया है।
- **निर्यात उत्कृष्टता शहर (Towns of Export Excellence: TEE):** इन्हें निर्यात उत्पादन केंद्रों के विकास और संवृद्धि के लिए चुना गया है।
  - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, **750 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सामान का उत्पादन** करने वाले शहरों को TEE के रूप में मान्यता दी जा सकती है। हालांकि, हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रकों हेतु TEE में शामिल होने के लिए **न्यूनतम सीमा 150 करोड़ रुपये निर्धारित** की गई है।

[64] National Committee on Trade Facilitation

[65] Trade Facilitation Agreement

[66] Directorate General of Foreign Trade

[67] Electronic–Importer Exporter Code

[68] Unique Document Identification Number

[69] Quality Complaints and Trade Disputes

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- **स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट के मापदंडों का युक्तिकरण:** "स्टेटस होल्डर" सर्टिफिकेट ऐसी निर्यातक फर्मों को **बिजनेस लीडर्स** के रूप में मान्यता देता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और देश के विदेश व्यापार में योगदान दिया है।
  - **स्टेटस होल्डर** को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त हैं:
    - स्व-घोषणा के आधार पर मंजूरी,
    - विभिन्न दस्तावेजों से छूट,
    - खेप प्रबंधन (Consignment Handling) में तरजीह मिलना आदि।

5.2.2. विदेश व्यापार नीति-2023 के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें (Export Promotion Initiatives by FTP 2023)

निर्यात संवर्धन (यानी निर्यात को बढ़ावा देना) के बारे में

निर्यात संवर्धन का तात्पर्य उन पहलों से है जो कंपनी, उद्योग, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात गतिविधियों की क्षमता को बढ़ाती हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित पहलों की शुरुआत की गई है:

'निर्यात हब के रूप में जिले' पहल (Districts as Export Hubs Initiative)

- **संस्थागत तंत्र:** सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य/ जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। इसके लिए सरकार ने **राज्य निर्यात प्रोत्साहन समिति (SEPC)**[70] और **जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति (DEPC)**[71] आदि का गठन किया है।
  - DEPCs द्वारा जिला निर्यात कार्य योजना **(DEAP)**[72] को तैयार और उनकी ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।
  - चिह्नित उत्पादों और सेवाओं की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन एवं मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिलों में **निर्यात संवर्धन आउटरीच कार्यक्रम** की शुरुआत की गई है।
  - इसके तहत जिलों को **लॉजिस्टिक्स, परीक्षण सुविधाओं, निर्यात के लिए कनेक्टिविटी** और अन्य निर्यातोन्मुखी इकोसिस्टम्स के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - इन पहलों का समर्थन करने के लिए चल रही योजनाओं में भी आपसी समन्वय स्थापित किया जाना है।

पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (Export Promotion of Capital Goods: EPCG) योजना

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए **पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुगम बनाना** है। इससे भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।
- **निर्यात दायित्व:** EPCG के तहत किए जाने वाले आयात को औसत निर्यात दायित्व (AEO)[73] के अधीन रखा गया है। हालांकि, कुछ क्षेत्रकों को **AEO की शर्तों से छूट** प्राप्त है।

निर्यात संवर्धन इकाइयां (Export Promotion Units)

- **पात्र इकाइयां:** वे इकाइयां जो अपनी **वस्तु और सेवाओं के संपूर्ण उत्पादन का निर्यात** करती हैं, उन्हें निम्नलिखित योजनाओं के तहत स्थापित किया जा सकता है:
  - **निर्यातोन्मुख इकाई (Export Oriented Unit: EOU) योजना;**
  - **इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना;**
  - **सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना; या**
  - **जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना।**

[70] State Export Promotion Committee

[71] District Export Promotion Committee

[72] District Export Action Plans

[73] Average Export Obligation

डीम्ड एक्सपोर्ट्स

- **परिभाषा:** डीम्ड एक्सपोर्ट उन लेन-देन को संदर्भित करता है जिसमें **आपूर्ति** (निर्यात) **की गई वस्तुएं देश से बाहर नहीं जाती हैं।** ऐसी आपूर्ति के लिए **भुगतान या तो भारतीय रुपये में** या **विदेशी मुद्रा** में होता है।
  - सरल शब्दों में डीम्ड एक्सपोर्ट के तहत, वस्तु को भारत में ही किसी ऐसे व्यक्ति को बेचा जा सकता है जिसके पास इन मूल वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस है। ऐसा विक्रेता **डीम्ड निर्यातक** है और खरीदार **डीम्ड आयातक** कहलाता है। इसके लिए खरीदार के पास इम्पोर्ट लाइसेंस होना जरूरी होता है।
- **उद्देश्य:** घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना।

5.2.3. विदेश व्यापार नीति-2023 के तहत शुरू की गई अन्य पहलें (Other initiatives by FTP 2023)

गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद को लेकर पहलें

- **गुणवत्ता संबंधी शिकायतों और व्यापार संबंधी विवादों पर समिति (CQCTD)[74]:** CQCTD का गठन **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)** के क्षेत्रीय प्राधिकरणों (RAs)[75] में किया जाएगा। संबंधित **RAs** के क्षेत्राधिकार में आने वाली **गुणवत्ता संबंधी एवं व्यापार संबंधी अन्य सभी शिकायतों की पूछताछ और जांच** के लिए CQCTD जिम्मेदार होगी।

डिजिटल इकोनॉमी के लिए सीमा-पार व्यापार को बढ़ावा देने हेतु पहलें

- **ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना: निर्यात बंधु योजना (NBS)** में एक ऐसे घटक को शामिल किया जाएगा, जो **ई-कॉमर्स** और निर्यात के अन्य उभरते स्रोतों/ क्षेत्रों को **बढ़ावा** देगा।
- **ई-कॉमर्स निर्यात हब (E-Commerce Export Hubs: ECEHs):** निर्दिष्ट क्षेत्रों को ECEHs के रूप में स्थापित किया जाएगा। ECEHs **अनुकूल व्यावसायिक अवसंरचना के लिए एक केंद्र** के रूप में कार्य करेंगे और सीमा पारीय ई-कॉमर्स गतिविधियों के लिए **उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करेंगे।**
- ECEH, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए **समूह आधारित लाभ (Agglomeration benefits)** अर्जित करने का कार्य करेगा। ECEH निम्नलिखित सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा:
  - निर्यात के लिए **भंडारण, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रमाणन एवं परीक्षण** और अन्य सामान्य सुविधाएं।
- **डाक मार्ग से ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना:** इसके लिए पूरे देश में **डाक घर निर्यात केंद्रों** को संचालित किया जाएगा। ये निर्यात केंद्र विदेशी डाकघरों (FPOs) के साथ मिलकर **हब-एंड-स्पोक मॉडल** की तर्ज पर काम करेंगे। इससे सीमा पारीय ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

शुल्क में छूट/ छूट से संबंधित योजनाएं

- **अग्रिम प्राधिकरण (Advance Authorisation: AA):** AA के तहत आयात को निम्नलिखित भुगतान (जहां भी लागू हों) से छूट दी गई है:
  - बुनियादी सीमा शुल्क,
  - अतिरिक्त सीमा शुल्क,
  - शिक्षा उपकर,
  - एंटी-डंपिंग ड्यूटी,
  - काउंटरवेलिंग ड्यूटी,
  - सेफगार्ड ड्यूटी,
  - ट्रांजिशन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी।
- **शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (Duty-Free Import Authorization: DFIA):** DFIA को केवल **बुनियादी सीमा शुल्क (BCD)[76] के भुगतान से छूट** दी जाएगी।

[74] Committee on Quality Complaints and Trade Disputes

[75] Regional Authorities

[76] Basic Customs Duty

- **निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजनाएं (Schemes for Remission of Duties and Taxes on Exported Products: RoDTEP):** इसका उद्देश्य केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर निर्यात किए गए उत्पाद पर वर्तमान में **रिफंड नहीं किए गए शुल्कों/ करों/ आरोपित अन्य राशियों को वापस** करना है।

स्कोमेट (SCOMET) अर्थात् विशेष रसायन, जीव, सामग्रियां, उपकरण तथा प्रौद्योगिकियां (Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies: SCOMET)

- **दोहरे उपयोग की वस्तुओं का विनियमन:** हाल ही में, भारत ने स्कोमेट सहित सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी जैसे **दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं** और परमाणु संबंधी वस्तुओं के निर्यात को **विनियमित** किया है। दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध है। हालांकि, विशेष छूट और उचित प्राधिकरण से अनुमति के बाद इनके निर्यात की अनुमति है।
- **स्कोमेट सूची:** यह भारत की **राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची**[77] है। स्कोमेट सूची के अंतर्गत आने वाली आयातित वस्तुओं के **निर्यात की अनुमति नहीं** है।

[77] National Export Control List

5.3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) (foreign direct investment: FDI)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): एक नज़र में

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति

2020 की तुलना में 2021 में FDI में 10% की वृद्धि हुई।	जल्द ही FDI के 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है।	भारत FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राष्ट्र है, जबकि पहला और दूसरा स्थान क्रमशः USA और चीन का है।	2020–21 के दौरान कुल FDI इक्विटी अंतर्वाह में लगभग 44% हिस्सेदारी के साथ 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर' शीर्ष क्षेत्र के रूप में उभरे हैं।	2021–22 में भारत में FDI अंतर्वाह 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

भारत में FDI का महत्व

- **आर्थिक संवृद्धि के लिए दीर्घकालिक पूंजी:** FDI गैर–ऋण वित्तीय संसाधन का एक स्थिर स्रोत है।
- **मानव संसाधन विकास:** FDI के साथ, प्रबंधन तकनीकें भी प्राप्त होती हैं। इससे मानव संसाधन विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल आता है।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** भारत जैसे उभरते देशों के लिए FDI महत्त्वपूर्ण है। यह कुशल उत्पादन के लिए उन्नत उत्पादन तकनीक और उपकरणों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- **निर्यात में वृद्धि:** यह बाहरी नेटवर्क के साथ अर्थव्यवस्था के वैश्विक एकीकरण में मदद करता है। यह नेटवर्क दीर्घावधि में निर्यात में वृद्धि में सहायक होता है।

योजनाएं / पहलें

- बीमा, पॉवर एक्सचेंज आदि क्षेत्रों में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदारीकरण।**
- **इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम** के माध्यम से निवेश प्रोत्साहन और सुविधा।
- **मेक इन इंडिया जैसी पहलों** के माध्यम से विदेशी निवेश को आकर्षित करना।
- **भारत और UK** जैसी विशिष्ट साझेदारियों ने **'उन्नत व्यापार साझेदारी'** के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है।
- निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से मंत्रालयों / विभागों में **परियोजना विकास प्रकोष्ठ (PDC)** का गठन।

भारत में FDI अंतर्वाह से जुड़े मुद्दे

- **वृद्धि दर में गिरावट:** रिकॉर्ड FDI अंतर्वाह के बावजूद, 2021–22 में FDI की वृद्धि दर में 2% की कमी आई थी। यह 2020–21 में 10% थी।
- **FDI बहिर्वाह में वृद्धि:** वित्त वर्ष 2022 में शुद्ध FDI अंतर्वाह (FDI का अंतर्वाह – FDI का बहिर्वाह) 10.6% गिरकर 39.3 बिलियन डॉलर रह गया। यह वित्त वर्ष 2021 में 44 बिलियन डॉलर था।
- **कुछ क्षेत्रकों पर ही केंद्रित:** कुल FDI प्रवाह का 50% केवल पांच क्षेत्रकों में प्राप्त हुआ। इसमें सेवाएं, कंप्यूटर, ट्रेडिंग, टेलीकम्यूनिकेशन और ऑटोमोबाइल क्षेत्रक शामिल हैं।
- **कुल FDI का 70%** तीन राज्यों तक सीमित था।
- **अपतटीय वित्तीय केंद्रों और टैक्स हैवेन का उपयोग:** कैमेन द्वीप जैसे टैक्स हैवेन शीर्ष FDI स्रोतों में शामिल हैं।
- **प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में कमी:** हस्ताक्षरित MOU और भारत में वास्तविक FDIs के बीच का अंतर उच्च बना हुआ है।
- **कम पुनर्निवेश:** विदेशी निवेशक अधिशेष को पुनर्निवेश करने के बजाए भारत से बाहर ले जाना पसंद करते हैं।

आगे की राह

- **नीतिगत सुधार** जारी रखना और निवेशकों के मन में अनिश्चितता को दूर करने के लिए **स्थिर सार्वजनिक वित्त सुनिश्चित करना।**
- विदेशी और घरेलू व्यवसायों में विश्वास पैदा करने के लिए **शासन की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करना।**
- भारत के समग्र विकास के लिए पर्यावरण, संस्कृति और छोटे व्यवसायों की सुरक्षा करते हुए FDI में **विविधता** लाने हेतु पहल करना।
- टैक्स हेवेन के माध्यम से पुनः भेजे जाने वाले निवेश को रोकने के लिए **प्रत्यक्ष कर में सुधार** किया जाना चाहिए।
- FDI प्राप्त करने वाले क्षेत्रकों में विविधता लाने के लिए गैर–रणनीतिक क्षेत्रकों का **क्रमिक उदारीकरण** किया जाना चाहिए।

5.4. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of Rupee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर RBI के इंटर-डिपार्टमेंटल ग्रुप (IDG)** ने अलग-अलग सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट जारी की है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में

- एक **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा** से निम्नलिखित **तीन अंतर्राष्ट्रीय कार्यों** को आसानी से पूरा करने की उम्मीद की जाती है: (टेबल देखें)
  - उदाहरण के लिए- अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए **अमेरिकी डॉलर** का **सबसे ज्यादा उपयोग** किया जाता है। इसके बाद **यूरो** दूसरे स्थान पर है।
  - 1960 के दशक की शुरुआत में, कुछ देशों, जैसे- **कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान** और **मलेशिया** में भारतीय रुपये को भी वैधानिक मुद्रा (लीगल टेंडर) के रूप में स्वीकार किया जाने लगा था। हालांकि, वर्तमान में **भारत के 86% आयात** और **86% निर्यात की इनवॉयसिंग** डॉलर में की जाती है। (नोट: यहां **इनवॉयसिंग** का मतलब **आयात-निर्यात बिल** को तैयार करते समय रकम को डॉलर में दर्शाने से है।)

मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय कार्य

	सरकारों के लिए	निजी क्षेत्रक के लिए
मूल्य संचय (Store of Value)	अंतर्राष्ट्रीय रिज़र्व	मुद्रा प्रतिस्थापन (Currency Substitution)
लेन–देन का माध्यम (Medium of Exchange)	विदेशी लेन–देन संबंधी हस्तक्षेप के लिए व्हीकल करेंसी (अर्थात् जिसे अन्य देश भी विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हों)	व्यापार और वित्तीय लेन–देन के लिए इनवॉइसिंग प्रक्रिया हेतु
यूनिट ऑफ़ अकाउंट (Unit of Account)	किसी अन्य देश की मुद्रा के बदले स्थानीय मुद्रा की विनिमय दर के निर्धारण हेतु	व्यापार और वित्तीय लेन–देन को व्यक्त करने हेतु

- रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, विश्व भर में रुपये की स्वीकृति (विश्वसनीयता) को बढ़ाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कुछ गतिविधियों को शामिल किया जाता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- इसे **पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता (FCAC)**[78] को अपनाने के रूप में भी समझा जा सकता है। इसका अर्थ है - सभी स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में बदलने और इसी तरह विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों में बदलने की स्वतंत्रता।
  - वर्तमान में, भारत में **आंशिक** रूप से **पूंजी खाता परिवर्तनीयता** और **पूर्ण** रूप से **चालू खाता परिवर्तनीयता**[79] को मंजूरी दी गई है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियां

किसी मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए अनिवार्य शर्तें

- **मजबूत और तरल वित्तीय एवं विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार जरूरी है।** इससे विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित नीतियों के सुचारू संचालन में सुगमता सुनिश्चित होगी तथा मुद्रा से संबंधित जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और आरक्षित मुद्रा में मूल्य-वर्गित वित्तीय परिसंपत्तियों का लेन-देन भी संभव होगा।
- कम-से-कम ट्रांजैक्शन लागत के साथ वित्तीय प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए **मुद्रा परिवर्तनीयता** और **पूंजी खाते में मुक्त परिवर्तनीयता सुनिश्चित करने के प्रति विश्वसनीय प्रतिबद्धता** आवश्यक है।
- **निजी क्षेत्रक के लेन-देन में उक्त मुद्रा का व्यापक उपयोग:** वैश्विक GDP तथा व्यापार और वित्तीय लेन-देन में सबसे अधिक उपयोग में आने वाली मुद्रा अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करती है। यह स्थिति दूसरे देशों द्वारा भी उक्त मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देती है।
- **मैक्रोइकोनॉमिक और राजनीतिक स्थिरता:** नीतियां बनाने वाले निकायों द्वारा विश्वसनीयता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने वाला ट्रैक रिकॉर्ड **मुद्रा की दीर्घकालिक क्रय शक्ति** में विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

[78] Full Current Account Convertibility

[79] Current Account Convertibility

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु उठाए गए कदम

रुपये में सीमा–पार उधारी

वर्ष 2014 से **रुपी डिनॉमिनेटेड बॉण्डस् या मसाला बॉण्डस्** की शुरुआत की गई है। इससे भारतीय कंपनियों को विदेशों में रुपी डिनॉमिनेटेड बॉण्डस् जारी करने की अनुमति प्रदान की गई।

रुपये में व्यापार निपटान

जुलाई, 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक उल्लेखनीय कदम उठाया था। RBI ने **विशेष वोस्ट्रो खातों के माध्यम से रुपये में व्यापार संबंधी निपटान की अनुमति** देने के लिए एक **व्यापक** फ्रेमवर्क जारी किया है।

करेंसी स्वैप

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 से लेकर अब तक संयुक्त अरब अमीरात, SAARC देशों सहित अन्य देशों के साथ 23 करेंसी स्वैप समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

अन्य उपाय

- **एशियन क्लियरिंग यूनियन** के तहत **क्षेत्रीय व्यापार निपटान** के लिए **घरेलू मुद्राओं के उपयोग** हेतु प्रयास किए गए हैं।
- **घरेलू रुपये की ब्याज दरों** एवं मुद्रा बाजारों को देश के बाहर **के रुपया बाजारों से जोड़ने हेतु** प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
- विदेशी मुद्रा बाजार में **प्राथमिक डीलरों** को **बाजार निर्माताओं** के रूप में कार्य करने हेतु अवसर प्रदान किए गए हैं। यह कदम **बाजार तरलता में सुधार लाने** आदि हेतु उठाया गया है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए की गई पहलें

- भारत में अंतर्राष्ट्रीयकरण लेन-देन का व्यापक ढांचा FEMA 1999 के तहत शासित है।
- इसके अलावा, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए RBI और सरकार ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में कई पहलें की हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

- व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा पर निर्भरता में कमी आएगी। इसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन (BoP) की स्थिरता के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को पर्याप्त स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता में कमी आएगी।
    - यह **विभेदक ब्याज दर (IRD)**[80] द्वारा अर्थव्यवस्था पर विदेशी मुद्रा द्वारा थोपी गई लागत को भी कम कर सकता है। दो देशों की मुद्राओं के बीच ब्याज दरों में अंतर को **विभेदक ब्याज दर (IRD)** कहा जाता है।
- **सरकारी वित्त-पोषण:** मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण उक्त देश की सरकार को **अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में** विदेशी मुद्रा लिखत जारी करने के बजाय **घरेलू मुद्रा ऋण लिखतों को जारी करके अपने बजट घाटे** का वित्त-पोषण करने में मदद करती है।
    - यह सरकार को अपने **आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार को कम किए बिना अपने चालू खाते के घाटे को वित्त-पोषित करने में सहायता करती** है।
- इससे विदेशी मुद्रा पर निर्भरता में कमी आएगी। परिणामस्वरूप **विदेशों में घटने वाली घटनाओं (External Shocks)** के हमारी अर्थव्यवस्था पर **पड़ने वाले प्रभाव में भी कमी** आएगी।
- यह विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में आने वाले उतार-चढ़ाव पर निर्भरता को समाप्त कर देगा। इससे व्यवसाय करने की लागत में कमी आएगी। साथ ही, यह भारतीय व्यवसायों की वैश्विक वृद्धि में सहायता करके, **भारतीय कंपनियों के लिए मुद्रा संबंधी जोखिम को समाप्त करने में सहायक** हो सकता है।
- इससे **भारत का वैश्विक कद और सम्मान बढ़ेगा।** साथ ही, भारतीय व्यवसायों की सौदेबाजी की शक्ति में भी वृद्धि होगी।
    - उदाहरण के लिए- 2008 की आर्थिक मंदी के बाद, रेनमिनबी का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के चीन के प्रयासों ने उसके वैश्विक कद को बढ़ाने में मदद की है।

[80] Interest Rate Differential

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में आने वाली चुनौतियां

- यह **घरेलू मौद्रिक नीति** की प्रभावशीलता और स्वतंत्रता को **सीमित कर इसे जटिल बना सकता** है। इसका अर्थ यह है कि इससे RBI की घरेलू मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, इससे देश की समष्टि आर्थिक स्थितियों (Macroeconomic Conditions) के अनुसार ब्याज दर तय करने की RBI की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा।
  - इससे एक खुली अर्थव्यवस्था में **'इम्पॉसिबल ट्रिनिटी'** (या Trilemma) को बढ़ावा मिल सकता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी देश एक ही समय पर **पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह, विनिमय दर की स्थिरता** तथा **स्वतंत्र मौद्रिक नीति** के नीतिगत लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकता है।
- इससे पुनर्वित्तीयन का जोखिम (Refinancing Risk) बढ़ सकता है अर्थात् जरूरत पड़ने पर डॉलर के बहिर्वाह को बढ़ावा मिल सकता है। यदि संकट के समय अनिवासी भारतीय भारत में अपने खाते में मौजूद रुपये को परिवर्तित कर देश के बाहर ले जाते हैं तो बाह्य आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव घरेलू बाजारों पर पड़ सकता है। इससे **पास-थ्रू जोखिम** बढ़ेगा।
  - **उदाहरण के लिए-** वैश्विक मंदी के दौरान अनिवासी भारतीय अपनी रुपये में मौजूद परिसंपत्तियों को कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे देश से बाहर ले जा सकते हैं।
- **विनिमय दर की अस्थिरता** (रुपये का मूल्य) बढ़ सकती है, यदि-
  - मुद्रास्फीति की दर वैश्विक दर से अधिक है या,
  - मुद्रास्फीति पूंजी के अनियंत्रित प्रवाह के कारण है।
    - मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए घरेलू मुद्रास्फीति पर नियंत्रण एक अनिवार्य शर्त है। यदि घरेलू मुद्रास्फीति की दर वैश्विक दर से अधिक है तो विनिमय के एक अंतर्राष्ट्रीय माध्यम और 'स्टोर ऑफ़ वैल्यू' के रूप में घरेलू मुद्रा के उपयोग पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
- इससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं मुद्रा व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर आ जाती है। इसका अर्थ यह है कि अपनी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने वाले देश पर **'लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट' (अंतिम ऋणदाता)** की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
  - यह **ट्रिफिन दुविधा (Triffin dilemma)** को जन्म देता है। यह वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए अपनी मुद्रा की आपूर्ति करने संबंधी किसी देश के दायित्व और उक्त देश की घरेलू मौद्रिक नीतियों के मध्य टकराव की स्थिति को दर्शाती है।
- यह देश के अंदर और बाहर एवं एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में धन के स्वतंत्र प्रवाह को देखते हुए **बाहरी आघातों को बढ़ा सकता है।**

आगे की राह

IDG ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित समयबद्ध उपायों की सिफारिश की है:

अल्पावधि लक्ष्य: इसे 2 वर्ष की समय अवधि के लिए लागू करना	• **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय** व्यापार समझौतों के अंतर्गत **केंद्रीय बैंक द्वारा स्वैप** एवं **भारतीय रुपये में भुगतान** के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना। • **स्थानीय मुद्रा भुगतान (LCS) फ्रेमवर्क** को सुगम बनाना और स्थानीय मुद्राओं में स्वैप (अदला-बदली) का संचालन करना। • गैर-निवासियों को **भारतीय रुपये में मूल्य-वर्गित (INR accounts) खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित करना।** • **भारतीय भुगतान प्रणालियों को विश्व के अन्य देशों के साथ एकीकृत** करना। • **ऑनशोर और ऑफशोर विदेशी मुद्रा बाजारों का एकीकरण करने**, भारतीय रुपये में **BIS (बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट) इन्वेस्टमेंट पूल (BISIP)** का शुभारंभ करने, वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारत सरकार के बॉण्ड्स को शामिल करने जैसे प्रयासों के माध्यम से वित्तीय बाजारों को मजबूत करना। • भारतीय ऋण बाजार में विदेशी निवेश के लिए अधिक अनुकूल प्रणाली के निर्माण के लिए **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करना।**
मध्यम अवधि के लक्ष्य: इसे 2 से 5 वर्ष की समय अवधि के लिए लागू करना	• **मसाला बॉण्ड्स फ्रेमवर्क का उदारीकरण** करना, जैसे कि विदहोल्डिंग टैक्स से छूट। • **वित्तीय बाजारों में कराधान से जुड़ी समस्याओं का समाधान** करना, गैर-निवासियों को ऑनशोर मार्केट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। • **RTGS का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग** को बढ़ावा देना और **कंटीन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट (CLS) प्रणाली में INR** को शामिल करना। • **भारत के बाहर भारतीय रुपये में बैंकिंग सेवाओं की अनुमति** देना।

दीर्घकालिक लक्ष्य: इसे 5 वर्ष और उससे आगे की समय अवधि के लिए लागू करना	• **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की विशेष आहरण अधिकार (SDR) बास्केट में भारतीय रुपये को शामिल कराना,** ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन-देन में उपयोग की जाने वाली मुद्रा बनाया जा सके।

5.5. वि-डॉलरीकरण (De-dollarization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ब्रिक्स देश (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका) भुगतान के लिए एक **नई मुद्रा** विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं।

वि–डॉलरीकरण (De-dollarization) क्या है?

- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश आरक्षित मुद्रा, विनिमय के माध्यम और यूनिट ऑफ़ अकाउंट के रूप में अमेरिकी डॉलर (USD) पर अपनी **निर्भरता को कम करने** लगते हैं। यू.एस.ए. के प्रभुत्व को कम करने के लिए इसमें तीव्रता आई है।
  - ब्रेटन वुड्स प्रणाली (IMF और विश्व बैंक) की सहायता से डॉलर की स्थिति में वृद्धि की गई थी। इसने अन्य विकसित बाजार मुद्राओं की USD के साथ प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया था।
- रूस, चीन, ब्राजील और भारत ऐसी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं जो वि–डॉलरीकरण पर जोर दे रही हैं।

वि-डॉलरीकरण की आवश्यकता/ कारण

- **नई उभरती अर्थव्यवस्थाएं: आर्थिक महाशक्ति के रूप में एशिया के उदय ने भारतीय रुपये और युआन** जैसी मुद्राओं के महत्त्व को बढ़ा दिया है।
- **विविधता:** यदि विदेशी मुद्रा भंडार विविध मुद्राओं से परिपूर्ण होगा, तो बाहरी क्षेत्रकों पर दबाव कम पड़ेगा।
- **स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देना:** यदि देश अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करते हैं, तो-
  - निर्यातक एवं आयातक जोखिमों को संतुलित करने में समर्थ हो सकते हैं,
  - उनके पास निवेश करने के लिए अधिक विकल्प मौजूद होते हैं, और
  - उन्हें राजस्व एवं बिक्री के संदर्भ में अधिक निश्चितता होती है।
- **मैक्रो-इकोनॉमी प्रभाव:** अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व से अमेरिका को अपने **निजी लाभ** के लिए **वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हेर-फेर करने** का भी मौका मिल जाता है। यह हेर-फेर विशेष रूप से **ब्याज दरों** के संदर्भ में किया जाता है, जिससे प्रायः अन्य देशों को नुकसान उठाना पड़ता है।
- **व्यापार का शस्त्रीकरण (Weaponization of Trade):** ऐसे देश जिन पर **प्रतिबंध** लगाए गए हैं और जिन्हें **विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसायटी (SWIFT)**[81] से बाहर कर दिया गया है, उन्हें व्यापार करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
  - उदाहरण के लिए- **यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर और संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)**[82] **से अमेरिका के हटने के बाद ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए** गए थे।

वि-डॉलरीकरण की दिशा में शुरू की गई कुछ पहलें

- **द्विपक्षीय प्रयास:**
  - रूस ने मार्च 2022 में एक ऐसे कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कहा गया है कि प्राकृतिक गैस कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत **"अनफ्रेंडली" देश** रूस को केवल **'रूबल' में ही भुगतान कर सकता है, किसी अन्य मुद्रा में नहीं।**
  - चीन ने हांगकांग, सिंगापुर और यूरोप में **रेनमिनबी (RMB) व्यापारिक केंद्र** स्थापित किए हैं।

[81] Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

[82] Joint Comprehensive Plan of Action

- इस संदर्भ में, एक **रूस-चीन भुगतान प्रणाली** भी स्थापित की गई है। यह प्रणाली SWIFT को दरकिनार करती है। साथ ही, यह **रूस** के **सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मेसेजेस (SPFS)** को **चीन** के **क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम (CIPS)** से जोड़ती है।

- **बहुपक्षीय प्रयास:**
  - 2021 में, **पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना** ने **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स** में **"ग्लोबल सॉवरेन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस" प्रस्ताव** प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य चीनी डिजिटल मुद्रा, ई-युआन के माध्यम से वैश्विक वित्तीय नियमों को प्रभावित करना था।
  - **अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA)[83] स्थानीय मुद्राओं** का उपयोग करके **अंतर-अफ्रीकी व्यापार** को बढ़ावा दे रहा है।
  - 2007 में यूरोपीय केंद्रीय बैंकों ने **ट्रांस-यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर (TARGET) सिस्टम-2** को प्रस्तुत किया था। यह प्रणाली यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को यूरो में व्यापार और वित्तीय लेन-देन करने में सक्षम बनाती है।
- **भारत द्वारा किए गए प्रयास:** घरेलू बाजार में **तेजी से बढ़ते वाणिज्य और निवेश के कारण रुपये की मांग बढ़ रही है।** (भारत द्वारा उठाए गए कदमों के लिए इन्फोग्राफिक देखें)

वि-डॉलरीकरण में चुनौतियां

- **वैकल्पिक मुद्रा की उपलब्धता:** वर्तमान में, कोई भी मुद्रा पूरी तरह से स्थिरता, तरलता और स्वीकार्यता जैसे मानदंडों पर खरी नहीं उतरती है।
- **अन्य मुद्राओं की विश्वसनीयता:** उदाहरण के लिए- चीन में रेनमिनबी, डॉलर से संबद्ध (Peg) है और सरकार द्वारा इसे कठोरता पूर्वक प्रबंधित किया जाता है।
  - **चीनी अर्थव्यवस्था बहुत अधिक खुली अर्थव्यवस्था नहीं** है। साथ ही, ऋण जाल कूटनीति जैसी रणनीति के कारण यहां **विश्वास का अभाव** भी है।
- **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां:** यह **उभरते हुए बाजारों** और डॉलर में ऋण लेने वाले देशों में **वित्तीय अस्थिरता** पैदा कर देगा।
  - इसके कारण **मुद्रा विनिमय दरों की अस्थिरता में वृद्धि हो सकती है।** यह अस्थिरता विशेष रूप से संक्रमण के प्रारंभिक चरणों के दौरान हो सकती है।
  - **वैश्विक आरक्षित परिसंपत्तियों की संरचना में समायोजन** से **पूंजी प्रवाह** और **परिसंपत्ति की कीमतों** में बदलाव हो सकता है।
  - साथ ही, स्थानीय मुद्राओं के लिए भी अत्यधिक **उतार-चढ़ाव** और **मूल्यह्रास** का खतरा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि **विदेशी निवेशकों के रुख में अधिक निश्चितता नहीं होती है।**

- **परिवर्तन का विरोध:** अमेरिका और ब्रेटन वुड्स व्यवस्था आक्रामक रूप से अमेरिकी डॉलर को बढ़ावा दे रहे हैं। अन्य मुद्राएं डॉलर के समक्ष अपनी साख बनाने में सक्षम नहीं हैं।

[83] African Continental Free Trade Area

- **वित्तीय संकट का डर:** घरेलू बाजार में विदेशी ऋण जारी करना जोखिम पैदा कर सकता है, विशेष रूप से तब जब देनदार या ऋणी डिफॉल्ट कर जाता है, उदाहरण के लिए- 1980, 1990 और 2008 के वित्तीय संकट।
- **मौद्रिक नीति पर सीमा:** यह किसी देश की उसके घरेलू आर्थिक परिदृश्य के अनुसार मौद्रिक नीति को निर्धारित करने की क्षमता को सीमित करेगा।

5.6. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उतार-चढ़ाव (India's Forex Dynamics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

डॉलर के निरंतर मजबूत होने के कारण, भारत का **विदेशी मुद्रा भंडार** कम होकर 532.66 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। यह पिछले दो वर्षों का निम्नतम स्तर है।

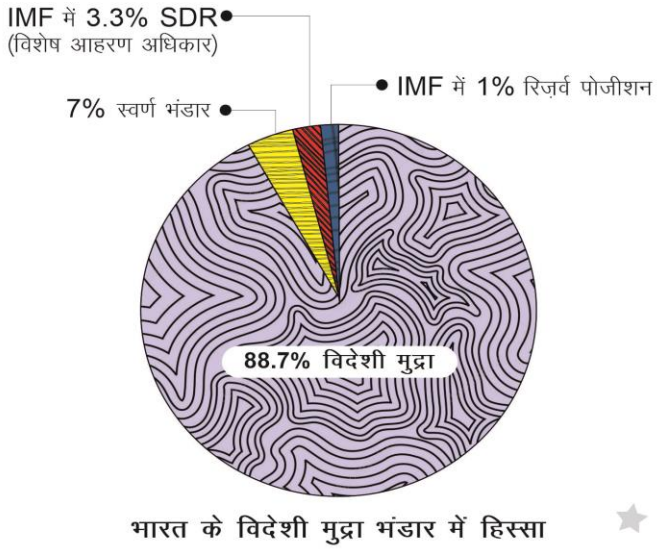

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हिस्सा

विदेशी मुद्रा भंडार: इसकी संरचना और प्रबंधन

- विदेशी मुद्रा भंडार अथवा **फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व** को **फॉरेक्स रिज़र्व** के रूप में भी जाना जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार वस्तुतः केंद्रीय बैंक (भारत में RBI) द्वारा विदेशी मुद्राओं आदि के रूप में रखी गई परिसंपत्तियां हैं।
- विदेशी मुद्रा भंडार में **विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (FCA)**[84] का हिस्सा सर्वाधिक होता है। इसके अतिरिक्त, इसमें अन्य चीजें भी शामिल होती हैं, जैसे- बॉण्ड्स, ट्रेजरी बिल, स्वर्ण भंडार, IMF में विशेष आहरण अधिकार (SDRs)[85] आदि।
  - **अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन** और **चीनी युआन** आदि कुछ अन्य विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं।
  - अमेरिकी डॉलर का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के लेन-देन के किया जाता है। इसलिए विदेशी मुद्राओं में इसे ही सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त है।
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के **चार घटक** हैं। इनका हिस्सा चित्र में दिखाया गया है।
- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक** है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन **RBI** द्वारा निम्नलिखित अधिनियम के तहत किया जाता है:
  - **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934;** और
  - **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999**

विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता क्यों पड़ती है और भारत में फॉरेक्स रिज़र्व की स्थिति क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के लिए विदेशी मुद्रा भंडार महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित प्रकार से सहायक है:
  - यह **विनिमय दर** और **मौद्रिक नीतियों में विश्वास को बढ़ाने एवं उसे बनाए रखने में सहायक** होता है। इसकी सहायता से राष्ट्रीय मुद्रा (रुपये) के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण रखा जाता है।
  - यह बाह्य बाजार के संकट से पैदा होने वाले आर्थिक आघातों के प्रभाव को कम करके **ऐसे जोखिमों को संभालने में** सहायक होता है।
  - विदेशी पूंजी प्रवाह में अचानक पैदा हुए किसी भी व्यवधान (तरलता संकट) के समय विदेशी मुद्रा के माध्यम से ही बाह्य दायित्वों को पूरा किया जाता है। इस प्रकार यह **निवेशकों का विश्वास हासिल करने में** सहायक होता है।
  - यह **सरकार** को उसकी विदेशी मुद्रा की जरूरतों और बाह्य ऋण दायित्वों को पूरा करने में **सहायक** होता है।
  - यह घरेलू वित्तीय प्रणाली के आघातों या किसी अन्य राष्ट्रीय आपदा/आपात स्थिति का सामना करने के लिए **आरक्षित निधि बनाए रखने में सहायक होता है।**
- वर्तमान गिरावट से पहले, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 7 वर्षों में **लगभग दोगुना** हो गया था।

[84] Foreign Currency Assets

[85] Special Drawing Rights

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट होने के कारण

- **विदेशी मुद्रा भंडार में कमी:** RBI के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट में से 67% गिरावट, डॉलर आधारित आस्तियों और अमेरिकी बॉण्ड्स के सापेक्ष गैर-डॉलर आधारित आस्तियों के मूल्य में आई कमी के कारण है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार में RBI का हस्तक्षेप:** RBI ने **भारतीय रुपये (INR) की अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए** विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया है। RBI भारतीय रुपये में **गिरावट को रोकने के लिए** डॉलर की बिक्री या खरीद करता है।
- **उच्च पूंजी बहिर्वाह (आउटफ्लो):** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में कई बार वृद्धि (विशेषकर US फेडरल रिज़र्व द्वारा) की गई। दरों में हुई इस वृद्धि की वजह से भारत जैसे उभरते बाजारों को पूंजी पलायन का सामना करना पड़ रहा है। यह पूंजी US और ऐसे ही अन्य सुरक्षित बाजार की तलाश में भारत से बाहर जा रही है।
- **दुनिया में बिगड़ते हालात:** रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते भू-राजनीतिक जोखिमों में वृद्धि हुई है। इसके कारण कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। इस कारण निवेशकों की जोखिम उठाने की क्षमता में कमी आई है।

विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के संभावित प्रभाव

- **रुपये का मूल्यह्रास (Rupee Depreciation):** पूंजी नियंत्रण या RBI के हस्तक्षेप से भारतीय रुपये में होने वाले व्यापार की अस्थिरता को कम करने में मदद मिली है। इसके बावजूद रुपये के मूल्य में लगभग 10% की गिरावट आई है। यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर है।
- **सॉवरेन रेटिंग कम होने का जोखिम:** मुद्रा भंडार में निरंतर गिरावट से सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग भी गिर सकती है।
- **कम पूंजी अंतर्वाह: CAD में वृद्धि** और **विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट** के कारण आर्थिक क्षेत्र में बाहरी जोखिम बढ़ सकते हैं तथा उन्हें सहने की क्षमता कम हो सकती है। इससे निवेशकों का वैश्विक मंदी के कारण पहले से ही कम हो चुका विश्वास और **कम** हो सकता है।
- **आर्थिक जोखिमों के प्रति सुभेद्यता में वृद्धि:** विदेशी मुद्रा में ऋण लेने वाली वाली भारतीय कंपनियों पर ऋण का बोझ बढ़ेगा। इससे कंपनियों के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी क्षति पहुंच सकती है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी ऐसी समस्याओं का सामना करने की क्षमता को सीमित करती है।
- **यह पड़ोसी देशों की मदद करने की भारत की क्षमता को सीमित करता है:** कम विदेशी मुद्रा भंडार अन्य देशों के लिए करेंसी स्वैप लाइन खोलने की भारत की क्षमता को कम करता है, खास तौर पर उस समय जब हमारे पड़ोसियों को वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे- श्रीलंका।

आगे की राह

निकट भविष्य में **मुद्रास्फीति** के **उच्च रहने** की आशंका और भारतीय रुपये एवं **विदेशी मुद्रा भंडार** के भी कमजोर रहने की संभावना है। वैश्विक मंदी की बढ़ती संभावना और भारत का बढ़ता CAD निम्नलिखित को आवश्यक बनाता है:

- **निकट भविष्य** में **राजकोषीय अनुशासन** को सख्ती से अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था के **लचीलेपन में वृद्धि लाना।**
- **दीर्घकालिक संवृद्धि** के लिए **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता** के माध्यम से **ठोस नींव का निर्माण करना।**
- **अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिरता** को बनाए रखना और **एक बड़े विदेशी मुद्रा भंडार को सुनिश्चित करना।**

5.7. वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति (Understanding Global Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के विदेश मंत्री ने इस बात को रेखांकित किया है कि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, दीर्घकालिक ऋण संकट तथा ऊर्जा, खाद्य एवं उर्वरक की उपलब्धता पर दबाव को देखते हुए **वैश्विक आर्थिक सुधार की संभावनाएं कम** दिख रही हैं।

ऐसे रुझानों के कारण

- **आर्थिक आघातों की श्रृंखला का घटित होना**: **कोविड महामारी** के प्रभाव से दुनिया जूझ ही रही थी कि, **यूक्रेन-युद्ध** ने एक नया संकट पैदा कर दिया। इससे विकासशील देशों में **खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की स्थिति बढ़ी है।**
- **उपभोक्ता का विश्वास कमजोर होना: बढ़ती ब्याज दरों और घटती क्रय शक्ति** ने उपभोक्ताओं के विश्वास और निवेशकों के उत्साह को कमजोर किया है।
- **मुद्रास्फीति में वृद्धि करने वाले कारक:** इन कारकों में शामिल हैं- मांग संबंधी दबाव, आपूर्ति संबंधी आघात के साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं, मुख्य वस्तुओं की उपलब्धता में कमी आदि।

- **बहु-संकट (Polycrisis):** इसका मतलब है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियां सभी वैश्विक प्रणालियों, वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा आदि के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के रुझान

वैश्विक संवृद्धि	वैश्विक ऋण	वैश्विक मुद्रास्फीति
वर्ष 2024 तक क्रमिक संवृद्धि के साथ **2.8%** **पर स्थिर** • उन्नत अर्थव्यवस्थाएं: 1.3% • उदीयमान अर्थव्यवस्थाएं: 4.5%	ऋण अनुपात (GDP के अनुपात के रूप में सार्वजनिक ऋण) का **वैश्विक औसत लगभग 100%** तक पहुँच गया है।	वैश्विक मुद्रास्फीति वर्ष 2022 **में 8.7%** थी, जो घटकर इस वर्ष **7%** हो जाएगी।

- **खराब वित्त-पोषण स्थितियां:** निजी और सार्वजनिक ऋण के उच्च स्तर, ऋण प्रदान करने की लागत में वृद्धि, बिगड़ती राजकोषीय स्थिति और बढ़ते संप्रभु ऋण जोखिमों के कारण वित्त-पोषण पर नकारात्मक असर पड़ा है।
- **जलवायु संकट:** जलवायु संकट कई देशों पर गंभीर असर डाल रहा है। **हीट वेव, वनाग्नि, बाढ़ और तूफान जैसी आपदाएं बड़े पैमाने पर मानवीय और आर्थिक क्षति** पहुंचा रही हैं।
- **अन्य कारक:** इनमें शामिल हैं- **भू-आर्थिक टकराव**, **प्राकृतिक संसाधन संबंधी संकट**, सामाजिक सामंजस्य का क्रमिक ह्रास एवं सामाजिक ध्रुवीकरण में वृद्धि, **व्यापक साइबर अपराध और साइबर असुरक्षा** आदि।

वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपाय

- **संस्थानों में सुधार:** सतत आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए देशों को अपने कानूनी संस्थानों, प्रशासनिक क्षमताओं, व्यावसायिक माहौल में सुधार करने और नीतियों में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है।
- **एक स्वतंत्र व संप्रभु ऋण प्राधिकरण का गठन:** एक ऐसे **स्वतंत्र व संप्रभु ऋण प्राधिकरण** की तत्काल आवश्यकता है जो संस्थागत और निजी तथा ऋणदाता और ऋणी, दोनों के हितों से जुड़ा हो।
  - ऐसे प्राधिकरण को आपदा की स्थितियों में ऋण भुगतान को निलंबित करने के लिए **सुसंगत दिशा-निर्देश** बनाना चाहिए। साथ ही, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण संधारणीयता संबंधी आकलन में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर भी ध्यान दिया जाए।
- **सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री स्थापित करना:** विकासशील देशों के लिए एक सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री होने से ऋणदाताओं और ऋणियों, दोनों को ऋण डेटा तक पहुंच प्राप्त होगी। इससे ऋण लेन-देन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा एवं ऋण प्रबंधन को मजबूत करने में भी काफी मदद मिलेगी।
- **वित्त-पोषण प्रणाली को संधारणीय बनाना**: आज विश्व को एक ऐसी **नई वित्तीय संरचना की आवश्यकता** है जो अनुसंधान और विकास, मशीनरी और उपकरण, बुनियादी ढांचे, मानव पूंजी तथा स्वास्थ्य देखभाल में निवेश को बढ़ावा दे सके।
- **अन्य उपाय:**
  - संवाद, बहु-हितधारक सहयोग और बहुपक्षवाद की स्थिति का लाभ उठाना चाहिए।
  - निवेश को प्रोत्साहित करने, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक सुधारों को प्राथमिकता देने की जरूरत है।
  - **सार्वजनिक व्यय के आवंटन में सुधार** करने, **नई प्राथमिकता निर्धारित करने**, **सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने** जैसे उपायों की जरूरत है, आदि।

5.7.1. बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान (Multilateral Financial Institutions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय वित्त मंत्री ने बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं (MFIs) की कार्य-प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि MFIs को महामारी के बाद के विश्व में प्रासंगिक बने रहने के लिए अपनी कार्य-प्रणाली को नया रूप देना चाहिए।

बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं (MFIs) के बारे में

- **MFIs** को **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (IFIs)**[86] के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें दो या दो से अधिक देशों द्वारा स्थापित किया जाता है। इनकी स्थापना **विश्वव्यापी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित** करने के लिए की जाती है।
- **FIs के कुछ प्रमुख उदाहरण:**
  - **ब्रेटन वुड्स संस्थान** जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व व्यापार संगठन (WTO), तथा
  - **बहुपक्षीय और क्षेत्रीय विकास बैंक** जैसे कि विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक आदि।

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए IFIs की प्रासंगिकता

- **विकासात्मक परियोजनाओं का वित्त-पोषण:** IFIs विकासशील देशों को पूंजी गहन गतिविधियों के वित्त-पोषण में मदद करते हैं। इन गतिविधियों में बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, शिक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे घटक शामिल हैं।
  - **भारत एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)**[87] **से सबसे ज्यादा ऋण प्राप्त करने वाला देश है।**
- **तकनीकी सहायता का स्रोत:** IFIs अपने ऋणकर्ता देशों को तकनीकी और परामर्शदात्री सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही, वे विकास संबंधी समस्याओं पर व्यापक शोध भी करते हैं।
  - **IMF ने भारत को आर्थिक संकट के दौरान नीति-आधारित ऋण** प्रदान किए थे। इन ऋणों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को **लाइसेंस-कोटा-परमिट (LQP) शासन व्यवस्था से उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण (LPG)** की ओर बढ़ने में सहायता प्रदान की थी।
- **निम्न क्रेडिट रेटिंग के कारण हुए नुकसान को कम करना:** IFIs अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से धन उधार लेकर विकासशील देशों को ऋण उपलब्ध कराते हैं।
- **चुनौतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया:** IFIs विकासशील देशों को क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रियाओं के समन्वय में सहायता प्रदान करते हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** IFIs ने कोविड-19 से संबंधित समर्थन के लिए अरबों डॉलर की सहायता राशि को मंजूरी दी थी। यह सहायता राशि विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए जारी की गई थी।
- **निवेशकों को समर्थन:** IFIs नए व तीव्र गति से बढ़ते बाजारों आदि के माध्यम से **निवेशकों और व्यापार जगत के नेतृत्वकर्ताओं** को व्यापार के विस्तार में सहायता प्रदान करते हैं।

[86] International Financial Institutions

[87] Asian Infrastructure Investment Bank

IFIs से संबंधित चिंताएं

- **पक्षपातपूर्ण प्रकृति:** IFIs की स्वामित्व संरचना व नीति निर्माण की शक्तियां विकसित देशों के पक्ष में हैं। इसके कारण इनकी सलाह भेदभावपूर्ण और पक्षपाती प्रतीत होती है।
- **नियमों को सशर्त लागू करना:** कुछ वित्तीय एजेंसियों द्वारा वित्त-पोषण या उपकरणों संबंधी सहायता के लिए विशेष शर्तें लागू की गई हैं। ये शर्तें वित्त प्राप्त करने वाले देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करती हैं। साथ ही, ये उस देश के घरेलू उद्योगों के हितों के लिए हानिकारक भी होती हैं।
- **विस्तारित अधिदेश को पूरा करने में अक्षम होना।** इसका कारण नौकरशाही पूर्ण संगठनात्मक संरचना, निम्न-पूंजीकरण और विश्व बैंक समूह के मामले में खराब प्रदर्शन है।
- **वर्तमान वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व न होना:** IMF की कोटा शेयरधारिता में उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं तथा गतिशील अर्थव्यवस्थाओं का कम प्रतिनिधित्व है। यह एक गंभीर मुद्दा है, जिसका निपटान काफी समय से लंबित है।
- **अप्रभावी विवाद निपटान तंत्र:** WTO के समक्ष आज सबसे बड़ी संरचनात्मक चुनौती, इसकी विवाद निपटान प्रणाली के अपीलीय निकाय का कमजोर होना है। यह स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपीलीय निकाय के लिए नियुक्तियों पर आम सहमति को रोकने के कारण पैदा हुई है।

MFIs और जलवायु परिवर्तन

- **विकासशील देशों के लिए:** बहुपक्षीय संस्थाओं से मिलने वाला फण्ड विकासशील देशों को निम्न-कार्बन विकास पथ अपनाने में मदद कर सकता है।
- MFIs **जलवायु वित्त** का नेतृत्व कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त पूंजी होती है और वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जरिए अतिरिक्त धन भी जुटा सकते हैं।

MFIs में इस क्षमता के मौजूद होने बावजूद, वे फंडिंग संबंधी पारदर्शिता के अभाव, विस्तृत डेटा और वित्तीय प्रतिबद्धताओं में कमी से ग्रस्त हैं।

IFIs की प्रासंगिकता बनाए रखने हेतु आगे की राह

- विश्व बैंक और IMF द्वारा सभी के लिए लागू एकसमान **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शर्तों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए।**
- **IFIs द्वारा आंतरिक प्रशासनिक कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए।** साथ ही, इन्हें बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए **बाहरी निरीक्षण** के अधीन करना चाहिए।
- **गवर्नेंस से संबंधित सुधार:** अधिक विविधतापूर्ण स्वरूप और अधिक संतुलित दृष्टिकोण बनाने के लिए इन संस्थानों में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- विकल्पों में विविधता लाने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे **नए वित्तीय संस्थानों को स्थापित किया जाना चाहिए।**
- **कोविड के बाद रिकवरी करना: IFIs को स्थानीय बाजारों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ** विकासशील देशों को भी आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, महामारी के बाद एक लचीली और संधारणीय रिकवरी की जा सकेगी।

5.7.2. वैश्विक ऋण प्रबंधन (Global Debt Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत की अध्यक्षता में **G-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों (FMCBG)**[88] की पहली बैठक में **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** ने G-20 देशों से वैश्विक ऋण को समझने और उससे निपटने का आह्वान किया है।

संप्रभु ऋण सुभेद्यता और ऋण स्थिरता

- **संप्रभु ऋण सुभेद्यता वह जोखिमपूर्ण स्थिति है,** जब एक देश में ऋण चुकाने की क्षमता नहीं रह जाती है और वहां तरलता की शर्तों का उल्लंघन होता है तथा वह आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हो जाता है।
  - प्रत्येक देश की **ऋण सुभेद्यताओं** की अलग-अलग सीमा होती है। यह कई **कारकों पर निर्भर** करती है, जैसे- **वर्तमान ऋण, आर्थिक नीतियां, शासन की क्षमता, ऋण की शर्तें आदि।**

- यदि ऋण निर्धारित (इंफोग्राफिक में दी गई) शर्तों को पूरा करता है, तो उसे **संधारणीय** माना जाता है।

---

[88] Finance Ministers and Central Bank Governors

- **ऋण संकट को दूर करने के लिए उठाए गए कदम:**
  - **वैश्विक सॉवरेन डेब्ट गोलमेज (GSDR) सम्मेलन:** GSDR का उद्देश्य **ऋण पुनर्गठन प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख हितधारकों के बीच सामान्य समझ का निर्माण** करना है तथा ऋण पुनर्गठन प्रक्रियाओं से जुड़ी कमियों पर संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु एक मंच प्रदान करना है।
  - **डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव (DSSI) से परे 'G-20 कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेब्ट ट्रीटमेंट्स' (DSSI):** यह **G-20 और पेरिस क्लब देशों** का एक समझौता है। यह फ्रेमवर्क DSSI के लिए पात्र **73 निम्न-आय वाले देशों हेतु ऋण समाधान पर समन्वय और सहयोग** करता है।

वर्तमान ऋण असंधारणीयता और इसके प्रभाव के लिए उत्तरदायी कारण

- **देशों (विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों) का उच्च ऋण जोखिम:** इससे **संप्रभु ऋण सुभेद्यता** की स्थिति पैदा होती है।
  - IMF के **वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (जनवरी 2023)** के अनुसार, **15% निम्न आय वाले देश ऋण संकट में हैं।** इसके अतिरिक्त **45% उच्च जोखिम** की स्थिति में हैं। साथ ही, **25% उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं** भी उच्च जोखिम में हैं।
- **2023 में वैश्विक संवृद्धि में सुस्ती:** इससे बहुत से देशों में कई लोगों को जीवनयापन करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
- **कोविड-19 महामारी का फिर से उभरना:** विशेष रूप से 2022 में चीन में कोविड-19 के मामले फिर से प्रकट होने से **वैश्विक संवृद्धि** मंद हो गई थी। ऐसा अनुमान है कि कोविड-19 के कारण **10 मिलियन से अधिक लोग चरम गरीबी** की स्थिति में आ चुके हैं।
- **उच्च मुद्रास्फीति: रूस-यूक्रेन युद्ध** के कारण विशेष रूप से **खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में तीव्र वृद्धि** हुई है। इसके परिणामस्वरूप **आजीविका लागत का संकट** पैदा हो गया है।
- **केंद्रीय बैंक दरों में वृद्धि होना:** इसके कारण वित्तीय शर्तों को कठोर बना दिया गया है।
  - यह समस्या विकासशील और निम्न आय वाले देशों में अधिक है। इसका कारण यह है कि इन देशों में राष्ट्रीय **पॉलिसी स्पेस सीमित है तथा विकास संबंधी आवश्यकताएं अधिक हैं।**

वर्तमान ऋण प्रबंधन ढांचे से जुड़ी कमियां

- **विनियामक और पर्यवेक्षी कमियां** विद्यमान हैं। ये कमियां **वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता** सुनिश्चित करने में IFA की सफलता को सीमित करती हैं। इसका अर्थ है कि IFA संकट के फिर से उभरने को रोकने में सीमित रूप से ही सफल हो पाता है।
- एक **व्यापक और विश्वसनीय प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली** का अभाव है।
- **वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट या ऋण संरचना संबंधी समस्याएं विद्यमान हैं।** उदाहरण के लिए-
  - बहुपक्षीय संस्थानों (विशेष रूप से IMF) से **वित्तीय सहायता मिलने में देरी** होती है। साथ ही, वह **सहायता पर्याप्त भी नहीं** होती है। इसका कारण **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों** पर अनावश्यक रूप से गहन **वार्ताओं/ समझौतों** का होना है। उदाहरण के लिए- श्रीलंका और पाकिस्तान को **गंभीर आर्थिक तनाव** के बावजूद भी IMF से बेलआउट पैकेज नहीं मिला है।

- **प्रभावी ऋण समाधान तंत्र का अभाव है।** इसका कारण संकटों के समाधान में निजी उधारदाताओं को शामिल करने के लिए एक प्रभावी तंत्र की अनुपस्थिति है। उदाहरण के लिए, केवल एक निजी लेनदार ने ऋण सेवा निलंबन पहल (DSSI)[89] में भाग लिया था।
- बहुपक्षीय ऋणदाता संस्थानों द्वारा **'वन साइज फिट ऑल' नीतिगत सिफारिशों और संबंधित शर्तों का उपयोग** किया जाता है।
- कई उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDEs)[90] में **कमजोर संस्थानों तथा अस्थिरता** के कारण समस्या और बढ़ जाती है।

आगे की राह

- **एक मजबूत और प्रभावी वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट बनाना** चाहिए। इसके केंद्र में एक मजबूत, कोटा-आधारित और पर्याप्त रूप से संसाधन युक्त IMF होना चाहिए।

- IFA के **दीर्घकालिक लचीलेपन का निर्माण** करना चाहिए। इसमें **सतत पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देना और स्थानीय मुद्रा पूंजी बाजारों का विकास** करना शामिल है।
- अत्यधिक ऋणग्रस्त और सुभेद्य निम्न-मध्यम आय वाले देशों को शामिल करने के लिए **कॉमन फ्रेमवर्क की पात्रता संबंधी आवश्यकताओं का विस्तार करना चाहिए।**
- **बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs)**[91] के ऋण संसाधनों, ज्ञान आधारित समर्थन आदि में वृद्धि करनी चाहिए। ऐसा विकास संबंधी वित्त-पोषण में उनकी भागीदारी के आधार पर किया जाना चाहिए।
- संकट के जोखिमों को कम करने के लिए एक **पारदर्शी और स्थिर** वैश्विक वित्तीय प्रणाली बनानी चाहिए।
- वर्तमान संकट के कारणों का **निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और गहन विश्लेषण** करना चाहिए।
- संकट की स्थिति में संप्रभु देनदारों और उधारदाताओं के बीच बोझ को समान रूप से साझा करने के लिए संकट निवारण व समाधान तंत्र में **निजी क्षेत्रक को शामिल** करना चाहिए।
- **वित्तीय जोखिमों का शीघ्र पता लगाने और संकटग्रस्त ऋणों के सक्रिय प्रबंधन के लिए** IMF की निगरानी प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

5.8. विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अपीलीय निकाय (Appellate Body) में **विवाद निपटान निकाय के एक फैसले के खिलाफ अपील** की है। **विवाद निपटान निकाय** के फैसले में कहा गया था कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (ITA)[92] के तहत अपनी शून्य-प्रशुल्क (Zero-tariff) प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है।

[89] Debt Service Suspension Initiative

[90] Emerging Market and Developing Economies

[91] Multilateral Development Banks

वैश्विक व्यापार में WTO का महत्त्व

- **व्यापक कवरेज:** विश्व व्यापार संगठन दुनिया का अब तक का **सबसे बड़ा व्यापार संगठन** है।
  - इसके सदस्य देशों में दुनिया की **85 प्रतिशत से अधिक आबादी** निवास करती है।
  - दुनिया भर में होने वाले **व्यापार का 95% WTO के सदस्य देशों** द्वारा किया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूपांतरण:** वैश्विक व्यापार के लिए बाध्यकारी नियमों ने सीमा-पार व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र वृद्धि को सुगम बनाया है।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chains: GVCs) का उद्भव:** WTO ने बाजार संबंधी नियामों को पारदर्शी बनाकर GVCs के विस्तार को सक्षम बनाया है। बेहतर संचार साधनों ने GVCs को और बढ़ावा दिया है।
- **गैर-भेदभाव: WTO** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है।
  - **मोस्ट फेवर्ड-नेशन (MFN) सिद्धांत।**
  - **राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धांत (National treatment principle)।**
- **विकासशील और अल्पविकसित देशों के लिए विशेष प्रावधान:** GATT[93] और GATS[94] विकासशील देशों के लिए अधिमान्य/ तरजीही व्यवहार की व्यवस्था करते हैं। तात्पर्य यह है कि इन देशों को व्यापार के संदर्भ में प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए।
  - WTO विकासशील और अल्पविकसित देशों को **तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम** प्रदान करता है, ताकि वे वैश्विक व्यापार में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

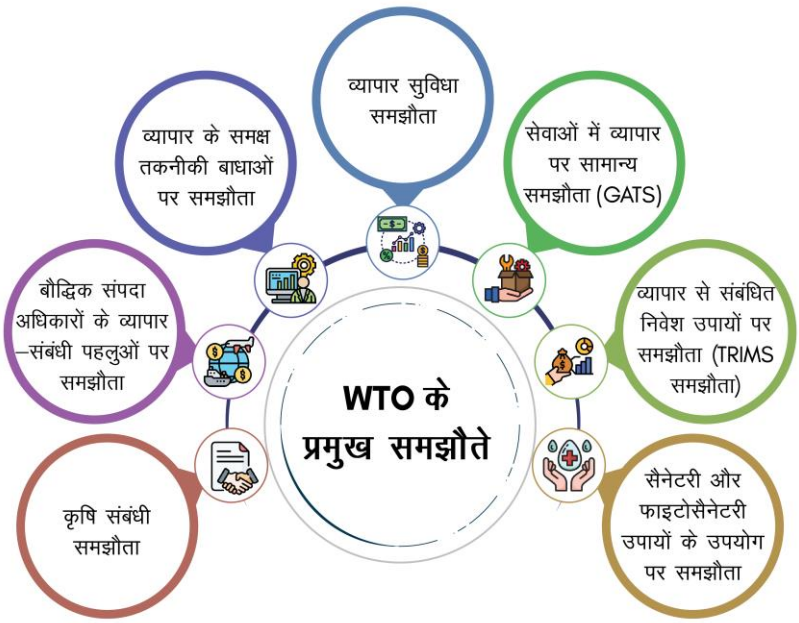

- **वैश्विक सहयोग:** WTO, सदस्य देशों के बीच वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। यह सदस्य देशों के लिए अलग-अलग व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और समझौता वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करता है। इनमें शामिल हैं- कृषि, बौद्धिक संपदा, सेवाएं और निवेश आदि।
- **विवाद समाधान:** WTO के व्यापार विवाद निपटन तंत्र का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इससे विवादों के प्रति एक तरफा प्रतिक्रिया से बचने में मदद मिलती है।

WTO से संबंधित समस्याएं/ मुद्दे

- **समझौता वार्ता में गतिरोध:** आम सहमति-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया के कारण अक्सर समझौता वार्ता में गतिरोध पैदा हो जाता है। इससे **कृषि सब्सिडी, बौद्धिक संपदा अधिकार और बाजार पहुंच** जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक समझौतों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।
- **विकासशील देशों की चिंताएं:** विकासशील देशों का तर्क है कि विकसित देश वार्ता में अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। साथ ही, नियमों को अपने लाभ के अनुसार निर्मित करवाते हैं।
- **बढ़ता संरक्षणवाद और द्विपक्षवाद:** हाल के वर्षों में संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, देश द्विपक्षीय या क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को अधिक महत्त्व देने लगे हैं। इससे WTO के बहुपक्षीय फ्रेमवर्क की उपेक्षा हो रही है।
- **उभरते मुद्दे:** ऐसी चिंता व्यक्त की जा रही है कि WTO 21वीं सदी के व्यापार के साथ कदम-से-कदम मिलाने में कामयाब नहीं रहा है। ऐसा करने के लिए बहुपक्षीय समझौतों में नए/ अपडेटेड प्रावधान करने की आवश्यकता है।
  - वर्ष 1995 के बाद से कई नए मुद्दे सामने आए हैं। उदाहरण के लिए- **व्यापार और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध, सतत विकास लक्ष्य, लैंगिक मुद्दे, मानवाधिकार आदि।**
- **विकासशील देश का दर्जा:** कुछ सदस्यों की स्वयं को विकासशील देश घोषित करने की पात्रता तथा इस प्रकार विशेष और विभेदक व्यवहार के प्रावधानों से लाभ उठाने के संबंध में चिंता प्रकट की जा रही है।
- **संकटग्रस्त विवाद निपटान तंत्र:** WTO की विवाद निपटान प्रणाली संकट में है। इसका कारण यह है कि **संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपीलीय निकाय की नियुक्तियों पर रोक** लगा रखी है।

[92] Information Technology Agreement

[93] शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता/ General Agreement on Tariffs and Trade

[94] सेवा में व्यापार पर सामान्य समझौता/ General Agreement on Trade in Services

WTO में सुधार के उपाय

- **विवाद निपटान तंत्र को कार्यशील बनाना:** उल्लेखनीय है कि विवाद निपटान तंत्र ने **WTO के नियमों का सतत प्रवर्तन सुनिश्चित करने** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए, इसे फिर से सक्रिय करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए।
- **वैधता बढ़ाने के लिए पारदर्शिता में सुधार:** इसके लिए अलग से या गोपनीय तरीके से नीति व नियम निर्माण से बचना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था से कई बार महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले सदस्यों की उपेक्षा हो जाती है तथा सदस्यों के बीच अविश्वास भी पैदा होता है। **WTO के नियमों की गुणवत्ता और वैधता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शिता में सुधार करने** की आवश्यकता है।
- **संस्थागत सुधार:** WTO की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, कुछ सुधार प्रस्तावों के जरिए एक **कार्यकारी समिति के गठन** की मांग की गई है। यह समिति WTO में नेतृत्व की कमी को दूर करेगी और भविष्य की वार्ताओं के बारे में मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी।
- **मांगों को संतुलित करना:** WTO को **21वीं सदी के व्यापार संबंधी मांगों और अनसुलझे पुराने व्यापार संबंधी मुद्दों** को संतुलित करना चाहिए।
- **छोटे देशों को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना:** WTO सभी देशों की आपसी सहमति के मूलभूत सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए **सभी सदस्यों के विचारों का सम्मान** किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, सबसे छोटे देशों के विचारों को पर्याप्त महत्त्व देना चाहिए।
    - इसका यह अर्थ भी है कि **किसी भी सदस्य देश को ऐसे किसी भी निर्णय से सहमत होने के लिए उस पर राजनीतिक व आर्थिक दबाव का उपयोग नहीं करना चाहिए, जो उसके मौलिक हितों के विपरीत हो।**

6. कृषि और संबद्ध गतिविधियां (Agriculture and Allied Activities)

6.1. कृषिगत इनपुट (Agricultural Inputs)

6.1.1. मृदा (Soil)

मृदा: एक नज़र में

मृदा आवश्यक पोषक तत्व, जल, ऑक्सीजन और जड़ को स्थिरता प्रदान करती है। ये खाद्य–उत्पादक पौधों को बढ़ने और फलने–फूलने के लिए आवश्यक होते हैं।

चुनौतियां

- मृदा में **मिश्रित कार्बनिक पदार्थों** में गिरावट।
- मृदा की **खराब उर्वरता।**
- **मृदा की भौतिक विशेषताओं का ह्रास,** जैसे– संरचना, स्थिरता आदि।
- **अम्लीकरण, लवणीकरण, क्षारीकरण और जलभराव।**
- **कृषि में खराब भूमि** को शामिल करना।
- मृदा **परीक्षण सेवा की खामियां।**
- **उर्वरकों का दुरुपयोग या अनुचित इस्तेमाल।**

किए गए उपाय

- प्रभावी मृदा स्वास्थ्य निगरानी और प्रबंधन के लिए **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना।**
- **राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना (RKVY)** मृदा की उर्वरता में सुधार, सतही मृदा की रक्षा के लिए शुरू की गई है।
- **नाबार्ड ऋण:** ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) के तहत मृदा और जल संरक्षण योजना।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन आदि के तहत **अन्य संबंधित पहलें।**

आगे की राह

- **मृदा परीक्षण सेवाओं** में सुधार करना।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना** को सुदृढ़ बनाना।
- **उर्वरकों के संतुलित और एकीकृत उपयोग** को बढ़ावा देना।
- **सटीक पोषक तत्व प्रबंधन (PNM) की सहायता से पोषक तत्व उपयोग दक्षता** को बढ़ाना।
- **किसानों में जागरूकता** को बढ़ाना।
- **सामुदायिक स्तर पर मशीनीकृत खाद** को बढ़ावा देना।

6.1.2. जल (Water)

जल: एक नज़र में

कृषि गहनता, उच्च उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जल का संरक्षित और कुशल उपयोग महत्वपूर्ण है। यह सतत कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है।

चुनौतियां

- जल की सामान्य कमी और **क्षेत्रीय असंतुलन।**
- एक बड़ा क्षेत्र **वर्षा आधारित सिंचाई पर निर्भर है।**
- मौजूदा सिंचाई सुविधाओं का **अकुशल उपयोग।**
- **खराब सिंचाई दक्षता।**
- कृषि हेतु उपयोग में लाए जाने वाले **जल की खराब गुणवत्ता।**

किए गए उपाय

- **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना:** कृषि क्षेत्रों को सुनिश्चित सिंचाई प्रदान करना, जल की बर्बादी को कम करना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना।
- लघु सिंचाई अवसंरचना के निर्माण हेतु **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।**
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)** के तहत जल संरक्षण और प्रबंधन गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है।
- सामुदायिक भागीदारी के साथ भू–जल के सतत प्रबंधन के लिए **अटल भू–जल योजना।**

आगे की राह

- भू–जल के अत्यधिक दोहन की समस्या का समाधान करना।
- पूर्वी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों में सिंचाई विकास।
- संरक्षण कृषि को बढ़ावा देना।
- जैविक कृषि और खाद का व्यापक प्रचार।
- कृषि–जलवायु स्थिति के अनुरूप फसलों का चुनाव और विविधीकरण।

6.1.3. बीज (Seeds)

बीजः एक नज़र में

अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग उत्पादकता बढ़ा सकता है, देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है। साथ ही, यह अन्य सभी आदानों/इनपुट्स की प्रभावशीलता को बेहतर कर सकता है।

चुनौतियां

- **बीज उत्पादनः** इससे जुड़े प्रमुख मुद्दों में बीजों की **गुणवत्ता, कीमत** और समय पर उनकी **उपलब्धता** शामिल हैं।
- **अकुशल बीज वितरण प्रणाली, मृदा की खराब उर्वरताः** प्रमाणित/लेबल युक्त बीजों की उपलब्धता केवल 35–40 प्रतिशत के आस–पास है।
- **बीजों की मांग का अकुशल आकलन।**

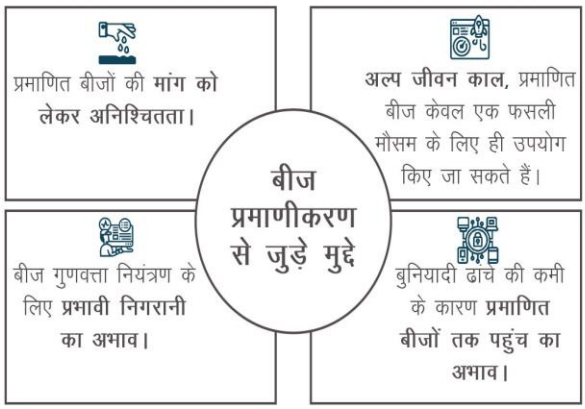

किए गए उपाय

- राष्ट्रीय बीज निगम (NSC), 1963
- उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, (1966–67)
- राष्ट्रीय बीज नीति, 2002
- अलग–अलग कानून, जैसे– बीज अधिनियम (1966); पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (2001); आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 आदि।
- राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET) के तहत बीज और रोपण सामग्री पर उप–मिशन।
- बीज ग्राम कार्यक्रम (SVP), 2005
- अन्य पहल जैसे कि बीज बैंकों और राष्ट्रीय बीज ग्रिड की स्थापना।
- SATHI (बीज ट्रेसेब्लिटी, प्रमाणीकरण और समग्र सूची) पोर्टल।

आगे की राह

- **बीज की आवश्यकता या मांग का कुशलता पूर्वक आकलन।**
- **बीज उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला।**
- डेयरी और पशुधन क्षेत्रक का सहायता प्रदान करने के लिए **चारा फसलों** को प्रभावी बीज श्रृंखला के साथ **एकीकृत करना।**
- धान जैसी सभी स्व–परागण की क्षमता वाली फसलों की **बीज प्रतिस्थापन दर** (Seed Replacement Rate) में वृद्धि करना।
- **बीज प्रसंस्करण और संग्रहण संयंत्रों की स्थापना और उन्नयन करना।**
- जलवायु प्रत्यास्थ और पोषणयुक्त फसल के लिए **मजबूत बीज उत्पादन श्रृंखला विकसित करना।**
- **बीज निर्यात की गुंजाइश तलाश करना।**
- **बीज उत्पादन प्लेटफॉर्म का विकेंद्रीकरण और व्यापक विस्तार करना।**
- स्थानीय किस्मों को बढ़ावा देने के लिए **सामुदायिक बीज बैंक** (CSB) **स्थापित करना।**
- **प्रमाणित बीजों की लागत को युक्तिसंगत बनाना।**
- **ओपन–सोर्स सीड्स मूवमेंट** (OSSM) जैसी अवधारणाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो इस तथ्य पर आधारित है कि व्यक्तियों या कंपनियों के पास पादपों की भौतिक विशेषताओं पर नियंत्रण संबंधी अधिकार नहीं होने चाहिए।

6.2. कृषि मशीनीकरण (Agricultural Mechanization)

कृषि मशीनीकरण: एक नज़र में

नाबार्ड की एक रिपोर्ट (2018) के अनुसार, यू.एस.ए. (95%), ब्राजील (75%) और चीन (57%) की तुलना में **भारत में कृषि मशीनीकरण का स्तर मात्र** 40-45% है।	**भारत का कृषि उपकरण बाजार वैश्विक बाजार का केवल** 7% है। भारत में कृषि उपकरणों की बिक्री से आए पैसे में 80 **प्रतिशत से अधिक ट्रैक्टर** का योगदान है।	**गैर-ट्रैक्टर कृषि मशीनरी** के निर्यात में भारत का **व्यापार अधिशेष** (Trade surplus) **बहुत कम है।**	भारत निम्न श्रेणी के उपकरणों के निर्यात या इन उपकरणों के आयात पर निर्भर है।

कृषि मशीनीकरण के समक्ष आने वाली चुनौतियां

- **लघु और खंडित भू-जोत।**
- भूमि जोत का आकार **लघु और विखंडित है।**
- भारत में अधिकतर **कृषि जीवन निर्वाह के लिए** की जाती है।
- मृदा की स्थिति और फसल पद्धति में भी **विविधता मौजूद** है।
- विद्युत की बहुत कम उपलब्धता है।
- कृषि उपकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया **कठिन और बोझिल है।**
- **उपकरण की लागत को वहन करना कठिन है।**
- उचित रख-रखाव के लिए **सेवा केंद्र अपर्याप्त हैं और इनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है।**
- बैंक किसानों को **ऋण देने में अनिच्छुक** रहते हैं।
- कृषि मशीनरी उद्योग किसानों की जरूरतों के अनुरूप उपकरणों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

सरकार की पहलें

- **कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (SMAM):** इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:
  - 'कस्टम हायरिंग सेंटर्स और हाई-वैल्यू मशीनों के हाई-टेक हब' को बढ़ावा देना।
  - प्रदर्शन संबंधी परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना।
- **इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (E-NWRs):** E-NWRs के एवज में वित्त की सुविधा।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन जैसी **कई योजनाओं में कृषि मशीनीकरण प्रमुख उद्देश्य है।**
- **अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले अन्य लाभ, जैसे-**
  - भूमि संरक्षण विभाग मशीन खरीदने के लिए महिला प्रतिष्ठानों को **90%** सब्सिडी प्रदान करता है।
- केरल, मध्य प्रदेश जैसी राज्य सरकारें रियायती दरों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध करा रही हैं।

आगे की राह

- कृषि मशीनीकरण और भारी कृषि मशीनरी की खरीद या उन्हें किराये पर लेने के लिए **निरंतर आधार पर किसानों को सब्सिडी** दी जा सकती है।
- **ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण** एवं वित्त-पोषण के विकल्पों में वृद्धि की जानी चाहिए।
- सब्सिडी लागू करने/प्राप्त करने की प्रक्रिया को **सुव्यवस्थित, सरलीकृत और डिजिटलीकृत** किया जाना चाहिए जैसा कि ओडिशा में किया गया है।
- बहुत अधिक विकेंद्रीकृत कस्टम हायरिंग सेंटर्स के एक संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए।
- किसानों के लिए **विस्तार कार्यक्रमों** (Extension programmes) को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों की पहचान करके उन्हें अलग-अलग **कृषि-आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदारी** सौंपी जानी चाहिए।
- विशेष रूप से भारी मशीनरी के परिवहन के लिए **लॉजिस्टिक में सुधार करने की जरूरत** है।
- भारतीय विनिर्माताओं के लिए **समान अवसर सुनिश्चित** किया जाना चाहिए।
- **परीक्षण, विनिर्देश मानकीकरण और प्रदर्शन आवश्यकताओं तथा विनियमों को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप** विकसित किया जाना चाहिए।

6.3. कृषि ऋण (Agricultural Credit)

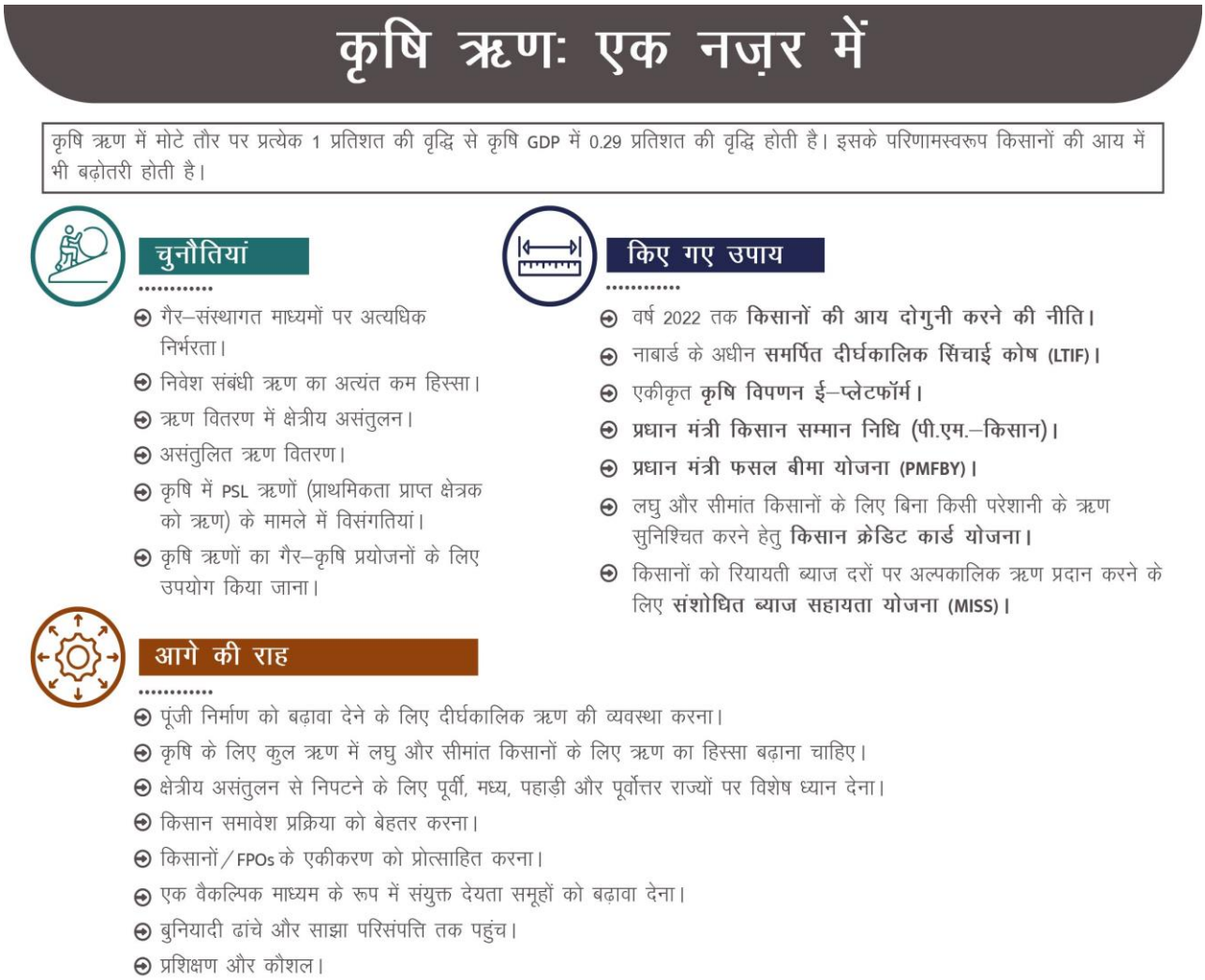

6.3.1. प्राथमिक कृषि साख/ ऋण समितियां (Primary Agricultural Credit Societies: PACS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षों में देश भर में **2 लाख** पैक्स (PACS), डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना करने की योजना को मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस योजना का उद्देश्य **"देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना तथा जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को और व्यापक बनाना"** है।
- **इस योजन के जरिए-**
  - प्रत्येक छूटे हुए पंचायत/ गांव में **पैक्स** और उपयुक्त **डेयरी सहकारी समितियों** का गठन किया जाएगा; तथा
  - प्रत्येक **तटीय** पंचायत/ गांव के साथ-साथ बड़े जल निकायों वाले पंचायत/ गांव में **मत्स्य पालन** से संबंधित उपयुक्त **सहकारी समितियां** स्थापित की जाएंगी।
- पैक्स/ डेयरी/ मत्स्य पालन से संबंधित सहकारी समितियों को **उनके संबंधित जिला और राज्य स्तरीय संघों से जोड़ा** जाएगा।
- **'संपूर्ण-सरकारी' दृष्टिकोण** का लाभ उठाकर, ये समितियां अपनी **गतिविधियों में विविधता** लाने हेतु **आवश्यक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और उनकी स्थापना करने में सक्षम** हो सकेंगी। इन गतिविधियों में दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं, बल्क मिल्क कूलर, बायो फ्लॉक पॉन्ड्स का निर्माण, फिश कियोस्क आदि शामिल हैं।
  - **संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण (Whole-of-government approach):** इसका आशय सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक एजेंसियों आदि के बीच तालमेल से है।

इस योजना का महत्त्व

- यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी भी **1.6 लाख पंचायतों में पैक्स मौजूद नहीं** हैं और **लगभग 2 लाख पंचायतों में भी कोई डेयरी सहकारी समिति** उपलब्ध नहीं है।
- यह किसान सदस्यों को **आवश्यक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करेगी और इससे उनकी आय में वृद्धि** होगी।
- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में **रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद** करेगी।

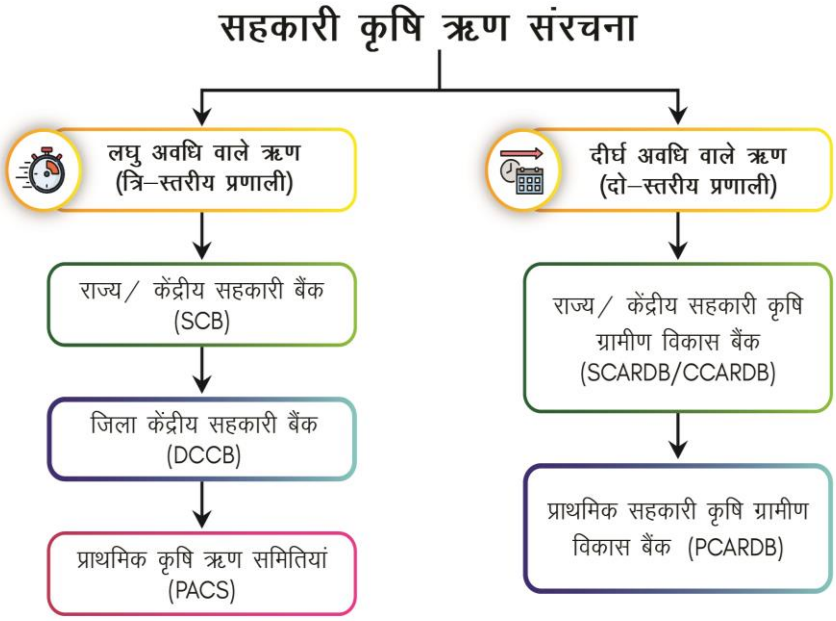

पैक्स (PACS) के बारे में

- पैक्स ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियां हैं जो **देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण (STCC)**[95] संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **विनियमन: पैक्स** न तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे के अधीन आते हैं और न ही इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित किया जाता है।
- **कार्य:** ये समितियां अल्पकालिक ऋण देने के अलावा, सदस्य किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक वितरण जैसी अन्य **इनपुट सेवाएं** भी प्रदान करती हैं।
- **महत्त्व:** ये सबसे कमजोर ग्रामीण आबादी के **वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित** करती हैं।
  - देश के सभी संस्थाओं द्वारा दिए गए **KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋणों में पैक्स की हिस्सेदारी 41%** है और इनमें से **95% KCC ऋण लघु एवं सीमांत किसानों** को दिए गए हैं।

पैक्स (PACS) के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या हैं?

- **प्रौद्योगिकी:** अधिकांश पैक्स अभी भी **दक्षता, लाभप्रदता और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के मामले में अन्य वित्तीय संस्थानों के समान नहीं** हो पाए हैं।
- **ऋण भागीदारी:** समय के साथ, ग्रामीण ऋण में क्रेडिट कोऑपरेटिव्स की हिस्सेदारी **घटकर एक-तिहाई** हो गई है। गौरतलब है कि 1950 के दशक में यह हिस्सेदारी 60% से अधिक की थी।
- **संसाधनों पर निर्भरता:** पैक्स को कई अन्य सेवाएं प्रदान करने के कार्य सौंपे जाने के बावजूद ये अभी भी मुख्यत: **ऋण वितरण के व्यवसाय में ही संलग्न हैं।** इस प्रकार, ये संसाधनों के लिए **उच्च स्तर की वित्त-पोषण एजेंसियों पर निर्भर** हैं।

[95] Short-Term Cooperative Credit

- **प्रतिस्पर्धा:** पैक्स को **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)**[96] के **साथ प्रतिस्पर्धा** करनी पड़ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि FPOs वर्तमान में कई महत्वपूर्ण गैर-ऋण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जैसे- कृषि सलाह, गुणवत्तापूर्ण इनपुट्स (कृषि आदान) की आपूर्ति, प्रसंस्करण, आउटपुट मार्केटिंग आदि।
- **दोषपूर्ण गवर्नेंस मानक:** राजनीतिक प्रभाव और हस्तक्षेप के साथ-साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों की कमी, सहकारी समितियों के खराब प्रदर्शन का कारण है।
- **निष्पक्ष लेखा-परीक्षा तंत्र का अभाव:** देरी और अनियमित लेखा-परीक्षा वस्तुतः सहकारिता आंदोलन की लोकतांत्रिक भावना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- **जागरूकता का अभाव:** अधिकांश लोगों के पास सहकारी आंदोलन के उद्देश्यों, सहकारी संस्थाओं के नियमों और विनियमों के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- **विकास में क्षेत्रीय असंतुलन:** पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों में सहकारी समितियां महाराष्ट्र और गुजरात की तरह अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाई हैं।

पैक्स (PACS) के लिए आगे की राह

- **संसाधन जुटाना:** पैक्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनसे जुड़े सदस्यों से जमा राशि जुटाने का प्रयास करना चाहिए। इस कदम से सदस्यों में बचत करने की आदत को भी बढ़ावा मिलेगा।
- **व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाना:** गैर-ऋण व्यवसाय अधिक लाभ प्रदान करने सहित लाभप्रदता में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए पैक्स स्वयं को बहु-सेवा केन्द्रों **(MSC)**[97] में परिवर्तित कर सकते हैं।
    - **कृषि अवसंरचना कोष (AIF)**[98] से मिलने वाले वित्त का इस्तेमाल अलग-अलग जरूरत आधारित अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण में किया जा सकता है।
- **लोकतांत्रिक भावना:** इनके चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। इसके अलावा निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति पेशेवर क्षमता, निष्पक्षता और योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए।
- **पारदर्शिता:** त्रिस्तरीय ढांचे के तहत आने वाली सभी संस्थाओं की नियमित लेखा-परीक्षा और इनके पूर्ण कम्प्यूटरीकरण का काम शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए।
- **अवसंरचना:** विशेष रूप से गवर्नेंस, बैंकिंग और व्यवसायों में डिजिटलीकरण से पारदर्शी, जवाबदेह एवं कुशल प्रणाली सुनिश्चित की जा सकती है।

[96] Farmer Producer Organizations

[97] Multi Service Centres

[98] Agriculture Infrastructure Fund

6.4. कृषि विपणन (Agricultural Marketing)

कृषि विपणनः एक नज़र में

कृषि विपणन का अर्थ कृषि उत्पादों को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सम्मिलित वाणिज्यिक कार्यों से है।

कृषि बाजारों का महत्त्व

- बाजार में **कृषि उपज का मौद्रीकरण।**
- **बाजार की जानकारी और मूल्य संकेतों** के स्रोत के रूप में कार्य करना।
- **बिचौलियों की भूमिका को कम करने में सहायक।**
- **पूंजीगत निर्माण** और प्रौद्योगिकी में निवेश को प्रोत्साहन।
- फॉरवर्ड और बैकवार्ड लिंकेज उपलब्ध कराकर **कृषि में मूल्यवर्धन।**

भारत में इन बाजारों के समक्ष आने वाली समस्याएं

- **संस्थागत मुद्देः** बाजार में नए व्यापारियों को प्रवेश करने के लिए **लाइसेंसिंग संबंधी बाधाएं; अधिक बाजार शुल्क** (APMCs सहित) और **उपज के लिए मानकीकृत ग्रेडिंग तंत्र की अनुपस्थिति।**
- **अवसंरचना संबंधी मुद्देः** देश के कुछ हिस्सों में **कृषि उपज बाजारों की सीमित पहुंच; कृषि बाजारों में खराब अवसंरचना** जैसे कि सुखाने वाले यार्ड या कोल्ड स्टोरेज और अन्य भंडारण सुविधाओं का अभाव; कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाओं के **पूर्ण होने में लगने वाला अधिक समय और आर्थिक रूप से अव्यवहार्य मुद्दे।**
- **बाजार सूचना प्रणाली से जुड़े मुद्देः कुशल व रियल टाईम सूचना तंत्र की अनुपस्थिति** से मांग संबंधी संकेतों की प्राप्ति में विलंब; किसानों के लिए **सीमित जानकारी और कंटेंट** की उपलब्धता; तथा सूचना के नए माध्यमों के बारे में **किसानों में जागरूकता की कमी।**
- **अन्य मुद्देः** APMC के एक बड़े भौतिक नेटवर्क के बावजूद राष्ट्रीय एकीकृत बाजार की अनुपस्थिति; और विपणन संबंधी अवसंरचना के विकास पर सीमित सार्वजनिक निवेश।

हालिया कृषि–सुधार संबंधी कानूनों का इन मुद्दों पर प्रभाव

- किसानों और व्यापारियों को कृषि–उत्पादों की **बिक्री और खरीद करने** के लिए विकल्पों के चुनाव **की स्वतंत्रता** वाले पारितंत्र का निर्माण कर **एकाधिकार पर नियंत्रण।**
- बाजार शुल्क को समाप्त कर और कृषि–उत्पादों के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को संभव कर 'एक राष्ट्र, **एक कृषि–बाजार' के विचार को आगे बढ़ाना।**
- **अनुबंध खेती को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक क़ानूनी फ्रेमवर्क** प्रदान करके निजी क्षेत्रक की **भागीदारी को प्रोत्साहित करना।**
- खाद्य वस्तुओं के भंडारण पर लगे प्रतिबंधों के हटने से **कृषि उपज का बेहतर भंडारण और प्रबंधन।**
- विपणन के वैकल्पिक और प्रत्यक्ष स्रोत निर्मित करके **किसानों के लिए उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना।**

बाजारों के समग्र सुधार को सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **APMCs में सुधारः** APMCs में एक स्वतंत्र विनियामक की नियुक्ति करना; APMCs में निजी थोक बाजारों, एकीकृत एकल पंजीकरण आदि के माध्यम से निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **e-NAM को मजबूत कर एक राष्ट्रीय एकीकृत बाजार का निर्माण करनाः** इसके लिए तीसरे पक्ष के मूल्यांकन प्रमाणीकरण का निर्माण; तथा किसान समूहों और अन्य मध्यस्थों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **विपणन संबंधी अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देनाः** इसके लिए कृषि उत्पादों के भंडारण और आवाजाही पर दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीति बनाना; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अवसंरचना में निवेश को बढ़ाना; और राज्यों द्वारा संबंधित अवसंरचना विकास के लिए PPP मॉडल को बढ़ावा देना जैसे कार्य किए जाने चाहिए।
- **अधिक कुशल सूचना प्रसार प्रणाली का निर्माण करनाः** इसके तहत अधिक सुलभ तरीकों को लोकप्रिय बनाना; मोबाइल उपकरणों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों की जानकारी संबंधी जरूरतों को पूरा करना; और किसानों को व्यापक जानकारी प्रदान करने जैसे कार्य किए जाने चाहिए।
- **बाजार शुल्क/कमीशन चार्ज को युक्तिसंगत कर** उपज के मूल्य के अधिकतम 2% तक सीमित करना।
- विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार अंतर–मंडी और अंतर–राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मार्केट यार्ड ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस (MNI) का कार्यान्वयन करना।

6.4.1. कृषिगत डेरिवेटिव्स और कृषि जिंसों की कीमत (Agricultural Derivatives and Agricultural Prices)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने **सात कृषिगत जिंसों की डेरिवेटिव ट्रेडिंग के निलंबन को दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया** है।

कृषिगत डेरिवेटिव्स क्या हैं?

- कृषिगत डेरिवेटिव्स में कृषि उत्पाद शामिल होते हैं, जिनका मूल्य उक्त कृषिगत उत्पाद द्वारा निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी अंडरलाइंग एसेट के तौर पर कृषि उत्पादों (कृषि जिंस) को रखा जाता है तो उसे कृषिगत डेरिवेटिव कहा जाता है।
- **कृषिगत डेरिवेटिव्स में निम्नलिखित शामिल होते हैं:**
  - **प्राथमिक कृषिगत उत्पाद,** जैसे- चना, कपास, ग्वार बीज, मक्का, सोयाबीन, चीनी आदि।
  - **प्रसंस्कृत कृषिगत जिंस,** जैसे- ग्वार गम, पाम आयल, सोयाबीन तेल आदि। इन्हें भी कृषिगत जिंस भी माना जाता है।

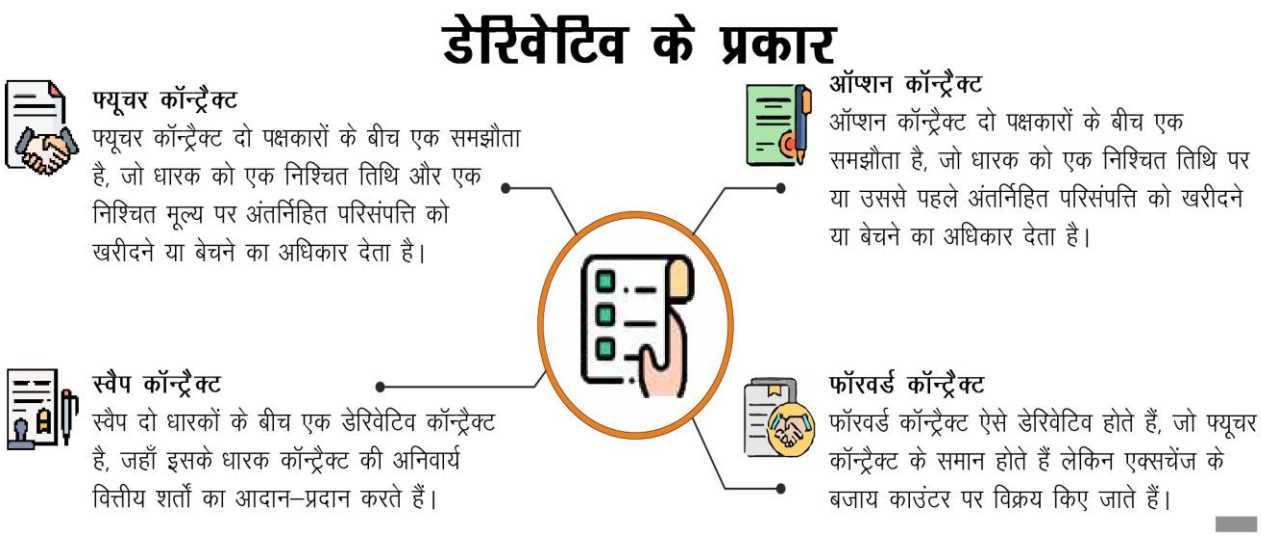

ये कृषिगत कीमतों को कैसे प्रभावित करते हैं?

- **कीमतों का संकेत देना:** अच्छी तरह से संचालित डेरिवेटिव बाजार कृषि जिंसों के बारे में बेहतर कीमत का संकेत दे सकता है। यह किसानों के बीच भविष्य की कीमतों को लेकर जानकारी की कमी को बहुत हद तक दूर कर सकता है।
- **जोखिम का हस्तांतरण: वायदा बाजार के तहत** जोखिम का हस्तांतरण किसानों से बाजार भागीदारों पर हो जाता है। बाजार भागीदार लाभ कमाने के लिए जोखिम लेने के इच्छुक और सक्षम होते हैं।

- **उपभोक्ताओं की सुरक्षा:** डेरिवेटिव बाजार **कीमतों के बढ़ने पर अंकुश लगाकर** बेलगाम मूल्य वृद्धि को रोकने में मदद करता है। इस प्रकार डेरिवेटिव बाजार कृषिगत जिंसों का इस्तेमाल करने वाले **उपभोक्ताओं को मूल्य संबंधी जोखिमों से सुरक्षा** प्रदान करता है।

कृषिगत कीमतों को प्रभावित करने में कृषिगत डेरिवेटिव की भूमिका को बाधित करने वाले कारक

- **व्यापार की कम मात्रा:** कुल मात्रा में कृषिगत जिंस वायदा की हिस्सेदारी **2004-05 के 60 प्रतिशत से लगातार घटकर 2021-22 में लगभग 8 प्रतिशत** हो गई।
- **पारदर्शिता का अभाव:** अधिकांश कृषिगत जिंसों का स्पॉट व्यापार मंडियों में **अपारदर्शी और विकेंद्रीकृत तरीके से** किया जाता है।
- **विनियामक अनिश्चितता** और अस्थायी नीतिगत कार्रवाइयां व्यापार के माहौल और मात्रा को काफी प्रभावित करती हैं।
- **असंगठित भौतिक बाज़ार:** अत्यधिक असंगठित आधारभूत भौतिक बाजारों से जुड़ी चुनौतियां घरेलू कृषिगत जिंस डेरिवेटिव्स में व्यापार को प्रभावित कर रही हैं।

आगे की राह

- **भागीदारों में विश्वास बहाल करना:** एक सुव्यवस्थित विनियामकीय फ्रेमवर्क से भागीदारों को यह आश्वासन मिलेगा कि वायदा (फ्यूचर) और ऑप्शन कारोबार पर प्रतिबंध जैसे कठोर उपाय असाधारण परिस्थितियों में ही किए जाएंगे।
- **eNAM का विस्तार**: eNAM परियोजना के तहत सभी मौजूदा APMC मंडियों को आपस में जोड़ते हुए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से **एकल राष्ट्रीय बाजार** बनाने के प्रयास में तेजी लाई जानी चाहिए।
- **पर्याप्त अवसंरचनात्मा सुविधाएं का निर्माण:** समस्त कृषि जिंसों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए **पर्याप्त ग्रेडिंग और मानकीकरण सुविधाओं की आवश्यकता** है।
- **भागीदारी बढ़ाने के लिए एकीकृत बाजार:** कृषिगत जिंसों के लिए **एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट बाजार** कृषिगत डेरिवेटिव्स व्यापार के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा।
- **सूचना संबंधी समस्या को दूर करना:** सभी कृषिगत जिंसों पर व्यापक जानकारी प्रदान करने वाली कृषि सूचना प्रणाली बनाई जानी चाहिए और इसे **सभी बाजार सहभागियों के लिए सुलभ** भी किया जाना चाहिए।

6.5. किसानों को वित्तीय सहायता (Financial Support to Farmers)

किसानों को वित्तीय सहायता: एक नज़र में

किसानों को मिलने वाली वित्तीय सहायता की स्थिति

- **11.60 करोड़ से अधिक किसानों** को लगभग **1.60 लाख करोड़ रुपये** का वित्तीय लाभ दिया गया है।
- **सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2-2.5% सालाना सब्सिडी** के रूप में प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी उर्वरक, ऋण, फसल बीमा और मूल्य समर्थन सब्सिडी के रूप में होती है।
- कुल कृषि आय का लगभग 20% भाग सब्सिडी के रूप में आता है।
- कृषि में लगे **50.2%** परिवार किसी न किसी तरह के कर्ज में हैं।
- किसानों द्वारा लिए गए लगभग 70% ऋण संस्थागत स्रोतों से थे।

प्रमुख उद्देश्य

- देश में सभी भूमि-धारक किसानों के परिवारों (जोत के आकार से निरपेक्ष होकर) को **आय सहायता प्रदान करना।**
- कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित विभिन्न इनपुट्स की खरीद के लिए **किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना।**
- **वर्ष 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने और खेती को लाभकारी** बनाने के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करना।

योजनाएं/ पहलें

- किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए **उर्वरकों पर सब्सिडी में वृद्धि।**
- विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन **सहायता**– अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल ढुलाई की कमी को दूर करने के लिए।
- निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों, FPO/FPC, सहकारी समितियों हेतु **किसान कनेक्ट पोर्टल।**
- एपीडा, MPEDA, टी बोर्ड आदि की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत **कृषि उत्पाद निर्यातकों को सहायता।**
- एग्रीस्टैक, भूमि रिकॉर्ड जैसी सूचनाओं का एक डिजिटल डेटा स्टैक।
- **अन्य योजनाएं:** किसान क्रेडिट कार्ड, पी.एम, किसान, पी.एम. फसल बीमा योजना (PMFBY), ब्याज सबवेंशन योजना, पी.एम. किसान मान धन योजना, पी.एम.-आशा, किसान सुविधा एप आदि।

बाधाएं

- **आदान की बढ़ती लागत, कम उत्पादकता, ऋणग्रस्तता, मानसून की अनिश्चितता,** उत्पाद का लाभकारी मूल्य न मिलना आदि के कारण किसानों की परेशानी में वृद्धि।
- किसान डेटाबेस का अभाव, लाभार्थी **किसानों की पहचान में होने वाली कठिनाई।**
- सरकार के पास संदर्भ में अधिक **वित्तीय स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। इसके कारण** किसानों को दी जाने वाली सहायता और कृषि-निवेश के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ता है।
- **'वन साईज फिट फॉर आल'** दृष्टिकोण।
- विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर **किसानों में जागरूकता का अभाव।**
- **ऋण संबंधी आवश्यकता के लिए गैर-संस्थागत** स्रोतों पर निर्भरता।

आगे की राह

- **संस्थागत और डिजिटल बुनियादी ढांचे** को मजबूत करना।
- **सभी सब्सिडी को धीरे-धीरे DBT की प्रक्रिया** में बदलना।
- किसानों की आय दोगुनी करने के लिए **सिंचाई सुविधाओं, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था में सुधार करना।**
- फसल उत्पादन बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए **कृषि अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।**
- क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं और हस्तक्षेपों के साथ **बॉटम-अप रणनीति अपनाना।**
- विभिन्न योजनाओं के प्रति किसानों में **जागरूकता को बढ़ाना।**
- **स्वस्थ ऋण संस्कृति को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र में व्याप्त खामियों को दूर करना।**
- **किसानों का रीयल-टाइम डायनेमिक डिस्ट्रेस इंडेक्स** बनाना।
- किसानों से संबंधित तनाव की पहचान के मामले में अग्रिम चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करने हेतु किसान संकट सूचकांक (Farmer Distress Index) जैसे अन्य प्रयास करना।

6.5.1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति** (CCEA)[99] ने 2023-24 के लिए छह रबी फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को अपनी मंजूरी दे दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में यह वृद्धि **केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप** तय की गई है। इसमें MSP को अखिल भारतीय आधार पर भारित औसत उत्पादन लागत के **कम-से-कम 1.5 गुना** रखने की घोषणा की गई थी।

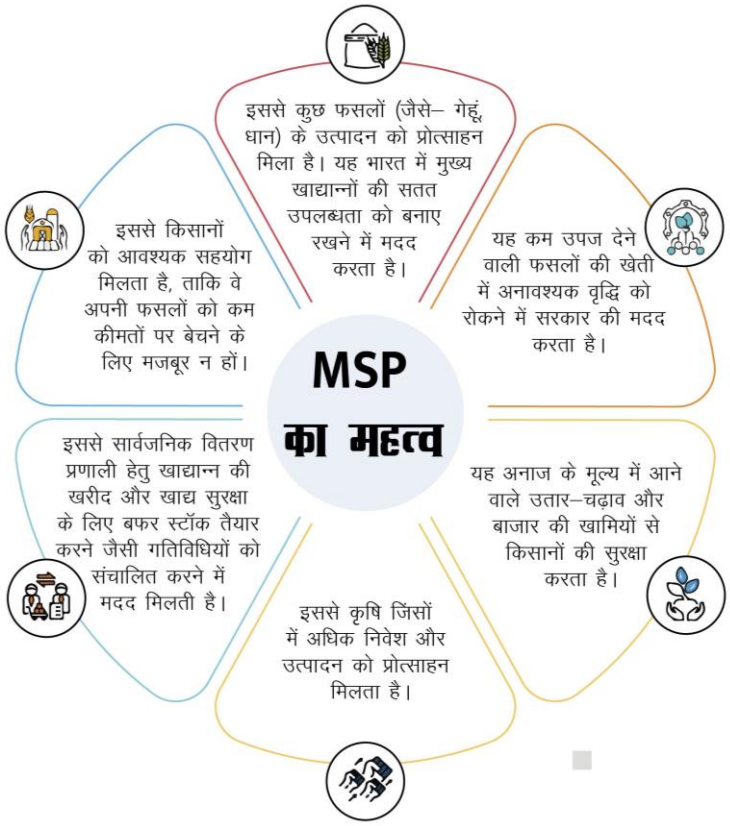

MSP के बारे में

- यह एक मूल्य समर्थन तंत्र है। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है।
- MSP को **कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)[100] की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में दो बार तय** किया जाता है। इसके बाद CCEA द्वारा इसे स्वीकृति दी जाती है। CACP भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
- CACP **किसान द्वारा किए गए खर्चों के आधार पर MSP** को निर्धारित करता है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
  - अंतिम **MSP के निर्धारण में किए गए व्यय (A2) और पारिवारिक श्रम (FL)[101] की लागत को शामिल किया जाता है।**
  - इसमें एक अलग **लागत विधि (C2) पर विचार** करने की मांग की जा रही है।
  - **राष्ट्रीय किसान आयोग (स्वामीनाथन समिति)** ने भी सिफारिश की थी कि **MSP को भारित औसत उत्पादन लागत से कम-से-कम 50% अधिक निर्धारित किया जाना चाहिए।**

[99] Cabinet Committee on Economic Affairs

[100] Commission for Agricultural Costs and Prices

[101] Family Labour

MSP से संबंधित समस्याएं

- **खरीद:** समय पर खरीद केंद्रों का निर्धारण न होना एक मुख्य समस्या है। इसके अलावा, गेहूं और चावल की खरीद भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है, जबकि अन्य फसलों की खरीद के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है।
- **राज्यों के बीच असमानता:** जिन राज्यों में अनाज की पूरी खरीद सरकार द्वारा की जाती है, वहां के किसानों को अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। इसके उलट जिन राज्यों में सरकार द्वारा अनाज की कम खरीद की जाती है, वहां के किसान अक्सर ऐसे लाभ से वंचित रह जाते हैं।
  - 2021 में, MSP से पंजाब में 95% से अधिक धान उत्पादक किसानों को लाभ की प्राप्ति हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 3.6% किसान ही लाभान्वित हुए थे।
- **पारिस्थितिक:** न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के कारण **गेहूं और धान के उत्पादन में अच्छी वृद्धि हुई** है। हालांकि इसके कारण **भूजल स्तर में कमी और लवणता जैसी पारिस्थितिक समस्याएं भी पैदा** हुई हैं। ऐसी समस्याएं पंजाब में अधिक देखी गई हैं।
- **राजकोषीय बोझ:** 2020-21 में, खाद्य सब्सिडी का भार केंद्र सरकार के निवल कर राजस्व का लगभग 30% था, जो सरकार पर भारी वित्तीय बोझ को दर्शाता है।
- **बिचौलिये:** MSP-आधारित खरीद प्रणाली बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और APMC[102] अधिकारियों पर निर्भर है, जो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाते हैं। इसके परिणामस्वरूप किसानों को उत्पादन करने के लिए कम पारिश्रमिक मिलता है।
- **भारत के कृषि निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता का कम होना:** MSP को अनिवार्य करने से भारत की कृषि-निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो हो गई है, क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित कीमतें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों की कीमतों से अधिक हैं।

आगे की राह

- **खरीद हस्तक्षेपों के विविधीकरण में वृद्धि:** जनसंख्या की पोषण सुरक्षा को संतुलित करने के लिए PDS प्रणाली के साथ-साथ मांग और आपूर्ति की कार्यनीति पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है।
- **भावांतर भुगतान (DPP)[103] प्रणाली:** इस योजना के तहत, सरकार बाजार मूल्य के MSP से कम होने पर किसानों को मुआवजा देती है। इसके लिए MSP और बाजार भाव में जो अंतर रह जाता है, उसका भुगतान किसानों को DBT आदि माध्यम से किया जाता है। भावांतर का अर्थ है- MSP और बाजार में बेचने पर प्राप्त राशि के बीच अंतर।
  - उदाहरण के लिए- मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना।
- **क्षेत्र के अनुसार योजना:** फसल प्रणाली को केवल अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के बजाय स्थानीय उपभोग पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए, भले ही उपज की मांग हो या ना हो।
- **आय समर्थन:** कई गैर-प्रमुख जिंसों[104] के लिए, MSP की घोषणा बहुत कम या बिना खरीद के

MSP के लिए कानून बनाने की मांग

- हाल ही में, कई किसान संगठनों ने **MSP के लिए कानून बनाने की मांग** की है।
  - MSP के लिए कानून बनाने से सरकार उन फसलों को पूरी तरह से खरीदने के लिए बाध्य हो जाएगी जिनके लिए MSP की घोषणा की गई है।

MSP के लिए कानून बनाने से संबंधित मुद्दे

- **राजकोषीय बोझ:** एक अनुमान के अनुसार, MSP के लिए कानून बनाने से 23 अनिवार्य फसलों की खरीद के लिए प्रतिवर्ष लगभग 17 लाख करोड़ रुपये का खर्च बढ़ेगा।
- **अन्य फसलों की मांग:** अगर MSP के लिए कानून बनाया जाता है तो **अन्य फसलों, विशेष रूप से फलों और सब्जियों को MSP में शामिल करने की मांग की जाएगी।**
- **भंडारण:** MSP पर सरकार द्वारा खरीदे गए अनाज के लिए भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण फसल की कटाई के बाद काफी नुकसान होता है।
- **बिकवाली:** खाद्यान्न का भंडारण बढ़ने से FCI को काफी सस्ते दाम पर अपने भंडार को खाली करने अर्थात् बेचने के लिए मजबूर किया जाएगा। इससे कीमतों में और गिरावट आएगी।
  - FCI द्वारा कृषि उपज की इस तरह की बिक्री और दूसरी ओर किसानों से सीधे MSP से कम दाम पर उपज की खरीद पर प्रतिबंध लगाने से, किसानों द्वारा बिक्री के सभी अवसर खत्म हो जाएंगे।

[102] Agricultural Produce Market Committee/कृषि उत्पाद बाजार समिति

[103] Deficiency Price Payment

[104] Staple Commodities

की जाती है। इस प्रकार, धीरे-धीरे आय-आधारित समर्थन प्रणाली (IBSS)[105] की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए- पी.एम.- किसान।

- **केंद्र और राज्य दोनों के अंशदान से निर्मित हो सकने वाला मूल्य स्थिरीकरण कोष:** घरेलू कारकों या वैश्विक व्यापार कारकों के कारण कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट से किसानों को बचाने के लिए इसे स्थापित किया जाना चाहिए।

6.6. अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 {International Year of Millets (IYM) 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा **अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष - 2023** (IYM 2023) के उद्घाटन समारोह का आयोजन इटली के रोम में किया गया।

मोटे अनाजों के बारे में

- बाजरा **छोटे दाने वाले अनाजों** के एक विविधतापूर्ण समूह से संबंधित है। ये भारत के विभिन्न भागों में स्वदेशी किस्मों के रूप में उगाए जाते हैं।
- मोटे अनाजों को लोकप्रिय रूप से **पोषक-अनाज (Nutri-cereals)** कहा जाता है।
- इनमें **7-12% प्रोटीन, 2-5% वसा, 65-75% कार्बोहाइड्रेट और 15-20% आहार युक्त फाइबर होता है।**

अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (IYM) 2023 के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में एक संकल्प पारित किया था। इस संकल्प का प्रस्ताव भारत द्वारा रखा गया था, जिसके तहत वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव था।
- **IYM 2023 निम्नलिखित के लिए एक अवसर प्रदान करेगा:**
  - मोटे अनाज के वैश्विक **उत्पादन में वृद्धि** का,
  - **कुशल प्रसंस्करण** और फसल चक्र के बेहतर उपयोग का,
  - खाद्य बास्केट के एक **प्रमुख घटक के रूप में मोटे अनाजों को बढ़ावा** देने का,
  - मोटे अनाजों पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का।

मोटे अनाजों को अपनाने में आने वाली चुनौतियां

- **मांग पक्ष की बाधाएं**
  - मोटे अनाजों के पोषण लाभों के बारे में **जन जागरूकता की कमी है।**
  - **गेहूं की फसल को वरीयता दी गई है,** फिर चाहे वो किसान हों या उपभोक्ता हों।
  - **अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती जा रही है।**

[105] Income Based Support System

- **आपूर्ति पक्ष की बाधाएं**
  - मोटे अनाज की आपूर्ति श्रृंखला **असंगत आपूर्ति और मांग** से ग्रस्त है।
  - सीमित वितरण और मोटे अनाजों के बारे में ज्ञान की कमी के कारण इन तक बेहतर पहुंच नहीं है।
  - **प्रसंस्करण उद्योग की कमी।**
  - **मोटे अनाजों से बने स्नैक्स अभी तक** सस्ते और स्वादिष्ट प्रतीत होने वाले पहले से उपलब्ध विकल्पों के लिए, एक **बेहतर विकल्प नहीं बन पाए** हैं।

मोटे अनाजों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें

- **वर्ष 2018 को मोटे अनाज के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था।**
- मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को समर्थन देने के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई है।**
- किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से किसानों को **बीज** और आदानों की आपूर्ति की जा रही है।
- **2022-23 के केंद्रीय बजट** में मोटे अनाजों की **कटाई के बाद उसका मूल्यवर्धन करने**, उसकी घरेलू खपत को बढ़ाने और मोटे अनाजों की ब्रांडिंग आदि के लिए सहायता प्रदान की गई है।
- **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** मध्याह्न भोजन योजना के तहत सप्ताह में कम-से-कम एक बार मोटे अनाज की आपूर्ति को अनिवार्य किया गया है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे अनाजों की खेती करने वालों को निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है:**
  - गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन/ वितरण
  - फील्ड-स्तरीय प्रदर्शन और प्रशिक्षण
  - प्राथमिक प्रसंस्करण क्लस्टर
  - अनुसंधान समर्थन
- **विदेशों में भारतीय मिशनों** को भारतीय मोटे अनाजों की ब्रांडिंग और प्रचार करने का काम सौंपा गया है।

मोटे अनाजों के उपयोग को बढ़ाने हेतु आगे की राह

- **उपभोक्ताओं को मिलेट्स या मोटे अनाजों के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूक करना चाहिए।**
- पोषण सामग्री के नुकसान के बिना मोटे अनाजों के छिलके को हटाने के लिए मशीनरी का विकास और निर्माण करना (बीज का बाहरी आवरण खाने योग्य नहीं होता है)।
- रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विविध बीज बैंकों का निर्माण किया जाना चाहिए।
- विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मोटे अनाजों की विभिन्न किस्मों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसलिए, इनकी विभिन्न किस्मों के लिए अनिवार्य रूप से MSP की शुरुआत की जानी चाहिए।

6.7. भारत में खाद्य भंडारण (Food Storage in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **"सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना[106]"** के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) के गठन और उसे सशक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

अनाज भंडारण योजना

- **उद्देश्य:** इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य है:
  - **खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना,**
  - खाद्यान्न बर्बादी को कम करना, तथा
  - किसानों को सशक्त बनाना।
  - इसके लिए **प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS)[107]** के स्तर पर **गोदामों और कृषि अवसंरचना** का निर्माण किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन:** इसके लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) का गठन किया जाएगा।

[106] World's Largest Grain Storage Plan in the Cooperative Sector

[107] Primary Agricultural Credit Societies

- **अलग-अलग योजनाओं में समन्वय (Convergence):** अनाज भंडारण योजना के तहत समन्वय के लिए कई योजनाओं की पहचान की गई है (इन्फोग्राफिक देखें)।

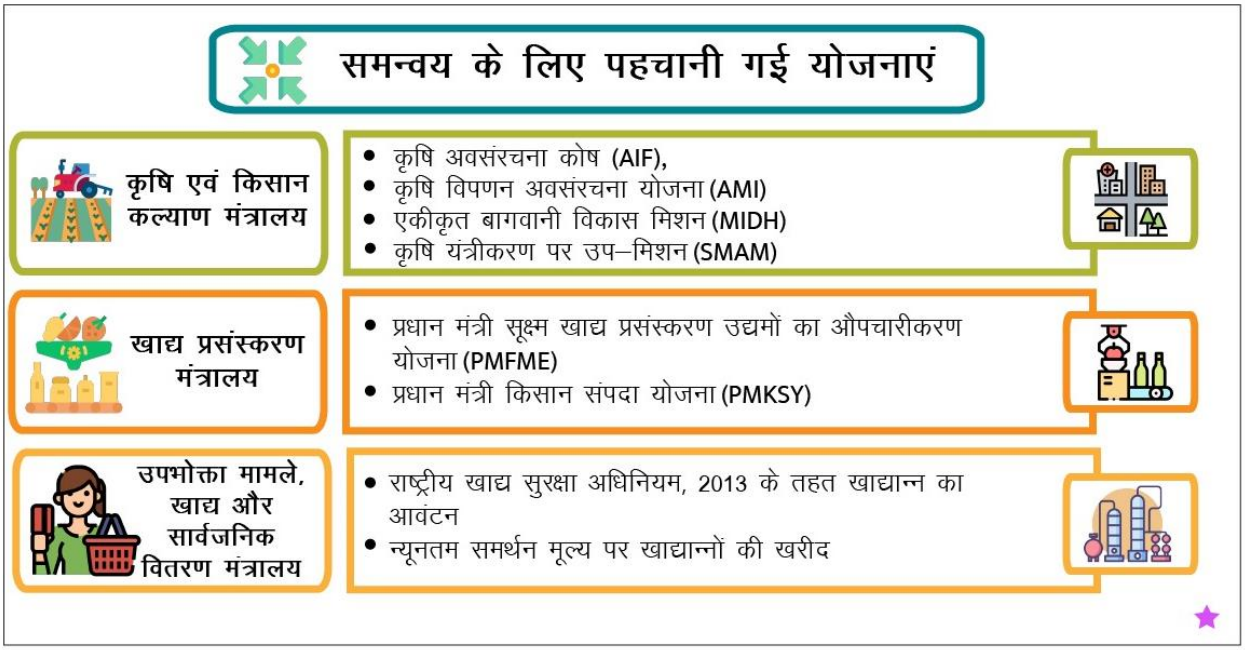

भारत में अनाज/ खाद्यान्न प्रबंधन

- **कुल उत्पादन:** सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में प्रतिवर्ष करीब **3,100 लाख टन** अनाज का उत्पादन होता है।
- **अनाज की खरीद के लिए सरकारी व्यवस्था:**
  - **केंद्रीकृत खरीद प्रणाली (Centralized Procurement System):** केंद्रीय पूल में, अनाज की खरीद या तो सीधे **भारतीय खाद्य निगम (FCI)**[108] द्वारा या **राज्य सरकार की एजेंसियों** द्वारा की जाती है। हालांकि, राज्य सरकार की ऐसी एजेंसियां जो अनाज खरीदती हैं, उन्हें FCI को सौंप दिया जाता है।
  - **विकेंद्रीकृत खरीद योजना (Decentralized Procurement Scheme):** इस योजना को 1997-98 में शुरू किया गया था। इसके तहत अनाज की खरीद और वितरण का कार्य स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
- **खाद्यान्न का वितरण:**
  - **केंद्र सरकार** FCI के जरिए खाद्यान्न की खरीद, भंडारण व परिवहन संबंधी कार्य-कलापों को देखती है। इसके बाद राज्य सरकारों को खाद्यान्न का थोक आवंटन किया जाता है।
  - **लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों** को सौंपी गई है। इसके लिए राज्य सरकारें निम्नलिखित कार्य करती हैं:
    - राज्य के भीतर खाद्यान्न आवंटन संबंधी कार्य;
    - पात्र परिवारों की पहचान करना;
    - राशन कार्ड जारी करना; तथा
    - उचित मूल्य की दुकानों के काम-काज की देख-रेख करना।

भारत में एक प्रभावी अनाज भंडारण प्रणाली की आवश्यकता क्यों है?

- **बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज विकसित करने हेतु:** एक प्रभावी भंडारण प्रणाली किसानों के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक जैसे फॉरवर्ड लिंकेज सिस्टम्स की भी मदद करती है।
- **स्थानीय भंडारण प्रणालियों का अभाव:** घरेलू क्षेत्रक द्वारा कुल उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा अपने पास रखा जाता है। इसके अलावा, अनुचित भंडारण के कारण खेत के स्तर पर ही अत्यधिक मात्रा में अनाज बर्बाद हो जाता है।

[108] Food Corporation of India

- **भंडारण व्यवस्था का अनुचित प्रबंधन:** प्रायः गोदामों में भंडारित अनाज को उसकी शेल्फ लाइफ से अधिक समय तक रखा जाता है। नतीजन, इस तरह के लंबे भंडारण से अनाज को चूहों, नमी, पक्षियों और कीटों से नुकसान का जोखिम होता है।
- **अवैज्ञानिक भंडारण:** लगभग 80% हैंडलिंग और वेयरहाउसिंग सुविधाओं को अब तक मशीनीकृत नहीं किया गया है। इसके अलावा, अनाज और अन्य कृषि वस्तुओं को लोड करने, उतारने तथा प्रबंधित करने के लिए आज भी पारंपरिक मैनुअल तरीकों का उपयोग किया जाता है।
- **भंडारण सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता न होना:** FCI के पास आज भी अनाज भंडारण केंद्रों और पर्याप्त भंडारण क्षमता वाले गोदामों का अभाव है।
    - वर्तमान में देश के सभी गोदामों में केवल 47 प्रतिशत उपज का ही भंडारण हो सकता है।
- **कोल्ड स्टोरेज से जुड़े मुद्दे:** भारत की कोल्ड स्टोरेज क्षमता के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। आज भी पारंपरिक कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं पर निर्भरता अधिक है।
    - सभी राज्यों में पर्याप्त संख्या में कोल्ड स्टोरेज नहीं हैं। अधिकांश कोल्ड स्टोरेज की संख्या उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में हैं।

अनाज भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें

- **अनाज के रख-रखाव और भंडारण पर राष्ट्रीय नीति, 2000।**
- **ग्रामीण भंडारण योजना:** इसके तहत वैज्ञानिक भंडारण क्षमता तैयार करने के उद्देश्य से ग्रामीण गोदामों के निर्माण/ नवीकरण हेतु सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- **वेयरहाउसिंग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007:** इसके जरिए वेयरहाउसिंग रसीद को खरीद फरोख्त के लायक बना दिया गया है। दूसरे शब्दों में, गोदाम या वेयरहाउसिंग रसीद को परक्राम्य लिखत (Negotiable instruments) बना दिया गया है।
- **निजी उद्यमी गारंटी (Private Entrepreneurs Guarantee: PEG) योजना:** इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) में FCI की भंडारण क्षमता को बढ़ाने हेतु शुरू किया गया है।
- **प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना:** इसे कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, विशेष पैकेजिंग केंद्रों तथा भंडारण सुविधाओं आदि के विकास के लिए शुरू किया गया है।

आगे की राह

- **फार्मगेट अर्थात् खेत के स्तर पर होने वाले नुकसान को कम करना:** इसके लिए परिवहन लिंक के साथ-साथ ग्राम स्तर पर अनाज एकत्रण केंद्रों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये केंद्र आधुनिक पैक-हाउस और फसल समूह केंद्र से युक्त होने चाहिए।
- **विकेंद्रीकरण:** इस संदर्भ में, अच्छा प्रदर्शन कर रहे राज्यों के साथ अधिक-से-अधिक जिम्मेदारियां साझा की जा सकती है। इन राज्यों में हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि शामिल हैं।
- **सुखाना, पर्याप्त हवा/ वातन और तापमान नियंत्रण (Drying, Aeration, and Temperature control):** उचित नमी और तापमान यह निर्धारित करते हैं कि अनाज अपनी गुणवत्ता खोए बिना कितने समय तक भंडारण में रह सकता है। इसलिए, इन संकेतकों के अनुसार भंडारण की पद्धतियों तथा प्रबंधन में बदलाव किया जाना चाहिए।
- **पारंपरिक तरीकों को मजबूत करना:** भंडारण के पारंपरिक साधनों को आधुनिक इनपुट्स की सहायता से मजबूत बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- बांसों की संरचना और मिट्टी तथा गीली मिट्टी की संरचना का उपयोग करना।
- **कवर एंड प्लिंथ (CAP) स्टोरेज की पद्धति का उपयोग नहीं करना:** CAP पद्धति को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही, CAP पद्धति के अंतर्गत 3 महीने से अधिक समय तक कोई अनाज स्टॉक नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय साइलो बैग तकनीक और पारंपरिक भंडारण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
    - **कवर एंड प्लिंथ (CAP):** यह अनाज के भंडारण की एक विधि है। इसमें अनाज को किसी खुले जगह व चबूतरे नुमा संरचना में ढक कर रखा जाता है।
- **निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:** सरकार भंडारण गोदामों, कोल्ड चेन स्टोरेज आदि में निवेश करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)[109] को ऋण की सुविधा भी प्रदान कर सकती है।
- **अनाज भंडारण के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकी का उपयोग:** इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों को अपनाने से अनाज प्रबंधन में मदद मिल सकती है।
    - अनाज की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए रियल टाइम में सेंसर-आधारित डेटा का उपयोग करके तापमान तथा नमी जैसे घटकों को नियंत्रित किया जा सकता है।

[109] Farmer's Producer Organizations

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

6.8. संबद्ध क्षेत्रक (Allied Sector)

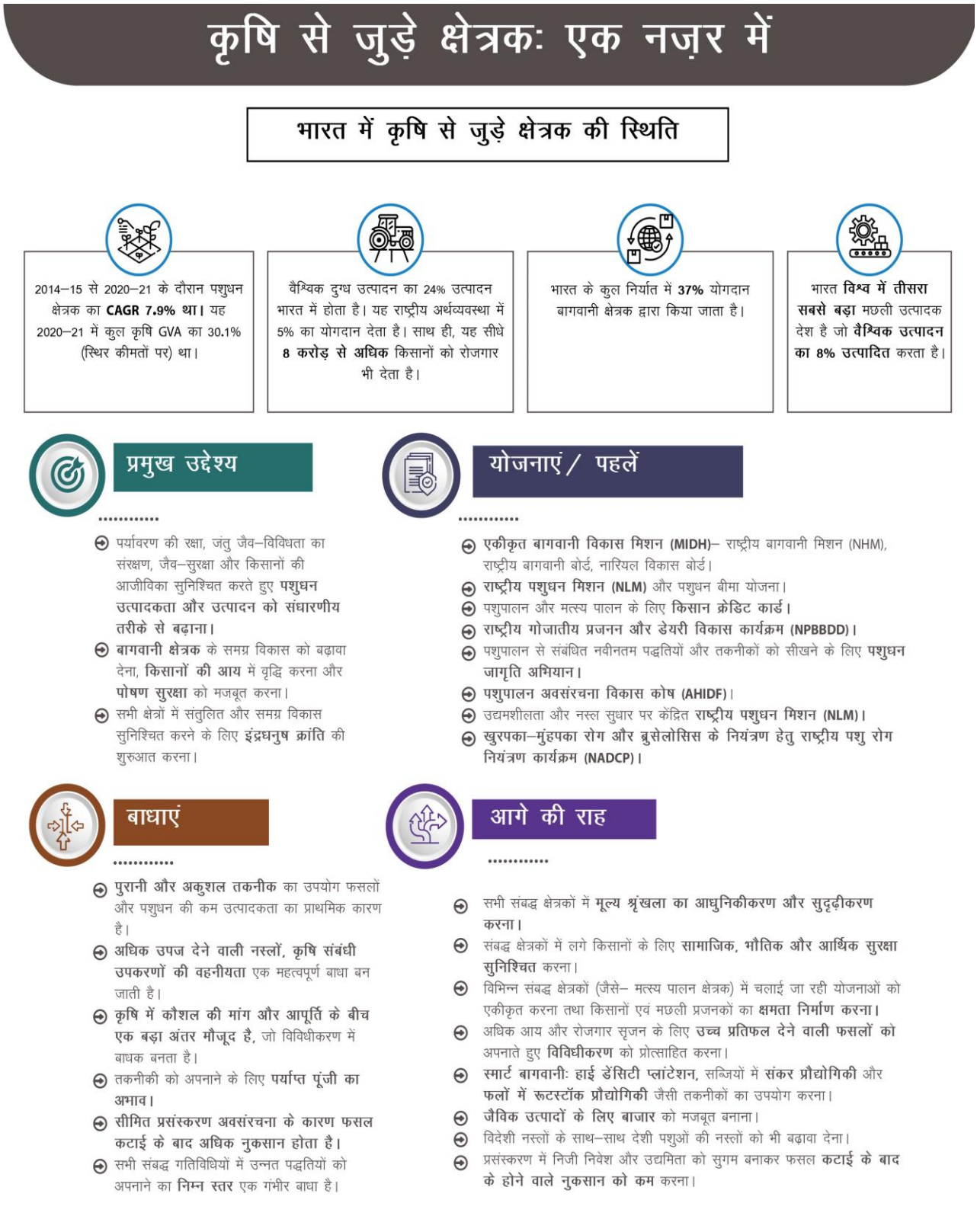

6.8.1. जलीय कृषि क्षेत्रक (Aquaculture Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने लोक सभा में **तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक , 2023** पेश किया।

विधेयक के मुख्य प्रावधान/ बिंदु

- इस विधेयक का उद्देश्य तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (CAA)[110] अधिनियम, 2005 के प्रावधानों में संशोधन करना है। इस अधिनियम के तहत तटीय जलीय कृषि को विनियमित करने के लिए तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण की स्थापना की गयी थी।

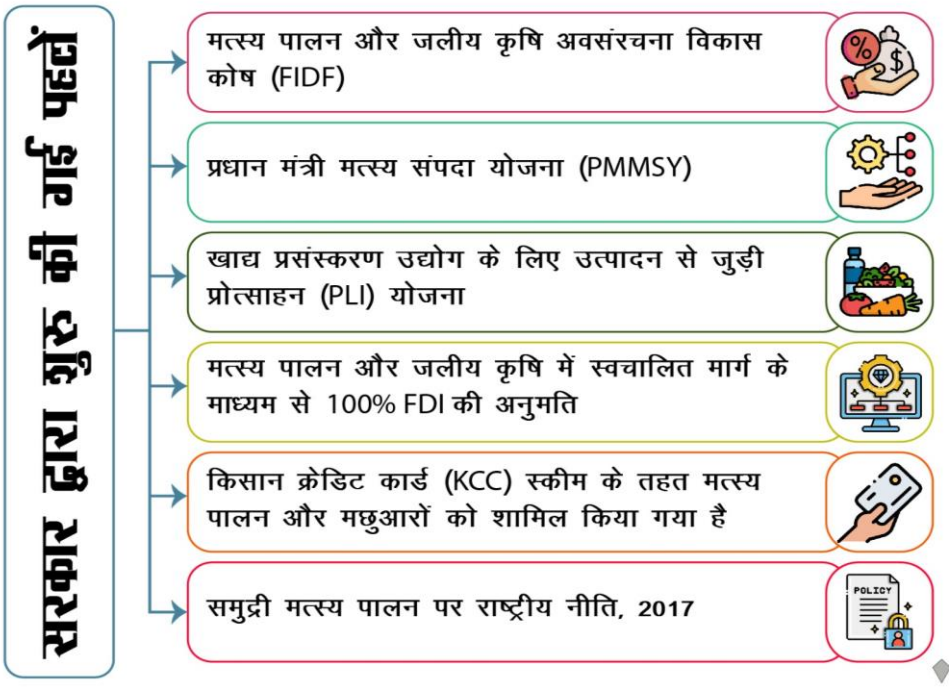

- **दायरा:** इसका उद्देश्य CAA अधिनियम के दायरे को बढ़ाना है। इस प्रकार इसमें **जलीय कृषि 'फार्मों' के साथ** तटीय एक्वाकल्चर के सभी **कार्यक्षेत्रों और गतिविधियों को कवर किया जाएगा।** इससे इनका संधारणीय विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
- **संबद्ध तटीय एक्वाकल्चर गतिविधियों का विनियमन:** यह विधेयक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, नो-डेवलपमेंट जोन (NDZ) और तटीय विनियमन क्षेत्रों (CRZ)[111] के भीतर **तटीय एक्वाकल्चर गतिविधियों** पर रोक लगाता है।
- **गैर-अपराधीकरण:** यह विधेयक अधिनियम के उल्लंघन के लिए कारावास के प्रावधानों को समाप्त करता है तथा उन्हें उपयुक्त मौद्रिक और अन्य दंडों से प्रतिस्थापित करता है।

जलीय कृषि से संबंधित समस्याएं

- **पर्यावास क्षति:** जलीय कृषि फार्म द्वारा अपशिष्ट अपवाह/ बहि:स्राव, आस-पास के क्षेत्रों में गाद का जमाव या अन्य परोक्ष प्रभाव से पर्यावास की क्षति होती है।
  - जलीय कृषि फार्म, कई समुद्री जीवों के समक्ष जाल में फंसने का जोखिम उत्पन्न कर देते हैं और उनकी आवाजाही (या प्रवासन) को बाधित करते हैं।
- **जल प्रदूषण:** जलीय कृषि के बहि:स्राव में रसायन और अपशिष्ट उत्पाद मौजूद होते हैं। इनसे जल में विषाक्त शैवाल प्रस्फुटन (Algal bloom), सुपोषण (Eutrophication) और ऑक्सीजन रहित मृत क्षेत्रों (Dead zones) का निर्माण हो सकता है।

[110] Coastal Aquaculture Authority

[111] Coastal Regulation Zones

- **विदेशज प्रजातियों का प्रवेश:** फ़ार्मड मछलियां आस-पास के पारितंत्र में प्रवेश कर सकती हैं और प्राकृतिक रूप से मौजूद जीवों की आबादी के मध्य रोगों के प्रसार का कारण बन सकती हैं। साथ ही, वे देशी प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं या उन्हें विस्थापित कर सकती हैं, जिससे उक्त आबादी का अस्तित्व प्रभावित हो सकता है।
- **असंधारणीय प्रथाएं:** अत्यधिक मत्स्यन, प्रदूषण, खराब प्रबंधन और अन्य कारकों के कारण मत्स्य संसाधनों में गिरावट जारी है।

आगे की राह

एक उत्तरदायी जलीय कृषि नीति का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हों:

- **ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन:** यह जलीय कृषि के लिए अनेक कार्रवाइयां सामने रखता है। इसका उद्देश्य **जलीय खाद्य प्रणालियों में लचीलेपन का समर्थन करना तथा मत्स्य पालन और जलीय कृषि को संधारणीय रूप से विकसित करना है।**
- **छोटे मछुआरों की रक्षा:** तटीय क्षेत्रों का निजीकरण करके या अन्य असमानताएं पैदा करके छोटे स्तर के मछुआरों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।
- **वैश्विक मात्स्यिकी प्रबंधन:** पारिस्थितिक तंत्र के स्वस्थ एवं उत्पादक स्थिति को बहाल करने तथा जलीय खाद्य पदार्थों की दीर्घकालिक आपूर्ति की सुरक्षा के लिए वैश्विक मत्स्य प्रबंधन में सुधार करना महत्वपूर्ण है।
- **तकनीकी नवोन्मेष:** नवोन्मेषी जलीय कृषि पद्धतियों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एक्वाफीड एवं फीडिंग, डिजिटलाइजेशन तथा कुशल और पर्यावरण-समर्थक प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

संबंधित सुर्ख़ियां

हाल ही में, **स्विट्जरलैंड ने मत्स्य सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन (WTO)[112] के नए समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है।**

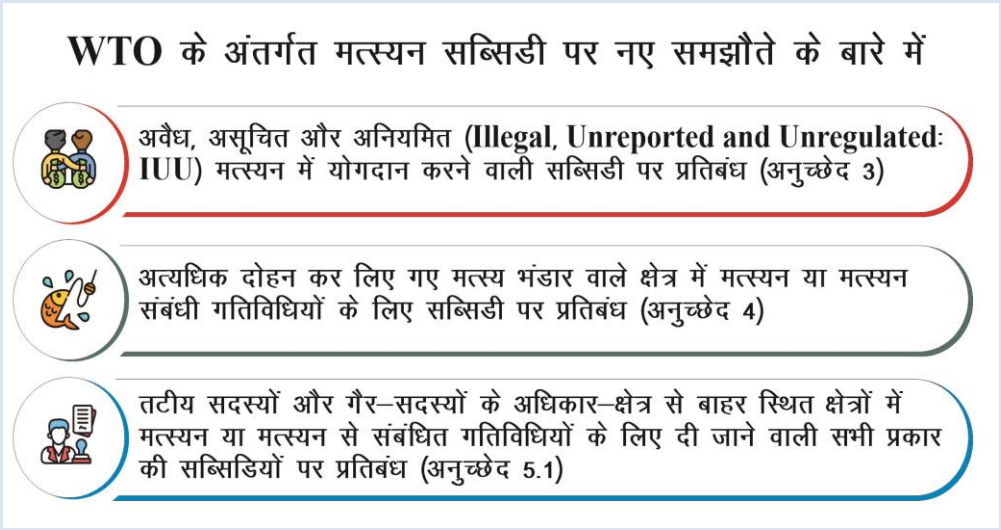

- इस समझौते को **'जिनेवा पैकेज'** के तहत **जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (जून 2022) में अपनाया** गया था।
- हालांकि, इस समझौते को प्रभावी बनाने के लिए **WTO** के **दो-तिहाई सदस्यों** की स्वीकृति जरूरी है।
- **मत्स्य सब्सिडी पर नए समझौते के लाभ**
  - **अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) मत्स्यन पर नियंत्रण:** यह समझौता IUU मत्स्यन के लिए सब्सिडी पर अंकुश लगाता है। साथ ही, ऐसे मत्स्यन के खिलाफ **वैश्विक लड़ाई** में एक शक्तिशाली और नई व्यवस्था का निर्माण करता है।
  - **अति दोहित मत्स्य भंडारों की सुरक्षा:** यह समझौता अत्यधिक दोहन का शिकार हो चुके मत्स्य भंडार में मत्स्यन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगाता है।
  - **अविनियमित खुले समुद्रों की सुरक्षा:** यह समझौता अविनियमित खुले समुद्रों में मत्स्यन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगाता है। साथ ही, उन स्थानों की सुरक्षा करता है **जहां प्रबंधन के उपाय मौजूद नहीं** हैं।
  - **विकास सब्सिडी पर कोई रोक नहीं:** WTO के सदस्यों पर अपने पोत या ऑपरेटर को सब्सिडी देने पर **कोई प्रतिबंध नहीं** है, जब तक कि वह **IUU गतिविधियों में शामिल नहीं** होता है।
  - **अत्यधिक दोहित मत्स्य भंडार की पुनर्बहाली के लिए सब्सिडी:** यह समझौता मत्स्य भंडार की जैविक रूप से संधारणीय स्तर पर पुनर्बहाली के लिए दी जा रही सब्सिडी पर कोई रोक नहीं लगाता है।

[112] World Trade Organization

6.9. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक (Food Processing Sector)

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक: एक नज़र में

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की स्थिति

यह एक **सनराइज सेक्टर है।** इसका **चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 8.3% (वित्त वर्ष 2017 – वित्त वर्ष 2021)** है। वर्ष 2019–20 में **2.24 लाख करोड़ रुपये का सकल मूल्य वर्धन** (GVA) था। यह देश में **कुल GVA का 1.69%** है।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2018–19 के अनुसार, इस क्षेत्रक में **20.05 लाख कर्मचारी** कार्य कर रहे हैं। यह संख्या **देश में पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्रक में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या का सबसे बड़ा हिस्सा (12.2%)** है।

देश भर में स्वीकृत 37 में से **22 मेगा फूड पार्क परिचालन में हैं।**

बढ़ती क्षेत्रीय स्वाद वरीयता के साथ बढ़ता निर्यात।

प्रमुख उद्देश्य

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक के माध्यम से **अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण स्तंभों यानी** अर्थव्यवस्था और कृषि को एकीकृत करना।
- दूध, दाल, अदरक, केला और आम जैसे **क्षेत्रों में बढ़ती मांग के कारण भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का दोहन करना।**
- **ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस तैयार करना।**
- **विदेशों में** भारतीय उत्पादों की **ब्रांडिंग और मार्केटिंग** को सहायता प्रदान करना।
- **खाद्य उत्पादों के मौजूदा निम्न प्रसंस्करण स्तर और आपूर्ति श्रृंखला में होने वाली अत्यधिक बर्बादी की** समस्याओं का समाधान करना।

योजनाएं / पहलें

- **पी.एम. किसान संपदा योजना।**
- **ऑपरेशन ग्रीन्स** का दायरा TOP (टमाटर, प्याज और आलू) से बढ़ाकर शीघ्र खराब होने वाली 22 फसलों तक कर दिया गया है।
- सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता के लिए **प्रधान मंत्री– सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना (PM-FME)।**
- चयनित उत्पादों पर SME को अपग्रेड करने के लिए **PM-FME** के तहत एक **जिला एक उत्पाद पहल** आरंभ की गई है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना।**
- **100% FDI**, और खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन को **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार** के तहत कृषि संबंधी गतिविधि के रूप में शामिल करना।

बाधाएं

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का **अनौपचारिक रूप।**
- **कुशल आपूर्ति श्रृंखला** अवसंरचना का अभाव।
- **कच्चे माल और कोल्ड चेन क्षमता** तक पहुँच में व्याप्त बाधाएं।
- **कार्यशील पूंजी की उच्च आवश्यकता;** नए विश्वसनीय और बेहतर सटीकता वाले उपकरणों की कम उपलब्धता; अपर्याप्त ऑटोमेशन।
- अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, प्रोसेसर्स, निर्यातकों और थोक खरीददारों के साथ किसानों / क्षेत्रक का **अविकसित लिंकेज।**
- **ऋण प्रदान करने की खराब सुविधा, नौकरशाही बाधाएं और कड़े श्रम कानून।**
- **अपर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल विकास।**
- **गुणवत्ता और सुरक्षा को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता।**

आगे की राह

- **नीति:** विनियामक संरचना, श्रम कानून, खाद्य और पैकेजिंग मानकों को कारगर बनाना।
- **वित्तीय:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने, बाजार को बढ़ावा देने और सहायक गतिविधियों के खर्चों को ध्यान में रखते हुए उचित कर प्रोत्साहन तथा छूट प्रदान करना।
- **आधारभूत संरचना:** किसान–उत्पादक–निवेशक–अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिंकेज के माध्यम से **आपूर्ति पक्ष और बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करना।**
- **मानवीय संसाधन:** मांग और लाभ आधारित उत्पादन के प्रति हितधारकों की मानसिकता तथा कुशल कार्यबल का निर्माण करना।

6.10. कृषि निर्यात (Agricultural Exports)

कृषि निर्यातः एक नज़र में

भारत के कृषि निर्यात की स्थिति

- वर्ष 2021–22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात **50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर** पहुँच गया।
- 1991 में आर्थिक सुधार लागू होने के बाद से भारत **कृषि उत्पादों का निवल निर्यातक** रहा है।
- 2021 में **वैश्विक कृषि व्यापार में भारत के कृषि निर्यात की हिस्सेदारी 2.4%** थी।
- 2021–22 में भारत के कुल **व्यापारिक निर्यात में कृषि निर्यात की हिस्सेदारी 11.9%** थी।
- भारत के **कृषि उत्पादों और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के प्रमुख गंतव्य बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात** हैं।

कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें

- **कृषि निर्यात नीति–2018** कृषि निर्यात–उन्मुख उत्पादन, किसानों की आय बढ़ाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात क्षमता के दोहन पर केंद्रित है।
- परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि के साथ निर्यात के लिए **ऑनलाइन प्रमाण–पत्र** जारी किए जा रहे हैं।
- माल ढुलाई के नुकसान को कम करने के लिए विशिष्ट कृषि उत्पादों हेतु **परिवहन और विपणन सहायता (TMA) योजना** शुरू की गई है।
- निर्यातकों के साथ संपर्क करने के लिए किसानों, FPOs/FPCs, सहकारी समितियों हेतु एक **किसान कनेक्ट पोर्टल** स्थापित किया गया है।
- APEDA, MPEDA, चाय–बोर्ड आदि की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत उपलब्ध कृषि उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान की जा रही है।
- हवाई परिवहन द्वारा कृषि उपज के परिवहन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए **कृषि उड़ान 2.0** योजना शुरू की गई है।

कृषि निर्यात के समक्ष बाधाएं

- विशेष रूप से नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए खराब और अकुशल बैकवर्ड एकीकरण, जिसके परिणामस्वरूप गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं।
- खेत और निर्यातक, दोनों स्तरों पर प्रशिक्षण और कौशल विकास का अभाव है।
- फसल बुआई और कटाई के बाद का प्रबंधन अपर्याप्त है।
- खाद्य उत्पादों में मूल्यवर्धन कम किया जाता है।
- यूरोप जैसे आकर्षक बाज़ारों में सैनिटरी और फाइटो–सैनिटरी मानक जैसी गैर–प्रशुल्क बाधाएँ मौजूद हैं।
- गुणवत्ता में एकरूपता की कमी और मूल्य श्रृंखला में घाटे के कारण बागवानी उपज का निर्यात करने में असमर्थता विद्यमान है।

आगे की राह

- WTO के नियमों और AI, IoT और ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ नीतिगत जुड़ाव आवश्यक है।
- आपसी समझौतों और खाद्य उत्पादों के मानकीकरण के जरिए गैर–प्रशुल्क बाधाओं का समाधान किया जाए।
- लॉजिस्टिक्स, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे के निर्माण आदि में सुधार के माध्यम से कृषि–खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना चाहिए।
- केंद्र को एक समर्थक के रूप में कार्य करते हुए राज्य के नेतृत्व वाली निर्यात योजनाएं शुरू करनी चाहिए।
- अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना चाहिए।

7. उद्योग (Industry)

7.1. औद्योगिक नीति (Industrial Policy)

औद्योगिक नीति – एक नज़र में

सकल घरेलू उत्पाद में **विनिर्माण क्षेत्रक का योगदान लगभग 17%** है। यह **वर्ष 1991 से लगभग स्थिर** बना हुआ है।

हाल ही में, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सूचकांकों जैसे कि **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार** हुआ है।

भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में वर्ष 2020 में 63 वें स्थान (वर्ष 2014 में 142 वां स्थान) पर था।

9 भारतीय कंपनियां 2022 की फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल थीं।

प्रमुख उद्देश्य

- भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख भागीदार और अभिकर्ता के रूप में स्थापित करना।
- उत्पादकता में निरंतर वृद्धि बनाए रखना, लाभकारी रोजगार में वृद्धि करना।
- योजनाबद्ध तरीके से **'उद्योग 4.0'** को अपनाने को बढ़ावा देना।
- सालाना **100 अरब डॉलर के FDI** को आकर्षित करना। वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति स्थापित करने हेतु आउटवर्ड FDI द्वारा सहायता प्रदान करना।
- **इंडियन प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड्स** बनाना और उन्हें एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करना।

नीतियां / योजनाएं / पहलें

- निजी क्षेत्रक की बड़ी भूमिका के लिए वर्ष 1991 से **औद्योगिक नीति का प्रगतिशील उदारीकरण** हुआ है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रौद्योगिकी पार्कों, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों **(NIMZs)**, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम **(NICP)** आदि के माध्यम से **बुनियादी ढांचे का विकास** करना।
- **पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान।**
- विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रकों के लिए **उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना** शुरू की गई है।
- 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है।
- **अन्य कानून, नीतियां और सुधार:** मेक इन इंडिया; प्रतिस्पर्धा अधिनियम (2002); सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम (2006); राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (2011); GST सुधार; IBC कोड आदि।

बाधाएं

- निवेश के **चयनात्मक** अंतर्वाह के कारण औद्योगिक पैटर्न में विकृतियां।
- ऋण बाधाओं, उच्च श्रम लागत आदि के साथ–साथ 2011–12 से **नए निवेश में चक्रीय स्लोडाउन।**
- डेटा सुरक्षा, डेटा की विश्वसनीयता और संचार / प्रसारण में स्थिरता सहित **प्रौद्योगिकी विकास तथा उसे अपनाने** में आने वाली चुनौतियां।
- **गुणवत्तापूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की कमी** के कारण अधिक लॉजिस्टिक लागत और भारतीय वस्तुओं की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी।
- **विनियामकीय अनिश्चितता; प्रतिबंधात्मक श्रम कानून; आई.पी.आर. से जुड़े मुद्दे** और विलंब; बिजली की कमी; फर्म–स्तरीय डेटा का अभाव; एजेंसियों की बहुलता; आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान; बढ़ता इनपुट लागत आदि।

आगे की राह

- मांग का सृजन करके, **औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बेहतर करके और MSMEs को बढ़ावा देकर विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित** करना।
- **विनिर्माण क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजी निवेश** को प्रोत्साहित **करने के लिए निरंतर उदारीकरण करना।**
- **श्रम प्रधान क्षेत्रकों में मेगा पार्कों और विनिर्माण समूहों** की स्थापना करना।
- **उद्योग को इंडस्ट्री 4.0 अपनाने के लिए प्रेरित करना।**
- सभी राज्यों में **"सिंगल विंडो" रेगुलेटरी सिस्टम** लागू करना।
- नई औद्योगिक नीति के भाग के रूप में **हरित औद्योगिक नीति** को शामिल करना।
- बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से **कर संबंधी सुधार करना।**
- **IPRs** के समग्र और संधारणीय विकास के लिए **अनुसंधान एवं विकास व्यय में वृद्धि और मजबूत IPR व्यवस्था का विकास** करना।

7.2. भारत को विनिर्माण हब बनाना (Making India A Manufacturing Hub)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने SCO[113] शिखर सम्मेलन, 2022 में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने भारत को **विनिर्माण हब** बनाने के लक्ष्य को साझा किया।

[113] शंघाई सहयोग संगठन/ Shanghai Cooperation Organisation

भारत का विनिर्माण क्षेत्रक

- भारत, सर्वाधिक विनिर्माण करने वाले विश्व के **शीर्ष 10 देशों में** शामिल है:
  - भारत, विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता** है। यहां विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम** है।
- आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्रक ने **2019-20 में 6.24 करोड़ लोगों को रोजगार दिया** और **2021-22 में 58.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI** प्राप्त किया।

- इसके अलावा, भारत ने विनिर्माताओं को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क्स पर अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया है। उदाहरण के लिए-
  - कुशमैन एंड वेकफील्ड के **ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स** में भारत **विश्व का दूसरा सबसे अधिक लोकप्रिय विनिर्माण स्थान है।**

विनिर्माण हब के रूप में भारत के उदय में सहायक तत्व	
आंतरिक स्थिति	• **उद्योगों का आत्मविश्वास:** भारत का मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) **लगातार 15वें महीने 50 से ऊपर है।** PMI, विनिर्माण की दशा और इंडस्ट्रियल आउटपुट को मापता है। ○ यह विश्व की प्रतिकूल स्थितियों और अन्य जगहों पर बढ़ती मंदी के डर के बावजूद, भारत के **विनिर्माण क्षेत्रक की अच्छी स्थिति को दर्शाता** है। • **बड़ी संख्या में उपलब्ध कार्यबल:** UN जनसंख्या कोष, 2019 के अनुसार, भारत अगले तीन दशकों (2020-2050) में **वैश्विक कार्यबल में 22% नए लोगों को शामिल करेगा।** • **उच्च आर्थिक संवृद्धि:** भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। ऐसा अनुमान है कि **यह वर्ष 2047 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** बन सकता है। • **वृहत घरेलू बाजार: बढ़ती आय** और **घटते ग्रामीण-शहरी विभाजन** से घरेलू मांग में वृद्धि हुई है।
बाह्य परिस्थितियां	• महामारी एवं अन्य कारणों से **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं** उत्पन्न हुई हैं। इससे निपटने के लिए **सप्लाई चेन रेजिलिएन्स इनिशिएटिव (SCRI)** की शुरुआत की गई है, उदाहरण के लिए- भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच SCRI का गठन किया गया है। • **USA-चीन ट्रेड वॉर** से **'सहयोगी प्रतिद्वंदी (Co-operating Rivals)'** संबंध **'प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी (Competing Rivals)'** संबंध में बदल गए हैं। इस बदलाव से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा हुआ है। इसने कंपनियों को अपने विनिर्माण क्षेत्र में विविधता लाने के लिए विवश किया है। इसे **चीन+1 दृष्टिकोण (China+1 approach)** के रूप में भी जाना जाता है। ○ उदाहरण के लिए- एप्पल कंपनी ने अपने उत्पादन का एक बड़ा भाग भारत में स्थानांतरित कर दिया है। • **चीन की स्थिति:** चीन की **बूढ़ी होती आबादी** और **बढ़ती श्रम लागत** ने भी कंपनियों को अधिक स्थायी विकल्पों की तलाश करने के लिए विवश किया है।

विनिर्माण हब के रूप में भारत के समक्ष बाधाएं

- हालांकि, भारत ने कम उत्पादन लागत और बढ़ती विनिर्माण प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने के लिए **वैश्विक विनिर्माताओं को देश में उत्पादन करने हेतु आकर्षित किया है।** फिर भी, **वैश्विक विनिर्माण में भारत की कुल हिस्सेदारी अभी भी बहुत कम है।**
- निर्यात को बढ़ाने, आयात को स्थानीय बनाने, आंतरिक मांग में वृद्धि करने, विश्व का विनिर्माण हब बनने जैसे लक्ष्यों के समक्ष कई **आंतरिक बाधाएं और बाहरी जोखिम** मौजूद हैं। इनमें से कुछ बाधाएं और जोखिम इस प्रकार हैं:

आंतरिक बाधाएं	• **धीमे तथा अधूरे आर्थिक सुधार:** भारतीय बाजार में सुधारों की गति या उसे खुला बनाने का कार्य अभी भी जारी है। इसमें पूरक सुधारों का भी अभाव है। उदाहरण के लिए- संघ और राज्य की नीतियों के बीच मतभेदों के कारण **श्रम सुधार धीमी गति** से हो रहे हैं। • **कानूनी मुद्दे:** इसमें प्रतिबंधात्मक श्रम कानून, बोझिल नियमों का पालन, IPRs[114] का निम्नस्तरीय संरक्षण, विवाद होने पर लंबी मुकदमेबाजी, पर्यावरणीय चिंताओं के कारण परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में देरी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे शामिल हैं। • **कम प्रतिस्पर्धात्मकता:** भारत के निर्यात को **लागत** और **गुणवत्ता** के मामले में नुकसान उठाना पड़ता है। लागत और गुणवत्ता से जुड़े इन मुद्दों में **लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत,** उच्च मुद्रास्फीति के कारण **कच्चे माल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव, अनौपचारिक या MSMEs क्षेत्रक का प्रभुत्व, अप्रचलित प्रौद्योगिकी**, अनिश्चित विद्युत आपूर्ति आदि शामिल हैं। • **पूंजी तक पहुंच की खराब स्थिति:** बड़ी संख्या में अनौपचारिक उद्यमों के खराब वित्तीय रिकॉर्ड, व्यापार संबंधी योजना की कमी आदि के कारण औपचारिक पूंजी तक पहुंच सीमित है। • **कुशल श्रम शक्ति: चीन में 24%, जर्मनी में 75% और साउथ कोरिया में 96%** की तुलना में **भारत में केवल 4.69%** श्रमिक ही औपचारिक रूप से कुशल हैं। • उन्नत प्रौद्योगिकी संबंधी विनिर्माण[115] के लिए सहायक पारितंत्र अपर्याप्त है जिसके कारण **अर्थव्यवस्था** की उद्यमशीलता उम्मीद से कम है। इसी वजह से निजी क्षेत्रक भी निवेश संबंधी जोखिम लेने से बचता है।
बाह्य जोखिम	• **वैश्विक बाजारों में चक्रीय मंदी** (Cyclical Slowdowns) के कारण नए निवेशों में गिरावट और मांग में कमी आयी है। **उच्च मुद्रास्फीति के कारण वैश्विक मांग में गिरावट** आयी है तथा विकसित देशों में **मंदी के बढ़ते जोखिम** ने इसे और अधिक बढ़ा दिया है। • यूरोपीय संघ, यू.के. और अन्य देशों के साथ **व्यापार समझौतों पर धीमी प्रगति** हुई है। ऐसे में, पहले से ही समझौता कर चुके देशों को लाभ मिल रहा है, उदाहरण के लिए- **यूरोपीय संघ-वियतनाम मुक्त व्यापार समझौता।** • रूस-यूक्रेन युद्ध और संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन के बीच तनाव जैसे भू-राजनीतिक कारणों से **स्पिलओवर जोखिम में वृद्धि** हुई है। • रुपये एवं अधिकांश अन्य मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने के कारण **मुद्रा बाजार में अनिश्चितता आयी है।** • अधिकांश देश द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संधियों की ओर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इससे **वैश्वीकरण** और **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बहुपक्षवाद के लिए चुनौतियां** बढ़ रही हैं।

आगे की राह

- **केंद्र और राज्य सरकार के बीच नीतिगत सामंजस्य** की आवश्यकता है। इससे सरकारी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन संबंधी लागत को कम करने के लिए आवश्यक कानूनी सुधार लाए जा सकेंगे।
- वैश्विक स्तर का प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्रक बनाने के लिए **सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय** की जरूरत है।
- **नवाचार, उद्यमिता और कौशल संबंधी पहलों** को बढ़ावा देकर **क्षमता-निर्माण** किया जाना चाहिए।
- **ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित** की जानी चाहिए। लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने हेतु **आपूर्ति श्रृंखला** के लिए एक **एकीकृत दृष्टिकोण** अपनाना चाहिए, जो उच्च गति, अधिक दक्षता एवं लचीलेपन से लैस हो।
- व्यापार बाधाओं को कम करके भारत के निर्यात में वृद्धि करना तथा विनिर्माताओं को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए **WTO के बहुपक्षवाद का पुनरुत्थान** करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए- व्यापार समझौतों की सहायता से निर्यात में वृद्धि करना।

मेक इन इंडिया के तहत प्रगति और उपलब्धियां

- वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** अब तक का सर्वाधिक 83.6 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था। यह वित्त वर्ष 2014-2015 के 45.15 बिलियन डॉलर के FDI की तुलना में दोगुना है।
- वित्त वर्ष 2021-22 में **खिलौनों का आयात 70% तक कम** हो गया था।
- **14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** शुरू की गई है। PLI योजना के उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना, निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना आदि हैं।
- भारत में **सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, डिजाइन इकोसिस्टम** आदि बनाने के लिए **प्रोत्साहन योजनाएं** शुरू की गई हैं।
- **एक जिला, एक उत्पाद (ODOP) पहल** शुरू की गई है। इसके तहत किसी उत्पाद की पहचान, प्रचार और ब्रांडिंग करके जिलों की मदद की जाती है।
- **सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017** जारी किया गया है। इसका उद्देश्य आय और रोजगार बढ़ाने के लिए स्थानीय उद्योगों में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण व उत्पादन को बढ़ावा देना है।

[114] बौद्धिक संपदा अधिकार/ Intellectual Property Rights

[115] High-End Tech Manufacturing

7.3. उत्पाद-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme}

उत्पादन–से–संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाः एक नज़र में

PLI योजना की आवश्यकता क्यों?

- सकल घरेलू उत्पाद में **विनिर्माण क्षेत्रक की हिस्सेदारी स्थिर है।** यह वर्ष 1991 से लेकर अब तक 15–17% के मध्य बनी हुई है।
- लगभग 90% कार्यबल के अनौपचारिक रोजगार में संलग्न होने के साथ बड़ी संख्या में **MSMEs का मौजूद होना।**
- **चीन के विकल्प के लिए वैश्विक प्रयास** (चीन+1 रणनीति)।
- **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, मेक इन इंडिया आदि जैसी पहलों** की सीमित सफलता।

PLI योजना के संभावित प्रभाव

- **इससे नई विनिर्माण कंपनियों के पंजीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।**
- सनराइज और रणनीतिक क्षेत्रक की उत्पादन क्षमता आने वाले **पांच वर्षों में 500 बिलियन डॉलर से अधिक होने की संभावना है।**
- पूरी तरह से लागू किए जाने के बाद, यह वृद्धिशील राजस्व के मामले में **प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है।**
- **विस्तृत सामरिक स्वायत्तता** (जैसे दूरसंचार में) और मूल्य श्रृंखला के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को स्थानीयकृत करके मौजूदा तुलनात्मक लाभ (जैसे फार्मा में) को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
- **सालाना 100 अरब डॉलर से अधिक के FDI अंतर्वाह को सुनिश्चित** करने के साथ यह भारत की साख को बेहतर बनाने और वैश्विक बाजारों में भारतीय उपस्थिति को सुदृढ़ करने में भी सहयोग करेगा।

इस योजना की उपलब्धियां

- वित्त वर्ष 2021–22 में विनिर्माण क्षेत्रक के तहत FDI में 76% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- कुल निर्यात में 2.56 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।
- लगभग 3,25,000 लोगों के लिए रोजगार का सृजन।
- मार्च 2023 तक 62,500 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है।
- दूरसंचार क्षेत्रक में 60% का आयात प्रतिस्थापन हासिल किया गया है।

योजना से जुड़ी चुनौतियां

- संरचनात्मक मुद्दों और सीमित कुशल कार्यबल के कारण **विनिर्माण परिवेश का अभाव।**
- **विमुद्रीकरण के बाद से घरेलू विनिर्माण का मंद होना,** विशेषकर GST, महामारी, आदि के शुरुआती वर्षों में एक तरफ अत्यधिक केंद्रित होने के कारण।
- कुशल और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु आवश्यक धन उपलब्ध न होने तथा प्रतिबंधात्मक श्रम कानूनों और मंजूरी में देरी जैसे मुद्दों के कारण **नीतिगत और आर्थिक बाधाएं।**
- वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के साथ **कच्चे माल की उपलब्धता।**
- वियतनाम और चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा; कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता जैसी **अन्य चुनौतियाँ।**
- धन की कमी और अन्य कारणों से PLI **भुगतान में देरी।**

आगे की राह

- बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए अवसंरचना सृजन पर व्यय बढ़ाकर **औद्योगिक अवसंरचना का उन्नयन किया जा सकता है और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है।**
- सभी राज्यों में "सिंगल विंडो" नियामक प्रणाली जैसे कि निरंतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए **समग्र व्यावसायिक परिवेश को प्रोत्साहित** किया जा सकता है।
- घरेलू मांग के पुनरुद्धार के माध्यम से विनिर्माण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और अधिक लचीलेपन के साथ रसद लागत को कम करने के लिए **आपूर्ति–श्रृंखला को अनुकूलित किया** जा सकता है।
- प्रगति पर नज़र रखने और कच्चे माल, निधियों की उपलब्धता, कुशल कार्यबल, भुगतान आदि से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए **योजना की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए।**
- PLI की सफलता को सुनिश्चित करने के क्रम में आवश्यक प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए नवाचार, **अनुसंधान और कौशल विकास में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए।**

7.4. वस्त्र क्षेत्रक (Textile Sector)

वस्त्र क्षेत्रकः एक नज़र में

भारत में वस्त्र क्षेत्रक की स्थिति

- वस्त्र क्षेत्रक, भारत की GDP में 2.3% और निर्यात से होने वाली आय में 12% का योगदान देता है तथा वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 5% है।
- भारत दुनिया में कपास और जूट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यह रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं तकनीकी वस्त्रों का पांचवा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- विश्व स्तर पर हाथ से बुने हुए कपड़ों का 95% हिस्सा अकेले भारत से आयात किया जाता है।
- यह 45 मिलियन से अधिक लोगों (कुल रोजगार का 21%) को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **बुनियादी ढांचे का विकासः** एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला के निर्माण के लिए **7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (PM MITRA) पार्कों की स्थापना।**
- वस्त्र क्षेत्रक के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना।
- **प्रौद्योगिकी उन्नयनः** कपड़ा उद्योगों की प्रौद्योगिकी/मशीनरी के उन्नयन के लिए **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS)।**
- **क्षेत्रक विशिष्ट मिशनः** राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन।
- **क्षमता निर्माण एवं सामाजिक सुरक्षाः कपड़ा क्षेत्रक में क्षमता निर्माण योजना (SAMARTH), स्कीम फॉर इंक्यूबेशन इन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग (SIAM) और वस्त्र उद्योग कामगार आवास योजना (STIWA) आदि।**

भारत में वस्त्र क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **अधिक बिखराव** और असंगठित क्षेत्रक तथा लघु और मध्यम उद्योगों का प्रभुत्व।
- **निवेश लागत अधिक होनाः** बाजार की अप्रत्याशित परिस्थितियों, मौसम, नीतियों आदि के परिणामस्वरूप कच्चे माल की आपूर्ति में कमी और सामग्री की लागत में वृद्धि होना।
- **बुनियादी ढांचे संबंधी बाधाएंः** सड़कों, राजमार्गों आदि की खराब स्थिति आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं पैदा करती है। इससे मांग को पूरा करने में विलंब होता है। परिणामस्वरुप माल को गोदाम में रखने और माल ढुलाई की लागत में वृद्धि होती है।
- **अत्यधिक प्रतिस्पर्धी निर्यात बाजारः** वैश्विक बाजार में टैरिफ और गैर–टैरिफ बाधाओं के साथ मुक्त/ तरजीही व्यापार समझौतों की कमी, भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए बड़ी चुनौती है।

आगे की राह

- फिटनेस और स्वच्छता पर बढ़ते जोर, ब्रांड्स के प्रति बढ़ती जागरूकता, तेजी से बदलते फैशन ट्रेंड आदि सहित उपभोक्ता प्रवृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है। इनके कारण **गैर–बुनाई वाले और तकनीकी वस्त्रों** की मांग बढ़ रही है। **इस क्षेत्रक में इन नए अवसरों का उपयोग किया जाना चाहिए।**
- **बुनियादी ढांचे का विकासः** प्लग एंड प्ले' सुविधा के साथ बंदरगाहों के पास मेगा परिधान पार्कों की स्थापना और अपशिष्ट उपचार के लिए साझी अवसंरचना का विकास आदि करना चाहिए। GST परिषद की 45वीं बैठक के दौरान **उल्टी शुल्क संरचना में प्रस्तावित सुधार।**
- भारतीय परिधानों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ आदि के साथ **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत को तेज़ करना चाहिए।**
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के क्षेत्रक में हो रहे नवीन तथा आगामी विकास का उपयोग करके **प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान देना।**
- **संधारणीय वस्त्रों और परिधानों के उत्पादन को प्रोत्साहित करनाः** इस कार्य को मौजूदा वस्त्रों की अप–स्केलिंग एवं उनके पुनः उपयोग तथा प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा देकर किया जा सकता है।

7.4.1. तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM)[116] नामक फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत दो दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

[116] National Technical Textiles Mission

दिशा-निर्देशों के बारे में

- **इसका उद्देश्य NTTM के शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल घटक के तहत,** शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। साथ ही, तकनीकी वस्त्रों में भावी भारतीय इंजीनियरों/ पेशेवरों के **एक्सपोजर को बढ़ाना** भी इसका उद्देश्य है, ताकि इस उभरते क्षेत्रक में पर्याप्त मात्रा में प्रतिभावान लोगों को शामिल किया जा सके।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य इस उभरते क्षेत्रक (Sunrise sector) में पर्याप्त मात्रा में प्रतिभा के विकास को सुनिश्चित करना है। इस प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित दो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:
  - **निजी और सार्वजनिक अकादमिक संस्थानों को तकनीकी वस्त्रों में सक्षम बनाने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश।**
    - इस दिशा-निर्देश से **तकनीकी वस्त्रों में डिग्री प्रोग्राम (स्नातक और स्नातकोत्तर) आरंभ किए जा सकेंगे।** साथ ही, ये दिशा-निर्देश, तकनीकी वस्त्रों के नए संस्करणों के अनुसार मौजूदा पारंपरिक डिग्री कार्यक्रमों को अपडेट करने में भी मदद करेंगे।
  - **तकनीकी वस्त्रों में इंटर्नशिप समर्थन के लिए अनुदान (GIST) हेतु सामान्य निर्देश।**

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM)

- **उद्देश्य: भारत को तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन में वैश्विक रूप से अग्रणी बनाना** और घरेलू बाजार में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ाना।
- **लक्ष्य:** 15-20% प्रति वर्ष की औसत वृद्धि दर के साथ **2024 तक तकनीकी वस्त्र के घरेलू बाजार के आकार को 40-50 अरब डॉलर** तक पहुंचाना।

तकनीकी वस्त्र का महत्त्व

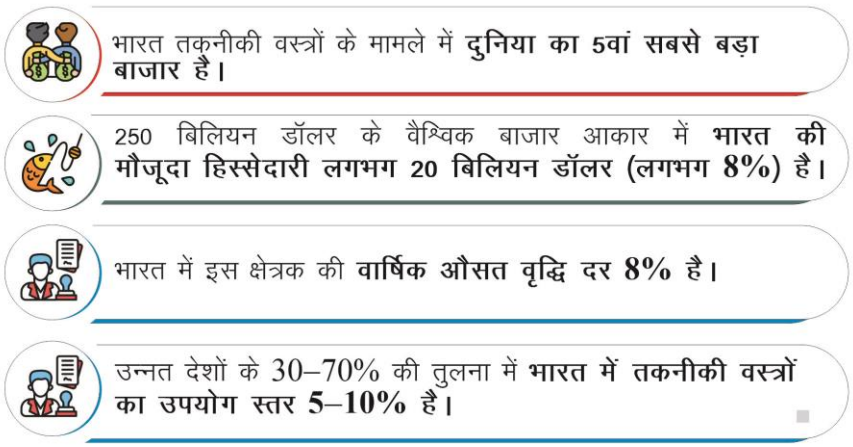

- **लागत प्रभावी और उपयोगकर्ता के अनुकूल:** ये **मजबूत, कम वजनी** होने के कारण धातुओं के **विकल्प के रूप में** प्रयोग किए जा सकते हैं। साथ ही, इनका प्रयोग आवश्यकता के अनुरूप अनेक विकल्पों के रूप में भी किया जा सकता है।
- **पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय:** यह **वस्त्र अपशिष्ट को कम करता है** और **पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित करता है।**
- **लचीली, सतत और बहुपयोगी उत्पादन प्रक्रिया:** तकनीकी वस्त्र वस्तुतः बहुपयोगी सामग्री होते हैं। इनका प्रयोग औद्योगिक, स्वास्थ्य और उपभोक्ता उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है।
- **टिकाऊ होने के साथ-साथ कम वजनी:** इन्हें चिकित्सा परिधान, स्पोर्ट्स वियर में उपयोग किए जाने वाले हल्के तकनीकी फैब्रिक्स हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है।
- **अन्य लाभ:** लॉजिस्टिकल सुविधाएं, **एकरूपता** का उच्च स्तर, उच्च तापमान की स्थिति में भी स्थायी प्रदर्शन, उत्पाद को बहुक्रियाशील बनाने में सहयोग आदि।

तकनीकी वस्त्र क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **जागरूकता की कमी: विपणन और इन उत्पादों के बारे में बुनियादी ज्ञान की कमी** के कारण तकनीकी वस्त्रों के लाभ अभी भी देश के बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाए हैं।
- **कुशल कार्यबल का अभाव:** गौरतलब है कि इस तरह के कुशल कार्यबल वर्तमान घरेलू उद्योग में उपलब्ध नहीं हैं।

- **अनुसंधान और विकास की कमी:** इसके परिणामस्वरूप, भारतीय तकनीकी वस्त्र उद्योग को उत्पाद **विविधीकरण के अभाव** का सामना करना पड़ रहा है (अकेले पैकटेक की कुल बाजार हिस्सेदारी 41% से अधिक है)।
- **तकनीकी वस्त्रों का आयात:** भारत मुख्य रूप से चीन से सस्ते उत्पादों तथा अमेरिका एवं यूरोप से उच्च तकनीक उत्पादों का आयात करता है।
  - यह दर्शाता है कि **भारतीय तकनीकी वस्त्र उद्योग में उच्च तकनीक वाले उत्पादों के निर्माण के लिए मात्रा और क्षमताओं का अभाव है।**

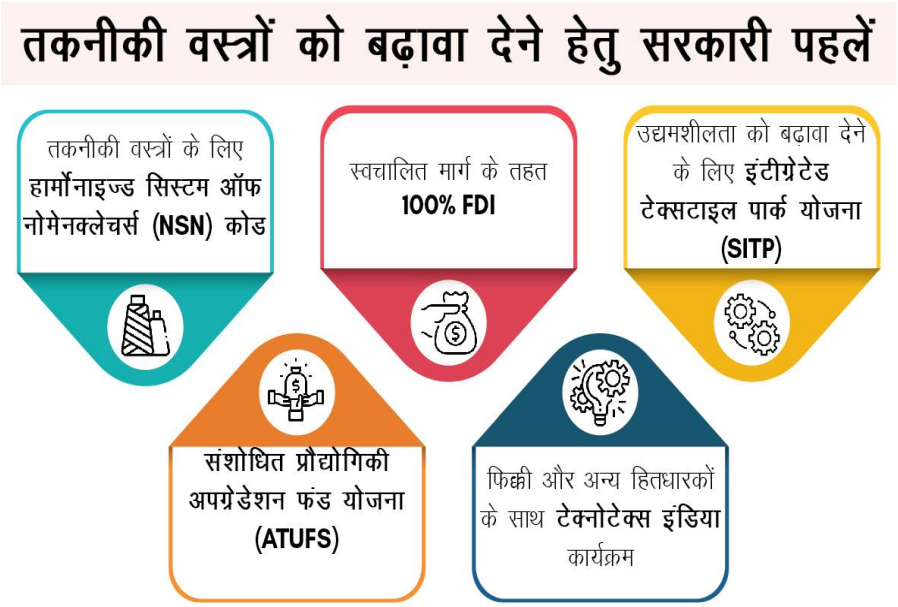

- **संरचनात्मक मुद्दे:** भारत में तकनीकी वस्त्र के उत्पादों से संबंधित कच्चे माल के आयात पर अधिक खर्च करना पड़ता है, जबकि तैयार वस्तुओं के आयात पर खर्च कम आता है। हालांकि यह स्थिति प्रतिलोमी शुल्क संरचना के कारण बनी हुई है।

आगे की राह

- **जागरूकता सृजन:** तकनीकी वस्त्रों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकार और उद्योग को एक ठोस बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर देना चाहिए।
- **कुशल कार्यबल:** उद्योग और शिक्षा के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट मंचों को गठित करना चाहिए। इससे तकनीकी वस्त्रों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम विकसित करने में मदद मिलेगी।
- **घरेलू निर्माताओं के लिए अवसर:** तकनीकी वस्त्रों के कच्चे माल के लिए भारतीय उद्योग को विनिर्माण क्षमता विकसित करनी चाहिए, जबकि तकनीकी वस्त्र विनिर्माताओं को अपनी मशीनरी को उन्नत करने पर ध्यान देना चाहिए।
- इस उद्योग में विशिष्ट और नए उत्पादों के विकास तथा उद्भव के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए तकनीकी वस्त्रों की HSN कोड सूची का **सतत विस्तार** करते रहना चाहिए।
- **तकनीकी वस्त्र उत्पादों एवं घटकों की लगातार पहचान करने के साथ-साथ** उन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि **आत्मनिर्भर भारत** और भारत के निर्यात विस्तार से जुड़ी प्राथमिकताओं के साथ समर्थन को संरेखित किया जा सके।

8. सेवा क्षेत्रक (Services)

8.1. सॉफ्टवेयर ऐज ए सर्विस (Software as a Service: SaaS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कॉन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (CII) और अर्नेस्ट एंड यंग (EY)[117] ने **"इंडिया: द नेक्स्ट ग्लोबल SaaS कैपिटल[118]"** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में **भारतीय SaaS उद्योग की महत्वपूर्ण स्थिति और उसके द्वारा निर्मित व्यापक प्रभाव पर प्रकाश** डाला गया है।

SaaS के बारे में

- SaaS वस्तुतः सॉफ्टवेयर सेवाओं की डिलीवरी हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक मॉडल है। इसके तहत **क्लाउड सेवा प्रदाता** द्वारा उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर **सॉफ्टवेयर सेवाएं उपलब्ध कराई** जाती हैं। उदाहरण के लिए- गूगल वर्कस्पेस, एडोब क्रिएटिव क्लाउड, गिटहब आदि द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
- **SaaS की मुख्य विशेषताएं:**
  - SaaS सेवाओं को **सॉफ्टवेयर प्रदाता से किराए** पर लिया जा सकता है। इसमें सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता द्वारा तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है।
  - यह सेवा एक निश्चित मूल्य के भुगतान पर प्रदान की जाती है।
  - इसके तहत सॉफ्टवेयर को **कई डिवाइस के माध्यम एक्सेस** किया जा सकता है।

- यह क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं की तीन श्रेणियों में से एक है। अन्य दो हैं:
  - **इंफ्रास्ट्रक्चर ऐज ए सर्विस (Infrastructure as a Service: IaaS):** इसके तहत कंपनी द्वारा पट्टे (Lease) पर सर्वर, नेटवर्क संसाधन इत्यादि सहित एक संपूर्ण डिजिटल आधारभूत संरचना प्रदान की जाती है। सेवा प्राप्त करने वाला इसका उपयोग अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने, एप्लीकेशन बनाने, डेटा स्टोर करने आदि के लिए करता है।
  - **प्लेटफॉर्म ऐज ए सर्विस (PaaS)[119]:** इसके तहत मुख्य रूप से एप्लीकेशन बनाने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट टूल और आधारभूत संरचना सहित क्लाउड सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

भारत में SaaS क्षेत्रक

- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद **भारत, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा SaaS इकोसिस्टम** वाला देश है।
  - यह संभावना व्यक्त की गई है कि भारत **वर्ष 2026 तक चीन को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा SaaS इकोसिस्टम** वाला देश बन सकता है।
- वर्तमान समय में भारत में **18 SaaS यूनिकॉर्न** मौजूद हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में इनकी संख्या केवल एक थी।
- भारत में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में **SaaS कंपनियों की संख्या दोगुने से भी अधिक** हो गई है।

भारत में SaaS उद्योग के विकास हेतु उत्तरदायी कारण

- **भारत में मौजूद व्यापक उपभोक्ता आधार** SaaS उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा निम्नलिखित कारकों ने भी इस उद्योग को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान की है। उदाहरण के लिए-

[117] Ernst & Young

[118] India: The Next Global SaaS Capital

[119] Platform as a Service

- स्मार्टफोन के उपयोग में वृद्धि;
- वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण (जैसे- आधार और UPI);
- महामारी के कारण बढ़ता रिमोट या हाइब्रिड वर्क मॉडल;
- कंपनियों, लघु और मध्यम उद्यमों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण; आदि।

- **भारतीय SaaS यूनिकॉर्न की वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थिति है।** साथ ही, बड़ी एवं उन्नत SaaS कंपनियों की बढ़ती संख्या ने भी इन उद्योगों को आवश्यक समर्थन प्रदान किया है।
- भारतीय SaaS कंपनियों में **अंतर्राष्ट्रीय वेंचर पूंजीपतियों की बढ़ती रुचि तथा व्यापक मौद्रिक उपलब्धता** ने SaaS उद्योगों के विकास में सहयोग प्रदान किया है।
- **भारत में डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल की व्यापक उपलब्धता ने भी** इन उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहन प्रदान किया है।
- परंपरागत ऑन-प्रिमाइस उत्पादों की जगह **ऑन-डिमांड, सब्सक्रिप्शन-आधारित मॉडल को अपनाने से** भी इस उद्योग के विकास को बढ़ावा मिला है।
- **स्टार्ट-अप के लिए सहायक नीतियों** ने भी SaaS क्षेत्रक में महत्वाकांक्षी और गतिशील भारतीय उद्यमियों के प्रवेश हेतु अवसर प्रदान किए हैं।

भारत में स्टार्ट-अप को समर्थन प्रदान करने वाली नीतियां	
विनियामकीय नीतियां	• स्टार्ट-अप इंडिया योजना के तहत **कर छूट** और **सरल अनुपालन** प्रक्रिया की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
वित्तीय नीतियां	• इसके तहत 945 करोड़ रुपये की **स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड** की व्यवस्था और **क्रेडिट गारंटी योजना** जैसी पहलों को शुरू किया गया है।
तकनीकी नीतियां	• **स्टार्ट-अप पेटेंट आवेदनों के लिए फास्ट-ट्रैकिंग व्यवस्था** और संबंधित शुल्क में 80% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। • **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम**[120] द्वारा **स्टार्ट-अप के लिए अवसंरचना संबंधी योजना** शुरू की गई है। इसके तहत ऑफिस स्पेस, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुविधाओं, इंटरनेट एवं बिजनेस सेंटर सुविधाओं के मामले में रेडी-टू-मूव सुविधा प्रदान की जाती है।
अन्य	• स्टार्ट-अप के लिए **समृद्ध योजना** आरंभ की गयी है। यह योजना कस्टमर-कनेक्ट, इन्वेस्टर-कनेक्ट और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की सुविधा के माध्यम से स्टार्ट-अप के विकास को बढ़ावा देती है। **समृद्ध योजना** का पूरा नाम है - **उत्पाद, नवाचार विकास और वृद्धि के लिए MeitY के स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर**[121]।

भारतीय SaaS क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **प्रतिभा और ज्ञान का व्यापक अभाव:** भारत में SaaS क्षेत्रक हेतु आवश्यक तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल वाले प्रशिक्षित कार्यबल की कमी है।
- **डेटा संरक्षण और निजता:** इनसे संबंधित मानदंडों के अनुपालन में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, जैसे- यूरोपीय संघ के GDPR[122] का अनुपालन करना।
- **जागरूकता का अभाव:** विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों सहित भारतीय व्यवसायों द्वारा अपने परिचालन में SaaS के उपयोग को लेकर जागरूकता का अभाव है। साथ ही, वे इसे अपनाने से झिझकते भी हैं।
- **व्यवसाय विस्तार से जुड़ी चुनौतियां:** भारतीय स्टार्ट-अप उद्यमों द्वारा व्यवसाय विस्तार में सामना की जाने वाली चुनौतियां निम्नलिखित हैं:
  - शुरुआती चरण की भारतीय SaaS कंपनियों को विदेशों में फंडिंग की कमी का सामना करना पड़ता है,
  - उन्हें बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, तथा
  - वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में उन्हें गो-टू-मार्केट (GTM) रणनीतियों जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।
- **भारत में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी:** इसके कारण SaaS कुछ प्रमुख शहरों तक ही सीमित हैं।

[120] National Small Industries Corporation

[121] Startup Accelerator of MeitY for Product Innovation, Development and Growth

[122] General Data Protection Rights/ सामान्य डेटा संरक्षण अधिकार

आगे की राह

- **इस संबंध में संधारणीय प्रतिभा भंडार के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।** इसके लिए प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने हेतु नियमित ज्ञान हस्तांतरण/ कौशल-साझाकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।
- SaaS सुविधाओं को अपनाने के लिए **जागरूकता का प्रसार और भारतीय व्यवसायों को आवश्यक समर्थन** प्रदान किया जाना चाहिए।
- स्टार्ट-अप इंडिया जैसी पहलों की मदद से **SaaS क्षेत्रक में मेंटरशिप लिंकेज** द्वारा **SaaS उद्यमों को शुरुआती चरणों में आवश्यक सहायता** प्रदान की जानी चाहिए।
- 5G के लॉन्च के बाद नेटवर्क को बेहतर बनाकर **तीव्रतर इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा** प्रदान की जानी चाहिए।

8.2. ई-कॉमर्स (E-commerce)

ई–कॉमर्स क्षेत्रक: एक नज़र में

भारत में ई–कॉमर्स क्षेत्रक की स्थिति

- भारत वैश्विक स्तर पर **8वां सबसे बड़ा ई–कॉमर्स बाजार है।**
- यह एक **सनराइज़ क्षेत्रक** है। भारत के खुदरा बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10-15% है।
- इस उद्योग ने 2021 में 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन किया था। इसके 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- यह 2020 में 140 मिलियन खरीदारों के साथ **तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपर बेस बन गया।**
- इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पैठ के कारण मासिक (मुख्य रूप से टियर– II शहरों से) आधार पर 10 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता जुड़ जाते हैं।

मुख्य उद्देश्य

- **डिजिटल एकाधिकार को समाप्त करना और अधिक समावेशी ई–कॉमर्स उद्योग** स्थापित करना।
- कीमतों की तुलना को आसान बनाने के लिए **कीमतों में पारदर्शिता लाना।**
- छोटे उद्यमों के लिए भारतीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वृद्धि करने या भुगतान, सेवा वितरण आदि जैसे डिजिटल स्पेस में नए नवाचारों का समर्थन करने में सहायता करना।
- ग्राहकों के लिए **बेहतर डील और ऑफ़र, वास्तविक रिव्यूज** आदि उपलब्ध करवाना।

नीति/ योजनाएं/ पहलें

- उपभोक्ता हितों की रक्षा तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ता **संरक्षण (ई–कॉमर्स) नियम, 2020**
- कैटलॉगिंग, वेंडर डिस्कवरी और प्राइस डिस्कवरी के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करके डिजिटल एकाधिकार को नियंत्रित करने हेतु **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)**
- सरकारी ई–मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल, जहाँ 45 लाख के आसपास छोटे व्यवसायी पंजीकृत हैं।
- उमंग, स्टार्ट–अप, भीम, भारतनेट आदि जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल इंडिया के तहत प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देना।
- इक्विलाइजेशन लेवी नियम, 2016 और वर्ष 2020 में इसमें किया गया संशोधन।
- B2B ई–कॉमर्स में 100% FDI की अनुमति और ई–कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल।

बाधाएं

- इंटरनेट, बिजली, उपकरणों आदि की उपलब्धता जैसी ढांचागत समस्याएं।
- पुराने साइबर कानून और डेटा संरक्षण कानून का अभाव।
- गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं
- भुगतान और कर संबंधी मुद्दे
- डिजिटल निरक्षरता।
- फर्जी रिव्यूज, आक्रामक मूल्य निर्धारण, डेटा का दुरुपयोग, डिजिटल एकाधिकार आदि के मुद्दों के साथ ई–कॉमर्स उद्योग के नियामक ढांचे का विकास करना।

आगे की राह

- यूरोपीय संघ के GDPR की तर्ज पर डेटा सुरक्षा कानून लाना। साथ ही, उचित जागरूकता और प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करना।
- समान और अनुकूल वातावरण के लिए **मॉडल राष्ट्रीय खुदरा नीति।**
- अनुचित व्यापार व्यवहार (फ्लैश सेल, मिस–सेलिंग सहित) की स्पष्ट परिभाषाएं।
- एल्गोरिदम में हेर–फेर, फर्जी उत्पाद समीक्षा आदि सहित भ्रामक रणनीति को हतोत्साहित करने के लिए सुधारात्मक तंत्र।
- उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली।
- ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फेक रिव्यू की जांच के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना।

8.2.1. ई-कॉमर्स को बढ़ावा और विनियमन (E-Commerce Promotion And Regulation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति[123] ने **"भारत में ई-कॉमर्स को बढ़ावा और उसके विनियमन"[124]** पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

भारत में ई-कॉमर्स को नियंत्रित करने वाले कानून

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति, 2020	अन्य कानूनी दायित्व
ये नियम **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के तहत जारी किए गए हैं। • ये नियम ई-कॉमर्स संस्थाओं को **व्यापार में किसी भी अनुचित व्यवहार को अपनाने, कीमत में हेरफेर** करने आदि से रोकते हैं। • ये नियम भारत में कारोबार करने वाली **देश के बाहर की संस्थाओं पर भी लागू (Extra-territorial application)** हैं। • ये ई-कॉमर्स संस्थाओं को **शिकायत निवारण तंत्र** की एक पर्याप्त व्यवस्था स्थापित करने का कार्य सौंपते हैं और; • **अधिनियम या नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने** के लिए **संपर्क हेतु एक नोडल व्यक्ति नियुक्त** करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए।	• FDI समर्थित ई-कॉमर्स संस्थाएं **केवल बिजनेस टू बिजनेस (B2B) ई-कॉमर्स** में संलग्न हो सकती हैं, न कि बिजनेस टू कंज्यूमर (B2C) ई-कॉमर्स में। • **ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस आधारित मॉडल** के लिए स्वचालित मार्ग के तहत **100% FDI** की अनुमति प्रदान की गई है। • **इन्वेंटरी आधारित मॉडल में FDI की अनुमति प्रदान नहीं** की गई है। • **मार्केटप्लेस प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स इकाई को, बेची जाने वाली इन्वेंट्री का स्वामित्व या नियंत्रण का अधिकार प्राप्त करने की अनुमति नहीं** दी गई है।	• **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आई.टी. अधिनियम):** इसके तहत, सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (2023 में संशोधित) में **मध्यस्थों को अपने नियमों और विनियमों, गोपनीयता नीति तथा उपयोगकर्ता समझौते आदि को प्रकाशित करने की आवश्यकता** होती है। • **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002:** यह **प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने** वाले या **प्रभावी अवस्थिति (Dominant position) के दुरुपयोग से संबंधित प्रथाओं** को रोकने के लिए प्रावधान करता है। • **विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009[125]:** इसके तहत, ई-कॉमर्स कंपनी के लिए लेबलिंग और पैकेजिंग से संबंधित मानकों का प्रावधान किया गया है।

इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव किए हैं:
  - या तो एक नया **डिजिटल मार्केट कानून** बनाया जाए, जिससे भारत में ई-कॉमर्स से संबंधित व्यावसायिक कार्य-कलापों का विनियमन हो सके। समिति ने इन व्यावसायिक कार्य-कलापों में डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी कंपनियों द्वारा डेटा संग्रह और डेटा के उपयोग को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। या फिर,
  - उपर्युक्त से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए **प्रतिस्पर्धा अधिनियम** में **स्पष्ट दिशा-निर्देशों को शामिल** किया जाए।
- साथ ही, समिति ने विनियमन के लिए एक **एक्स-पोस्ट मॉडल** (Ex-post Model) के बजाय एक **एक्स-एंटी मॉडल** (Ex-ante Model) का प्रस्ताव रखा है।

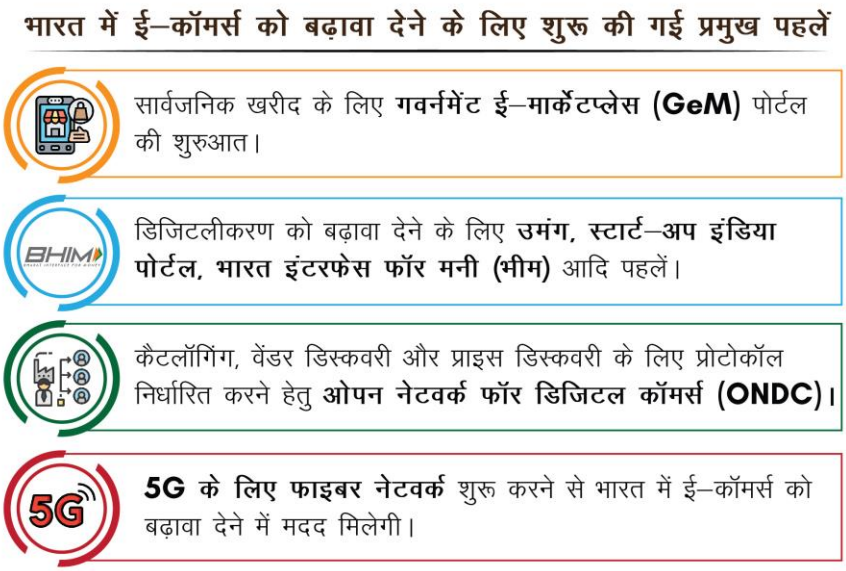

[123] Parliamentary Standing Committee on Commerce

[124] Promotion and Regulation of E-Commerce in India

[125] Legal Metrology Act, 2009

- **एक्स-एंटी मॉडल** में डेटा संग्रह और उसके उपयोग सहित बिग टेक कंपनियों के लिए एक **आचार संहिता** होती है। (**नोट:** एक्स-पोस्ट मॉडल में डेटा संग्रह और उपयोग के बाद उसके परिणामों पर नज़र रखी जाती है।)
  - इसमें **'गेटकीपर्स' के रूप में कार्यरत बिग टेक कंपनियां** शामिल होंगी। यहां गेटकीपर्स से आशय ऐसे व्यावसायिक प्लेटफॉर्म्स से है, जो छोटी कंपनियों को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने हेतु प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं। **इससे डिजिटल बाजारों को बेहतर तरीके से विनियमित करने में मदद मिलेगी।**

अन्य मुद्दे और रिपोर्ट में की गयी सिफारिशें

विषय	चिंताएं	सिफारिशें
साइबर हमले	• **ऑनलाइन शॉपिंग की सुरक्षा** संबंधी चिंताएं।	• **इसके लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध नीति या कानून बनाने आवश्यकता है।** इसके तहत साइबर अपराध से संबंधित सभी पहलुओं जैसे कि एक समर्पित साइबर अपराध डिविजन आदि के गठन हेतु फ्रेमवर्क को निर्धारित किया जाना चाहिए।
FDI नीति	• वर्तमान में FDI नीति ई-मार्केटप्लेस में **प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहारों से निपटने** तक ही सीमित है। • FDI नीति के तहत शर्तों को DPIIT द्वारा **तैयार और अधिसूचित** किया जाता है, लेकिन इन्हें **प्रवर्तन निदेशालय** द्वारा लागू किया जाता है। इसके चलते अनेक व्यापारिक संगठनों के बीच भ्रम और असंतोष पैदा होता है।	• ई-कॉमर्स क्षेत्रक में **एक संतुलित FDI नीति** सुनिश्चित की जानी चाहिए। • **FDI नीति के तहत प्रवर्तन व्यवस्था[126] को मजबूत** किया जाना चाहिए। साथ ही, FDI नियमों की अनदेखी करने वाली बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ सक्रिय रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए।
का अभाव	• वर्तमान में, सरकार द्वारा ई-कॉमर्स के संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़ों को **जुटाने और उनके रखरखाव का कार्य नहीं किया जा रहा है।** • ई-कॉमर्स कंपनियां **DPIIT में पंजीकृत नहीं हैं।**	• DPIIT को अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर ई-कॉमर्स के संबंध में **उचित डेटा जुटाना चाहिए।** • सभी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए **DPIIT में पंजीकृत होना अनिवार्य** किया जाना चाहिए।
प्रभुत्व का दुरुपयोग	• विनियामकीय फ्रेमवर्क में **आवश्यक संशोधन करने में देरी** से डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धा पर **प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।**	• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को **प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति** (CLRC)[127] **की सिफारिशों को अपनाने की दिशा में प्रभावी प्रयास करना चाहिए।**
विनियामकीय व्यवस्था में खामियां	• ई-कॉमर्स से संबंधित **विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के बीच समन्वय की कमी** के कारण वर्तमान विनियामक व्यवस्था में प्रवर्तन संबंधी कई कमियां मौजूद हैं।	• CCI के भीतर **एक विशेषज्ञ निकाय** के रूप में **डिजिटल मार्केट डिवीजन** का गठन जाना चाहिए।
बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights: IPR) का उल्लंघन	• **नकली उत्पादों की सुगम उपलब्धता से असली उत्पादों वाले वास्तविक विनिर्माताओं को राजस्व की हानि होती है।**	• यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्लेटफॉर्म्स पर बेचे जाने वाले उत्पाद प्रामाणिक हैं और IPR संबंधी नियमों का ठीक से पालन किया गया है।

8.2.2. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (Open Network for Digital Commerce: ONDC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ONDC नेटवर्क** ने बेंगलुरु में उपभोक्ताओं के लिए **बीटा टेस्टिंग** शुरू की है।

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) क्या है?

- ONDC, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)[128]** की एक पहल है।

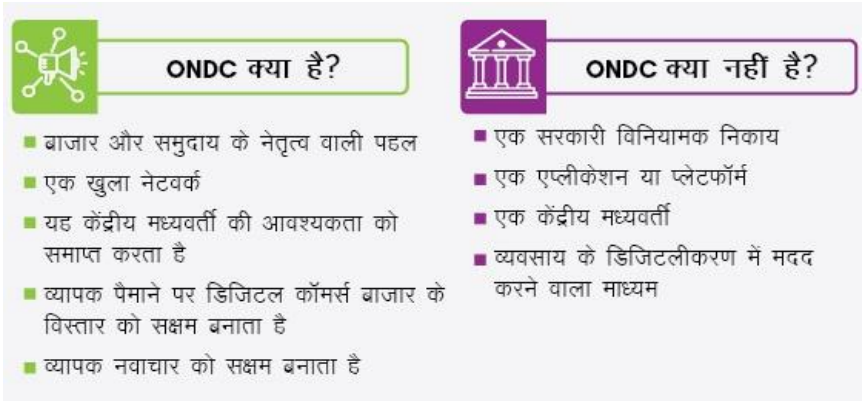

[126] Enforcement mechanism

[127] Competition Law Review Committee

- इसका उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर **वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन संबंधी सभी रूपों के लिए ओपन नेटवर्क** को बढ़ावा देना है।

ONDC पारंपरिक ई-कॉमर्स मॉडल से कैसे भिन्न है?

ई-कॉमर्स के पारंपरिक मॉडल के विपरीत, ONDC किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं है। यह इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म्स/एप्लीकेशंस का एक खुला नेटवर्क है। इसके परिणामस्वरूप परिचालन नियंत्रण (Operational Control) विकेंद्रीकृत हो जाता है।

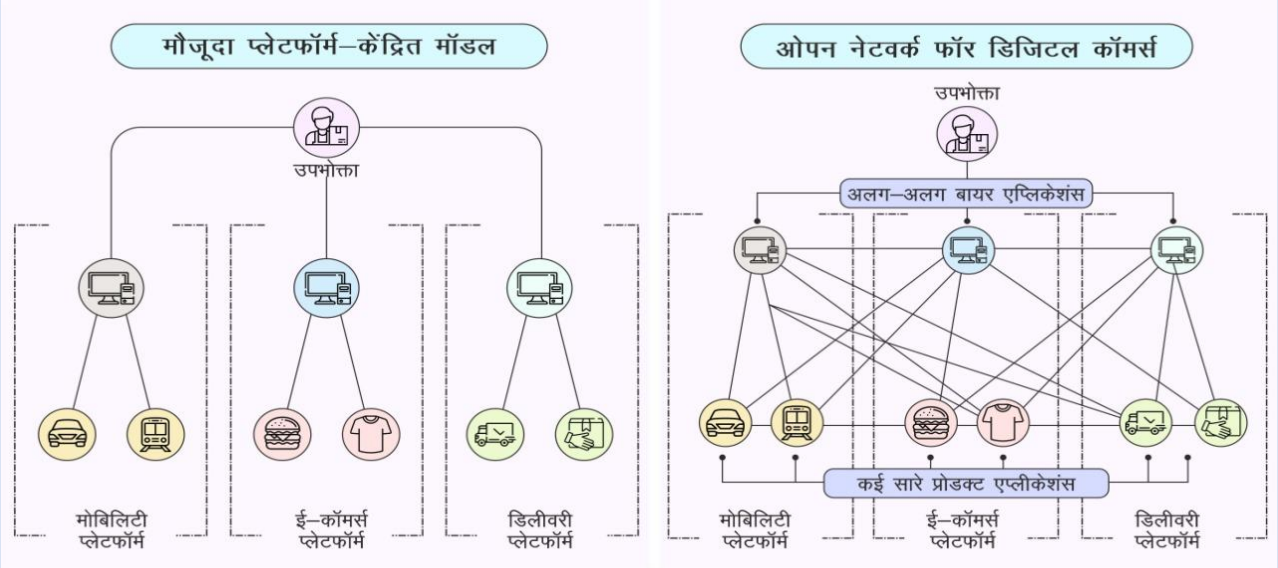

भारत में ONDC का महत्त्व

- **एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को समाप्त करना:** स्थानीय व्यवसायों को ई-कॉमर्स बाजार में प्रवेश के समय कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ONDC इन बाधाओं को कम करेगा। वर्तमान में ई-कॉमर्स बाजार में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों का दबदबा बना हुआ है। इसलिए ONDC ई-कॉमर्स बाजार में सभी के लिए एक समान अवसर प्रदान करेगा।
- **उपभोक्ताओं के लिए हितकारी:** इससे उपभोक्ता किसी भी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसी भी विक्रेता, उत्पाद या सेवा का पता लगा सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं के चयन की स्वतंत्रता में वृद्धि होगी।
  - यह **ऑनलाइन मांग और स्थानीय खुदरा बाजार** द्वारा उसकी पूर्ति करने की क्षमता के मध्य मौजूद विशाल अंतर को समाप्त सकता है।
- **ऑपरेटर-संचालित प्लेटफ़ॉर्म-केंद्रित मॉडल से दूर जाना:** डिजिटल कॉमर्स के अधिकांश व्यापार के एक प्लेटफ़ॉर्म से संचालित होने से केंद्रीकरण का जोखिम बना रहता है।
  - इसके चलते उस प्लेटफ़ॉर्म का रवैया मनमाना और पक्षपातपूर्ण हो सकता है। साथ ही, यह खरीदारों और विक्रेताओं की पसंद एवं स्वतंत्रता को भी सीमित कर सकता है।
  - ONDC ई-कॉमर्स के लिए एक फैसिलिटेटर-संचालित इंटर-ऑपरेबल विकेंद्रीकृत नेटवर्क बनाकर इन समस्याओं का समाधान करता है।
- **स्थानीय व्यवसायों को औपचारिक बनाना:** भारत के खुदरा क्षेत्रक में 80% हिस्सेदारी (लगभग 1.2 करोड़) स्थानीय स्तर के व्यापारियों (किराना व्यापारियों) की है। इनमें से 90% असंगठित या स्व-संगठित हैं।

[128] Department of Promotion of Industry and Internal Trade

- ONDCs निम्नलिखित के माध्यम से इनके औपचारिकरण में मदद कर सकते हैं:
  - इन व्यापारियों की सक्रिय डिजिटल हिस्ट्री बनाकर;
  - वित्त प्राप्त करने संबंधी विकल्पों तक उनकी आसान पहुंच को सक्षम बनाकर।

- **संवृद्धि और विकास:** ONDC डिजिटल कॉमर्स की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला यानी लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, लास्ट माइल डिलीवरी आदि में आर्थिक विकास और आजीविका सृजन के अवसर पैदा करेगा।
- **लघु और मध्यम उद्यमों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** ONDC सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)[129] को ई-कॉमर्स बाजार में प्रवेश के समय आने वाली बाधाओं को कम करने में मदद कर सकता है। MSMEs में नवाचारी बिक्री और मार्केटिंग के प्रयासों के ज़रिए आगे बढ़ने की क्षमता है।

ONDC को लागू करने में आने वाली संभावित चुनौतियां

- **शिकायत निवारण:** विकेंद्रीकृत प्रणाली के तहत उपभोक्ता सेवा और शिकायतों के निवारण की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, इस बारे में स्पष्टता का अभाव हो सकता है।
- खरीदारों और विक्रेताओं के मौजूदा प्लेटफॉर्म्स/ एप्लीकेशंस की **कम्पैटिबिलिटी और इंटर-पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने में कठिनाइयां आ सकती हैं।**
- स्थानीय व्यवसायों और MSMEs की **सीमित तकनीकी क्षमता** डिजिटल नेटवर्क पर कारोबार करने को कठिन बना सकती है।
- **निजता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** इस तरह के ओपन नेटवर्क से व्यक्तिगत डेटा को एकत्रित करने की संभावना निजता संबंधी समस्या पैदा कर सकती है। साथ ही, इस नेटवर्क के खुलेपन के कारण हैकर्स इसे अपना निशाना बना सकते हैं।
- **बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा:** स्थानीय कारोबारियों के लिए बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा दी जा रही छूट, बिक्री और अन्य आकर्षक ऑफर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा।

आगे की राह

- छोटे और स्थानीय व्यवसायों को तकनीकी उपकरण का उपयोग करने और उसे डिजाइन करने के लिए **तकनीकी सहायता प्रदान करना।** यह सहायता उनके डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए निर्धारित ONDC प्रोटोकॉल के साथ मेल खाने वाली होनी चाहिए।
- **व्यक्तिगत डेटा का न्यूनतम संग्रह:** डेटा विनिमय प्रोटोकॉल को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिससे उपयोगकर्ता बिना किसी रुकावट या परेशानी के प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सके। इसके अलावा, यह प्रोटोकॉल उपभोक्ता हितों की रक्षा करने वाले स्पष्ट नियमों पर आधारित होना चाहिए, जैसे- प्लेटफार्म को "प्राइवेसी बाई डिज़ाइन" सिद्धांतों के आधार पर निर्मित किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार प्लेटफॉर्म बनाते समय इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी इस तरह से बनाई गई हो जिसमें डेटा की सुरक्षा स्वतः ही सुनिश्चित हो।
- ONDC आधारित एप्लीकेशंस को बनाने के लिए **भारत के मजबूत स्टार्ट-अप परिवेश का उपयोग** किया जाना **चाहिए।**
- **उपभोक्ताओं के बीच विश्वास स्थापित करना:** शिकायत निवारण पर स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करने की आवश्यकता है।
  - इस उद्देश्य हेतु, ONDC अपने नेटवर्क के प्रति विश्वास बनाने के लिए भुगतान, ऑर्डर्स को पूरा करने, रिफंड और कैंसलेशन से संबंधित 24 मुद्दों पर एक सार्वजनिक परामर्श आयोजित कर रहा है।
- **स्थान विशेष के उत्पादों और सेवाओं को प्रोत्साहित करना:** उदाहरण के लिए- ONDC को एक जिला एक उत्पाद (ODOP) के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

ई-कॉमर्स निर्यात

हाल ही में, वैश्विक व्यापार अनुसंधान संस्थान (GTRI)[130] ने 'भारत की ई-कॉमर्स निर्यात क्षमता को साकार करना[131]" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - ऐसा अनुमान है कि वैश्विक 'बिजनेस टू कंज्यूमर' (B2C) ई-कॉमर्स निर्यात **मौजूदा 800 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 8 ट्रिलियन डॉलर** हो जाएगा।

[129] Micro, Small and Medium Enterprises

[130] Global Trade Research Institute

[131] Realising India's E-Commerce Exports Potential

- भारत को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर या अपनी कुल वस्तुओं का लगभग एक-तिहाई निर्यात ई-कॉमर्स के माध्यम से करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।

- **रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें**
  - ई-कॉमर्स शिपमेंट के लिए **अलग कस्टम कोड्स** बनाए जाने चाहिए।
  - **मार्केट इंटेलिजेंस विकसित** करने तथा कारीगरों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने पर ध्यान देना चाहिए।
  - सख्त गुणवत्ता नियंत्रण और नकली उत्पादों को रोकने के लिए **भारत गुणवत्ता उत्पाद (IQP)[132] लेबल** को लॉन्च किया जाना चाहिए।

विदेश व्यापार नीति, 2023 में ई-कॉमर्स निर्यात से संबंधित प्रावधान

- **ई-कॉमर्स निर्यात के लिए सुविधा:**
  - **FTP** [133]के तहत मिलने वाले सभी **लाभ** ई-कॉमर्स निर्यात के लिए भी उपलब्ध होंगे।
  - कूरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स निर्यात पर **प्रति कंसाइनमेंट अधिकतम मूल्य सीमा (Consignment wise Cap) को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये** कर दिया गया है।
- **डाक घर निर्यात केंद्र:**
  - इसे क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स की सुविधा के लिए **विदेशी डाकघरों (Foreign Post Offices: FPOs)** के साथ मिलकर **हब-एंड-स्पोक मॉडल** में संचालित किया जाएगा।
  - यह देश के अंदरूनी इलाकों और स्थलरुद्ध क्षेत्रों में स्थित **कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों, MSMEs** आदि को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
- **ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब:**
  - इसके तहत ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स के लिए **वेयरहाउसिंग सुविधा से युक्त एक्सपोर्ट हब** उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स को स्टॉकिंग, कस्टम क्लीयरेंस और रिटर्न प्रोसेसिंग में मदद मिलेगी।

[132] India Quality Product

[133] Foreign Trade Policy/ विदेश व्यापार नीति

8.3. दूरसंचार क्षेत्रक (Telecom Sector)

दूरसंचार क्षेत्रक: एक नज़र में

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार क्षेत्रक है, जिसका बाजार तीन मुख्य खंडों– वायरलेस, **वायरलाइन और इंटरनेट सेवाओं** में विभाजित है।

शहरी–ग्रामीण भारत के संदर्भ में, लगभग 66 करोड़ कनेक्शन शहरी भारत में और 53 करोड़ ग्रामीण भारत में हैं (ग्रामीण टेली–घनत्व 59%)।

जून 2021 में भारत में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 83.37 करोड़ थी। यह **वैश्विक स्तर पर इंटरनेट ग्राहकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।**

यह FDI अन्तर्वाह के मामले में सबसे बड़े क्षेत्रकों में से एक है, जो कुल FDI अन्तर्वाह का लगभग 6% प्राप्त करता है।

यह क्षेत्र **प्रत्यक्ष रूप से 2.2 मिलियन रोजगार और अप्रत्यक्ष रूप से 1.8 मिलियन नौकरियों में योगदान** देता है।

मुख्य उद्देश्य

- सभी के लिए ब्रॉडबैंड
- 4 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के योगदान को बढ़ाना
- डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना
- इस क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 8% तक पहुँचाना (2017 में 6%)

इन चुनौतियों का सामना करने हेतु किये गए उपाय

- AGR के भुगतान और स्पेक्ट्रम की बकाया राशि के लिए चार साल का समय दिया गया है।
- प्रगतिशील तरीके से AGR की परिभाषा में गैर–दूरसंचार राजस्व को शामिल नहीं करते हुए **AGR का युक्तिकरण।**
- दूरसंचार कंपनियों को भविष्य में होने वाली नीलामी में प्राप्त एयरवेव्स के लिए **कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क भी नहीं देना होगा।**
- वायरलेस उपकरणों के लिए 1953 की सीमा शुल्क अधिसूचना के तहत **लाइसेंस** लेना होता था। यह एक बोझिल आवश्यकता थी। अब इसकी जगह स्व–घोषणा का प्रावधान लाया गया है।
- **नीलामी कैलेंडर** तय किया गया है।
- उत्पादन–से–संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना का हिस्सा के रूप में **डिजाइन आधारित प्रोत्साहन (DLI) योजना।**
- दूरसंचार नेटवर्क के तेजी से विस्तार के लिए **भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (RoW) नियम, 2016 में संशोधन।**
- **दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष** (TTDF) का निर्माण।

दूरसंचार क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- दूरसंचार उद्योग पर 3.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित ऋण है। इस प्रकार **यह एक ऋण ग्रस्त क्षेत्र है।**
- समायोजित सकल राजस्व (AGR) की परिभाषा पर 14 साल से मुकदमे चल रहे हैं।
- **राइट ऑफ वे (RoW) नियमों में एकरूपता का अभाव है।**
- कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण मार्जिन (लाभ) पर दबाव।
- 5G अवसंरचना में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता।
- अन्य देशों की तुलना में उच्च स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC)।
- समग्र सेल्युलर नेटवर्क गुणवत्ता और कॉल ड्रॉप जैसे मुद्दों को प्रभावित करने वाले अवैध मोबाइल बूस्टर।
- अर्ध–ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का अभाव।

सुधार से संभावित लाभ

- बाजार में कम–से–कम तीन निजी कंपनियों के रहने से **स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा** मिलेगा।
- इससे नकदी की तंगी से जूझ रही फर्मों को मदद मिलेगी। उन्हें काम जारी रखने की क्षमता बनाए रखने और लंबी अवधि में बकाया चुकाने के लिए अपने व्यवसाय में सुधार करने का अवसर मिलेगा।
- मौजूदा लोगों के **रोजगार की सुरक्षा** सुनिश्चित होगी। साथ ही भविष्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे निवेश प्रोत्साहित होगा और **दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) पर नियामक बोझ भी** कम होगा।
- दूर–दराज के क्षेत्रों में निवेश जारी रखने के लिए धन जुटाकर इस क्षेत्र में तरलता का संचार किया जा सकेगा। इससे नई कंपनियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।

8.3.1. भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा (Draft Indian Telecommunication Bill, 2022)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संचार मंत्रालय** ने भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

भारतीय दूरसंचार विधेयक के मसौदे के उद्देश्य

- इस विधेयक का उद्देश्य स्पेक्ट्रम के आवंटन के अलावा दूरसंचार सेवाएं, दूरसंचार नेटवर्क और बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। साथ ही, विधेयक का उद्देश्य इस क्षेत्रक के विकास, विस्तार व संचालन को नियंत्रित करने वाले **मौजूदा कानूनों को मजबूत बनाना एवं उन्हें संशोधित करना भी है।**
  - मौजूदा विनियामकीय ढांचे में **इंडियन टेलीग्राफ अधिनियम, 1885; वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933;** और **टेलीग्राफ वायर्स (गैर-कानूनी कब्जा) अधिनियम, 1950**[134] शामिल हैं। इनमें से नवीनतम कानून भी 70 वर्ष से अधिक पुराना है।
- इसका लक्ष्य **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम (ट्राई अधिनियम)**[135] में संशोधन करना है। इस संशोधन के माध्यम से **ट्राई** को एक विनियामकीय निकाय की जगह सिफारिश करने वाला निकाय बना दिया जाएगा।

इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर एक नज़र

- यह दूरसंचार, दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के लिए **पुरानी परिभाषाओं की जगह नई और व्यापक एवं प्रासंगिक परिभाषाएं प्रदान करता** है।
  - उदाहरण के लिए- **दूरसंचार सेवाओं की नई परिभाषा में** ओ.टी.टी. या ओवर-द-टॉप संचार सेवाएं, इंटरनेट-आधारित और उपग्रह-आधारित संचार सेवाएं शामिल हैं।

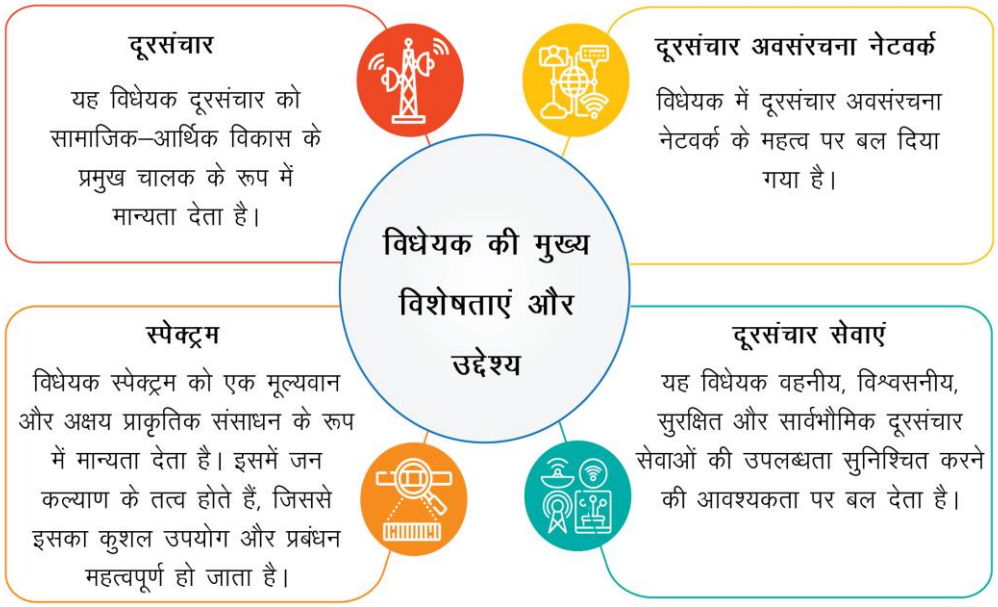

- यह विधेयक दूरसंचार क्षेत्रक में **केंद्र सरकार के अनन्य विशेषाधिकार को मान्यता** प्रदान करता है। यह लाइसेंस प्रदान करने, रजिस्ट्रेशन करने और सरकारी अनुमति देकर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने हेतु केंद्र के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
  - साथ ही, यह केंद्र सरकार को विवादों के निपटान हेतु **वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र** स्थापित करने का अधिकार देता है।
- यह विधेयक संघीय ढांचे के भीतर **दूरसंचार अवसंरचना** के लिए एक मजबूत **राइट ऑफ़ वे** (RoW) का प्रावधान करता है। इसके चलते अब एक समान और भेदभाव रहित तरीके से RoW का प्रावधान किया जा सकेगा।
- यदि **कंपनी अधिनियम, 2013** के प्रावधानों का सही से पालन किया गया है और आवश्यकतानुसार दूरसंचार विभाग को सूचना दी गयी है तो उस मामले में यह विधेयक **दूरसंचार कंपनियों के पुनर्गठन ढांचे सरल** बनाता है। इनमें शामिल हैं- कंपनियों का विलय, कंपनियों को अलग करना (demergers), अधिग्रहण, पुनर्गठन आदि।

[134] Indian Telegraph Act, 1885, Wireless Telegraphy Act, 1933 and Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950

[135] Telecom Regulatory Authority of India Act (TRAI Act)

विधेयक के संभावित लाभ

- यह **भारतीय दूरसंचार मानकों** को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रणालियों के साथ समन्वित करता है।
- यह **व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल मीट** आदि को ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म्स के साथ एक समान स्तर पर लाने के लिए **दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs)[136] की परिभाषा** को व्यापक बनाता है।
- यह विधेयक **स्पैम कॉल और धोखाधड़ी से होने वाले उत्पीड़न पर रोक** लगाता है। इसके लिए रिसीवर्स (फोन सुनने वाले) को फोन करने वाले की पहचान (नाम) उजागर करने का प्रावधान किया गया है।
- इससे स्पेक्ट्रम प्रबंधन के मामले में **कानूनी निश्चितता में वृद्धि होगी।** इसके फलस्वरूप कंपनियों के संचालन और पुनर्गठन पर अधिक स्पष्टता आएगी तथा स्पेक्ट्रम प्रबंधन का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- इसके क्रियान्वयन से **विनियामकीय व्यवस्था की कठोरता में कमी आएगी।** इसके तहत पहले से निर्धारित कुछ मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। निरर्थक जुर्मानों को समाप्त किया जाएगा और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपाय किए जाएंगे। इन सभी उपायों के फलस्वरूप **ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार** होगा।

विधेयक से जुड़ी चिंताएं

- इसमें इंटरनेट शटडाउन के मामले में एक फ्रेमवर्क शामिल किया गया है। इससे **इंटरनेट शटडाउन पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा।**
  - इससे उपयोगकर्ताओं के लिए **खुले और मुक्त इंटरनेट** की उपलब्धता कठिन हो जाएगी।
  - साथ ही, यह **न्यायिक निगरानी, बढ़ती गोपनीयता संबंधी चिंताओं** आदि सुरक्षा उपायों की उपलब्धता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करता है।
- **ट्राई की शक्तियों को कम करना, विनियामकीय स्वतंत्रता पर प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रणाली के विपरीत** होगा। यह इस क्षेत्रक के नियमन में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाकर निवेशकों और उपभोक्ताओं के विश्वास को चोट पहुंचा सकता है।

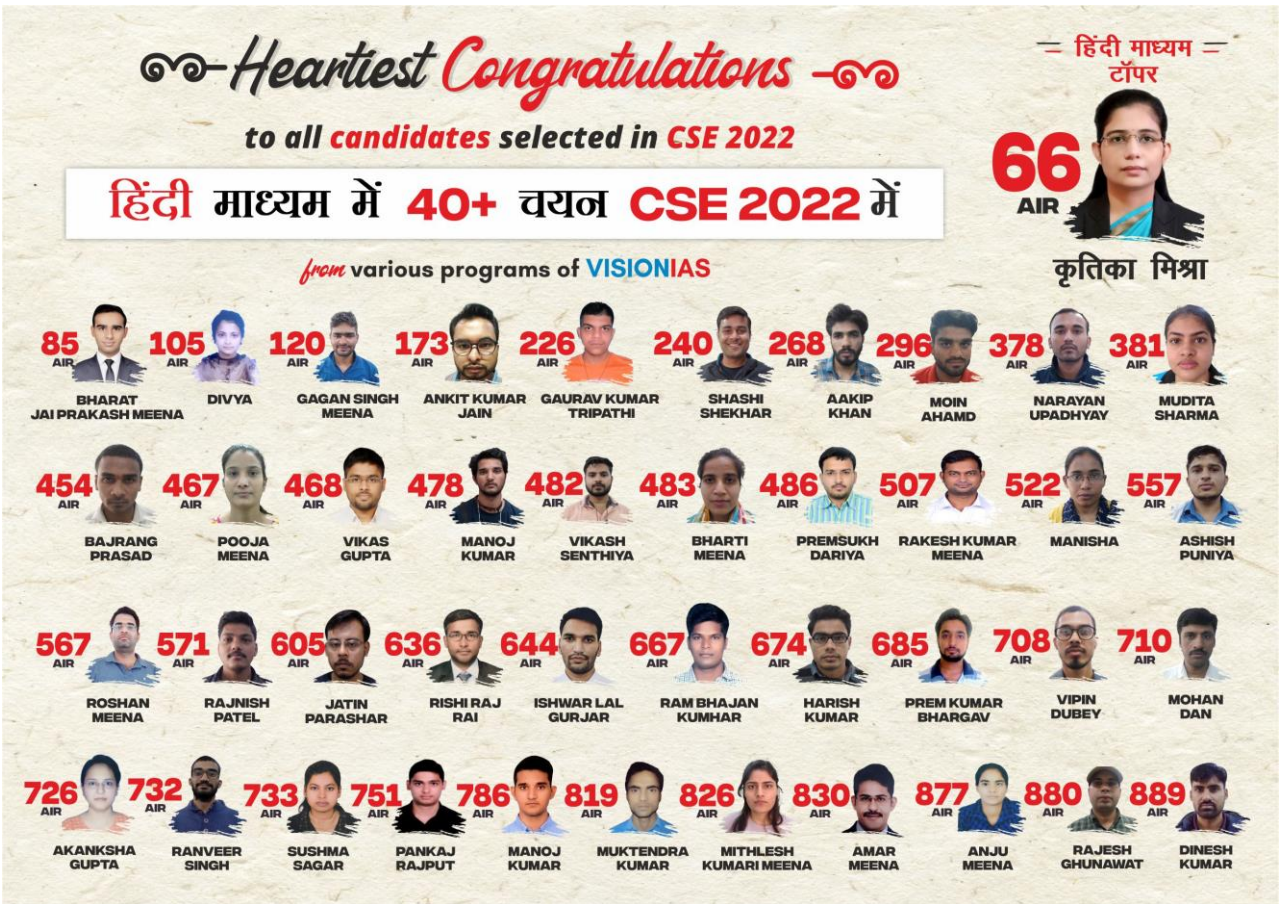

[136] Telecom Service Providers

8.4. पर्यटन क्षेत्रक (Tourism Sector)

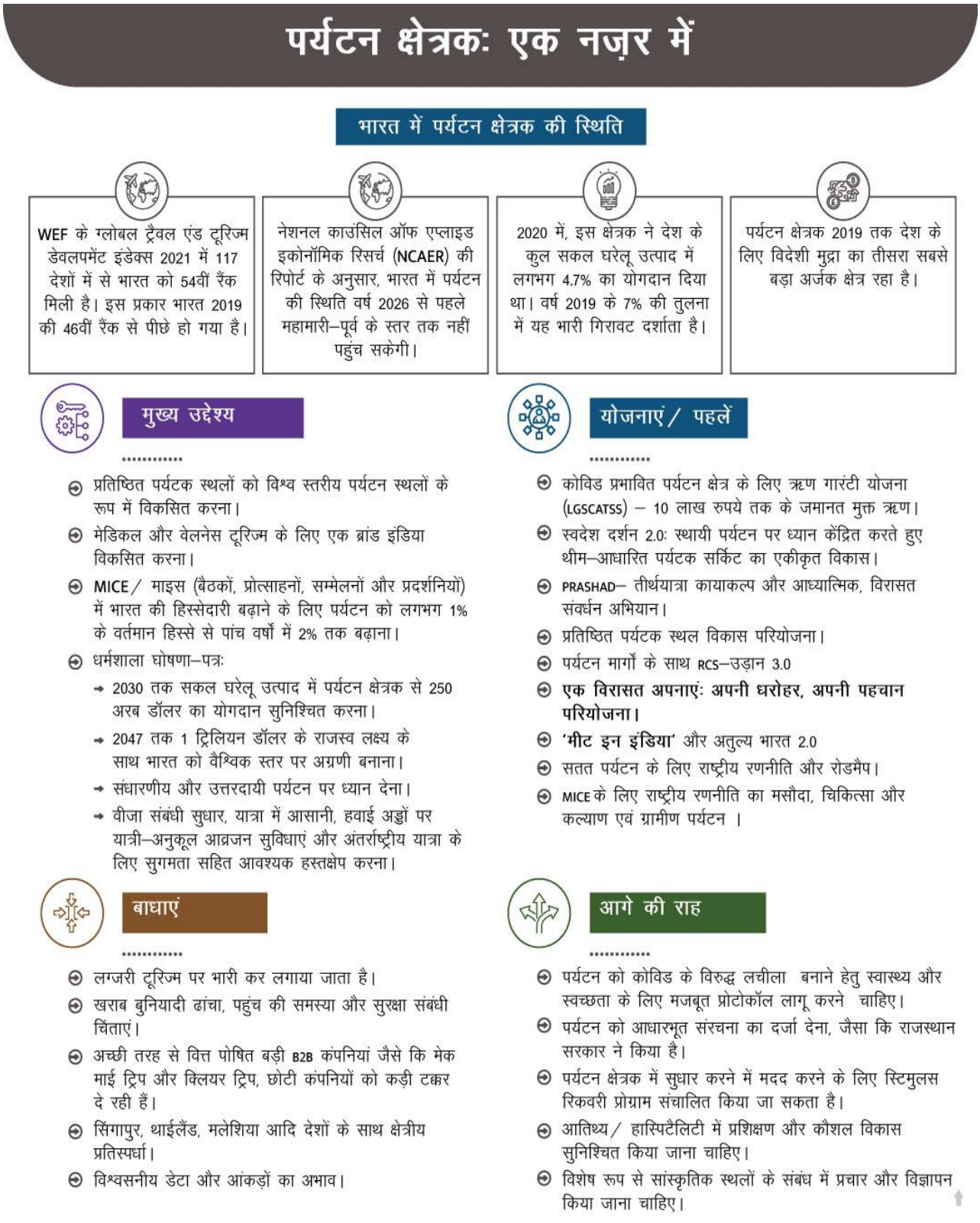

8.4.1. संधारणीय पर्यटन (Sustainable Tourism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल के दिनों में हिल स्टेशनों पर तेजी से बढ़ते पर्यटन के चलते इन क्षेत्रों की वहन क्षमता और संधारणीय पर्यटन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

संधारणीय पर्यटन क्या है?

- ऐसा पर्यटन जो आगंतुकों, उद्योग, पर्यावरण और आतिथेय (मेज़बान या होस्ट) समुदायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने **वर्तमान और भविष्य के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों की पूर्ण जिम्मेदारी ग्रहण करे,** उसे संधारणीय पर्यटन की संज्ञा दी गयी है।

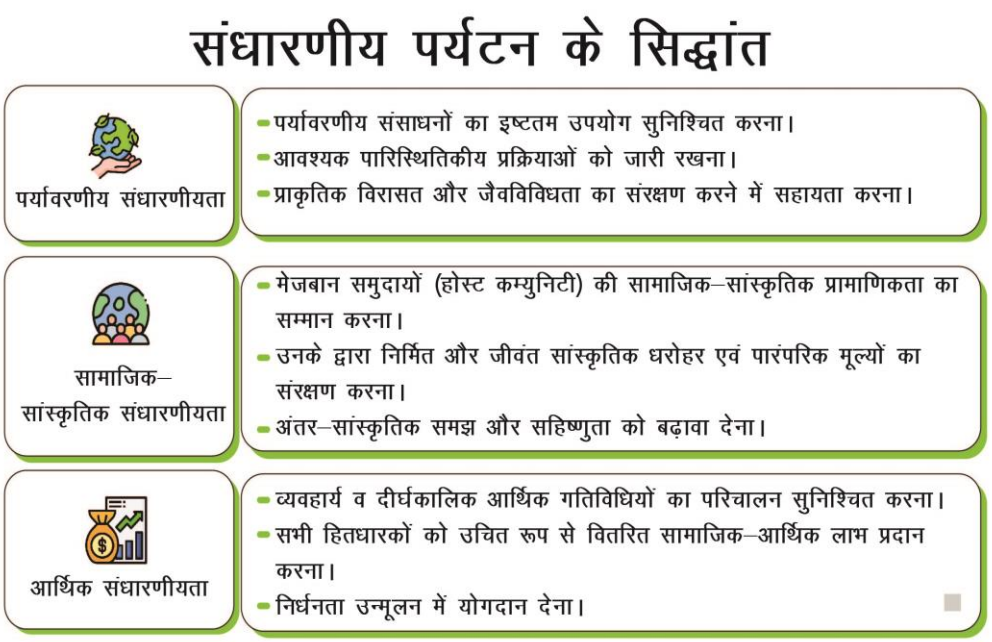

- **संधारणीय पर्यटन के उद्देश्य में** आतिथेय गंतव्यों की आर्थिक व्यवहार्यता, स्थानीय समृद्धि, सामाजिक समानता, रोजगार की गुणवत्ता, सामुदायिक कल्याण, सांस्कृतिक समृद्धि, जैविक विविधता और संसाधन संबंधी दक्षता शामिल होती हैं।
    - संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) के अनुसार, संधारणीय पर्यटन को निम्नलिखित **तीन आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए** (इन्फोग्राफिक देखें)।

- **भारत में संधारणीय पर्यटन के लिए उठाए गए कदम:**
    - पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई **राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन रणनीति** ने संधारणीय पर्यटन के विकास के लिए **7 रणनीतिक स्तंभों की पहचान** की है (इन्फोग्राफिक देखें)।

आगे की राह

- **समुदाय-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए।**
- **संधारणीय एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए विनियमित पर्यटन प्रणालियों को शुरू करना चाहिए।**
- **पर्यटक वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाना चाहिए,** बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अपनानी चाहिए इत्यादि।

9. अवसंरचना (Infrastructure)

9.1. पब्लिक गुड्स (Public Goods)

पब्लिक गुड्स या सार्वजनिक सुविधाएं: एक नज़र में

- **पब्लिक गुड्स या सार्वजनिक सुविधाएं:** ये सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होती हैं। इनका उपयोग किसी भी नागरिक द्वारा बार–बार किया जा सकता है। इससे अन्य नागरिकों को दी जाने वाली सेवाएं प्रभावित नहीं होती हैं। अत नागरिक आपसी प्रतिस्पर्धा के बिना इस तरह की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- **पब्लिक गुड्स का दायरा**
  - स्थानीय पब्लिक गुड्स, जैसे– स्थानीय सरकारी स्कूल, पार्क आदि।
  - राष्ट्रीय पब्लिक गुड्स, जैसे– राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन आदि।
  - क्षेत्रीय पब्लिक गुड्स, जैसे– सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यापार नियामक प्रणालियां आदि।
  - वैश्विक पब्लिक गुड्स, जैसे– पर्यावरण, संस्कृति, तकनीकी प्रगति आदि।

पब्लिक गुड्स का महत्त्व

- इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका है।
- गरीबी और असमानता में कमी लाने और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हैं।
- आपदा प्रबंधन, सूखा, खाद्य असुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण साझा चुनौतियों के समाधान में सहायक हैं।
- जलवायु परिवर्तन, सीमा–पार महामारी, सुरक्षा जोखिम जैसे असमान रूप से वितरित जोखिमों के प्रबंधन में सहायक हैं।
- पब्लिक गुड्स निवेश के लिए सबसे बेहतर गंतव्य हैं क्योंकि इनका परिणाम बहुत व्यापक होता है।

पब्लिक गुड्स को उपलब्ध कराने में चुनौतियां

- प्रोत्साहन की कमी और फ्री–राइडर की समस्या, क्योंकि उनके उपयोग के लिए शुल्क नहीं लिया जा सकता है।
- लाभ की प्राप्ति देर से अर्थात् भविष्य में होती है जबकि लागत आज वहन करनी होती है।
- बाह्यताओं या स्पिलओवर्स के चलते पब्लिक गुड्स के लाभ एक व्यक्ति के लिए या तो नगण्य या बहुत अधिक हो जाते हैं।
- प्राप्त की गई सफलता, गैर–अनुपालन के एक ही कार्य से नष्ट हो सकती है। यह इसकी सबसे कमजोर कड़ी और समस्या है।
- सारांशतः समस्या यह है कि सभी के लिए सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए शासन और नागरिक वर्ग के हर स्तर पर सहयोग की आवश्यकता होती है।

भारत में पब्लिक गुड्स की प्रोविजनिंग

- भारत डिजिटल पब्लिक गुड्स, जैसे– आधार, UPI, भूमि रिकॉर्ड आदि में अग्रणी बन रहा है।
- आयुष्मान भारत योजना, वन हेल्थ दृष्टिकोण और अन्य योजनाओं के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल का दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति और व्यावसायिक शिक्षा जैसे सुधारों के माध्यम से सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
- मिशन LiFE, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्धता, जीवाश्म आधारित ऊर्जा स्रोतों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने आदि के जरिए पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है।
- पी.एम. आवास योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- हर घर जल योजना के तहत हर घर में नल कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है।

आगे की राह

- जरूरतों का आकलन करने और पब्लिक गुड्स उपलब्ध कराने के लिए मजबूत संस्थागत ढांचे की स्थापना की जाए।
- संसाधन जुटाने और फ्री–राइडर समस्या को समाप्त करने के लिए विभिन्न नियमों और कराधान उपायों को लागू करना चाहिए।
- समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ समावेशी सरकार के गठन पर ध्यान देना चाहिए।
- जागरूकता अभियान, ICT, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से सार्वजनिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि की जाए।
- पब्लिक गुड्स की प्रोविजनिंग में भागीदारी बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्रक और नागरिक समाज को प्रोत्साहित करना चाहिए।

9.1.1. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (BIS) ने भारत के **डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (DEPA)** का समर्थन किया है।

DEPA के बारे में

- DEPA **बेहतर डेटा गवर्नेंस दृष्टिकोण के लिए एक संयुक्त सार्वजनिक-निजी प्रयास** है। यह एक डिजिटल ढांचा तैयार करता है। यह ढांचा उपयोगकर्ताओं को सहमति प्रबंधकों जैसी तीसरे पक्ष की संस्थाओं के माध्यम से **अपनी शर्तों पर अपना डेटा साझा करने की अनुमति देता है।**
- DEPA का **पहला उपयोग वित्तीय क्षेत्र में** रहा है। यह अधिक समावेशन और आर्थिक विकास में योगदान करता है।
  - इसका परीक्षण स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी किया जा रहा है।
  - **DEPA इंडिया स्टैक** की अंतिम परत बनाता है।
    - **इंडिया स्टैक** एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (APIs) का एक सेट है। यह सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को एक विशेष डिजिटल अवसंरचना का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह बिना उपस्थित हुए तथा कागज रहित और नकदी रहित सेवा वितरण पर लक्षित है।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) के बारे में

- डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) ऐसे **समाधान और प्रणालियां हैं, जो सार्वजनिक व निजी क्षेत्रकों द्वारा आवश्यक समाज-व्यापी कार्यों तथा सेवाओं की उपलब्धता को सक्षम** बनाते हैं।
  - इसमें पहचान और सत्यापन, नागरिक पंजीकरण, भुगतान (डिजिटल लेन-देन एवं मनी ट्रांसफर), डेटा एक्सचेंज तथा सूचना प्रणाली के डिजिटल रूप शामिल होते हैं।
  - भारत में **DPI को, 2009 में तब लॉन्च** किया गया था, जब पहली बार आधार कार्ड जारी किया गया था।
- डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPGs) **एक प्रकार के ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर, मॉडल और मानक** हैं। इनका उपयोग देश अपने DPI को संचालित करने के लिए कर सकते हैं। **DPGs के उदाहरणों में इंडिया स्टैक, UPI, आधार** आदि शामिल हैं।

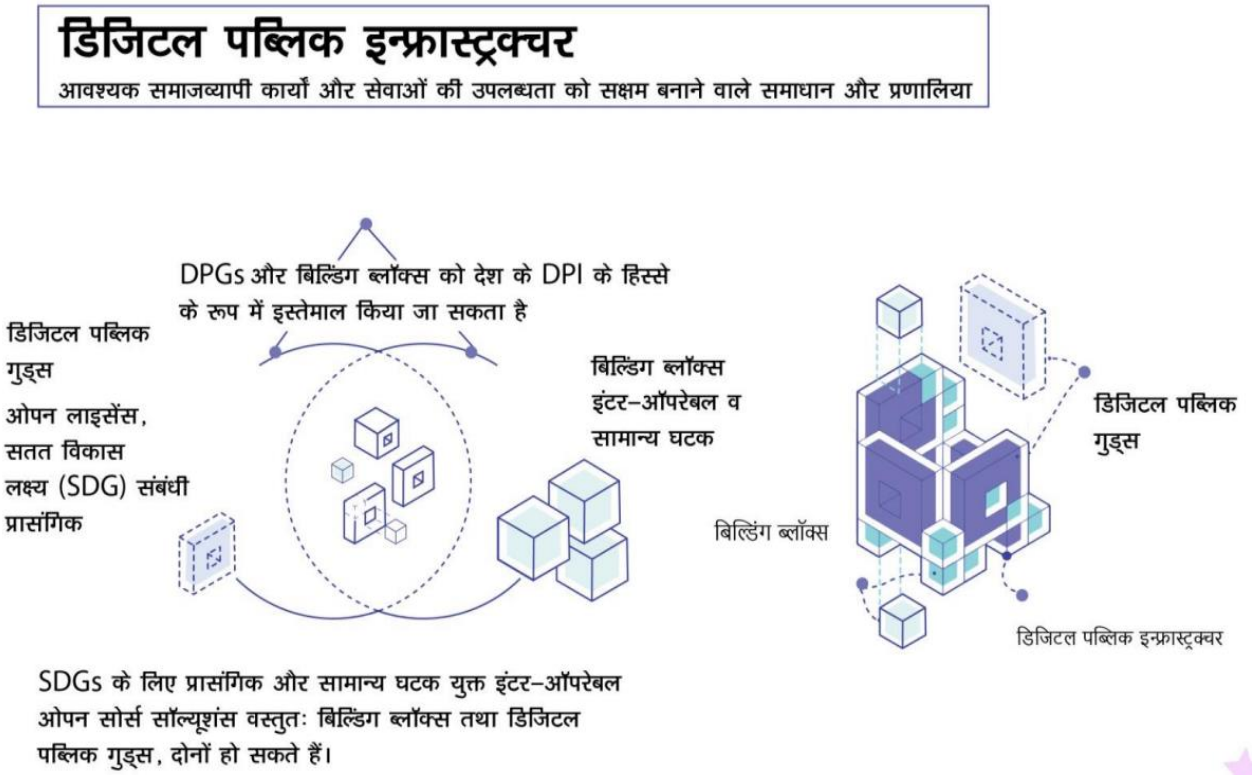

सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना (PDI) का विकास

सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना (PDI)	परिणाम
JAM (जन-धन, आधार और मोबाइल) ट्रिनिटी	**वित्तीय समावेशन:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, बैंक खाताधारकों की संख्या 2015-16 के 53% से बढ़कर वर्ष 2019-21 में 78% हो गई।
डिजिटल पब्लिक गुड्स या डिजिटल सार्वजनिक सुविधाएं • डिजिटल सत्यापन (e-KYC) • डिजिटल सिग्नेचर • डिजिटल रिपोजिटरीज (डिजिलॉकर) • डिजिटल भुगतान (UPI) • डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC) • अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क	• **अधिक वित्तीय समावेशन और ऋण की सुगम रूप से उपलब्धता।** • उच्च खपत और निवेश में वृद्धि से उच्चतर आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिला। • **ई-कॉमर्स बाजार की उपलब्धता** के लिए अवसरों का सृजन। • **छोटे व्यवसायों के लिए ऋण की उपलब्धता** में वृद्धि। • **मध्यम अवधि में मजबूत आर्थिक संवृद्धि।**
डिजिटल वित्तीय अवसंरचना • डिजिटलीकृत GST प्रणाली {वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) और ई-वे बिल} • डिजिटल पहचान (आधार, ईश्रम पोर्टल, स्वनिधि, उद्यम पोर्टल) • यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)	• GSTN और ई-वे बिल के जरिए **व्यापारिक लेन-देन का औपचारीकरण हुआ।** → **2017 से 2022 के मध्य** GST **करदाताओं** की संख्या बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई है। • अर्थव्यवस्था और कार्यबल का **व्यापक औपचारीकरण हुआ।** • **डिजिटल पहचानों ने निम्नलिखित अनौपचारिक समूहों को औपचारिक आर्थिक दायरे के अंतर्गत लाने में मदद की** है: → जैसे- स्वनिधि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स; उद्यम पोर्टल के माध्यम से MSMEs; ई श्रम के माध्यम से असंगठित श्रमिक इत्यादि। • डिजिटल पहचान ने **इन समूहों की औपचारिक ऋण तक पहुंच को सुगम तथा सरल बनाया है।** → पी.एम. स्वनिधि योजना के तहत **32.7 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स** ने ऋण के रूप में 10,000 रुपये का लाभ उठाया है। • UPI के माध्यम से छोटी से छोटी राशि के लेन-देन **का औपचारीकरण हुआ है।**
सरलीकृत गवर्नेंस के लिए एकीकृत डिजिटल इंटरफेस • व्यापार अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली। • ऋण-संबंधी केंद्र सरकार की योजना के लिए **जनसमर्थ पोर्टल।** • केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं तक पहुंच के लिए **उमंग ऐप।** • कई मंत्रालयों को एकीकृत करने वाली भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित प्लेटफॉर्म पी.एम. गतिशक्ति।	• मौजूदा प्रणालियों के एकीकरण से **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हो रहा है।** • पी.एम. गतिशक्ति के तहत मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत प्लानिंग और समन्वित कार्यान्वयन के कारण **लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आई है।**

9.2. गति शक्ति (GATI Shakti)

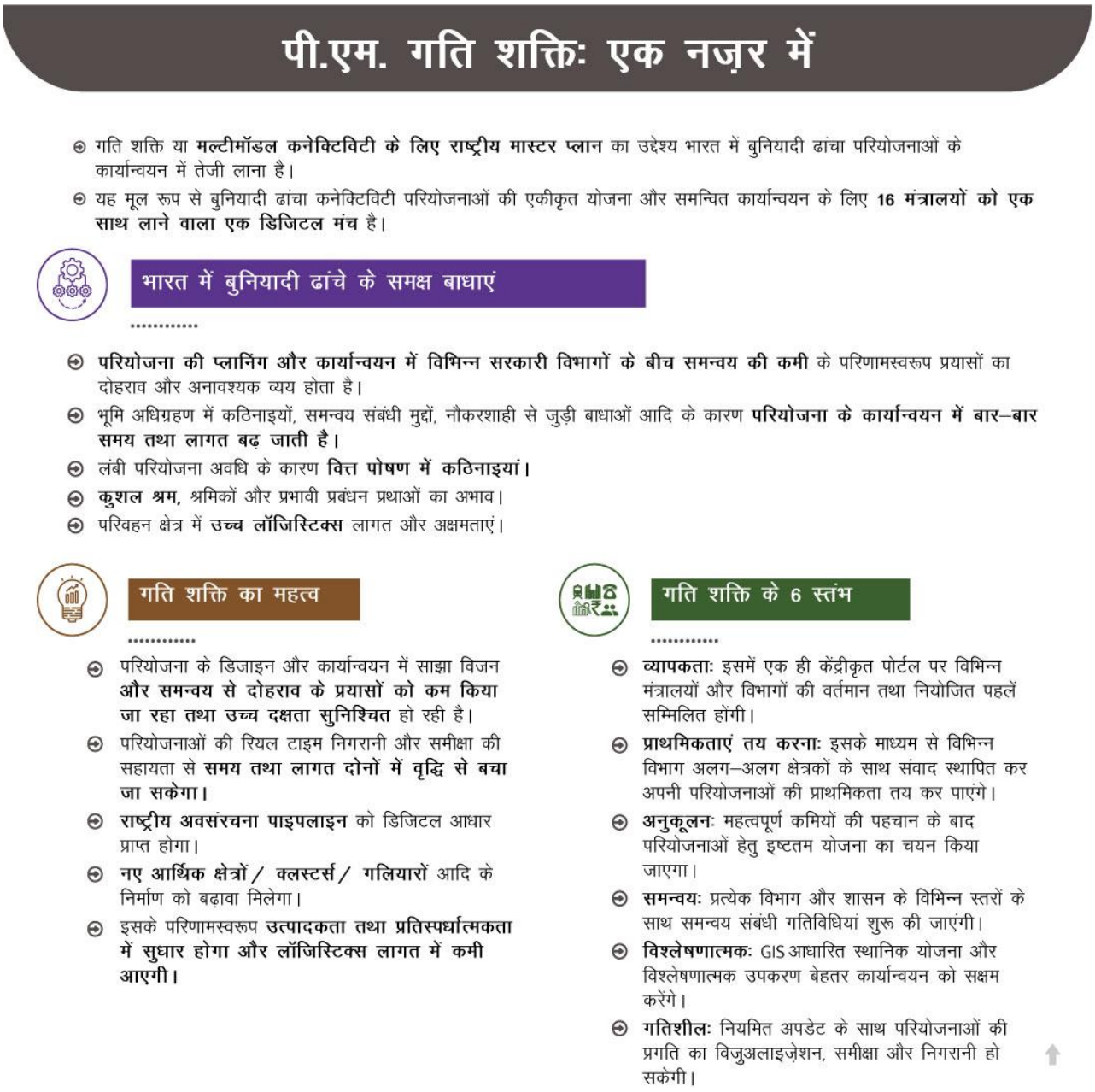

9.2.1. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy: NLP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति** का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य देश भर में **वस्तुओं की बाधा-रहित आवाजाही** को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, घरेलू और वैश्विक बाजारों में **भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार** लाना भी इसका उद्देश्य है।

भारत में लॉजिस्टिक्स परिवेश

- एक अनुमान के अनुसार, भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक वर्ष 2021 में **250 बिलियन डॉलर** से अधिक का था। **वर्ष 2025** में इसके **380 बिलियन डॉलर** तक पहुंचने की उम्मीद है।
- भारत **अवसंरचना** और **लॉजिस्टिक्स** सेवाओं में सुधार के लिए प्रयास कर रहा है। सरकार ने **बेहतर दक्षता हेतु व्यवस्थित अवसंरचना विकास** के लिए कई पहलें की हैं, जैसे कि:

- **पी.एम. गति शक्ति:** यह एक **राष्ट्रीय मास्टर प्लान** है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर की अवसंरचना का निर्माण करते हुए समग्र और एकीकृत विकास के लिए मौजूदा अंतरालों को भरना है। इसमें मौजूदा पहलें, जैसे- **भारतमाला परियोजना, सागरमाला** आदि शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय रेल योजना:** इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक "भविष्य के लिए तैयार" रेलवे प्रणाली का निर्माण किया जाना है।
- **लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) इंडेक्स:** इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का आकलन करने तथा उनके लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार हेतु विकसित किया गया है।

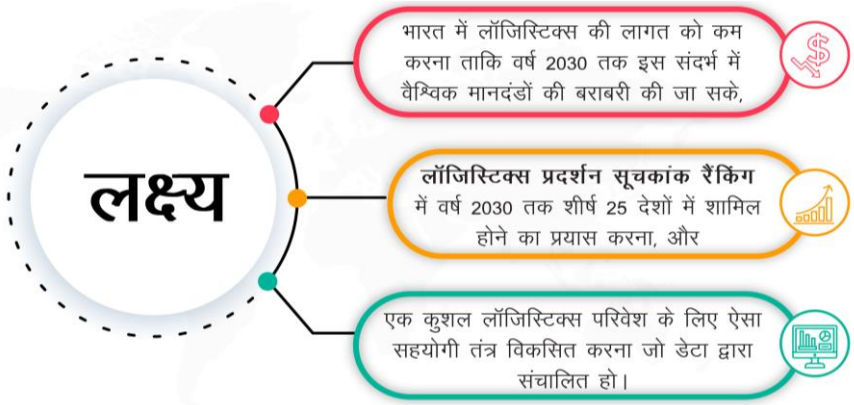

- पिछले दशक में **कई अन्य सुधार** किए गए थे, जैसे- **ई-संचित** की सहायता से **पेपरलेस एक्जिम (निर्यात-आयात) व्यापार प्रक्रिया**, सीमा शुल्क के लिए फेसलेस मूल्यांकन, **ई-वे बिल, फास्टैग, जी.एस.टी.** आदि। ये सुधार दक्षता और अन्य लाभों को बढ़ाने के लिए किए गए हैं।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) की आवश्यकता क्यों?

- **उच्च लॉजिस्टिक्स लागत:** वैश्विक बेंचमार्क की तुलना में, भारत में **लॉजिस्टिक्स की लागत** बहुत अधिक है। यह भारत के GDP की **13-14%** है। वहीं अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह GDP की **8-9%** है।
  - भारत में लॉजिस्टिक्स लागत (या लॉजिस्टिक्स पर खर्च) में सबसे बड़ा हिस्सा **परिवहन** (लगभग 53%) का है। इसके बाद वेयरहाउसिंग (12%) और सामग्री प्रबंधन (10%) का स्थान है।

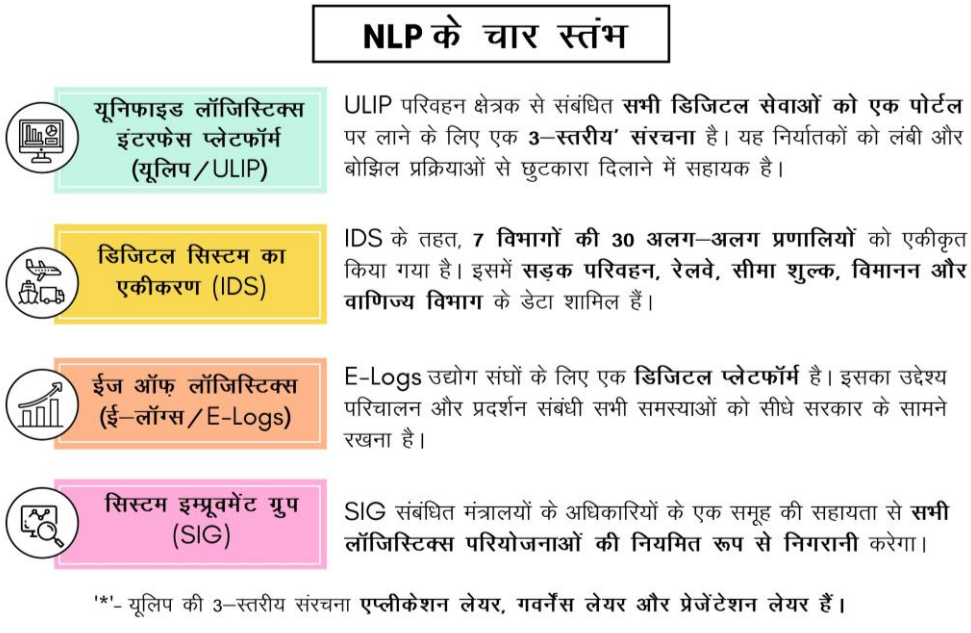

- **खराब लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन रैंकिंग: वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक- 2023** में भारत का **38वां** स्थान था। यह रैंकिंग विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है।
- **कम प्रतिस्पर्धात्मकता:** लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत के कारण, **भारतीय वस्तुएं** घरेलू तथा निर्यात बाजारों, दोनों में **कम प्रतिस्पर्धी** हैं।
- **सड़कों पर अधिक निर्भरता: रेलवे और जलमार्ग** की तुलना में सड़क परिवहन की लागत लगभग **दोगुनी** होती है। इसके बावजूद-
  - वैश्विक स्तर पर **25%** की तुलना में, भारत में **64.5%** वस्तुएं सड़कों के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं।
- **निवेश का अभाव:** इंट्रा-मॉडल लॉजिस्टिक्स में लागत के काफी अधिक होने के कारण यह क्षेत्रक निवेश को आकर्षित नहीं कर पाता है। ऐसे में निवेश के अभाव में भारत को विनिर्माण क्षेत्रक में एक बड़ी शक्ति बनाना कठिन है।

- **गवर्नेंस संबंधी मुद्दे:** भारत में, लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक में **20 सरकारी एजेंसियां, 40 सहयोगी सरकारी एजेंसियां, 37 निर्यात प्रोत्साहन परिषदें, 500 प्रकार के सर्टिफिकेशन (10,000 से अधिक वस्तुओं के लिए)** आदि शामिल हैं। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गिरावट आती है।
- **विखंडित नेटवर्क:** भारत में लगभग **200 शिपिंग एजेंसियां, 36 लॉजिस्टिक्स सेवाएं, 129 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, 168 कंटेनर फ्रेट स्टेशन, 50 आई.टी. इकोसिस्टम्स, अलग-अलग बैंक्स और बीमा एजेंसियां** हैं। ये सब अधिकांशतः एक-दूसरे के साथ समन्वय में नहीं बल्कि अलग-थलग काम कर रही हैं।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) के बारे में

- NLP में इस नीति को लागू करने के लिए एक **व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना** (CLAP)[137] भी शामिल की गयी है। इसमें निम्नलिखित **आठ प्रमुख कार्य क्षेत्र** शामिल हैं:
  - **एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम:** यह एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस की एक प्रणाली विकसित करेगा।
  - **मानकीकरण और बेंचमार्किंग: भौतिक परिसंपत्तियों का मानकीकरण और सेवा गुणवत्ता मानक की बेंचमार्किंग** की जाएगी।
  - **लॉजिस्टिक्स में मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण**: यह एक व्यापक लॉजिस्टिक्स मानव संसाधन रणनीति विकसित करेगा।
  - **राज्यों की भागीदारी:** इसके ज़रिए राज्य/ शहर स्तर की लॉजिस्टिक्स योजनाओं के विकास का समर्थन करके, शहर/ राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा। साथ ही, राज्यों की कार्रवाई को मापा जाएगा और उनकी निगरानी की जाएगी।
  - **एक्जिम (निर्यात-आयात) लॉजिस्टिक्स:** यह कनेक्टिविटी में अवसंरचनात्मक और प्रक्रियात्मक कमियों को दूर करेगा। इसके अलावा, यह कुशल और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का भी निर्माण करेगा।
  - **सेवा सुधार ढांचा:** अलग-अलग क्षेत्रकों के बीच ताल-मेल को बाधा-रहित बनाने के लिए नियामकीय इंटरफेस में सुधार किया जाएगा।
  - **सेक्टोरल योजना:** प्रत्येक क्षेत्रक के लिए **कुशल लॉजिस्टिक्स हेतु सेक्टोरल योजना** विकसित की जाएगी।
  - **लॉजिस्टिक्स पार्क्स के विकास को सुविधाजनक बनाया जाएगा।**

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) के समक्ष संभावित चुनौतियां

- **सभी राज्यों का सहयोग:** राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विनियामकीय अनुमोदन समय पर होने चाहिए। उदाहरण के लिए- वर्तमान में, केवल लगभग आधे राज्यों ने ही अपनी संबंधित लॉजिस्टिक्स नीतियां विकसित की हैं।
- लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर पाठ्यक्रमों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों की भी कमी है। इस कारण इस क्षेत्र में **प्रशिक्षित कार्यबल का अभाव** है। रोजगार में भूमिका की पहचान, योग्यता निर्धारण तथा पाठ्यक्रम अनुमोदन के लिए कोई उचित प्रणाली नहीं है।
- लॉजिस्टिक्स नीति के लिए **पूरक के रूप में डिजिटल कनेक्टिविटी** सुनिश्चित करना भी एक चुनौती होगी।
- **ट्रांसपोर्टर्स द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों की स्वीकृति:** यह डिजिटल साक्षरता जैसे मुद्दों और ट्रांसपोर्ट यूनियंस द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के कारण चुनौतीपूर्ण होगा।
- **प्रथम और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के मामले में सड़कों पर अधिक निर्भरता** है और इसका विकल्प भी सीमित है।

आगे की राह

हाल ही में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)[138] ने एक टास्क फोर्स बनाने की पहल की है। यह टास्क फोर्स देश भर के प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करेगी। यह उनके साथ लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर तकनीकी तथा कौशल पाठ्यक्रम विकसित करने एवं उन्हें लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह एक अच्छा कदम साबित होगा। इसके अलावा, निम्नलिखित बिंदुओं पर भी काम किया जा सकता है:

- **राज्यों की नीति** को NLP के साथ समन्वित करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्यों ने एक जैसी लॉजिस्टिक्स नीति लागू की है।

[137] Comprehensive Logistics Action Plan

[138] All India Council for Technical Education

- वेयरहाउसिंग अवसंरचना में **निजी क्षेत्रक के निवेश को प्रोत्साहित** किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम (IIPDF स्कीम) जैसी पहल की सहायता से।
- नई कार्य संस्कृति को अपनाने हेतु **ट्रांसपोर्ट यूनियंस को शामिल करना होगा।**
- लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने के लिए एक **समर्थन प्रणाली (वित्तीय, शैक्षिक और तकनीकी) बनानी होगी।**

9.2.2. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (Multi Modal Logistics Park: MMLP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने चेन्नई के पास भारत का पहला मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने हेतु रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के साथ अनुबंध किया है।

MMLP के बारे में

- यह एक **इंटर-मॉडल माल प्रबंधन (Freight-Handling) इकाई** के रूप में कार्य करेगा। इस इकाई में गोदाम, समर्पित कोल्ड चेन सुविधाएं, फ्रेट या कंटेनर टर्मिनल्स, बल्क कार्गो टर्मिनल्स आदि शामिल होंगे।
    - यह पार्क सड़क, रेल, जलमार्ग और वायु मार्ग के माध्यम से माल की आवाजाही को सुगम एवं उन्नत बनाएगा।
- **भारत सरकार ने "पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान" की घोषणा की थी।** इसके तहत **MMLPs के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP)[139] मॉडल के माध्यम से अनुबंध** किया जाएगा।
- इससे पहले वर्ष 2015 में, MMLPs को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)[140] द्वारा **लॉजिस्टिक्स दक्षता संवर्धन कार्यक्रम (LEEP)[141] के तहत स्थापित किया जाना** था।
- आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को देश भर में हब और स्पोक मॉडल के रूप में **35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP)** विकसित करने का कार्य सौंपा है।

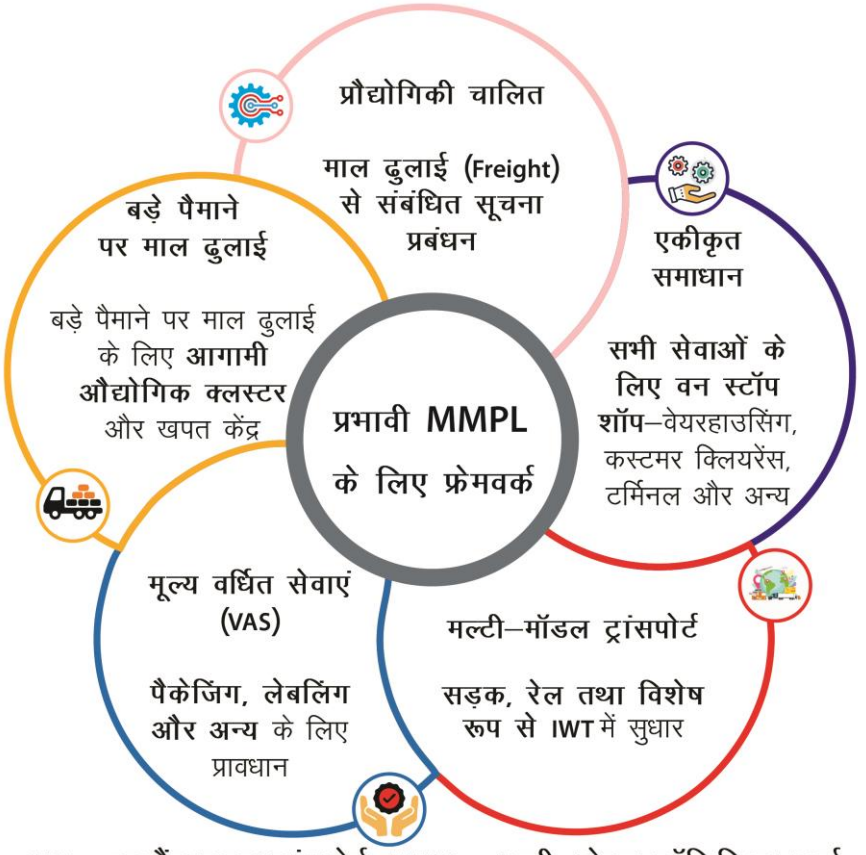

IWT = इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट; MMLP = मल्टी–मोडल लॉजिस्टिक पार्क

MMLP का महत्त्व

- **लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करेगा:** इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप **भारत की वर्तमान लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 14% से कम करके GDP के 10% से भी नीचे लाना** है।

[139] Public-Private Partnership

[140] Ministry of Road Transport and Highways

[141] Logistics Efficiency Enhancement Program

- **भंडारण लागत में कमी:** वर्तमान में शहर की सीमाओं के अंदर संचालित वेयरहाउस को लॉजिस्टिक्स पार्कों में स्थानांतरित करने से वेयरहाउसिंग लागत में कमी आएगी।
- **इन्वेंटरी प्लानिंग:** रीजनल लॉजिस्टिक्स पार्क इन्वेंट्री, सहयोग, तीव्र परिचालन और अनुकूलन से जुड़ी एंड-टू-एंड सुविधाएं प्रदान करके इन्वेंटरी प्लानिंग को बेहतर बना सकते हैं।
- **प्रौद्योगिकी की सहायता से अधिक दक्षता प्राप्त करना:** उपयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और एकीकृत 'एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस' (APIs) आधारित प्लेटफॉर्म की सहायता से MMLPs **पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटल बनाने में मदद** कर सकते हैं। ये **बिग डेटा एनालिटिक्स और AI जैसी परिवर्तनकारी तकनीकों** द्वारा समर्थित होंगे।
- **परिसंपत्तियों का उचित उपयोग:** यह ट्रांजिट में लगने वाले समय को कम कर परिसंपत्तियों के उचित उपयोग में मदद करता है। इसके अलावा, MMLP में उपलब्ध माल ढुलाई वाले वाहनों और अन्य उपकरणों का उपयोग अन्य व्यवसाय या उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है।
- **प्रदूषण में कमी:** माल-ढुलाई के लिए बड़े आकार के ट्रकों और रेल गाड़ियों के उपयोग से CO_2 उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

MMLP की स्थापना में आने वाली चुनौतियां

- **माल ढुलाई के माध्यमों की असमान भागीदारी:** भारत में 60% माल-ढुलाई सड़कों के माध्यम से होती है। कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में यह अनुपात काफी अधिक है।
  - भारत में माल-ढुलाई के लिए तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाना अभी शेष है, क्योंकि ये अभी अपने आरंभिक चरण में हैं।
  - सड़क की तुलना में भारतीय रेल परिवहन द्वारा माल-ढुलाई प्रति टन-किलोमीटर 45% सस्ती है। इसके बावजूद भारतीय रेल परिवहन की इस दिशा में भागीदारी सीमित है। गौरतलब है कि इसके पीछे निम्नलिखित उत्तरदायी कारण रहे हैं-
    - **प्रतिकूल मूल्य निर्धारण एवं रेक बुकिंग के जटिल तौर-तरीके, और**
    - **माल के हस्तांतरण को सुगम बनाने वाले इंटरमॉडल सुविधाओं का अभाव** इत्यादि।
- **प्रक्रियात्मक जटिलताएं:** MMLP की स्थापना में शामिल सरकारी एजेंसियों की बहुलता कारोबार की सुगमता को बाधित कर सकती हैं।
- **भूमि:** सस्ती दर पर भूमि की उपलब्धता और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी चुनौतियां भी इसे बाधित करती हैं।
- **सामग्री प्रबंधन की अविकसित अवसंरचना:** कई छोटे, निजी और असंगठित गोदामों की उपस्थिति के कारण वेयरहाउसों की अवस्थिति अत्यधिक असंगठित है।
- **अकुशल सेवा मॉडल:** इसके कारण दक्षता बाधित होती है। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को कम वेतन पर रखकर बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने का प्रयास करती हैं। इसके कारण **अत्यधिक अकुशल कर्मियों** की संख्या में बढ़ोतरी होती है और अंततः सेवा की गुणवत्ता बाधित होती है।

आगे की राह

- **कनेक्टिविटी में सुधार:** कुशल मल्टी मॉडल फ्रेट ट्रांसफर के लिए टर्मिनल विकसित करते समय ट्रंक और मल्टी मॉडल इंटर लिंकेज में मौजूद अंतराल की पहचान की जानी चाहिए तथा उसे दूर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त:
  - रेल परिवहन की हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहिए।
  - ट्रकों का उपयोग इष्टतम करना चाहिए।
  - ईंधन कुशल वाहनों और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी को सुगम बनाना:** MMLPs के क्रियान्वयन हेतु PPP मॉडल को वरीयता दी जाती है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (MMLPAI) द्वारा एक PPP ढांचा आधारित मॉडल विकसित किया जा सकता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों तथा निजी भागीदारों के बीच भूमिका एवं अंतर-निर्भरता को स्पष्ट करने में मदद करेगा। साथ ही, यह अधिक-से-अधिक निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा।
- **सिंगल विंडो अनुमोदन:** MMLP अनुमोदनों को केंद्रीकृत किया जाना चाहिए। सिंगल विंडो से अनुमोदन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

- **स्थान की पहचान करना:** पार्क की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थान का चयन किया जाना चाहिए और इसके लिए भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- **डिजिटल समाधान को अपनाना:** वितरण प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी MMLPs के प्रभावी निष्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

9.2.3. सामाजिक अवसंरचना (Social Infrastructure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पी.एम. गति शक्ति पहल के तहत सामाजिक क्षेत्रक से जुड़े 14 मंत्रालयों/ विभागों को शामिल किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- पी.एम. गति शक्ति पहल के तहत सामाजिक अवसंरचना विकसित करने के लिए **पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, डाक विभाग** आदि को शामिल किया गया है।

सामाजिक अवसंरचना के बारे में

- सामाजिक अवसंरचना की कोई **सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है।**
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)[142] के अनुसार, सामाजिक अवसंरचना पद का उपयोग आमतौर पर **उन प्रणालियों** को दर्शाने के लिए किया जाता है, **जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करने वाली सेवाएं प्रदान करती हैं।**
- सामाजिक अवसंरचना में मुख्य रूप से **शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलापूर्ति और स्वच्छता, आवासन, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण व पोषण** शामिल हैं।

सामाजिक अवसंरचना में निवेश का महत्त्व

- **समावेशी संवृद्धि:** इससे सभी के लिए आर्थिक अवसरों तक पहुंच में सुधार होगा।
- **गरीबी उन्मूलन:** काफी हद तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की कमी से संबंधित कारकों की वजह से गरीबी उत्पन्न होती है।
- **पर्यावरणीय संधारणीयता:** स्वच्छ जल और स्वच्छता, ऊर्जा के गैर-प्रदूषणकारी स्रोत, ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान आदि सभी वर्गों के लोगों को पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं।
- **संधारणीय संवृद्धि:** कुशल सामाजिक अवसंरचना सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, यह तीव्र शहरीकरण द्वारा पैदा हो रही चुनौतियों को हल करने तथा शहरों के संधारणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी अति आवश्यक है।
- **उत्पादकता और नवाचार में वृद्धि:** यह उत्तम सामाजिक सेवाओं की सहायता से प्राप्त बेहतर जीवन गुणवत्ता श्रम उत्पादकता को बढ़ाने में योगदान करती है।
- **आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण:** किसी भी संकट की स्थिति में सामाजिक अशांति से बचने के लिए लचीली सामाजिक अवसंरचना की आवश्यकता होती है।

'आर्थिक' और 'सामाजिक' अवसंरचना के बीच मुख्य अंतर

मापदंड	आर्थिक अवसंरचना	सामाजिक अवसंरचना
आर्थिक परिवर्तन बनाम सामाजिक परिवर्तन	**आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना और मांग को प्रोत्साहित करना।** उदाहरण के लिए- विद्युत, परिवहन और संचार क्षेत्रक में निवेश **संवृद्धि** को बढ़ावा देने वाले कारक के रूप में कार्य करता है।	विद्यालयों, अस्पतालों, जल और स्वच्छता आदि में निवेश **सामाजिक परिवर्तन के कारक** के रूप में कार्य करता है।
वाणिज्यिक पहलू बनाम सामाजिक महत्त्व	**निजी क्षेत्रक की भागीदारी** को प्रोत्साहित करने हेतु **"यूजर पे" सिद्धांत** या मांग-आधारित राजस्व द्वारा निर्देशित है। उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्रक की भागीदारी लाभ प्राप्ति पर निर्भर करती है।	सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं से कम वित्तीय प्रतिफल प्राप्त होता है। ये **मुख्य रूप से सरकार के बजटीय संसाधनों द्वारा समर्थित और वित्त-पोषित** होती हैं।

[142] United Nations Environment Programme

जोखिम आवंटन	**साझा जोखिम ढांचा**, जिसमें कुछ जोखिम निजी क्षेत्रक को हस्तांतरित किए जाते हैं।	जोखिम बड़े पैमाने पर **सार्वजनिक क्षेत्रक द्वारा वहन किए जाते हैं।**
जीवन स्तर बनाम जीवन की गुणवत्ता	यह **बेहतर जीवन स्तर** प्रदान करने में योगदान देने वाले पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है।	यह ऐसी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने हेतु समर्थन करती है, जो **नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है।**
आर्थिक संवृद्धि बनाम मानव पूंजी	यह देशों के संवृद्धि संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और भौतिक पूंजी का निर्माण करती है।	यह मानव संसाधन विकास को समाहित करने वाले आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह मानव पूंजी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

- **निजी क्षेत्रक को शामिल करना:** इसके माध्यम से **जोखिम-प्रतिफल ढांचे में सुधार करने, वित्तीय सहायता प्रदान करने और निजी भागीदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी।**
- **सामाजिक प्रभाव बॉण्ड्स जैसे साधनों का उपयोग:** सामाजिक प्रभाव बॉण्ड (SIB)[143] सार्वजनिक क्षेत्रक या शासी प्राधिकरण के साथ किया गया एक अनुबंध होता है। इसके तहत कुछ क्षेत्रकों में बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान किया जाता है और प्राप्त बचत का हिस्सा निवेशकों को दिया जाता है।

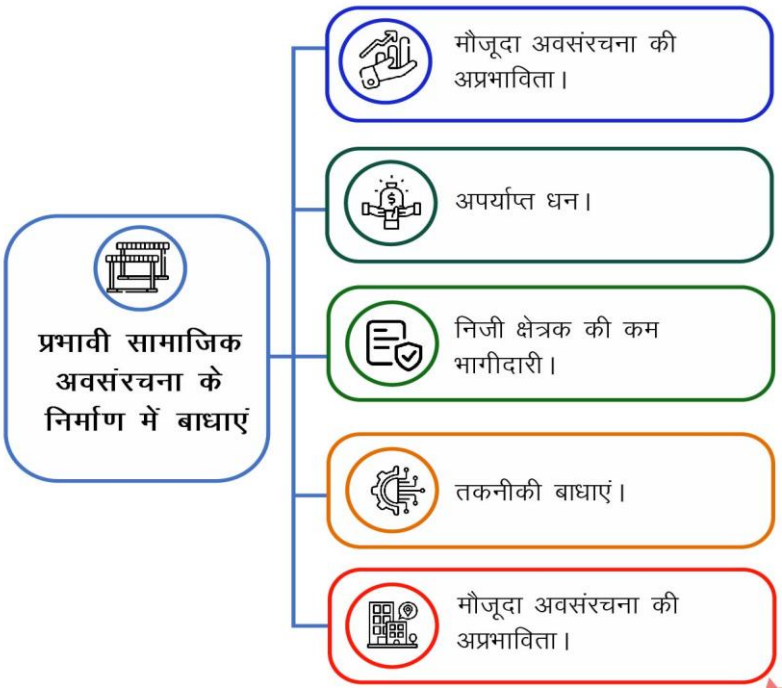

- सेवाओं की विश्वसनीयता, वहनीयता और उन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए **मानदंडों की स्थापना एवं उनकी निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।**
- कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए **मंत्रालयों के बीच बेहतर अभिसरण और समन्वय** स्थापित करना बहुत जरूरी है।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना:**
  - **पोर्टा केबिन्स** एक अभिनव शैक्षणिक पहल है जिसने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित गांवों में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या को कम करने में मदद की है।
  - **केरल में आरोग्यकेरलम परियोजना** उपशामक स्वास्थ्य देखभाल (palliative healthcare) के लिए समुदाय-आधारित दृष्टिकोण पर जोर देती है।
- इंटरनेट तक पहुंच बढ़ाना, डिजिटल साक्षरता के माध्यम से डिजिटल विभाजन को दूर करना तथा सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना।

9.3. विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institutions: DFIs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार द्वारा समर्थित राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण और विकास बैंक **(NaBFID)**[144] वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही से परिचालन शुरू करेगा। वित्त वर्ष 2023 के लिए अवसंरचना हेतु **1 लाख करोड़ रुपये** का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[143] Social Impact Bond

[144] National Bank for Financial Infrastructure and Development

DFI: उद्देश्य और महत्त्व

- **वित्त-पोषण:** DFIs मुख्यतः वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की स्वीकार्य सीमा की तुलना में अधिक जोखिम वाली तथा मध्यम से लेकर लंबी **परिपक्वता अवधि** अवधि की परियोजनाओं को धन प्रदान करते हैं।
- **सहायक कार्य:** वित्तीय सहायता के अलावा, कई DFIs राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए व्यावसायिक कंपनियों को वित्तीय, प्रबंधकीय और तकनीकी सलाह तथा परामर्श भी प्रदान करते हैं।
- **विकल्पों की विविधता:** DFIs के कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर उद्यमों को निम्नलिखित माध्यम से फंड मिल सकता है:
  - कंपनियों के बॉण्ड और डिबेंचर के माध्यम से; प्रतिभूतियों की अंडरराइटिंग के माध्यम से; ऋणों के पुनर्वित्तपोषण के माध्यम से; और अन्य विदेशी तथा घरेलू स्रोतों से ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी के माध्यम से।
- **ख्याति का निर्माण:** DFIs से प्राप्त ऋण, कंपनियों को अपनी छवि का निर्माण करने में मदद करता है। इससे उन्हें पूँजी बाजार और अन्य स्रोतों से भी उधार लेने में मदद मिलती है।
- **संकटकालीन वित्त-पोषण:** DFIs, कंपनियों की संकट या मंदी के समय में भी मदद करते हैं जब अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं या ऋण की लागत उच्च होती है।
- **पुनर्भुगतान करने संबंधी कम दबाव:** व्यवसायों को ऋण के लिए अधिस्थगन और आसान पुनर्भुगतान विकल्प उपलब्ध होता है। ऐसे में अन्य स्रोतों की तुलना में व्यवसायों पर ऋण पुनर्भुगतान करने संबंधी दबाव कम होता है।

DFIs से वित्त-पोषण के समक्ष चुनौतियां

- **गवर्नेंस संबंधी मुद्दा:** DFIs मुख्य रूप से सरकार के स्वामित्व के अधीन होते हैं। इस प्रकार इनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय, राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रति सुभेद्य होते हैं।
- **सक्षमता:** DFIs से उम्मीद की जाती है कि वे सामाजिक और आर्थिक बदलाव से संबंधित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ जोखिमों का सामना करने की रणनीति में सक्षम हों। इसके लिए प्रबंधन के स्तर पर प्रासंगिक क्षमता और कौशल को बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है।

- **वित्तीय संधारणीयता का मुद्दा:** DFIs की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अक्सर यह लाभप्रदता को कम वरीयता देते हैं, जिससे इन्हें नुकसान होता है।

- **तीव्र प्रतिस्पर्धा:** विदेशी फंड के प्रवाह में वृद्धि और अन्य स्रोतों से धन जुटाने के विकल्पों के कारण DFIs को तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में DFIs के लिए अपनी लाभप्रदता को बनाए रखना तथा प्रतिस्पर्धा का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

आगे की राह

- **लचीली संगठन संरचना** मुख्यतः एक कुशल संगठन और परिचालनगत लचीलेपन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करने में संगठन को सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए-
  - DFIs की तुलना में, कंपनी की संरचना कहीं अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करती है।
- अधिदेश को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने और भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने के संबंध में एक उपयुक्त स्थिति और व्यावसायिक रणनीति हेतु **बोर्ड के विचार-विमर्श की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए।**
- DFIs को **परिचालन संबंधी स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।** यह चयन संबंधी नीतियों में राजनीतिक हस्तक्षेप के मुद्दों को दूर करेगा। साथ ही, यह DFIs को और प्रतिभाओं को शामिल करने तथा उन्हें अपने साथ बनाए रखने में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाएगा। उदाहरण के लिए, **प्रदर्शन-आधारित पारिश्रमिक,** उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को अपने साथ बनाए रखने में मदद कर सकता है।
- जोखिम से बचने या अतिरिक्त अनुपालन संबंधी डर को दूर करने हेतु निर्णय लेने के संबंध में **पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करना चाहिए।**
- बदलते माहौल में परिचालन संबंधी दक्षता को बनाए रखने और सक्षम बने रहने; और दूसरों को बेहतर सहायता प्रदान करने; कौशल का नया समुच्चय प्रदान करने हेतु **क्षमता निर्माण** करना चाहिए।
- DFIs की उत्पाद संरचनाओं और मूल्य निर्धारण में **वित्तीय संधारणीयता सिद्धांतों को लागू करना चाहिए।** इससे DFIs को कम प्रतिफल, कम जोखिम और दीर्घकालिक परिसंपत्तियों की तलाश में रहने वाले निजी (खुदरा) निवेशकों को लक्षित करने में मदद मिलेगी।
- DFIs को सर्वोत्तम सुशासन प्रथाओं को शामिल करना चाहिए। इसके लिए सेबी के दिशा-निर्देशों के आधार पर गैर-सूचीबद्ध DFIs द्वारा **व्यापक कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों को अपनाना** चाहिए। साथ ही, इस क्षेत्रक में अधिक सामंजस्य के लिए DFIs में **अधिक समन्वय और सहयोग** होना चाहिए।

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

9.4. भारत में पत्तन क्षेत्रक (Port Sector in India)

शिपिंग सेक्टर या पोत परिवहन क्षेत्रक: एक नज़र में

बंदरगाह विकास का महत्त्व

- **अर्थव्यवस्था**
  - लॉजिस्टिक लागत को कम करने में
  - ब्लू इकोनॉमी में
- **सुरक्षा**
  - सामरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना में
  - समुद्री अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर अंकुश लगाने में
  - समुद्री यातायात पर नजर रखने में
- **अंतर्राष्ट्रीय संबंध**
  - चीन के प्रभाव को कम करने में
  - क्षेत्रीय एकता स्थापित करने में
  - हिंद महासागर क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में
- **पर्यावरण**
  - सतत विकास के लिए बंदरगाहों का कुशल निर्माण करने में
- **सामाजि**
  - समावेशी विकास में
  - सतत आजीविका प्रदान करने में

बंदरगाहों का शासन

- **महापत्तन/ प्रमुख पत्तन:** ये संविधान की संघ सूची में आते हैं और भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत प्रशासित होते हैं।
- **छोटे बंदरगाह:** छोटे बंदरगाहों का प्रबंधन राज्य स्तर पर किया जाता है।
- **शासन मॉडल:** महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के लागू होने तक, भारत सरकार के स्वामित्व वाले 11 पत्तनों ने व्यापक रूप से सर्विस पोर्ट मॉडल और लैंडलॉर्ड मॉडल के हाइब्रिड प्रारूप का पालन किया है।

भारत की बंदरगाह कनेक्टिविटी में सुधार करने के सामने मौजूद बाधाएं

- **बुनियादी ढांचे से संबंधित बाधाएं:** उथले बंदरगाह, बंदरगाहों की क्षमता का कम उपयोग, लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाएं।
- **विनियामक बाधाएं:** बड़े और छोटे बंदरगाहों के मध्य समान अवसर का अभाव, नौकरशाही संबंधी चुनौतियां।
- **निवेश से संबंधित मुद्दे:** वित्त–पोषण की कमी, निजी क्षेत्रक की कम भागीदारी।
- **श्रम संबंधी मुद्दे:** कर्मियों की अधिकता, अकुशल और अप्रशिक्षित श्रमिक।
- **वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी होना।**

भारत की बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- **ईज ऑफ डूइंग बिज़नस:** निवेश को प्रोत्साहित करना, केंद्रीकृत वेब–आधारित पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (PCS), पोर्ट आधारित उद्योगों के लिए कैप्टिव नीति का निर्माण किया गया है।
- **अवसंरचनात्मक बाधाओं का निपटान:** सागरमाला कार्यक्रम, भारतमाला कार्यक्रम, प्रोजेक्ट उन्नति–परिचालन क्षमता में सुधार करना। वर्तमान के प्रमुख पत्तनों की क्षमता का विस्तार, नवीन बंदरगाह विकास, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (हब) का विकास करना।
- **विधायी सुधार:** महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021
- **पड़ोसी देशों के साथ सहयोग।**
- ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCOEGPS) का गठन।

आगे की राह

- **विनियामक सुधार:** ड्रेजिंग (तलकर्षण) बाजार तक पहुँच प्रदान करना, बंदरगाहों को अंतिम–छोर से जोड़ने के लिए समन्वित प्रयास।
- **वित्त–पोषण के मुद्दों से निपटना:** राजस्व स्रोत के रूप में क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करना, बंकरिंग में निवेश के अवसर तलाशना।
- **बुनियादी ढांचे में सुधार:** सागरमाला के तहत परियोजनाओं को प्राथमिकता देना, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, स्मार्ट पोर्ट और ब्लॉकचेन लॉजिस्टिक्स को स्थापित करना।
- **अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप:** नौगम्य मार्ग का विकास करना, औद्योगिक गलियारों का विकास करना, अंतिम–छोर तक संपर्क को बढ़ाना, यात्री परिवहन को बढ़ावा देना, पर्याप्त हवाई स्वीकृति को सुनिश्चित करना।

9.4.1. ग्रीन शिपिंग (Green Shipping)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **2030 तक भारत को ग्रीन शिपिंग का वैश्विक हब** बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

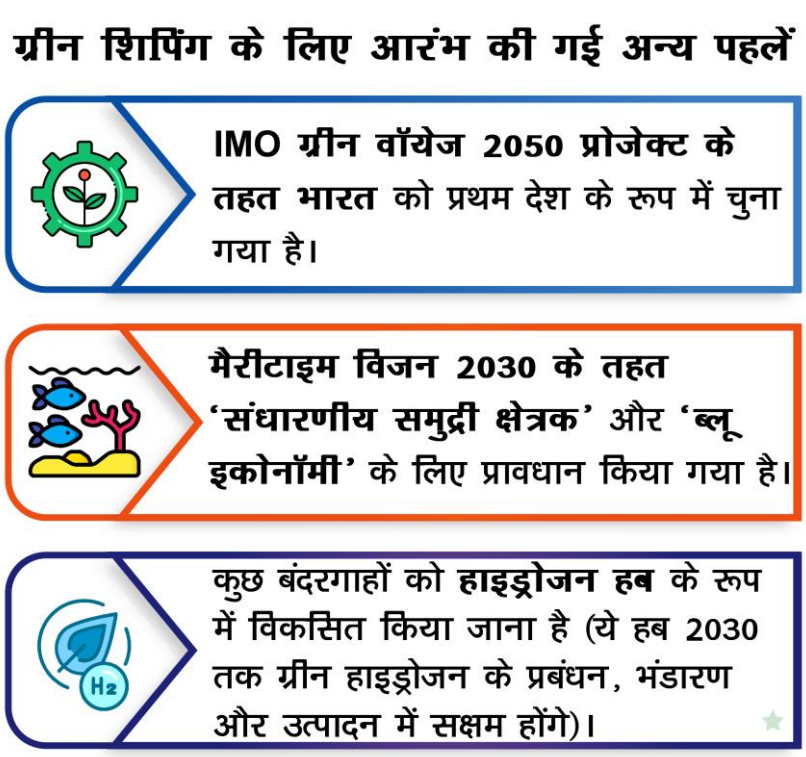

ग्रीन शिपिंग के लिए पहलें

- **ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP)[145]:** GTTP कार्यक्रम **'ग्रीन हाइब्रिड टग्स'** से शुरू होगा, जो **ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम** से संचालित होगा। इसके बाद **मेथनॉल, अमोनिया व हाइड्रोजन जैसे गैर-जीवाश्म ईंधन समाधानों** को अपनाया जाएगा।
  - **2025 तक** सभी बड़े पत्तनों पर कार्य शुरू करने के लिए **प्रारंभिक ग्रीन टग्स** (हरित कर्षण नौकाओं) के लिए **लक्ष्य** निर्धारित किया गया है।
  - **2030 तक कम-से-कम 50 प्रतिशत टग्स को ग्रीन टग्स** में परिवर्तित किए जाने की संभावना है।
- **भारत का पहला ग्रीन पोर्ट और शिपिंग राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoEGPS):** इस संस्थान का उद्देश्य **पत्तन, तटीय और अंतर्देशीय जल परिवहन में 'मेक इन इंडिया' को सशक्त** बनाना है।

'हरित सागर' नाम से हरित पत्तन दिशा-निर्देश 2023

हरित सागर दिशा-निर्देश- 2023 में **पत्तन विकास, संचालन और रख-रखाव में इकोसिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ाने की परिकल्पना** की गई है। साथ ही, **'प्रकृति के साथ कार्य करने' की अवधारणा को अपनाने और पत्तन इकोसिस्टम के जैविक घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने** की बात भी कही गई है।

- इसमें **पत्तन के संचालन में स्वच्छ/ हरित ऊर्जा के उपयोग** पर बल दिया गया है। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल/ इथेनॉल जैसे हरित ईंधनों के भंडारण, कुशल प्रबंधन और बंकरिंग के लिए **पत्तन की क्षमता को विकसित करने पर भी जोर** दिया गया है।
- पत्तनों को अपने संचालन के लिए विद्युत की जरूरतों का **2030 तक 60 प्रतिशत तथा 2047 तक 90 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा** करना होगा।
- **2030** तक पत्तनों के पास कम-से-कम **एक LNG बंकरिंग स्टेशन** अवश्य होना चाहिए।
- **2025** तक पत्तन के भीतर और उसके आसपास के क्षेत्रों में **इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशंस** की स्थापना करनी होगी।
- इसमें **ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (GRI) मानकों को अपनाने** का प्रावधान किया गया है।

9.5. भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland Waterways in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कई अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का अनावरण किया है। इन्हें पूर्वी भारत में परिवहन, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

[145] Green Tug Transition Programme

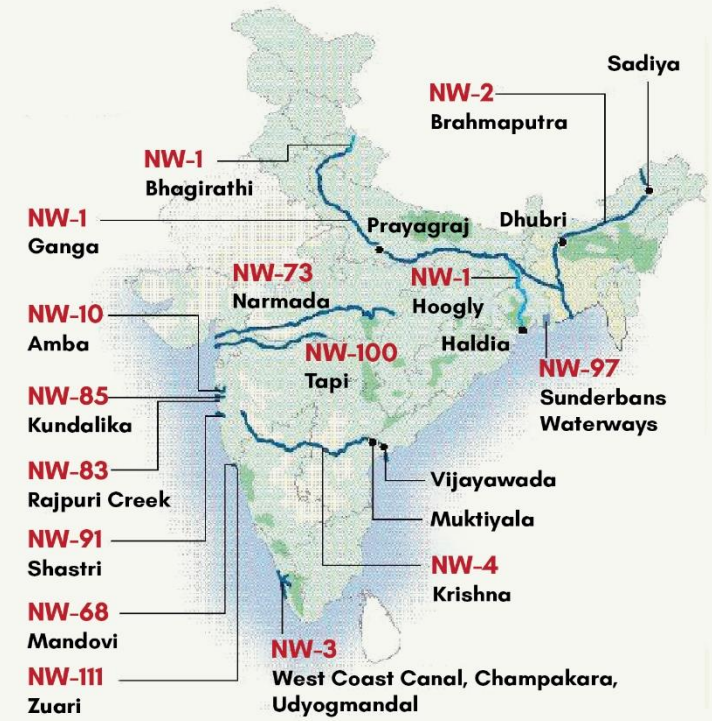

THE LINKS AND THE LENGTHS

NW-1	Ganga-Bhagirathi-Hooghly (Haldia-Prayagraj)	1,620 KM
NW-2	Brahmaputra river	891 KM
NW-3	West Coast Canal-Champakara Canal-Udyogmandal Canal	205 KM
NW-4	Krishna (Muktiyala-Vijayawada)	82 KM
NW-10	Amba river	45 KM
NW-83	Rajpuri Creek	31 KM
NW-85	Revadanda Creek-Kundalika river	31 KM
NW-91	Shastri river-Jaigad Creek System	52 KM
NW-68	Mandovi river (Usgaon Bridge- Arabian Sea)	41 KM
NW-111	Zuaririver (Sanvordem Bridge-Marmugao Port)	50 KM
NW-73	Narmada river	226 KM
NW-100	Tapi river	436 KM
NW-97	Sunderbans Waterways	172 KM

अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन

- **जलमार्ग विकास परियोजना** के तहत पश्चिम बंगाल में **हल्दिया मल्टी-मॉडल टर्मिनल** का उद्घाटन किया गया था। इस मल्टी-मॉडल टर्मिनल की माल ढुलाई क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) है।
- **गुवाहाटी** में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए **समुद्री कौशल विकास केंद्र**[146] का उद्घाटन किया गया।
- **गंगा नदी के किनारे 60 से अधिक सामुदायिक घाटों का निर्माण** किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के आसपास आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। साथ ही, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार करना है।

अंतर्देशीय जल परिवहन (Inland Water Transport : IWT) की क्षमता

- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत **111 राष्ट्रीय जलमार्ग** घोषित किए गए हैं। इसमें से नदी के 17,980 किलोमीटर और नहरों के 2,256 किलोमीटर जल क्षेत्र का उपयोग मशीनीकृत नौकाओं द्वारा किया जा सकता है।
- भारत के **कुल परिवहन** में अंतर्देशीय जल परिवहन की हिस्सेदारी **केवल 0.5% है**, जबकि यह नीदरलैंड में 42%, चीन में 8.7%, यू.एस.ए. में 8.3% और यूरोप में 7% है।

[146] Maritime Skill Development Centre

- गौरतलब है कि **65% माल ढुलाई** कार्य **सड़कों** द्वारा किया जाता है, जबकि 27% माल ढुलाई कार्य रेलवे के माध्यम से पूरा किया जाता है।

- मैरीटाइम इंडिया विजन (MIV) 2030 दस्तावेज के तहत, **राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से किए जाने वाले माल ढुलाई के स्तर को** बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे वित्त वर्ष 2020-21 के 83.61 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से बढ़ाकर **2030 तक 200 MMT** तक किया जाएगा।

अंतर्देशीय जलमार्ग के लाभ

- **पूंजी की बचत:** जलमार्ग विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर नौवहन क्षमता बढ़ाने के क्रम में प्रति कि.मी. केवल 2.53 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का अनुमान है।
  - **हालांकि, इसकी तुलना में सड़क और रेल दोनों पर प्रति कि.मी. 5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आती है।**
- **परिवहन लागत में बचत:** परिवहन के हरित साधन के रूप में IWT का समग्र लॉजिस्टिक लागत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- **पर्यावरण के अनुकूल:** आधुनिक अंतर्देशीय जलीय जहाजों में ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस (LNG/ CNG) के उपयोग से SO_x, NO_x (70%), पार्टिकुलेट मैटर (95%) और CO_2 (25%) के उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके अलावा:
  - **प्रति टन कि.मी. ईंधन खपत में भी कमी आएगी।**
  - **LNG/ CNG इंजनों द्वारा उत्पन्न ध्वनि/ शोर का स्तर** डीजल इंजनों की **तुलना में कम होता है।**
  - नौवहन सुविधाओं में सुधार/ वृद्धि के कारण **नदी के प्रवाह में भी सुधार** होगा।
- **क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि:** IWT **कलादान परियोजना के कारण** भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार के बीच व्यापार में बढ़ोतरी हुई है।
- **अन्य लाभ:**
  - **रोजगार और व्यवसाय के अवसरों के रूप में आर्थिक अवसरों** (कार्गो संचालन और क्षेत्रीय लघु व्यावसायिक गतिविधियों दोनों के स्तर पर) **में वृद्धि** होगी।
  - नदी के दोनों किनारों पर परिवहन कार्यकलापों के मामले में **स्थानीय समुदायों की पहुंच** में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास में मौजूदा चुनौतियां

- **निवेश का निम्न स्तर:** IWT और परिवहन के अन्य साधनों के बीच एकीकरण का अभाव है। इसके अलावा, रेल और सड़क नेटवर्क के विकास पर अधिक जोर देने के कारण IWT के विकास पर पर्याप्त व्यय नहीं हो पाया है।
- **सहायक सुविधाओं के विकास की उच्च लागत:** आधुनिक समय के मल्टी मॉडल टर्मिनलों, जेटी, फेरी पॉइंट्स और नदी सूचना प्रणालियों के विकास में अत्यधिक पूंजीगत निवेश की आवश्यकता होती है।
- **IWT से जुड़े निवेश को उच्च जोखिम वाला निवेश मानना:** यह धारणा बैंकों को निजी कंपनियों को अग्रिम ऋण देने से रोकती रही है। साथ ही, इस धारणा ने PPP मोड के माध्यम से होने वाले निजी निवेश को भी हतोत्साहित किया है।
- **तकनीकी चुनौतियां:** इनमें शामिल हैं:
  - 2.5 मीटर से 3.0 मीटर की आवश्यक गहराई एवं चौड़ाई वाले जल-मार्गों का विकास एवं रख-रखाव,
  - अनियमित तलछटीय गाद,
  - नदी तट को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने एवं अन्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए स्पीड कंट्रोल रेगुलेशन,
  - क्रॉस फेरी से सुरक्षा आदि।

आगे की राह

- **नौवहन संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थापना करना:** कार्गो टर्मिनल और जेटी जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव, जल परिवहन के मंद विकास का एक प्रमुख कारण रहा है।
- **प्रकृति के साथ कार्य करना:** संरक्षित आवास क्षेत्रों में ड्रेजिंग पर प्रतिबंध जैसे उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि जल यातायात के कारण **जलीय जैव विविधता** को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।
  - सभी जहाजों को ठोस या तरल अपशिष्ट को रोकने के लिए 'जीरो डिस्चार्ज' मानकों का पालन करना चाहिए।

- **नीति आयोग ने अपनी कार्य योजना** में अंतर्देशीय जलमार्गों की कनेक्टिविटी और दक्षता को बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके लिए-
  - **अंतर्देशीय जलमार्गों के प्रशासन को सुव्यवस्थित** किया जाना चाहिए। साथ ही, IWAI जैसे अंतर्देशीय जल परिवहन की निगरानी के लिए एक व्यापक निकाय का गठन किया जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र से संबंधित नियमों और रणनीति में अधिक एकरूपता लाई जा सके।
  - अंतर्देशीय और तटीय जल दोनों के लिए एकल पोत के उपयोग को बढ़ावा देते हुए **समुद्र नौवहन[147] पर आरोपित प्रतिबंधों में ढील** दी जानी चाहिए। इसके साथ ही, परिवहन की लागत एवं हैंडलिंग को भी कम किया जा सकता है।
  - पड़ोसी देशों और पूर्वोत्तर में वस्तुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए **अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का विकास** किया जाना चाहिए।
  - **नौवहन मार्गों को साल भर संचालनरत बनाए रखने के लिए उपायों को विकसित किया जाना चाहिए:**जलीय परिवहन के मौसमी होने के कारण इसकी स्वीकृति कहीं-न-कहीं बाधित होती है।.
    - गाद मुक्त नदी जल मार्गों को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अर्थात् नदी को साल भर नौवहन योग्य बनाए रखने के लिए उसकी गहराई कम-से-कम 2.5 मीटर से 3 मीटर की जानी चाहिए।
    - शिपिंग लाइनों की सर्विसिंग हेतु पर्याप्त तटीय गहराई बनाए रखने के लिए निरंतर ड्रेजिंग सहित अन्य उपायों के जरिए नदियों का पर्याप्त रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

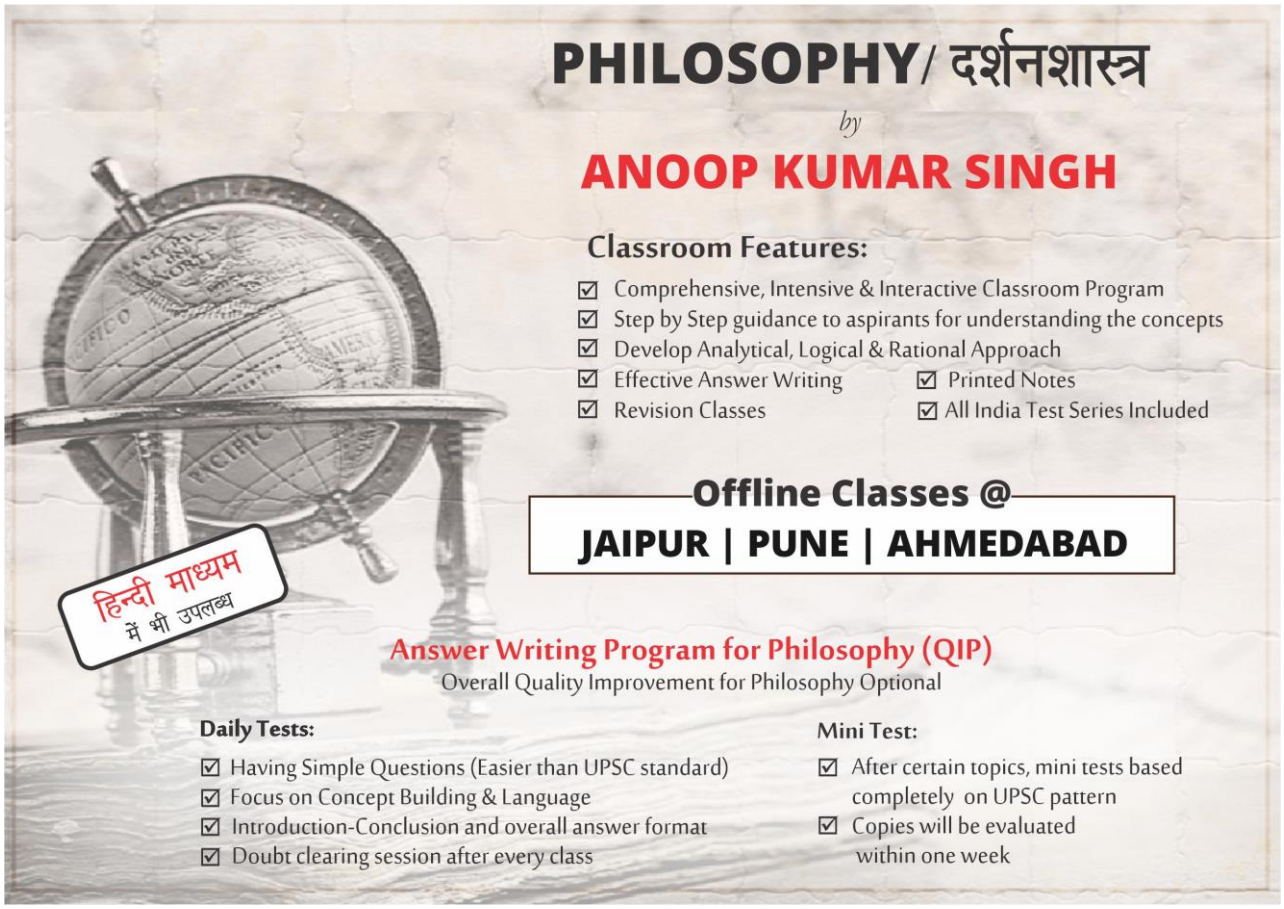

[147] Sea River Movement

10. खनन एवं विद्युत क्षेत्रक (Mining and Power Sector)

10.1. खनन क्षेत्रक (Mining Sector)

खान और खनिज क्षेत्रक: एक नज़र में

- भारत खनिजों के मामलों में **काफी हद तक आत्मनिर्भर** रहा है। इसके अंतर्गत उद्योगों को आपूर्ति किए जाने वाले **प्राथमिक कच्चे माल** जैसे कि **लौह और इस्पात, एल्यूमीनियम** आदि शामिल हैं।
- भारत में **कायनाइट, मैग्नेसाइट, रॉक फॉस्फेट, मैंगनीज अयस्क** जैसे खनिज **नहीं** पाए जाते हैं। इनसे जुड़ी मांग को पूरा करने के लिए इनका **आयात** किया जाता है।
- भारतीय खनन उद्योग में छोटे स्तर पर परिचालन वाली खदानों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। खनिज उत्पादन के **मूल्य की दृष्टि से लगभग 97 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन 7 राज्यों** में होता है।
- भारत के **स्पष्ट भू-वैज्ञानिक क्षमता** (OGP) क्षेत्र के तहत अब तक केवल 10% हिस्से की ही खोज की गई है।

प्रमुख लक्ष्य

- 2017-18 के 3% की तुलना में 2018–23 के दौरान 8.5% की औसत वृद्धि दर बनाए रखते हुए निर्दिष्ट खनन क्षेत्रक में 14% **की वृद्धि दर** का लक्ष्य हासिल करना।
- OGP क्षेत्र के तहत खोजे गए क्षेत्र को 10% से बढ़ाकर 20% तक अर्थात् **दोगुना करना।**
- वर्तमान में यह क्षेत्रक 10 **मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है।** वर्ष 2022–23 में इसकी **रोजगार में हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15 मिलियन** करने का लक्ष्य रखा गया है।

बाधाएं

- **विनियामकीय चुनौतियां** जैसे कि कंपनी द्वारा सफल अन्वेषण के बाद भी यह आवश्यक नहीं है कि खनन पट्टा प्राप्त हो जाए।
- **'पहले आओ पहले पाओ'** के सिद्धांत के आधार पर खनन लाइसेंस दिए जा रहे हैं। हालांकि, इस व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है।
- **अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं** जैसे उचित परिवहन और लॉजिस्टिक्स आदि का अभाव।
- **संधारणीयता संबंधी चुनौती;** उदाहरण के लिए– **40 प्रतिशत** खनन प्रस्ताव, **पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में असफल** रहे हैं।
- **पर्यावरण प्रदूषण:**
  - सतही खनन, कोयला खानों और प्रगलन गतिविधियों से होने वाले **वायु प्रदूषण।**
  - भारी धातुओं और जहरीले तत्वों के निक्षालन के कारण **जल प्रदूषण।**
  - ब्लास्टिंग और सतही खनन जैसी गतिविधियों के कारण **भूमि प्रदूषण।**
- **स्वास्थ्य और सुरक्षा की चुनौतियां** जैसा कि खनन कार्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक हो सकते हैं।
- **मेघालय** जैसे राज्यों में अवैध रैट होल माइनिंग।

नीतियां/ योजनाएं/ पहलें

- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957;** तथा वर्ष 2015 एवं 2020 के संशोधन।
- **प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)** और **जिला खनिज फाउंडेशन (DMF)।**
- **राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019**
- **शक्ति** (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के आवंटन और दोहन की योजना)।
- भारतीय खान ब्यूरो और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के मध्य **SUDOOR DRISHTI/ सुदूर दृष्टि परियोजना।**
- खनिज के पूर्वेक्षण संचालन के लिए **निजी अन्वेषण एजेंसियों के प्रत्यायन की योजना।**

आगे की राह

- लाइसेंसिंग नीति में सुधार कर अन्वेषण हेतु **निजी पक्ष की भागीदारी** को सुगम बनाया जाना चाहिए।
- पर्यावरणीय और वन संबंधी मंजूरी **सिंगल विंडो** के जरिए और **समयबद्ध** तरीके से प्रदान की जानी चाहिए।
- खनिज संसाधनों के **एक राष्ट्रीय डेटा भंडार** (NDR) का निर्माण करना चाहिए और इसे ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए।
- अन्वेषण फर्मों के लिए मजबूत और पारदर्शी **सार्वजनिक रिपोर्टिंग तंत्र** स्थापित किया जाना चाहिए।
- वैश्विक प्रथा के अनुसार, **कराधान और अन्य शुल्क** को बिक्री मूल्य के अधिकतम **40%** तक सीमित किया जाना चाहिए।
- पीने के पानी/ पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण/ स्वास्थ्य देखभाल/ शिक्षा/ कौशल विकास/ महिलाओं, बच्चों, वृद्धों तथा विकलांग लोगों के कल्याण/ स्वच्छता के संदर्भ में **PMKKKY** और **DMF** फंड के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

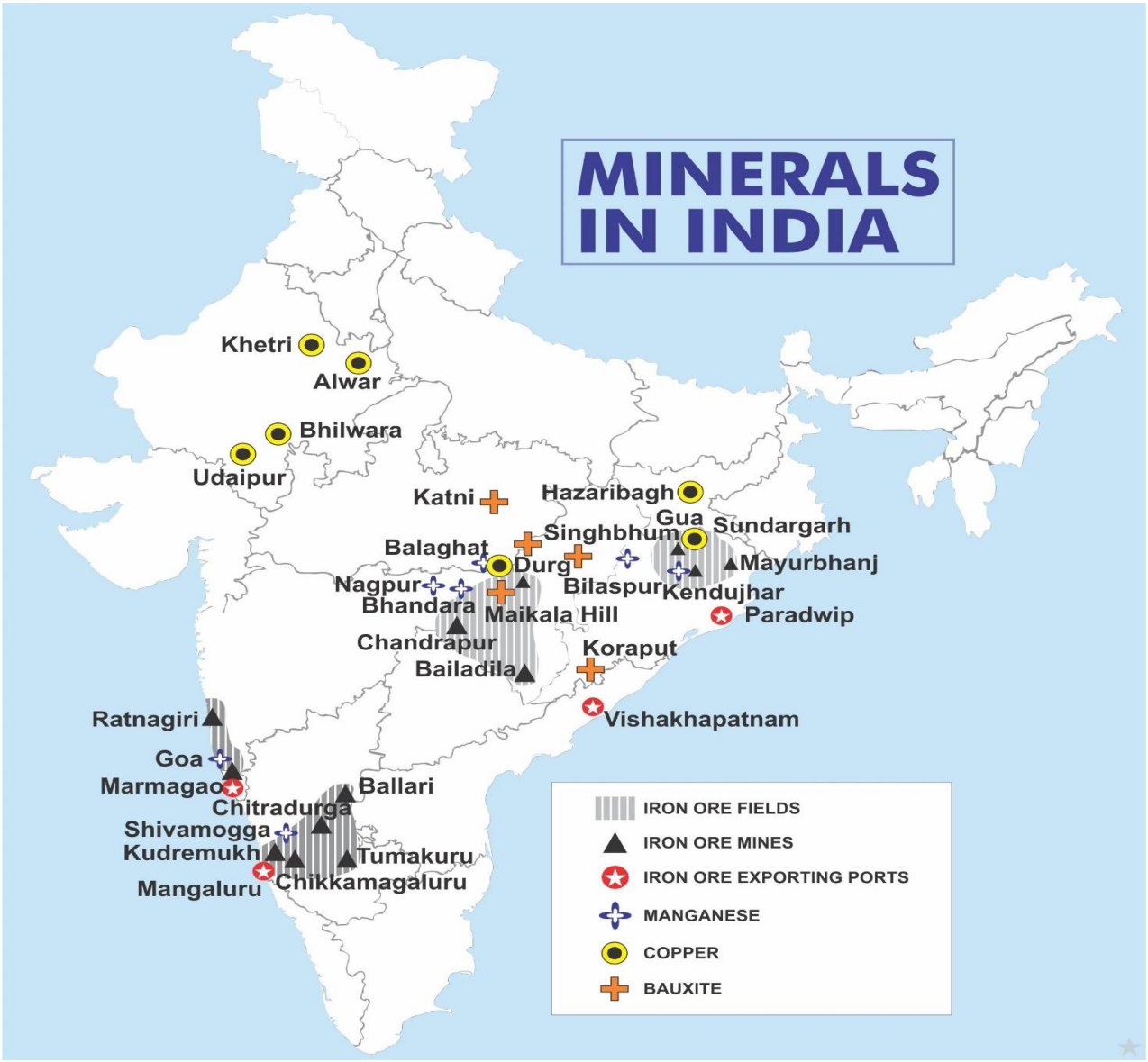

10.1.1. भारत में स्वर्ण खनन (Gold Mining in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार स्वर्ण (सोना) निक्षेप वाले क्षेत्रों की पहचान करने हेतु एक विस्तृत रोडमैप तैयार कर रही है। इन्हें **वर्ष 2030 तक विकसित किए जाने की संभावना** है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश में स्वर्ण उत्पादन को बढ़ाना है।

भारत में स्वर्ण उद्योग का अवलोकन

- चीन के बाद **भारत, दुनिया में स्वर्ण का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश** है।
- वर्ष 2020 में स्वर्ण का उत्पादन 1.6 टन से अधिक रहा था। आने वाले समय में भारत में सोने की खदानों से **स्वर्ण का उत्पादन 20 टन प्रति वर्ष तक पहुंच सकता है।**
- **स्वर्ण भंडार और संसाधन:** राष्ट्रीय खनिज सूची के आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल स्वर्ण अयस्क भंडार **501.83 मिलियन टन** अनुमानित है।
    - भारत के **कुल स्वर्ण भंडार का 88% हिस्सा कर्नाटक में स्थित है।** स्वर्ण अयस्क के लिए **धारवाड़ शैल समूह** सबसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचना है।
    - **50% से अधिक स्वर्ण खनिज संसाधन कर्नाटक में हैं।** इसके अलावा, **33% राजस्थान में, 6% बिहार में और 5% आंध्र प्रदेश** में स्थित हैं। शेष 6% संसाधन देश के अन्य आठ राज्यों में मौजूद हैं।

- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, **भारत के स्वर्ण का आयात 33.41% बढ़कर 46.16 बिलियन डॉलर** पहुंच गया था। यह वित्त वर्ष 2020-21 में 34.6 बिलियन डॉलर था। इस प्रकार, भारत के लिए स्वर्ण उद्योग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है।

घरेलू स्वर्ण उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है?

- **उच्च घरेलू मांग को पूरा करना:** वैश्विक स्तर पर स्वर्ण की मांग में भारत की हिस्सेदारी करीब 25 फीसदी है।
- **आयात पर निर्भरता को कम करना:** भारत अपनी स्वर्ण जरूरतों का लगभग **89% हिस्सा आयात से पूरी** करता है। इसके परिणामस्वरूप कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है। साथ ही, इससे चालू खाता घाटे (CAD)[148] पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने** तथा राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय करों एवं रॉयल्टी में वृद्धि करने के लिए भी यह आवश्यक है।
- इससे विशेषकर सुदूर क्षेत्रों में **रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।**
- **इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि होगी।**
- विशेष रूप से मध्यम और छोटे उद्यमों में **ज्वेलरी फैब्रिकेशन, रिफाइनिंग अदि जैसे संबंधित सेवा उद्योगों की शुरुआत होगी एवं उन्हें सहायता मिलेगी।**

घरेलू स्वर्ण उत्पादन को बढ़ाने के समक्ष बाधाएं

- **व्यावसायिक गतिविधि का उच्च जोखिम:** स्वर्ण खनन से पहले का उत्पादन चरण[149] काफी लंबा होता है। इन क्षेत्रों की खोज एवं उनके विकास के लिए भारी पूंजी के निवेश की आवश्यकता होती है। इन सबके बावजूद भी लाभ उत्पादित स्वर्ण की मात्रा और विनिमय दरों से तय होता है।
- अपर्याप्त सड़क और रेल संपर्क के चलते **स्वर्ण खनन वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का खराब विकास।**
- **खनन लाइसेंस के लिए मंजूरी प्राप्त करने हेतु जटिल विनियामक प्रक्रियाएं:** आमतौर पर लाइसेंस प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है। इसमें कई एजेंसियां शामिल होती हैं। अक्सर इस कार्य में काफी देरी होती है। इससे परियोजना के विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
- अन्वेषण और खनन[150] उद्योग में **कुशल श्रम बल की कमी है।**
- संचालन में दक्षता पैदा करने और वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए खनन व रिफाइनिंग क्षेत्र में **तकनीकी अपग्रेडेशन** की आवश्यकता है।

[148] Current Account Deficit

[149] Pre-production Stage

[150] Exploration and Mining

- **भू-गर्भीय डेटाबेस की खराब गुणवत्ता** एवं गहराई में स्थित खनिजों के बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं है। यहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना मिलता है।
- **स्वर्ण खनन से संबंधित पर्यावरणीय चिंताएं,** जैसे- पर्यावरण को नुकसान, जल आपूर्ति का दूषित होना तथा महत्वपूर्ण वन पारितंत्र का विनाश।

भारत में स्वर्ण खनन को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय

- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957[151] में संशोधन किए गए हैं:**
  - **वर्ष 2015: नीलामी के माध्यम से खनिज रियायत देने की नई व्यवस्था** प्रस्तुत की गई थी। इसका उद्देश्य खनिज संपदा के आवंटन में पारदर्शिता और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करना था।
  - **वर्ष 2020:** राज्य सरकारों को पट्टे की अवधि की समाप्ति से पहले खनिज ब्लॉक्स की नीलामी के लिए अग्रिम कार्रवाई करने की अनुमति दी गई थी। इसका उद्देश्य **खनन कार्यों की निर्बाध निरंतरता को सुगम बनाना था।**
  - **वर्ष 2021:** स्वर्ण सहित विभिन्न खनिजों के 500 खनन ब्लॉक्स की पारदर्शी नीलामी को सक्षम बनाया गया था।
- **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति[152], 2016:** इस नीति का उद्देश्य गैर-ईंधन एवं गैर-कोयला खनन अन्वेषण को प्रोत्साहित करना है। ऐसा निजी कंपनियों को ई-नीलामी के माध्यम से आयोजित पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देकर किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019:** इस नीति ने सरल, पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रियाओं तथा स्पष्ट समय-सीमा के साथ अधिक सुव्यवस्थित परमिट प्रदान करने की विधि प्रदान की है। यह नीति अन्वेषण को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।
- **खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) नियम, 2015[153] :** इन नियमों को वर्ष 2021 में संशोधित किया गया था। यह संशोधन स्वर्ण सहित गहराई में स्थित खनिजों के खनन के लिए समग्र लाइसेंस प्रदान करने हेतु किया गया था।
- **स्वचालित मार्ग के तहत 100 फीसदी FDI की अनुमति दी गई है।**

आगे की राह

- मेक इन इंडिया पहल का उपयोग करके **खनन उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहिए।**
- अंतर्देशीय जलमार्गों और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का उपयोग करके **स्वर्ण खनन वाले क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर करना चाहिए।**
- सिंगल विंडो क्लीयरेंस के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देकर स्वर्ण खनन को **निवेशकों के लिए व्यवहार्य एवं आकर्षक बनाना चाहिए।**
- निवेश आकर्षित करने के लिए दीर्घकालिक पूंजी-गहन खनन परियोजनाओं हेतु **जोखिम भारित पूंजी उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए।**
- भू-गर्भीय डेटाबेस को शामिल करते हुए **डिजिटल डेटा की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार** करना चाहिए। इसमें मानचित्रों की गुणवत्ता तथा सूचनाओं तक पहुंच में सुगमता शामिल होनी चाहिए।
- भारत के कराधान ढांचे को स्वर्ण खनन क्षेत्र की रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से एकीकृत करने के लिए व्यापक कराधान नीति निर्मित करनी चाहिए।
- **संधारणीय खनन पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए।**

10.1.2. भारत में लिथियम के भंडार (Lithium Deposits in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के सलाल-हैमाना क्षेत्र में **लिथियम-भंडार** का अनुमान लगाया है। यहां **5.9 मिलियन टन लिथियम** होने का अनुमान लगाया गया है। GSI के अनुसार, यह भंडार **प्रारंभिक अन्वेषण चरण में है यानी यह G3 श्रेणी** का है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह भंडार लिथियम का **सातवां सबसे बड़ा भंडार** हो सकता है, जो विश्व के **सभी भंडारों का लगभग 5.7%** है।

[151] Mines and Minerals (Development and Regulation) Act (or MMDR Act), 1957

[152] National Minerals Exploration Policy: NMEP

[153] Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015

- इससे पहले, भारत में, **कर्नाटक के मांड्या जिले** से लिथियम के भंडार मिलने की **सूचना मिली थी।**

लिथियम का वैश्विक वितरण

- लिथियम सभी आबाद महाद्वीपों पर पाया जाता है। **चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया** को **"लिथियम त्रिकोण"** के नाम से जाना जाता है। इन तीनों देशों की वैश्विक आपूर्ति में **75% से अधिक** भागीदारी है।

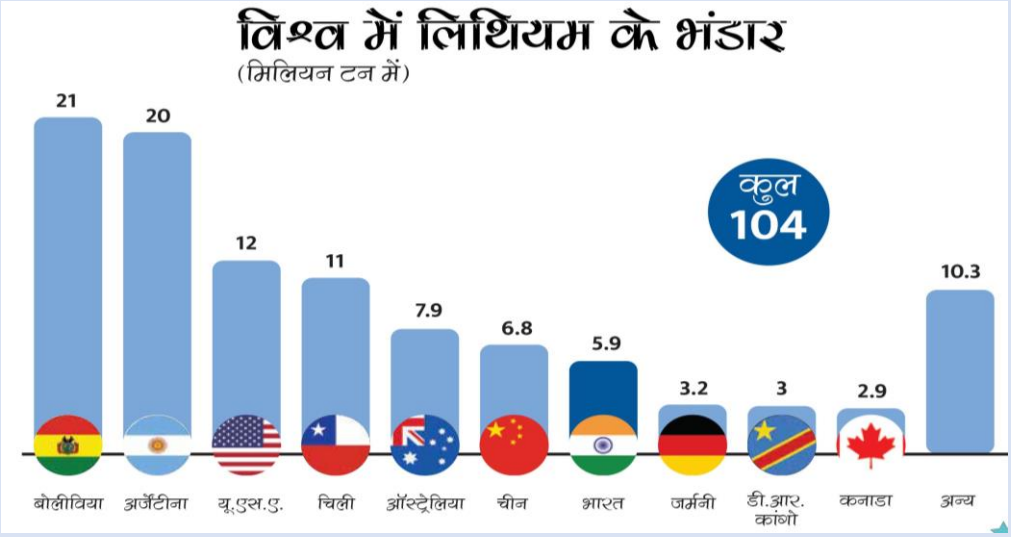

लिथियम की खोज का महत्त्व

- **आयात पर निर्भरता में कमी:** वर्तमान में, भारत के पास **अपने स्वयं के लिथियम संसाधन उपलब्ध नहीं** हैं। इसलिए भारत की आयात पर निर्भरता बनी हुई है।
  - वित्त वर्ष 2022 में, भारत ने लगभग **14,000 करोड़ रुपये** के लिथियम और लिथियम आयन का आयात किया था। यह आगे चलकर और बढ़ सकता है।
  - भारत वर्तमान में **हांगकांग, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम का आयात** करता है।
- **विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा:** रिचार्जेबल लिथियम आधारित बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जो आत्म-निर्भरता और विभिन्न उद्देश्यों के लिए लाभदायक होगा।
  - विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, लिथियम (Li) और कोबाल्ट जैसी **महत्वपूर्ण धातुओं की मांग में** 2050 तक लगभग **500% की वृद्धि की संभावना** है।
- **गतिशीलता में परिवर्तन:** यह भारत के 'परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन[154]' को मजबूत करेगा। यह मिशन इलेक्ट्रिक वाहनों और ग्रीन मोबिलिटी को अपनाने पर केंद्रित है।
- **2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करना:** लिथियम, इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली लिथियम-आयन बैटरी का एक प्रमुख घटक है। यह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का उपयोग करता है।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना:** लिथियम के भंडार और इसके प्रसंस्करण अत्यधिक केंद्रित है। भारत में लिथियम की खोज से आपूर्ति श्रृंखला को काफी मजबूती मिलेगी।
  - हालांकि, **चीन के पास लिथियम के भंडार बहुत अधिक नहीं** है। फिर भी, यह **वैश्विक लिथियम प्रसंस्करण के आधे से अधिक** और विश्व में लगभग 75% सेल घटकों और बैटरी सेल के उत्पादन **को नियंत्रित** करता है।

क्षेत्र में लिथियम खनन से जुड़े जोखिम

- **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालय में उच्च जोखिम:** हाल ही में, जोशीमठ का धंसना, इस क्षेत्र की नाजुकता और खनन गतिविधियों जैसे दीर्घकालिक मुद्दों को दर्शाता है।

[154] National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage

- **पर्यावरणीय प्रदूषण:** लिथियम निष्कर्षण प्रक्रियाओं में शामिल ओपन-पिट-माइनिंग, रिफाइनिंग और अपशिष्ट निपटान गतिविधियां **पर्यावरण को काफी हद तक नुकसान पहुंचाती** है। इससे जलमार्ग और भूजल का स्तर तो कम होता ही है, साथ ही इससे जल भी संदूषित हो जाता है। इनके अलावा, जैव विविधता को नुकसान पहुचता है और वायु प्रदूषण बढ़ जाता है।
- **जल संसाधनों पर दबाव:** इसके अयस्क से लिथियम निकालने में जल की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसमें एक टन लिथियम के लिए लगभग 2.2 मिलियन लीटर जल का उपयोग किया जाता है।
- **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का उत्सर्जन:** लिथियम उत्पादन प्रक्रिया में **अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म** किया जाता है जो केवल **जीवाश्म ईंधन के दहन की स्थिति में ही लागत प्रभावी** हो सकता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक टन लिथियम के लिए 15 टन CO_2 का उत्सर्जन हो सकता है।

आगे की राह

- **लिथियम खनन का विनियमन:** संधारणीय खनन के लिए लिथियम के खनन और निष्कर्षण को विनियमित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण:** जब तक भारत अपने भंडार का उपयोग नहीं करता है, तब तक लिथियम की अप्रतिबंधित आपूर्ति को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ रणनीतिक समझौते महत्वपूर्ण होंगे।
- **भारत में खनिज अन्वेषण में तेजी लाने के प्रयासों में वृद्धि करना:** निजी क्षेत्रक के भागीदारों के साथ खनिज अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए नए प्रोत्साहन और निवेश की आवश्यकता है।
- **सामाजिक-पारिस्थितिक प्रभाव का आकलन:** क्षेत्र के संधारणीय और समावेशी विकास के लिए लिथियम निष्कर्षण के सामाजिक-पारिस्थितिक प्रभाव का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

संबंधित सुर्खियां

हैदराबाद स्थित **राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले** में 15 दुर्लभ भू-तत्वों (REEs) के बड़े भंडार खोजे हैं।

REEs के बारे में

- REEs को **दुर्लभ भू ऑक्साइड्स** भी कहा जाता है। ये **चांदी के जैसे सफेद 17 नरम भारी धातुओं का एक समूह** है। ये **आवर्त सारणी** में एक साथ प्राप्त होते हैं।
  - इस समूह में **यट्रियम और 15 लैंथेनाइड तत्व** शामिल हैं। **15 लैंथेनाइड तत्व हैं:** लैंथेनम, सेरियम, प्रेजोडियम, नियोडिमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थ्यूलियम, यटेरबियम और लुटेटियम।
  - REEs के **सभी तत्व धातुएं** हैं। इनमें **कई समान गुण** होते हैं। इस वजह से अक्सर ये **भूगर्भिक निक्षेपों में एक साथ प्राप्त** हो जाते हैं।
- REEs का उपयोग **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी** में; **रक्षा प्रौद्योगिकियों** में तथा सेल-फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों** में व्यापक रूप से किया जाता है। इन तत्वों के ल्यूमिनेसेंट और उत्प्रेरक गुणों की वजह से इनका उपयोग अधिक है।

10.2. कोयला और तेल क्षेत्रक (Coal and Oil Sector)

कोयला और तेल क्षेत्रक: एक नज़र में

भारत की कुल एनर्जी मिक्स के **50%** हिस्से की पूर्ति कोयले से होती है।

भारत की कुल एनर्जी मिक्स के **28%** हिस्से की पूर्ति तेल से होती है।

भारत हर साल **893 मिलियन टन** कोयले का उत्पादन करता है।

वित्त वर्ष 2020 में प्रति दिन **4.9 मिलियन बैरल** तेल की खपत हुई और भारत की **87.6%** क्रूड आयल आवश्यकताओं को आयात के माध्यम से पूरा किया गया था।

भारत की ऊर्जा आवश्यकता हेतु आयातित कच्चे माल के **70%** हिस्से की पूर्ति पश्चिम एशिया से होती है।

समग्र रूप से, भारत की **प्राथमिक ऊर्जा मांग वर्ष 2040** तक लगभग **दोगुनी होकर 1,123 मिलियन टन** क्रूड आयल के बराबर होने की संभावना है।

मुख्य उद्देश्य

- **भूवैज्ञानिक दृष्टि से अन्वेषण करने योग्य क्षेत्र को 10% से बढ़ाकर 20%** करना।
- वर्ष 2023 तक **खनन क्षेत्रक की वृद्धि दर को 3% से बढ़ाकर 14%** करना।
- वर्ष 2022–23 तक **तेल और गैस के आयात में 10 प्रतिशत की कमी** करना।
- वर्ष 2030 तक घरेलू उत्पादन को बढ़ाने हेतु **तेल और गैस अन्वेषण क्षेत्र को दोगुना से अधिक** करना।
- भारत की प्राइमरी एनर्जी मिक्स में प्राकृतिक गैस के उपयोग को वर्तमान **6.2%** से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक **15%** करना।
- वर्ष 2022–23 में इस क्षेत्रक की **रोजगार में हिस्सेदारी** (प्रत्यक्ष, संबद्ध और अप्रत्यक्ष) को मौजूदा 10 मिलियन से बढ़ाकर 15 मिलियन करना।
- तेल की ऊंची कीमतों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए धन जुटाने और अतिरिक्त भंडारण टैंक के निर्माण हेतु सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) के **50% हिस्से का वाणिज्यीकरण** करना।

योजनाएं/ पहलें

- प्रधान मंत्री **उज्ज्वला योजना**, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ **(पहल)**।
- प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ **(PAHAL)**
- **प्रधान मंत्री जी–वन** (जैव ईंधन–वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना।
- **शक्ति** (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन की योजना)।
- **खनन योजना हेतु सरल अनुमोदन प्रक्रिया और वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए अनुमति।**
- प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पादों और रिफाइनरियों सहित तेल एवं गैस क्षेत्रक के विभिन्न खंडों में **100% FDI** की अनुमति।
- **अगले 5 वर्षों में तेल और गैस अवसंरचना पर 7.5 ट्रिलियन का निवेश करना और वर्ष 2030 तक इसकी रिफाइनिंग क्षमता को 450–500 मिलियन टन** करना।
- **नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO)** की तर्ज पर गैस आधारित बिजली संयंत्रों के लिए **अनिवार्य खरीद तंत्र।**

बाधाएं

- **कोयला खनन** के लिए भूमि–आवंटन करना प्रमुख मुद्दा है।
- **ओपन कास्ट माइनिंग के विस्तार को प्रोत्साहन** और बेहतर गुणवत्ता वाले कोयला भंडार के बावजूद भी **भूमिगत परिचालन को हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति।**
- कोयला बाजार में **सीमित प्रतिस्पर्धा और निजी भागीदारी।**
- इन तीनों क्षेत्रकों में कच्चे माल के लिए **आयात पर अत्यधिक निर्भरता।**
- तेल के पुराने कुओं तथा कम निवेश और विदेशी निवेशकों की कम रुचि के कारण वित्त वर्ष **2011–12 से घरेलू कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट** आई है।
- **तेल और गैस की बढ़ती कीमतें।**

आगे की राह

- जहाँ तक संभव हो **आयात के स्रोतों में विविधता** लाई जानी चाहिए तथा **इसे सीमित किया जाना** चाहिए।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट को संभव बनाने के लिए** तेल, प्राकृतिक गैस, विद्युत और कोयले को **GST** के दायरे में लाया जाना चाहिए।
- उत्पादन/ राजस्व साझाकरण मॉडल के आधार पर अन्वेषण–सह–खनन पट्टों के माध्यम से विस्तृत अन्वेषण को शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए।
- **गैर–परिचालनरत तेल और गैस संपत्तियों को कार्यात्मक बनाने के लिए** अनुबंध की शर्तों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा इसमें आवश्यक **छूट दी जानी** चाहिए।
- छोटे तथा बिखरे हुए तटवर्ती और अपतटीय फील्ड्स से तेल एवं गैस को निकालने **के लिए साझा अवसंरचना** प्रदान करना चाहिए।
- पाइप्ड नेचुरल गैस **(PNG)** की पहुंच बढ़ाने के लिए **सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

10.2.1. कोयला लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 का मसौदा (Draft Coal Logistic Policy 2022)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोयला मंत्रालय ने कोयला लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 के मसौदे पर राय मांगी है।

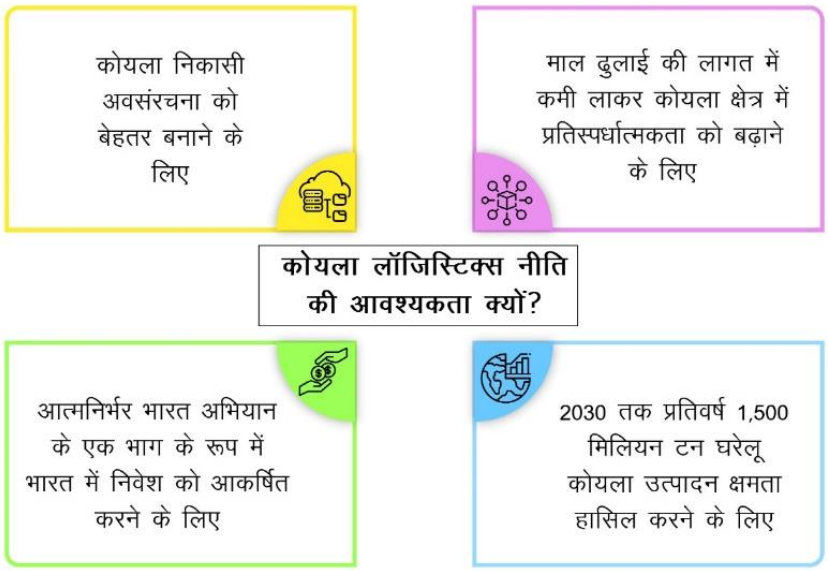

कोयला लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 के मसौदे के बारे में

- इस नीति का उद्देश्य **वर्तमान कोयला निकासी अवसंरचना में व्याप्त कमियों की पहचान तथा उनका आकलन कर एवं उन्हें दूर करना** है। इसके अलावा इस नीति का उद्देश्य **खदान से लेकर अंतिम उपयोग वाले संयंत्र तक कोयले के पर्यावरण-अनुकूल परिवहन** को भी सुनिश्चित करना है।
- मसौदा नीति का उद्देश्य तीव्र और समग्र वृद्धि के लिए **तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत प्रभावी, लचीली, टिकाऊ और भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स प्रणाली** को विकसित करना है।

कोयला लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक में सुधार हेतु नीतिगत रणनीति

- **स्मार्ट कोल लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर:** इन्हें खदान से गंतव्य/ उपभोग स्थल तक प्रत्येक टन कोयले की ढुलाई पर पूर्ण निगरानी के लिए स्थापित किया जाएगा।
- **परिवहन का मल्टी-मॉडल नेटवर्क:** इस नीति के तहत एक मल्टी-मॉडल एकीकृत राष्ट्रीय कोयला निकासी योजना को तैयार करना प्रस्तावित किया गया है।
- **राइट्स ऑफ वे (RoW): खान आवंटन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में** रेल और सड़क मार्ग को ध्यान में रखकर **राइट्स ऑफ वे तथा फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की योजना बनाई** गई है।
  - यहां **राइट्स ऑफ वे** का अर्थ कोयले की ढुलाई के लिए अलग और समर्पित रेल एवं सड़क मार्ग से है।

- **हरित परिवहन पहल:** इसके तहत व्यवस्थागत परिवर्तन अर्थात् सड़क से कोयले के परिवहन के बदले कन्वेयर, रेलवे और जलमार्ग के माध्यम से परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **डेटा-संचालित प्रणालियों का विकास: उच्च लॉजिस्टिक्स दक्षता सुनिश्चित करने** तथा संपूर्ण लॉजिस्टिक्स परिवेश की निगरानी हेतु डेटा-संचालित प्रणालियों को शामिल किया जाएगा।

- **रेलवे प्रशुल्क (टैरिफ) को युक्तिसंगत बनाना:** बंदरगाहों से और बंदरगाहों तक **फर्स्ट एवं लास्ट माइल कनेक्टिविटी** सुनिश्चित करने हेतु रेलवे-टैरिफ को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। यह कोयले के परिवहन हेतु रेल-समुद्र-रेल मार्ग[155] को व्यवहार्य बनाने में मदद करेगा।

आगे की राह

- **कोयला गैसीकरण पर ध्यान देना:** इससे लॉजिस्टिक्स लागत में उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी तथा परियोजना के **समग्र लाभ और व्यवहार्यता** में सुधार होगा।
- **परिवहन और बुनियादी ढांचे में सुधार:** इसके तहत निम्नलिखित घटकों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिनमें शामिल हैं-
  - सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP)[156] आधारित बुनियादी ढांचे का विकास,
  - कोयला-क्षेत्रों को जोड़ने के लिए **रेलवे नेटवर्क का पुनर्गठन,**
  - बंदरगाह की क्षमता और निकासी दक्षता को बढ़ाना,
  - मौजूदा बंदरगाहों की क्षमताओं में वृद्धि करना आदि।

- **अनुसंधान और अन्वेषण:** भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों तथा **व्यापक स्तर पर भूमिगत खनन की आधुनिक तकनीकों** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **सभी हितधारकों को शामिल करना:** आवश्यकताओं के अनुसार **ढांचागत सुविधाओं के निर्माण की योजना बनाने के लिए** भारतीय रेलवे, पत्तन प्राधिकरण और उद्योगों को **एक साथ मिलकर कार्य** करना चाहिए।
- **समर्पित निजी लाइनें:** रेलवे के माध्यम से कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था में लॉजिस्टिक्स उपलब्धता और समन्वय की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः ऐसे में उन क्षेत्रों में समर्पित निजी रेल-लाइनें बिछाने हेतु प्रयास करना चाहिए, जहां भविष्य में खनन शुरू होने की संभावना है।

कोयला लॉजिस्टिक्स में सुधार हेतु की गई पहलें

- **माल-भाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली (FOIS)[157]:** यह प्रणाली मालगाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखने तथा साथ ही वस्तुओं और अन्य शुल्कों की गणना में भी मदद करती है।
- **पी.एम. गति शक्ति:** इस योजना का उद्देश्य कोयला निकासी से संबंधित लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। इसके लिए आवश्यक हस्तक्षेपों पर व्यापक रूप से विचार किया जाएगा। इससे कोयला क्षेत्रक की दक्षता में वृद्धि होगी।

[155] Rail - Sea - Rail route: RSR

[156] Public-Private Partnership

[157] Freight Operations Information System

11. व्यवसाय और नवाचार (Business and Innovation)

11.1. व्यवसाय नीति (Business Policy)

व्यवसाय नीतिः एक नज़र में

प्रमुख उद्देश्य

- व्यवसाय–समर्थक नीति की सहायता से **आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को बढ़ावा देना** और संपदा सृजित करने के लिए **प्रतिस्पर्धी बाजारों** की शक्ति का उपयोग करना।
- **'प्रो–क्रोनी नीति'** को समाप्त करना।
- भारत को **निवेश के अनुकूल बनाना** और ड्रोन, इलेक्ट्रिक वाहन, अंतरिक्ष जैसे **नए क्षेत्रकों** को बढ़ावा देने के लिए नियमों को उदार बनाना।
- व्यावसायिक प्रक्रियाओं और जलवायु में **पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस** (ESG) मानकों को **एकीकृत** करना।

बाधाएं

- **कानूनी और वैधानिक अनुपालन संबंधी अनिवार्यता** की बहुलता।
- **निर्माण कार्य परमिट, विवाद समाधान** और अनुबंधों को लागू करने में देरी।
- समग्र व्यावसायिक इकोसिस्टम में **बुनियादी ढांचे की कमी।**
- मैक्रोइकोनॉमिक स्थितियां ख़राब होने पर **बाज़ार की विफलता।**
- **बाज़ार की गतिशीलता में अत्यधिक हस्तक्षेप** बाज़ार को गतिहीन और अक्षम बनाता है।
- क्रोनी कैपिटलिज्म, नौकरशाही संबंधी बाधाएं, भ्रष्टाचार, बिखरे हुए बाज़ार, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल असमानता जैसे मुद्दे।

नीतियां/ योजनाएं/ पहलें

- **प्रत्यक्ष कराधान सुधारः** मध्यम आकार की कंपनियों के लिए **कॉर्पोरेट टैक्स** 30% से घटाकर 25% करना, न्यूनतम **वैकल्पिक कर** से राहत।
- **अप्रत्यक्ष कराधान सुधार,** जैसे– वस्तु एवं सेवा कर (GST)।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता** (IBC), **2016 में संशोधन।**
- रेलवे, राजमार्ग, हवाई अड्डों और स्वास्थ्य अवसंरचना में **PPP मॉडल अपनाना।**
- **इन्वेस्ट इंडिया प्लेटफॉर्मः** विदेशी निवेश के लिए वन–स्टॉप समाधान।
- **कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार** की सहायता के लिए **4 बिलियन डॉलर का फंड बनाना।**
- त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (C-PACE) का गठन।
- सभी विनियामक प्रपत्रों (वर्तमान में कंपनी रजिस्ट्रार (RoCs) द्वारा किया जा रहा है) पर निर्णयन को केंद्रीकृत करने की योजना।

आगे की राह

- **क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन** (Creative Destruction) की डिसरप्टिव विचारधारा को अपनाया जा सकता है।
- सभी बाजार सहभागियों के लिए **समान अवसर मुहैया करना।**
- नीलामी जैसे तरीकों के माध्यम से **संसाधनों का बेहतर आवंटन करना।**
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए **संरचनात्मक बदलाव लाना।**
- लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- ESG मानदंडों को प्रभावी रूप से अपनाते हुए लचीलापन लाना।

11.1.1. कानूनी सुधार और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस {Legal Reforms and Ease of Doing Business (EoDB)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** ने लोक सभा में **जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022**[158] पेश किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस विधेयक के माध्यम से 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित **42 अधिनियमों** में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य **व्यक्तियों और व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम** करना तथा **ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) सुनिश्चित** करना है।
  - इस विधेयक द्वारा संशोधित किए जाने वाले अधिनियमों में भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 आदि शामिल हैं।
- यह अदालती हस्तक्षेप के बिना **अधिनिर्णयन (Adjudication) और प्रशासनिक तंत्र द्वारा बड़ी संख्या में मामलों को निपटाने** में मदद करेगा।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

विनिर्देश	विवरण
कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना (Decriminalizing certain offences)	• इस विधेयक के तहत **कुछ अधिनियमों में कारावास की सजा वाले कई अपराधों में केवल अर्थ दंड निर्धारित कर उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया** गया है।
जुर्माने और अर्थदंड में संशोधन (Revision of fines and penalties)	• यह विधेयक **निर्दिष्ट अधिनियमों में अलग-अलग अपराधों के लिए अर्थदंड और जुर्माने में वृद्धि** करता है। इसके अतिरिक्त ऐसे जुर्माने और अर्थदंड को प्रति तीन वर्ष में न्यूनतम राशि के 10% तक बढ़ाया जाएगा।
अधिनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति (Appointing adjudicating officers)	• केंद्र सरकार अर्थदंड निर्धारित करने के लिए **एक या एक से अधिक अधिनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति** कर सकती है।
अपीलीय तंत्र (Appellate mechanisms)	• यह विधेयक **अधिनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट किसी भी व्यक्ति के लिए अपीलीय तंत्र की भी व्यवस्था** करता है। ○ उदाहरण के लिए- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत आदेश के 60 दिनों के भीतर NGT[159] में अपील दायर की जा सकती है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में

EoDB एक **सूचकांक** था, जिसे **2003 से विश्व बैंक** द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था। हालांकि, **2021 में इसके प्रकाशन को बंद** कर दिया गया। इसके तहत **190 अर्थव्यवस्थाओं को उनके EoDB प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग** प्रदान की जाती थी। गौरतलब है कि 2020 में जारी **EoDB में भारत का स्थान 63वां** था।

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की प्राप्ति में मौजूद कानूनी बाधाएं

- **एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य कानूनी भिन्नताएं:** भारत में अलग-अलग कानूनी ढांचे मौजूद हैं। अतः ऐसे में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानूनी संरचनाओं की उपस्थिति भारत में कारोबार सुगमता को बाधित करती हैं।

[158] Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2022

[159] National Green Tribunal/ राष्ट्रीय हरित अधिकरण

- उदाहरण के लिए- महाराष्ट्र में शराब की बिक्री की अनुमति है, लेकिन गुजरात में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है।

- **जटिल कानूनी प्रक्रियाएं:** कई विभागों की भागीदारी या हस्तक्षेप से कानूनी प्रक्रियाएं अत्यधिक जटिल हो जाती हैं। साथ ही, ऐसे में किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले कई अनुपालन (Compliances) निर्देशों को पूरा कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है।
- **आयात/ निर्यात बाधाएं:** भारत में **आयात और निर्यात व्यवसाय में अलग-अलग बाधाएं** मौजूद हैं। उदाहरणार्थ- आयात और निर्यात मदों पर सीमा शुल्क का प्रतिशत अलग-अलग है, अर्थात् यह शून्य से लेकर 150 प्रतिशत तक है। इसके अलावा अलग-अलग शुल्क जैसे कि काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ (प्रतिकारी शुल्क), शिक्षा उपकर आदि भी हैं जो **निवेश और व्यवसाय की स्थापना को हतोत्साहित** करते हैं।
- **भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे:** भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम के तहत लाए गए सहमति उपबंध, उचित मुआवजा और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन मुख्यतः भूस्वामियों व खरीदारों के हितों को प्रभावी ढंग से संतुलित करने में विफल रहे हैं। साथ ही, इन प्रावधानों की विफलता से निवेशकों का संकट भी बढ़ा है।
- **अधिनिर्णयन (Adjudication) से संबंधित मुद्दे:** कई व्यवसायों को मामूली मुद्दों के समाधान के लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा, वाणिज्यिक विवादों के अधिनिर्णयन में होने वाली देरी भी व्यवसायों की वित्तीय लागत को बढ़ा देती है।

EoDB में सुधार के लिए की गई अन्य पहलें

- **श्रम कानून:** सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाकर उन्हें केवल **4 श्रम संहिताओं** में समाहित कर दिया है।
- **समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय (Dedicated Commercial Courts: DCC):** वाणिज्यिक मामलों के शीघ्र समाधान के लिए, **वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015** को पारित किया गया था। हालांकि, 2018 में इसे फिर से संशोधित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप DCC को समर्पित अवसंरचना तथा अनन्य न्यायिक मानव शक्ति[160] के साथ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में स्थापित किया गया।
- **इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016:** इसका उद्देश्य दिवालिया कंपनियों से जुड़े दावों का समाधान करना है, ताकि बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित करने वाले **अशोध्य ऋणों (Bad loans) का निपटान** किया जा सके।
- **इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी को निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा या स्पाइस+ (Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically: SPICE+):** अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप तेजी से समावेशन सुनिश्चित करने के लिए इसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- **श्रम सुविधा पोर्टल (SSP):** श्रम कानूनों के अनुपालन हेतु इसकी परिकल्पना संपर्क के एकल बिंदु अर्थात् वन-स्टॉप-शॉप के रूप में की गई है। इसे श्रम निरीक्षण रिपोर्टिंग और रिटर्न जमा करने की सुविधा के लिए विकसित किया गया है।

[160] Exclusive Judicial Human Power

आगे की राह

- **सुगम अनुपालन:** केंद्र और राज्यों को एक व्यवस्थित प्रणाली को अपनाना चाहिए। इससे व्यवसायों के समय और लागत पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अनुपालन संबंधी बोझ को समाप्त करने या कम करने में मदद मिलेगी।
- **विवाद समाधान:** त्वरित विवाद समाधान प्रक्रिया के लिए **फास्ट-ट्रैक अदालतों और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र** को संस्थागत बनाया जाना चाहिए तथा इसे न्यायपालिका के दायरे से मुक्त किया जाना चाहिए।
- **भूमि अधिग्रहण:** स्पष्ट भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए **लैंड रिकॉर्ड के तीव्र डिजिटलीकरण** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा व्यवसायों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को और आसान बनाने हेतु मुकदमेबाजी तथा लैंड पूलिंग से बचा जाना चाहिए।
- **जागरूकता पैदा करना:** स्टार्ट-अप इंडिया पहल के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए- पात्र कंपनियां कर लाभ, आसान अनुपालन, IPR[161] फास्ट-ट्रैकिंग, स्व-प्रमाणन जैसे लाभों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए स्वयं को DPIIT[162] के साथ पंजीकृत करवा सकती हैं।

- **कर अवकाश (Tax Holidays):** आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निगमित स्टार्ट-अप्स को 2016-2022 के बीच लगातार तीन वर्षों के लिए कर छूट दी गई थी। इसे आगे कुछ समय के लिए और जारी रखा जाना चाहिए।

[161] Intellectual Property Right/ बौद्धिक संपदा अधिकार

[162] Department for Promotion of Industry & Internal Trade/ उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

11.1.2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): एक नजर में

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कुछ कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे **अपने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम-से-कम 2% भाग CSR गतिविधियों पर खर्च** करें। इनमें वे कंपनियां शामिल हैं, जिनके पास–

- **500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की नेट वर्थ हो**
- **1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर हो**
- **5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवल लाभ हो**

प्रमुख उद्देश्य

- पूंजी और बाजारों तक **बेहतर पहुंच** सुनिश्चित करना।
- **कम-से-कम पर्यावरणीय प्रभाव पैदा करना।**
- **ब्रांड की छवि मजबूत करना** और कंपनी के प्रति ग्राहक की निष्ठा में वृद्धि करना।
- स्थानीय समुदाय **रोजगार और आय के बेहतर अवसर सुनिश्चित करना।**
- **देशज संस्कृति को बढ़ावा देना** और अल्पसंख्यकों व महिलाओं जैसे सुभेद्य वर्गों का सशक्तीकरण करना।
- **लोक कल्याण और विश्वास में वृद्धि करना।**
- **मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग करना** और साझेदारी के माध्यम से नए संसाधनों का उपयोग करना।

CSR से संबंधित मुद्दे

- **भौगोलिक पूर्वाग्रह:** कंपनियां अपनी अवस्थिति के निकट मौजूद परियोजनाओं को वित्त-पोषित करने को प्राथमिकता देती हैं। **कुल CSR खर्च का 33% विकसित राज्यों में खर्च किया जाता है।**
- कंपनियां CSR गतिविधियों पर उनके द्वारा खर्च की गई राशि का **सही-सही विवरण नहीं देती हैं।**
- **CSR के तहत व्यय कुछ क्षेत्रकों में ही केंद्रित है: 2014-15 से 2020-21 के दौरान खर्च किए गए कुल CSR फंड का लगभग 60% खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों में किया गया था।**
- CSR गतिविधियों में **सामुदायिक भागीदारी का अभाव है।**
- स्थानीय कार्यान्वयन एजेंसियों की ओर से **पारदर्शिता की कमी** रहती है।
- CSR **पहलों के प्रति गैर-सरकारी संगठनों** और सरकारी एजेंसियों का संकीर्ण दृष्टिकोण होता है।

आगे की राह

- कंपनियों द्वारा कार्यक्रमों को **तैयार करने और उनको लागू करने में** भागीदारों के रूप में **समुदायों एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना** चाहिए।
- **अपने मौजूदा कार्यक्रमों में हाशिए पर रहने वाली आबादी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।** इसके लिए कंपनियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं या दिव्यांग व्यक्तियों जैसे समुदायों के लिए स्पष्ट रूप से प्रयास करने चाहिए।
- **पेशेवर CSR टीम को नियुक्त करना** चाहिए, जो कॉर्पोरेट और सामाजिक क्षेत्रकों के बीच के मौजूदा अंतराल को कम कर सके।
- CSR व्यय की प्रक्रिया में लाभार्थियों को शामिल करना चाहिए, ताकि **हितधारकों के बीच जागरूकता** पैदा हो सके।
- केंद्र और राज्यों में मंत्रालय स्तर पर **CSR के लिए समर्पित विभाग गठित किया जाना** चाहिए।
- सामाजिक-आर्थिक मुद्दों एवं समस्याओं के निवारण के लिए **प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों का उपयोग** करना चाहिए।

11.2. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Competition (Amendment) Act 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023** को लागू कर इसके कई प्रावधानों को अधिसूचित किया है। इस संशोधन अधिनियम के जरिए **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन** किया गया है।

अधिनियम में संशोधित की गई परिभाषाएं

- **कॉम्बिनेशंस या समुच्चयों (Combination) की परिभाषा: प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम (CAA)** में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के लेन-देन वाले **कॉम्बिनेशंस की परिभाषा का विस्तार** किया गया है। इसमें **उद्यमों का विलय, खरीद/ अधिग्रहण या समामेलन** शामिल हैं।
- **कॉम्बिनेशंस की मंजूरी की समय सीमा में कमी:** इसे 210 दिन से घटाकर **150 दिन** कर दिया गया है।
- **कॉम्बिनेशंस के वर्गीकरण के लिए कंट्रोल यानी नियंत्रण को परिभाषित:** संशोधन अधिनियम के जरिए **नियंत्रण (Control)** की परिभाषा को संशोधित किया गया है। इसके अनुसार, कंपनी या उद्यम के **प्रबंधन, आंतरिक या बाह्य मामलों या रणनीतिक-व्यावसायिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित करने की क्षमता** को **'नियंत्रण'** समझा जाएगा।
- **"हब एंड स्पोक अरेंजमेंट्स" को शामिल करने के लिए व्यापारिक संघों (Cartels) के दायरे का विस्तार:** कई कंपनियां समान या एक जैसी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं होती हैं। यदि ऐसी कंपनियां **"हब एंड स्पोक अरेंजमेंट्स"** के लिए किसी समझौते में शामिल होती हैं या शामिल होने की इच्छुक हैं, तो उन्हें **कार्टेलाइज़ेशन** (ऊपरी स्तर पर मिलीभगत या संघ बना कर प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्य करना) के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

शिकायत निवारण और दंड व जुर्माना संबंधी प्रावधान

- **शिकायत करने की समयावधि:** जिस दिन कोई प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्य हुआ है या उसके बारे में पता चला है, उस दिन से लेकर अगले **3 साल के भीतर** CCI के समक्ष प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। हालांकि, CCI चाहे तो इस समयावधि का पालन न करने वाले शिकायतकर्ता को विलंब के लिए क्षमा कर शिकायत दर्ज कर सकता है।
- **जुर्माने की राशि में वृद्धि:** झूठे बयान देने/ महत्वपूर्ण सूचनाओं को छिपाने के लिए जुर्माना 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- **वैश्विक टर्नओवर (कारोबार) के आधार पर जुर्माना:** प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों और बाजार या कॉर्पोरेट जगत में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग के लिए दोषी व्यक्ति को अब उसके **वैश्विक टर्नओवर के आधार पर दंड** दिया जाएगा। दोषी व्यक्ति या उद्यम के वैश्विक टर्नओवर की गणना उसके सभी उत्पादों और सेवाओं के आधार पर की जाएगी।

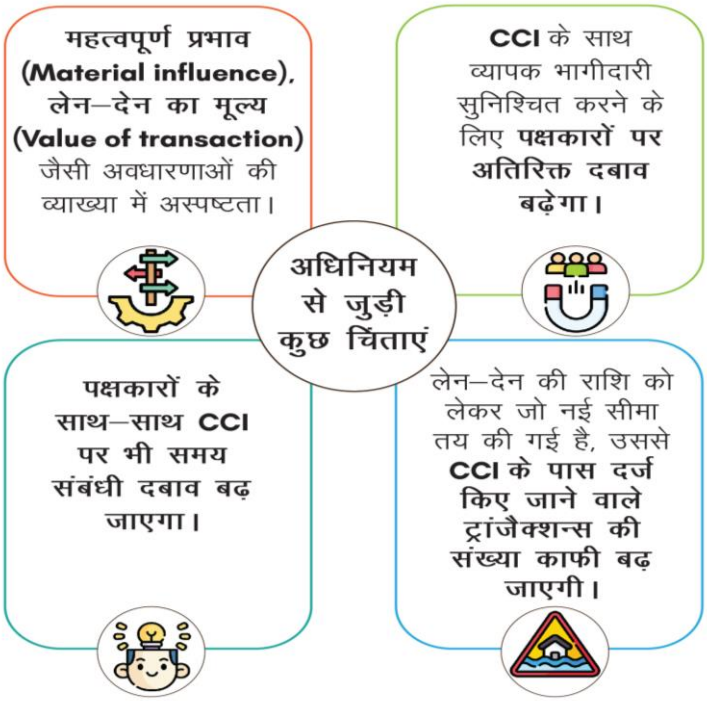

- **उदार प्रावधान:** संशोधन अधिनियम में कुछ उदार प्रावधानों को शामिल किया गया है। यदि किसी कार्टेल की जांच में शामिल कोई पक्ष **नियमों के उल्लंघन के मामले में अपनी गलती मान लेता है या CCI के सामने किसी दूसरे अज्ञात कार्टेल के बारे में सही और महत्वपूर्ण जानकारी साझा** करता है, तो CCI को यह अधिकार सौंपा गया है कि वह जांच में सहयोग करने वाले कार्टेल पर कम जुर्माना लगाए।
- **कुछ अपराधों का डीक्रिमिलाइजेशन:** प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम में कुछ अपराधों के लिए कैद की सजा को आर्थिक दंड में बदल दिया गया है।

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अन्य प्रावधान

- **प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्यवाहियों में निपटान (Settlement) और प्रतिबद्धता (Commitment) की व्यवस्था:** मूल अधिनियम में यह प्रावधान है कि **CCI** प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौता करने वाले उद्यमों के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। हालांकि, संशोधन अधिनियम में यह शामिल किया गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में **CCI किसी जांच की कार्यवाही रोक** सकता है:
  - यदि उद्यम मामले के **निपटान की पेशकश करे** (इसके लिए विनियमों के जरिए तय की गई राशि का भुगतान करना पड़ सकता है), या

- यदि उद्यम इस संबंध में **प्रतिबद्धता जाहिर करे**, जो ठोस या व्यवहारिक हो।

- **महानिदेशक (Director General) की नियुक्ति:** संशोधन अधिनियम के अनुसार, **महानिदेशक की नियुक्ति अब CCI द्वारा** की जाएगी। इसके लिए CCI को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। इससे पहले महानिदेशक को नियुक्ति करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास थी।

नए संशोधनों का महत्त्व

- **शीघ्र मंजूरी:** कॉम्बिनेशंस की मंजूरी के लिए **अधिकतम समय-सीमा में कमी करने से** मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।
- **उचित प्रतिस्पर्धा:** 2,000 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक के लेन-देन के लिए **CCI की मंजूरी अनिवार्य** की गई है। इस तरह संशोधन अधिनियम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि बड़े पैमाने पर विलय और अधिग्रहण (या खरीद) से जुड़े लेन-देन से कोई प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्य न हो तथा बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता रहे।
- **अधिक दंड:** वैश्विक टर्नओवर के आधार पर दंड के निर्धारण के परिणामस्वरूप, अब प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्रवाई में शामिल **मल्टी-प्रोडक्ट कंपनियों** के लिए अधिक दंड निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार, कठोर दंड के प्रावधान से कानून का भय बना रहेगा और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।
- **क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) में वृद्धि:** समझौता-मूल्य सीमा (Deal Value Threshold) को लागू करने और साथ ही नियंत्रण के लिए इस **सीमा को शिथिल करने से लेन-देन की संख्या में वृद्धि** होगी। इस वृद्धि की गणना **CCI के विलय नियंत्रण क्षेत्राधिकार (Merger control jurisdiction)** के तहत की जाएगी।
- **मामले का जल्द समाधान: निपटान** और **प्रतिबद्धता** संबंधी प्रावधानों को शामिल करने से प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्यवाही का यथाशीघ्र समाधान करना संभव होगा।

निष्कर्ष

उपर्युक्त **संशोधन दूरदर्शी हैं** और **प्रतिस्पर्धा संबंधी नियम-कानून से जुड़े भविष्य के मुद्दों से निपटने में सक्षम** हैं। हालांकि, इसमें अभी कुछ और सुधार किए जा सकते हैं। इसके लिए अधिनयम से संबंधित सभी **अस्पष्टताओं को दूर करना** होगा। साथ ही, संशोधन अधिनियम के **प्रावधानों के आसान एवं प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने** के लिए सरल प्रक्रियाओं का भी निर्माण करना होगा।

11.2.1. प्रतिस्पर्धा कानून और बिग टेक कंपनियां (Competition Law and Big Technology Companies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने **"बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाएं[163]"** शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की है। साथ ही, समिति ने टेक कंपनियों के लिए एक **डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम** तथा **आचार संहिता** के निर्माण की भी सिफारिश की है।

प्रतिस्पर्धा का महत्त्व

- किसी भी अर्थव्यवस्था में, प्रतिस्पर्धा को एक **महत्वपूर्ण प्रक्रिया** के रूप में देखा जाता है, क्योंकि:
  - यह प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने हेतु **कंपनियों को नवाचार और विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित** करती है।
  - यह कम लागत पर अधिक विकल्प और गुणवत्ता प्रदान करके **उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती** है।
  - यह कामगारों को आकर्षित करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए **उच्च वेतन देने और कार्य की बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध कराने हेतु** संगठनों को प्रेरित करती है।
  - प्रतिस्पर्धा **एक स्वस्थ और लाभकारी मार्केटप्लेस** को बनाए रखने में मदद करती है तथा दूसरों को भी निवेश करने के लिए आकर्षित करती है।
- प्रतिस्पर्धा के अभाव में, बड़ी कंपनियां अपनी बाजार शक्ति का दुरूपयोग करके कीमतों में वृद्धि कर सकती हैं। साथ ही, वे अपनी बाजार शक्ति का उपयोग **उत्पादों/ सेवाओं की गुणवत्ता को कम करने** और/ या **बाजार में संभावित प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश को रोकने के लिए** भी कर सकती हैं।

समिति द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष

- डिजिटल बाजारों के अंतर्निहित आर्थिक चालकों ने अनिवार्य रूप से अपेक्षाकृत कुछ प्रमुख अभिकर्ताओं के उदय में मदद की है, जिन्हें सामूहिक रूप से **बिग टेक कंपनियों** के रूप में जाना जाता है। **समिति ने निम्नलिखित 10 प्रकार की प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं** की पहचान की है जिनका अक्सर बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है:

[163] Anti-competitive practices by Big Tech companies

प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाएं	
एंटी-स्टीयरिंग प्रावधान (Anti-Steering Provisions): ये प्रावधान उपयोगकर्ताओं को प्लेटफ़ॉर्म से बाहर जाने से रोकते हैं, जैसे- ऐप स्टोर।	लघु व्यवसायों को बाजार से बाहर करने के लिए **मनमाना मूल्य निर्धारण/ भारी छूट।**
प्लेटफॉर्म न्यूट्रैलिटी / सेल्फ प्रिफरेंसिंग (Platform Neutrality/ Self-Preferencing): जैसे- गूगल द्वारा प्ले स्टोर पर गूगल पे को प्राथमिकता देना।	**विशेष गठजोड़** अन्य प्लेटफॉर्म्स पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।
एडजेसेंसी/ बिल्डिंग और टाइंग (Adjacency/ Building and Tying): इसमें डिजिटल कंपनियां लोगों को **संबंधित सेवाएं खरीदने के लिए मजबूर** करती हैं।	**सर्च और रैंकिंग प्राथमिकता,** उदाहरण के लिए- अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट द्वारा वरीयता सूची बनाना।
डेटा उपयोग (गैर-सार्वजनिक डेटा का उपयोग) {Data Usage (use of non-public data)}: सहमति के बिना यूजर्स के पिछले ऑर्डर से जुड़े डेटा (Purchase data) का उपयोग करना।	**तृतीय-पक्ष के एप्लीकेशंस को सीमित पहुंच** प्रदान करना।
विलय और अधिग्रहण (Mergers and Acquisitions): प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करने हेतु।	**विज्ञापन में स्वयं को प्राथमिकता देना।**

ये प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाएं **डिजिटल बाजारों को गंभीर रूप से नुकसान** पहुंचाती हैं (इंफोग्राफिक देखें)। इससे अंततः **बाजार की गतिशीलता में गिरावट** आती है तथा **वेतन असमानता और धन संग्रह की प्रवृत्ति में वृद्धि** होती है।

इस संबंध में भारत में कानूनी ढांचा और इससे जुड़े मुद्दे

- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा** देने और **बनाए रखने** के लिए भारत सरकार ने "प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002" को लागू किया है। इसे **प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए लागू किया गया है।**
- इस अधिनियम के **प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन**[164] के लिए **CCI**[165] की स्थापना की गई है। गौरतलब है कि CCI को 2009 में स्थापित किया गया था।
    - CCI **उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा** करता है। यह भारत के बाजारों में अन्य प्रतिभागियों के लिए **व्यापार करने की स्वतंत्रता** सुनिश्चित करता है।
- **राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (NCLAT)**[166] का गठन **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत CCI के निर्देशों, आदेशों या निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने और उनका निपटान करने के लिए एक **अपीलीय अधिकरण** के रूप में किया गया है।

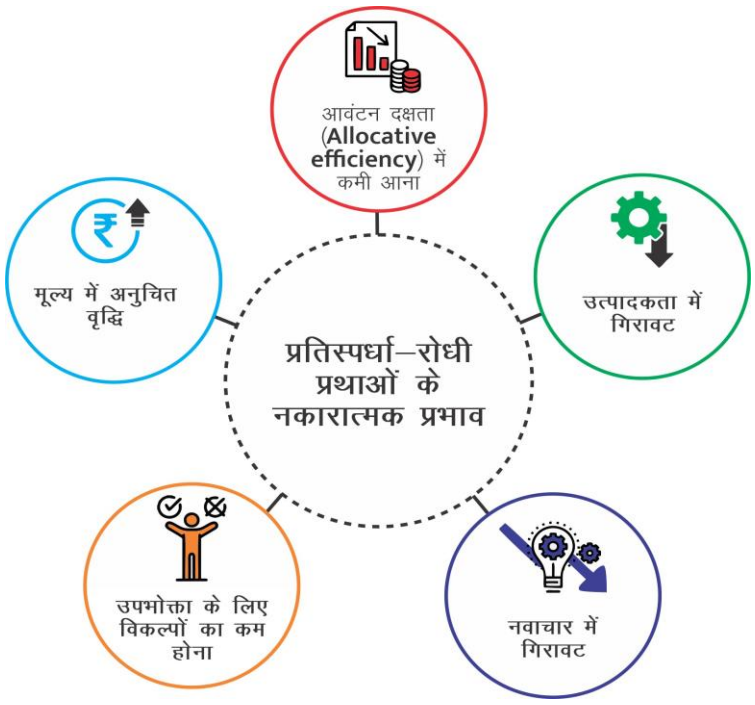

    - हालांकि, यह एक **एक्स-पोस्ट एप्रोच** पर कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, यह प्रतिस्पर्धा-रोधी घटना के घटित होने के बाद निर्णय सुनाता है।
    - दूसरी ओर, **बढ़ती आर्थिक गतिविधियों** के कारण डिजिटल बाजार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण **बिग टेक कंपनियां** अन्य प्रतिस्पर्धियों बहुत पहले अपूरणीय क्षति (Irreparable harm) पहुंचा देती हैं। इसे रोकने के लिए एक्स-पोस्ट एप्रोच पर किए जाने वाले प्रयास अपनी देरी के कारण अप्रभावी रह जाते हैं। इसके अलावा:

[164] Administration, implementation, and enforcement

[165] Competition Commission of India/ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

[166] National Company Law Appellate Tribunal

- निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी पारंपरिक बाजारों की तुलना में, इससे बाजार एकाधिकार वाली एक या दो बड़ी कंपनियों ही बाजार में रह जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप डिजिटल बाजार में **प्रतिस्पर्धा सीमित** हो सकती है।
- यह **नेटवर्क इफ़ेक्ट** को भी बढ़ावा देता है, यानी उपयोगकर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी होने से प्लेटफॉर्म की उपयोगिता में भी वृद्धि होती है। इससे बड़े प्लेटफॉर्म **और भी बेहतर व शक्तिशाली** हो जाते हैं।
- इसके कारण होने वाले अन्य नुकसानों में शामिल हैं- **वैल्युएबल मार्केट इनपुट** (जैसे- प्रतिभाशाली कार्यबल) पर एकाधिकार और **निकटवर्ती बाजारों में भी बेहतर रिटर्न पाने की प्रवृत्ति का प्रभावी होना।**

डिजिटल बाजारों का विनियमन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा किया जाएगा तथा **बिग टेक कंपनियों का विनियमन** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा किया जाएगा।

- MeitY **डिजिटल इंडिया विधेयक** लाने वाला है जो पारित होने पर **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** का स्थान लेगा।
- **एक डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून -** बिग टेक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्यप्रणालियों से निपटने के लिए MCA **एक अलग कानून** बनाएगा।

आगे की राह: समिति की सिफारिशें और अन्य उपाय

निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिए भारत को एक **डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम** की आवश्यकता है। ऐसे कानून को डिजिटल बाजारों की विशिष्ट जरूरतों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। वैश्विक **अनुमान आधारित दृष्टिकोणों (Ex-ante Approaches)** की तर्ज पर, ऐसे डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत निम्नलिखित पर ध्यान देना आवश्यक है:

- **प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यवर्तियों**[167] **/ डिजिटल गेटकीपर्स** को परिभाषित और उनकी संख्या को निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा को विनियमित करने के लिए भारत में मौजूद SIDIs पर **प्रतिस्पर्धा से पहले ही किए गए पूर्वानुमान पर आधारित (Ex-ante competitive) प्रतिबंध** आरोपित किए जाने चाहिए।
- कंपनियों के विनियामकीय बोझ को कम करने और भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए **डिजिटल विनियमों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से तैयार किया** जाना चाहिए।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2020** और इसके अंतर्गत आने वाले **ई-कॉमर्स नियमों** के अनुरूप प्रतिस्पर्धा कानून को निर्मित किया जाना चाहिए।
- उपभोक्ताओं के लिए **उचित मुआवजा सुनिश्चित** करने हेतु एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
- **CCI में सुधार** किया जाना चाहिए और नई जिम्मेदारियां लेने के लिए **इसे मजबूत बनाया जाना** चाहिए। इसके लिए कुशल विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वकीलों को जोड़कर आयोग के भीतर **स्पेशल डिजिटल मार्केट** विभाग (या प्रकोष्ट) की स्थापना की जानी चाहिए।
  - इसके अलावा, इसे **SIDIs की बारीकी से निगरानी** करनी चाहिए। साथ ही, **SIDIs को नामित करने, अनुपालन और अधिनिर्णयन (Adjudication) पर सिफारिशें प्रस्तुत** करनी चाहिए।
- SIDIs के लिए **विशिष्ट उपायों के साथ एक आचार संहिता विकसित** की जानी चाहिए ताकि **उन्हें अपने बाजार शक्ति का दुरुपयोग करने से रोका** जा सके (इंफोग्राफिक देखें)।

[167] Systemically Important Digital Intermediaries: SIDIs

परिशिष्ट

परिशिष्टः प्रमुख आंकड़े और तथ्य

रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास

रोजगार

- PLFS 2021–22 के अनुसार, श्रम बल भागीदारी दर 41.3% थी।
- सक्रिय रोजगार की तलाश करने के बावजूद 4.1% कार्यबल बेरोजगार था।
- लगभग 52 करोड़ कामगार भारत के कार्यबल का निर्माण करते हैं।
- 46% श्रमिक कृषि क्षेत्रक में कार्यरत हैं।

बीमा

- वित्त वर्ष 2021 में भारत की कुल बीमा पैठ 4.2% थी।
- वित्त वर्ष 2021 में भारत का कुल बीमा घनत्व 91 डॉलर था।
- भारत में बीमा क्षेत्रक की औसत वार्षिक वृद्धि दर 12% है।
- भारत दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार है।

कौशल विकास

- यू.एस.ए. में 52% और साउथ कोरिया में 96% के मुकाबले भारत में केवल 5% कार्यबल ही औपचारिक रूप से कुशल है।
- भारत ने 2018 से 2055 तक चलने वाले 37 वर्षों की लंबी जनसांख्यिकीय लाभांश अवधि में प्रवेश किया है।
- इंडिया स्किल रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, भारत के केवल 50.3% शिक्षित लोग ही रोजगार योग्य हैं।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, नौकरियों की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है।

गरीबी और समावेशी विकास

निर्धनता उन्मूलन

- भारत में 350 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।
- भारत (2020) की 16% से अधिक आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है।
- भारत में चरम निर्धनता में 12.3% की गिरावट (2011 में 22.5% से घटकर, 2019 में 10.2% तक) हुई है।
- विश्व के दो–तिहाई गरीब संघर्ष प्रभावित देशों में रहते हैं।

वित्तीय समावेशन

- वर्ष 2020 में भारत में प्रति 1,00,000 वयस्कों पर 14.7 बैंक शाखाएं थी। यह संख्या जर्मनी, चीन और साउथ अफ्रीका से अधिक है।
- PMJDY के तहत खोले गए कुल 49 करोड़ से अधिक खातों में से 55% से अधिक खाते महिलाओं के हैं।
- पी.एम. जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत मई 2023 तक 16.31 करोड़ नामांकन किए जा चुके हैं, जिसमें अप्रैल 2022 तक 4.52 करोड़ महिला लाभार्थी शामिल थीं।
- वैश्विक आबादी के शीर्ष 10% के पास कुल घरेलू संपत्ति का 76% हिस्सा है और इनका 2021 में कुल आय के 52% हिस्से पर कब्जा था। (विश्व असमानता रिपोर्ट– 2022)
- निचले स्तर की 50% वैश्विक आबादी के पास संपदा का केवल 2% और आय का केवल 8% हिस्सा है। (विश्व असमानता रिपोर्ट 2022)

आवास

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 3 करोड़ और 1.2 करोड़ घरों की आवश्यकता है।
- PMAY (U) के तहत 1 करोड़ से अधिक घरों की नींव डाली गई है और 75 लाख से अधिक घर बन चुके हैं।
- PMAY (R) के तहत 2 करोड़ से अधिक घरों की नींव डाली गई है और 2.29 करोड़ से अधिक घर बन चुके हैं।
- GHTC–इंडिया के तहत छह लाइट हाउस परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण

- 94% गांवों के भूमि रिकॉर्ड (अधिकारों का अभिलेख यानी RoR) का कम्प्यूटरीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- 70% कैडस्ट्रल मानचित्रों को डिजिटल कर दिया गया है।
- 2010–11 में खेत का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर था।
- <10% भूमि का इस्तेमाल गैर–कृषि कार्यों हेतु किया जाता है।

राजकोषीय नीति

सरकारी वित्त–पोषण

- वित्त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 6.4% रहा।
- वित्त वर्ष 2023 के लिए सार्वजनिक ऋण–GDP अनुपात 83.1% रहा।
- मार्च 2023 के अंत में राज्यों का संयुक्त ऋण–GDP अनुपात 29.5% रहा।
- नियंत्रण से बाहर होने वाले कर्ज से बचने के लिए वित्त वर्ष 2025 तक 60% ऋण–GDP अनुपात (केंद्र सरकार का 40% और राज्यों का संयुक्त ऋण–GDP अनुपात 20%) रखना।

प्रत्यक्ष कराधान

- वित्त वर्ष 2022 में कर–GDP अनुपात 11.7% था। यह प्रत्यक्ष करों के लिए 6% और अप्रत्यक्ष करों के लिए 5.7% रहा।
- वित्त वर्ष 2022–23 में रिकॉर्ड 16.61 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि हुई है।
- प्रत्यक्ष कर में मुख्य योगदान निगम कर और व्यक्तिगत आयकर का रहा।
- प्रत्यक्ष कर उछाल 2.52 के साथ पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक था।

बैंकिंग और भुगतान प्रणाली

बैंकिंग

- वित्त वर्ष 2022–23 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) द्वारा ऋण प्रदान करने में 15.4% की वृद्धि हुई।
- दिसंबर 2022 के अंत में SBCs का सकल NPA अनुपात 4.5% और निवल NPA 1.2% रहा।
- सितंबर 2022 में SBCs का प्रोविजन कवरेज अनुपात (Provision Coverage Ratio) 71.6% रहा।
- PSB के लिए संपत्ति पर वार्षिक रिटर्न (RoA) और इक्विटी पर रिटर्न (RoE) मार्च 2016 से नकारात्मक रहने के बाद 2020 में सकारात्मक हो गया।

परिसंपत्ति की गुणवत्ता और पुनर्गठन

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPAs) सितंबर 2022 में घटकर सात साल के निचले स्तर यानी 5% पर आ गई और निवल NPA घटकर 1.3% हो गया।
- NPA का अधिकांश हिस्सा अवसंरचना क्षेत्रक से संबंधित है।
- इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का हिस्सा तुलनात्मक रूप से अधिक है, अर्थात् NPA का लगभग 9/10वां हिस्सा PSBs का है।
- NPAs की क्षेत्रक आधारित हिस्सेदारी में अवसंरचना क्षेत्रक का प्रभुत्व है।
- भारत वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से सबसे बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में से एक था।

भुगतान प्रणाली

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारत में सभी लेन–देन का लगभग 50% नकद में होता है। हालांकि, 500 रुपये से कम के लेनदेन के लिए यह 70% है।
- भारत के डिजिटल भुगतान की 50% मात्रा पर डेबिट कार्ड, PPI और IMPS का प्रभुत्व है।
- भारत के डिजिटल भुगतान के 53% मूल्य पर RTGS और NEFT का प्रभुत्व है।
- 2019 में प्रति व्यक्ति 22.4 डिजिटल लेन–देन हो रहे थे। यह 2014 में प्रति व्यक्ति 2.4 था।

फिनटेक क्षेत्रक

- वित्त वर्ष 2011 में भारतीय फिनटेक उद्योग का मूल्य 50–60 बिलियन डॉलर था। इसके 2025 तक लगभग 150 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।
- मार्च 2020 में भारत में फिनटेक एडॉप्शन रेट 87% थी, जबकि वैश्विक औसत 64% थी।
- भारत के पास विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम है।

बाह्य क्षेत्रक

निर्यात क्षेत्रक

- वर्ष 2022–23 में भारत का कुल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर) 770.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.8% है। हालांकि, अभी भी भारत का निर्यात चीन (13%) और संयुक्त राज्य अमेरिका (9%) से कम है।
- भारत का निर्यात उसके GDP का लगभग 18% है।
- भारत का सेवा क्षेत्र इसके निर्यात का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

- वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में FDI में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
- इसके 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- भारत FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है जबकि पहला और दूसरा स्थान क्रमशः USA और चीन का है
- 2020–21 के दौरान कुल FDI इक्विटी अंतर्वाह में लगभग 44% हिस्सेदारी के साथ 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर' शीर्ष के रूप में उभरे है।
- वर्ष 2021–22 में भारत ने 83.57 बिलियन डॉलर की राशि के साथ अब तक का सर्वाधिक FDI प्राप्त किया था।

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां

कृषि में मशीनीकरण

- नाबार्ड के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका (95%), ब्राजील (75%) और चीन (57%) की तुलना में भारत में कृषि मशीनीकरण का स्तर 40-45% के बीच है।
- भारत का कृषि उपकरण बाजार वैश्विक बाजार का 7% है, जिसमें 80% से अधिक योगदान ट्रैक्टरों का है।
- गैर–ट्रैक्टर कृषि मशीनरी में व्यापार अधिशेष बहुत कम है।
- भारत निम्न श्रेणी के उपकरण या आयात पर निर्भर है।

किसानों को वित्तीय सहायता

- 11.60 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ दिया गया है।
- कुल मिलाकर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2-2.5% सालाना सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी उर्वरक, ऋण, फसल बीमा और मूल्य समर्थन सब्सिडी के रूप में होती है।
- कुल कृषि आय में 1/5 हिस्सा सब्सिडी के रूप में होता है।
- 50.2% कृषक परिवार किसी न किसी तरह के कर्ज में हैं।
- किसानों द्वारा लिए गए लगभग 70% ऋण संस्थागत स्रोतों से थे।

संबद्ध क्षेत्रक

- पशुधनः 2014–15 से 2020–21 के दौरान पशुधन क्षेत्रक का CAGR 7.9% था। यह 2020–21 में कुल कृषि GVA का 30.1% (स्थिर कीमतों पर) था।
- दुग्ध उत्पादनः वैश्विक दुग्ध उत्पादन का 24% उत्पादन भारत में होता है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देता है। साथ ही, यह सीधे 8 करोड़ से अधिक किसानों को रोजगार भी देता है।
- बागवानीः भारत के कुल निर्यात में 37% योगदान बागवानी क्षेत्रक द्वारा किया जाता है।
- मछली उत्पादनः भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जो वैश्विक उत्पादन का 8% उत्पादित करता है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक

- यह एक सनराइज सेक्टर है। इसका चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) (वित्त वर्ष 2017–21 में) 8.3% है। वर्ष 2019–20 में 2.24 लाख करोड़ रुपये का सकल मूल्य वर्धन (GVA) था। यह देश में कुल GVA का 1.69% है।
- अर्थव्यवस्था में हिस्साः उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2018–19 के अनुसार, इस क्षेत्रक में 20.05 लाख कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। यह संख्या देश में पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्रक में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या का सबसे बड़ा हिस्सा (12.2%) है।
- देश भर में स्वीकृत 37 में से 22 मेगा फूड पार्क परिचालन में हैं।
- बढ़ती क्षेत्रीय पसंद की वरीयता के साथ बढ़ता निर्यात।

कृषि निर्यात

- भारत का कृषि निर्यात 2021–22 के दौरान 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया।
- भारत, 1991 में आर्थिक सुधार शुरू होने के बाद से कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक रहा है।
- 2021 में विश्व कृषि व्यापार में भारत के कृषि निर्यात का हिस्सा 2.4% था।
- 2021–22 में भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में कृषि निर्यात की हिस्सेदारी 11.9% थी।
- भारत के कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के प्रमुख गंतव्य बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात थे।

उद्योग

औद्योगिक नीति

- योगदानः सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्रक का योगदान लगभग 17% है। यह वर्ष 1991 से लगभग स्थिर बना हुआ है।
- हाल ही में, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सूचकांकों जैसे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
- EoDB रैंकिंगः भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में वर्ष 2020 में 63वें स्थान (वर्ष 2014 में 142 वां स्थान) पर था।
- भारतीय कंपनियांः 9 भारतीय कंपनियां 2022 की फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल हैं।

वस्त्र क्षेत्रक

- वस्त्र क्षेत्रक, भारतीय GDP में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 7% तथा भारत की निर्यात से होने वाली आय में 12% का योगदान देता है। भारत वस्त्र एवं परिधान में वैश्विक व्यापार के 5% का योगदान देता है।
- भारत दुनिया में कपास और जूट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यह रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है एवं तकनीकी वस्त्रों का पांचवा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- विश्व स्तर पर हाथ से बुने हुए कपड़ों का 95% हिस्सा अकेले भारत से आयात किया जाता है।
- यह 45 मिलियन से अधिक लोगों (कुल रोजगार का 21%) को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

सेवा क्षेत्रक

ई–कॉमर्स क्षेत्रक

- वैश्विक स्थितिः भारत वैश्विक स्तर पर 8वां सबसे बड़ा ई–कॉमर्स बाजार है।
- यह एक सनराइज़ क्षेत्रक है। भारत के खुदरा बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10–15% है।
- बाजारः इस उद्योग ने वर्ष 2021 में 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन किया था। इसके वर्ष 2024 तक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- भारत 2020 में 140 मिलियन लोगों के साथ ऑनलाइन शॉपिंग का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र था।
- क्षमताः इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पैठ के कारण मासिक (मुख्य रूप से टियर–II शहरों से) आधार पर 10 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता जुड़ जाते हैं।

दूरसंचार क्षेत्रक

- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार क्षेत्रक है। इसका बाजार तीन मुख्य खंडों– वायरलेस, वायरलाइन और इंटरनेट सेवाओं में विभाजित है।
- कनेक्शंसः शहरी–ग्रामीण भारत के संदर्भ में, लगभग 66 करोड़ कनेक्शन शहरी भारत में और 53 करोड़ ग्रामीण भारत में हैं (ग्रामीण टेली–घनत्व 59%)।
- इंटरनेट ग्राहकः जून 2021 में भारत में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 83.37 करोड़ थी। यह वैश्विक स्तर पर इंटरनेट ग्राहकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।
- यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह के मामले में सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जो कुल FDI प्रवाह में 6% का योगदान देता है।
- आर्थिक योगदानः यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से 2.2 मिलियन रोजगार और अप्रत्यक्ष रूप से 1.8 मिलियन नौकरियों में योगदान देता है।

पर्यटन क्षेत्रक

- वैश्विक आर्थिक मंच (WEF) के ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में 117 देशों में से भारत को 54वीं रैंक मिली है।
- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पर्यटन की स्थिति वर्ष 2026 से पहले महामारी–पूर्व के स्तर तक नहीं पहुंच सकेगी।
- वर्ष 2020 में, इस क्षेत्र ने देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4.7% का योगदान दिया था। वर्ष 2019 के 7% की तुलना में यह भारी गिरावट दर्शाता है।
- पर्यटन क्षेत्र 2019 तक देश के लिए विदेशी मुद्रा का तीसरा सबसे बड़ा अर्जक क्षेत्र रहा है।

खनन एवं विद्युत क्षेत्र

खान एवं खनिज

- उपलब्ध संसाधनः भारत खनिजों के मामलों में काफी हद तक आत्मनिर्भर रहा है। इसके अंतर्गत उद्योगों को आपूर्ति किए जाने वाले प्राथमिक कच्चे माल जैसे कि लौह और इस्पात, एल्यूमीनियम आदि शामिल हैं।
- दुर्लभ संसाधनः भारत में कायनाइट, मैग्नेसाइट, रॉक फॉस्फेट, मैंगनीज अयस्क आदि जैसे खनिज नहीं पाए जाते हैं। इनसे जुड़ी मांग को पूरा करने के लिए इनका आयात किया जाता है।
- भारतीय खनन उद्योग में छोटे स्तर पर परिचालन वाली खदानों की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही है।
- खनिज उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से लगभग 97 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन 7 राज्यों में होता है।
- भारत के स्पष्ट भू–वैज्ञानिक क्षमता (OGP) क्षेत्र के तहत अब तक केवल 10% हिस्से की ही खोज की गई है।

कोयला, तेल और गैस क्षेत्रक

- भारत के कुल एनर्जी मिक्स का 50% हिस्सा कोयले से प्राप्त होता है।
- भारत के कुल एनर्जी मिक्स का 28% हिस्सा तेल से प्राप्त होता है।
- भारत में प्रति वर्ष 893 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है।
- वित्त वर्ष 2020 में प्रति दिन 4.9 मिलियन बैरल तेल की खपत हुई थी। भारत की 87.6% तेल आवश्यकताओं को आयात के माध्यम से पूरा किया गया था।
- भारत की ऊर्जा आवश्यकता का 70% हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात किया जाता है।
- समग्र रूप से, भारत की प्राथमिक ऊर्जा मांग वर्ष 2040 तक लगभग दोगुनी होकर 1,123 मिलियन टन होने की संभावना है।

व्यवसाय और नवाचार

व्यापार नीति

- उदारीकरण के बाद भारत में नई कंपनियों, नए विचारों, नई प्रौद्योगिकियों और नई परिचालन प्रक्रियाओं में वृद्धि हुई है।
- भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की संख्या पिछले दशक में 13 से घटकर 10 हो गई है।
- भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए अब औसतन 18 दिनों की आवश्यकता होती है, जो 2009 में 30 दिन थी।
- वित्त वर्ष 2022–23 में अब तक का सबसे अधिक वस्तु (447 बिलियन डॉलर) और सेवा (322 बिलियन डॉलर) का निर्यात किया गया।
- वित्त वर्ष 2022 में 83 बिलियन डॉलर के साथ अब तक का सबसे अधिक FDI प्रवाह रहा।

वीकली फोकसः अर्थव्यवस्था

क्र. सं.	टॉपिक	अन्य जानकारी
1.	तेल की कीमतें – इसके निर्धारक और प्रभाव	
2.	अवसंरचना का वित्त–पोषण और व्यवसाय मॉडल	
3.	भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और कोविड–19	
4.	भारत के श्रम कानूनों में सुधार और उनका संहिताकरण	
5.	भारत में कृषि विपणन	
6.	भारत और मुक्त व्यापार समझौते	
7.	भारत और विश्व व्यापार संगठन	
8.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचनाओं का विकास	
9.	महामारी के बाद की अर्थव्यवस्थाः नई मंजिल, नई राह	
10.	गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां – 'संकट' से 'उत्प्रेरक' तक	
11.	कार्य की बदलती प्रकृति	
12.	पोर्ट कनेक्टिविटीः दुनिया की ओर भारत का मार्ग	

क्र. सं.	टॉपिक	अन्य जानकारी
13.	1991 के आर्थिक सुधारों के 30 वर्ष – एक क्रांति से दूसरी क्रांति तक	
14.	भारत में शहरी नियोजनः भारत के भविष्य के शहरों का निर्माण	
15.	कृषि अवलोकनः उत्पादन–केंद्रित से किसान–केंद्रित तक	
16.	कृषि आदान – भाग I मृदा और जलः प्राथमिक कृषि आगतें	
17.	कृषि आदान – भाग II बीज और कीटनाशकः खेतों में उपयोग होने वाले आवश्यक आदान	
18.	कृषि आदान – भाग III कृषि मशीनीकरण और ऋणः संवृद्धि को बढ़ावा देने वाले पूंजीगत आदान	
19.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs): भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार	
20.	इंडिया @75 और इसके आगे	
21.	ग्रामीण औद्योगीकरणः आत्मनिर्भर भारत के लिए आधारभूत सोपान	
22.	फिनटेक क्षेत्रकः वित्तीय क्षेत्रक में प्रौद्योगिकीय क्रांति	
23.	भारत में पूंजी बाजारः संवृद्धि के लिए वित्त जुटाना	
24.	वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (GVCs): भारत के लिए संभावनाएं और चुनौतियां	

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

Lakshya Mains Mentoring Program 2023

Lakshya Mains Mentoring Program 2023 is a targeted revision, practice, and enrichment Program that aids students in achieving excellence in the UPSC Mains Examination 2023. The Program adopts a strategic approach by providing smart preparation strategies, developing critical thinking and analytical skills, and advanced answer-writing abilities.

Scan the QR code to Register

Features of the Program

Dedicated Senior Mentor

A Senior Mentor is assigned to each student to provide personalized guidance in each aspect of the Mains examination preparation and assist students in consolidating their strengths maximizing their performance by identifying and improving upon student weaknesses.

Emphasis on High-Scoring Potential Subjects

The Program lays special emphasis on subjects like Ethics and Essay and provides ample opportunity for students to inculcate the learnings and effect their implementation in the answer writing.

Regular Group Sessions

Aspirants engage in interactive sessions conducted by experienced mentors which provide subject-specific strategies, insights from toppers, advanced-level answer-writing skills, etc.

Answer Enrichment

Aspirants gain insights from institutional experience and the answer scripts of previous toppers to enhance the content and presentation of their answers, making them impactful and effective.

Live Practice Sessions

Through these practice sessions, aspirants can implement session learnings and receive immediate feedback from their mentors to refine their approach and boost their confidence.

Lakshya Mains Practice Test (LMPT)

Aspirants can undertake the scheduled LMPTs in online/Offline modes to put their knowledge and skills to the test and validate their preparation strategies.

Expert Evaluation

The LMPT is evaluated by the expert team at VisionIAS through an Innovative Assessment System to provide detailed feedback for further improvement.

Feedback Session with Assigned Mentor

In this session, students can discuss the feedback received on their LMPT performance and their Answer Scripts to address any doubts or concerns in a personalized setting with their Mentor.

Peer Interaction and Motivation

Aspirants participate in constructive discussions, share their experiences, insights, and motivation with fellow aspirants facilitating co-learning and development.

Multi-platform Support

Aspirants can benefit from a comprehensive support system in the form of online/offline Groups and One-to-One sessions, telephonic support, and a dedicated Telegram platform for immediate assistance whenever needed.

With its intelligent design, effective implementation, dedication from Senior Mentors, and active participation of Students, the Program has achieved tremendous success in a short period of time with **Waseem Ahmad Bhat** securing an impressive All India Rank (AIR) of 7, **Siddharth Shukla AIR 18,** and **Anoushka Sharma** securing AIR 20.

Heartiest Congratulations
to all Successful Candidates

39 in Top 50 Selections in CSE 2022

1 AIR
ISHITA KISHORE

2 AIR
GARIMA LOHIA

3 AIR
UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

66 AIR
KRITIKA MISHRA

85 AIR
BHARAT JAI PRAKASH MEENA

105 AIR
DIVYA

120 AIR
GAGAN SINGH MEENA

173 AIR
ANKIT KUMAR JAIN

8 in Top 10 Selections in CSE 2021

2 AIR
ANKITA AGARWAL

3 AIR
GAMINI SINGLA

4 AIR
AISHWARYA VERMA

5 AIR
UTKARSH DWIVEDI

6 AIR
YAKSH CHAUDHARY

7 AIR
SAMYAK S JAIN

8 AIR
ISHITA RATHI

9 AIR
PREETAM KUMAR

1 AIR
SHUBHAM KUMAR
CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
DELHI

Mukharjee Nagar
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar, New Delhi – 110009

For Detailed Enquiry,
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

अहमदाबाद भोपाल चंडीगढ़ गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची